सोमवार, 8 मार्च 1982

17 फाल्गुन 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवाँ सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 13, सोमवार, 8 मार्च, 1982/17 फाल्गुन, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख :	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—31
*तारांकित प्रश्न संख्या 207, 208, 212 और 215	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	31—264
*तारांकित प्रश्न संख्या 210, 211, 213, 214 और 216 से 226	31—61
अतारांकित प्रश्न संख्या 2314 से 2318, 2320 से 2323, 2325 से 2461 और 2463 से 2545	61—264
सभा पटल पर रखे गये पत्र	364—266
सभा पटल पर रखेगये पत्रों संबंधी समिति	266
कार्यवाही सारांश	
सभापटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति	266
दसवां प्रतिवेदन	
अनुदानों की अनुपूरक मागें (रेल) 1981-82	266
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	266—282
एम० बी० बी० एस० तथा एम डी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये आयोजित परीक्षाओं में सदाचार का समाचार	
श्री एच० के० एल० भगत	266
श्रीमती शीला कौल	268
श्री उत्तम राठौर	273
श्री के० लकप्पा	274

* किसी नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
श्री कुसुमकृष्ण मूर्ति	277
श्री एडुआर्डो फैलोरो	279
नियम 377 के अधीन मामले	283—287
(एक) कैलास मानसरोवर की तीर्थयात्रा के लिये सुविधायें	
श्री हरीश रावत	283
(दो) ओलावृष्टि और भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य के लिये हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता।	
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	284
(तीन) पत्थर की खदानों और क्रशरों में कार्यरत मजदूरों का ठेकेदारों द्वारा कथित शोषण	
श्री दौलत राम सारन	285
(चार) राजस्थान में बिजली के संकट को हल करने के लिये दो और परमाणु बिजली केन्द्रों की स्थापना	
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	285
(पांच) राजस्थान के डूंगरपुर जिले के भील क्षेत्रों में भयंकर सूखे की स्थिति	
श्री भोखा भाई	286
(छः) उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों के लिये राहत कार्य	
श्री हरिकेश बहादुर	287
(सात) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इन्जीनियरों की समस्यायें	
श्री अजय विश्वास	म87
बजट (सामान्य) 1982-83 सामान्य चर्चा	287—3
श्री सुनील मैत्रा	287
श्री यशवन्तराव चव्हाण	302
डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी	312
श्री बी०आर० नहाटा	318
श्री गिरधारी लाल डोगरा	324
श्री दिग्विजय सिंह	331
श्री उमाकान्त मिश्र	335

लोक सभा

सोमवार, 8 मार्च, 1982/-17 फाल्गुन, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण मैं अपने एक सहयोगी श्री आर. के. महालगी के दुखद निधन की सूचना सदन को देता हूं जो कि महाराष्ट्र के थाणे चुनाव क्षेत्र से इस सभा के वर्तमान सदस्य थे । वर्ष 1977-79 के दौरान वह छठी लोक-सभा के भी सदस्य थे । इससे पहले वह 1957-60 के दौरान बम्बई विधान सभा के तथा 19 60-62 और 1967-77 के दौरान वह महाराष्ट्र विधान सभा के भी सदस्य रहे ।

एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से वह महाराष्ट्र की कई सामाजिक और संस्कृतिक संस्थाओं तथा संगठनों से सम्बद्ध थे ।

वह महाराष्ट्र विधान सभा की लोक लेखा समिति के सभापति थे वह संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते संबंधी संसद की संयुक्त समिति के सदस्य रहे थे तथा राजभाषा समिति के भी सदस्य थे ।

वह सक्रिय सांसद थे तथा सभा की कार्यवाही में भी काफी रूचि लेते थे तथा वह एक प्रभावशाली वक्ता थे ।

बम्बई में 6 मार्च, 1982 को 61 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतृप्त परिवार के प्रति सवेदना व्यक्त करने में सभी सदस्य हमारे साथ हैं ।

अब सदन के सदस्य अपना शोक प्रकट करने के लिए थोड़े समय के लिए मौन खड़े होंगे ।

(तत्पश्चात सदस्यों ने खड़े होकर थोड़े समय मौन धारण किया)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिनाथ मिश्र ।

श्री मनीराम बागड़ी : एक 388 का मैंने आपको लिखकर दिया था ···

अध्यक्ष महोदय : मैंने एलाऊ नहीं किया है ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री लोग अगर इस तरह से मर्डर करवायें,मैं कल अस्पताल में गया, उनके आश्रम में रहा हूं, वह बूढ़ा शेर दुखा हूआ है, रो रहा था कि किस तरीके से उन के लोगों को मंत्री , * ··· (व्यवधान) ··· यह देखें, यह अखबार ···(व्यवधान)··· * यह अखबार के ऊपर है, यह कोई मामूली बात नहीं है ··· (व्यवधान) ···

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है । नहीं, देखिए मनीराम जी ,

···(व्यवधान) ···

अध्यक्ष महोदय : नहीं , किसी का नाम नहीं आएगा ।

देखिए , मनीराम जी, मेरे पास यह पहले भी आया है, मैंने होम मिनिस्ट्रीं को इस विषय में मेरा ख्याल हैं लिख दिया है । मेरे पास झारखण्डे राय जी की चिट्ठी आई थी । अगर आप को कोई और एतराज हो, किसी को हो, तो प्राइम मिनिस्टर को लिख दूंगा । प्राइम-मिनिस्टर किसी को नहीं बख्शती जो गड़बड़ करने वाले हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : वह बीमार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : बीमार हैं तो मैं मिल आऊंगा उनसे । ऐसी कोई बात नहीं है । लेकिन इसको तरीके से नहीं करते हैं । जो साधन हमारे पास हैं उन के होते हुए कोई ऐसी बात नहीं है कोई आदमी जो गलती करता है उसको कोई बख्शने की बात नहीं है । इस तरह से मत करिए ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पश्चिम कोसी नहर

* 207. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम कोसी नहर के बिहार वाले अंश में मार्च, 1982 के अन्त तक कुल कितनी प्रगति होने की आशा है;

(ख) क्या प्रस्तावित कोसी नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना इस बीच की गई है; यदि हां, तो उसके सदस्य कौन हैं;

---

* कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(ग) वर्ष 1980-81 में वास्तविक व्यय कितना हुआ और लक्ष्य कहाँ तक प्राप्त किये गये और 1981-82 के दौरान कितनी राशि व्यय होगी और कितना काम किया जायेगा;

(घ) केन्द्रीय जल आयोग के निगरानी संगठन का नाम क्या है;

(ङ.) दूसरी ओर से प्रतिवेदन कितने अन्तराल पर प्राप्त होते हैं; और

(च) प्रतिवेदन की सत्यता के परीक्षण के लिए यदि कोई तरीके अपनाये जाते हैं तो वे क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) पश्चिमी कोसी नहर के बिहार भाग के सम्बन्ध में मार्च, 1982 के अन्त तक संचयी प्रत्याशित प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री की अध्यक्षता में कोसी नियन्त्रण बोर्ड के गठन के सुझाव के बारे में जिसमें बिहार के मुख्य मंत्री तथा सिंचाई मंत्री और केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हो, बिहार के मुख्य मंत्री के साथ लिखा-पढी की गई थी, परन्तु इस सुझाव पर सहमति नहीं हुई थी। राज्य सरकार ने बिहार के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में, अगस्त,1981 में पहले कोसी नियंत्रण बोर्ड ('1954 का) का पुनर्गठन किया है तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय जल अयोग उस बोर्ड के सदस्यों में एक सदस्य है।

(ग) 1980-81 के दौरान वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति, 1981-82 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य और दिसम्बर, 1981 की उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं :

	राशि	वास्तविक प्रगति		
	लाख रुपये	मिट्टी का कार्य (लाख एम3)	लाइनिंग संरचना (लाख एम2)	संरचना सं०
1980-81 के लिए लक्ष्य	500·00	14·15	4.64	3
1980-81 के दौरान वास्तविक	502.00	14.05	3.62	3
1980-81 के लिए लक्ष्य	1000-00	6·75	1.04	10
दिसम्बर 1981 तक वास्तविक	263.00	5.47	1.04	—

(च) केन्द्रीय जल आयोग में एक मानीटरिंग संगठन कार्य करता है, जिसमें तीन मुख्य इन्जीनियर तथा सहायक कर्मचारी हैं, जो देश में चुनी हुई बृहद सिंचाई परियोजनाओं की मानीटरिंग करता है। एक मुख्य इन्जीनियर, जिसकी सहायता एक निदेशक और अन्य तकनीकी तथा गैर तकनीकी कर्मचारी करते हैं, 20 परियोजनाओं को मानीटर करते हैं जिनमें से बिहार की 7 परियजनाएं सम्मिलित हैं जिनमें से पश्चिमी कोसी नहर परियोजना एक है

(ङ) परियोजना प्राधिकारियों से प्रगति रिपोर्टें केन्द्रीय जल आयोग में तिमाही रूप से प्राप्त होती है।

(च) राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाली रिपोर्टों को सही माना जाता है। तथापि, परियोजना की मानीटरिंग के प्रभारी मुख्य इन्जीनियर अथवा केन्द्रीय जल आयोग में उनके निदेशक समय-समय पर परियोजना का निरीक्षण करते हैं और स्थानीय अधिकारियों के साथ भौतिक तथा वित्तीय, दोनों प्रकार के कार्यक्रमों और प्रगति के बारे में गहराई से विचार-विमर्श करते है। विचार विमर्श के दौरान जिन असंगतियों का पता चलता है। उन्हें राज्य सरकार के नोटिस में लाया जाता है।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैंने इस विवरण को काफी ध्यान से पढ़ा है। सभी आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं जैसे नेपाल सरकार से समझौता किया गया है ब्लुप्रिंट तैयार करना और परियोजना के लिए धन की व्यवस्था तथा भारत सरकार द्वारा सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं। तथापि इसके कार्यनिष्पादन का दायित्व राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। बिहार के मुख्य मंत्री ने इस आशय का एक छोटा-सा सुझाव भी नहीं माना कि केन्द्र के सिंचाई मंत्री और राज्य के मुख्य मंत्री के साथ एक नियंत्रक बोर्ड बनाया जाए। तथापि प्रधान मंत्री द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर में यह इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इसकी जानकारी है कि सरकार ने अपने उत्तर में क्या कहा था राज्य सरकार ने (1954 के) कोसी नियन्त्रण बोर्ड का अगस्त 1981 में बिहार के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में फिर से गठन किया और केन्द्रीय जल आयोग के चेयरमैन भी इसके एक सदस्य हैं। वर्ष 1954 में पुनर्गठन के पश्चात नियंत्रण बोर्ड की कितनी बैठकें हुई हैं और इस नियन्त्रण बोर्ड द्वारा क्या निर्णय लिये गए हैं।

वक्तव्य में यह बताया गया है कि "एक निदेशक तथा अन्य तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियो की सहायता से एक मुख्य इंजीनियर 20 परियोजनाओं की मॉनीटरिंग करता है जिसमें से सात परियोजनाएं बिहार में हैं जिसमें से पश्चिमी कोसी नहर परियोजना भी एक है', उत्तर में यह भी बताया गया है

"केन्द्रीय जल आयोग को परियोजना प्राधिकारियो द्वारा भेजी जाने वाली परियोजना के कार्य निष्पादन सम्बन्धी प्रगति रिपोर्ट त्रै मासिक रूप से मिलती है"

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की वास्तविक प्रगति और कार्य का कार्यक्रम

क्रम सं०	कार्य की मद	कुल अनुमानित मात्रा	उपलब्धियां 1979-80 तक	1980-81 के दौरान	1981-82 के दौरान दिसम्बर 1981 तक	जोड़	कार्यक्रम 1982-83	1983-84	1984-85	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	पश्चिमी कोसी नहर परियोजना (भारत का भाग)									कार्यक्रम के अनुसार, यह स्कीम 1987 तक पूर्ण की जानी है।
(1)	मिट्टी का काम (लाख एम 3)	141.86	26.61	14.05	5.47	46.13	9.75	23.90	21.75	
(2)	लाइनिंग का कार्य लाख एम 2)	27.74	9.45	3.62	1.04	14.11	2.00	2.00	2.00	
(3)	संरचनाए (सं)	356.00	2	3	शून्य	5	15	84	84	
(4)	भूमि अधिग्रहण हैक्टेयर	1502.15	696.94	शून्य	शून्य	696.94	300.00	350.00	350.00	
(5)	भवन (सं०)	962	625	शून्य	4	629	112	112	57	

श्री हरिनाथ मिश्र : राज्य सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट और इंजीनियरों के दल तथा उनके अधीन कर्मचारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में चूकों के कारण यह रिपोर्ट ठीक करने के लिए फिर से राज्य सरकार को भेजी जाती है। क्या सरकार, पर राज्य सरकार की तथा उनके अपने दल की रिपोर्ट समापटल पर रखने के लिए तैयार है जिससे कि सभा की चल रही परियोजना के कार्यनिष्पादन की तथा क्या वह ठीक से चल रही है अथवा नहीं तथा पूंजी वस्तुतः उसी कार्य के लिए प्रयोग की जा रही है जिसके लिए दी गई थी आदि से सम्बन्धित सूचना मिलती रहे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय कहाँ हैं ?

श्री जिया उर्रहमान अंसारी : वह छुट्टी पर हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मैं उपस्थित हूं। कृपया चिन्ता न करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपकी दक्षता पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। आपके वरिष्ठ सहयोगी यहां नहीं है।

श्री जिया उर्रहमान अंसारी : वह छुट्टी पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने छुट्टी ली है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या उन्होंने लिखित रूप में आपसे कहा है कि वह आज उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तब ठीक है। कृपया अपना वक्तव्य जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री जियाउ र्रहमान अंसारी : जहाँ तक प्रश्न के भाग (क) का सम्बन्ध है कोसी नियन्त्रण बोर्ड 1954 में गठित किया गया था और 1975 तक इसकी 13 बैठकें हो चुकी थीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि 1975 के बाद पुराना नियन्त्रण बोर्ड भी समाप्त हो गया था। यह माननीय सदन तथा विशेषरूप से बिहार के सदस्य चाहते हैं कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शीघ्र ही पूरी हो जाए। इसलिए इस परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने का प्रश्न अनेक बार संसद के दोनों सदनों में तथा सदन से बाहर भी उठाया जा चुका है। एक माननीय सदस्य द्वारा मांग किये जाने पर श्री केदार पांडे ने एक वक्तव्य दिया था कि वह राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाएंगे कि एक और नियन्त्रण बोर्ड बनाया जाए जिसमें कि केन्द्र सरकार का नियन्त्रण और अधिक हो। परन्तु बिहार सरकार ने इस प्रस्ताव को नहीं माना और उन्होंने नियन्त्रण बोर्ड का फिर से पुर्नगठन कर दिया तथा केन्द्रीय जल आयोग के चेयरमैन भी इस नियन्त्रण बोर्ड में थे। उसके बाद वर्ष 1980 में—

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : यह घिसे पिटे प्रश्न का घिसा पिटा उत्तर है।

एक माननीय सदस्य : यह उत्तर ठीक ही है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : अगस्त, 1981 में नए नियंत्रक बोर्ड का पुर्नगठन किया गया था तथा जब से अब तक यदि इसकी कोई बैठक हुई है तो हमें इसकी कोई सूचना नहीं है।

जहां तक प्रश्न के भाग (ख) का सम्बन्ध है में वक्तव्य में पहले ही बता चुका हूं कि परियोजना की निगरानी तीन स्तर पर होती है परियोजना स्तर पर राज्य स्तर पर और केन्द्रीय स्तर पर। केन्द्रीय जल आयोग में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए अलग से एक निगरानी कक्ष है। एक मुख्य इंजीनियर, एक निदेशक और अन्य तकनीकी व गैर तकनीकी स्टाफ 20 परियोजनाओं की देखभाल कर रहे हैं जिसमें से एक पश्चिमी कोसी नहर परियोजना भी है।

अब जहां तक, इस निगरानी कक्ष के कार्यकरण का प्रश्न है हमारे मुख्य इंजीनियर और निदेशक कभी-कभी परियोजना का दौरा करते हैं और जहां कहीं भी वह देखते है कि परियोजना के कार्यनिष्पादन में कुछ बाधाएं हैं वह एक स्थिति के बारे में रिपोर्ट भेज देते हैं और जिस स्तर पर भी वह बाधाएं होती हैं उन्हें हटाया जाता है यह बाधाएं दूर कर दी गई हैं अथवा नहीं इसकी देखभाल के लिए सचिव, सिंचाई, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समन्वयन समिति भी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मिश्र आप छोटा सा सवाल कर लीजिए। आप पहले ही बारह मिनट ले चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : केवल एक प्रश्न (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष अच्छे प्रश्नकर्त्ता नहीं हो सकते तथा न्यायधीश अच्छे वकील नहीं हो सकते।

श्री हरिनाथ मिश्र : 21 फरवरी, 1982 को केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने यह घोषणा की थी कि चल रही 68 प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को आवश्यक साधन दिए जाएंगे जिससे कि उन्हें छठी योजना की अवधि में ही पूरा किया जा सके। इन परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन के पिछले इतिहास को देखते हुए—(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने क्या कहा ?

श्री हरिनाथ मिश्र : आप जानना चाहते हैं यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान) उस समय के योजना आयोग के सदस्य श्री ए. एन. खोसला की मदद से मैंने दो करोड़ रूपये का अनुदान प्राप्त किया था। (व्यवधान) इसकी आधारशिला स्वर्गीय पंडित बी. एन. झा द्वारा रखी गई थी। (व्यवधान)

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय क्या कोई चुनाव होने वाला है।

श्री हरिनाथ मिश्र : मंत्री महोदय को भी कुछ गड़बड़ लगता है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं। इसकी आधारशिला दोबारा 1965 में स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा रखी गई थी। यह देखते हुए कि (**व्यवधान**) – मैं पूरा कर रहा हूं। यह देखते हुए कि इस परियोजना के पूरा होने से देश के आर्थिक रूप से पिछड़े इलाके को सिंचाई के कृत्रिम साधन उपलब्ध हो पाएगे। क्या मंत्री महोदय इस योजना के भीतर इस परियोजना को पूरा किए जाने का काम शामिल करेंगे और यदि हो तो निधियों के नियतन और वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति से सम्बन्धित संशोधित अनुमान क्या है और यदि नहीं है तो इसका स्पष्टीकरण दिया जाए।

श्री जिया उर्रहमान अन्सारी : जहां तक सन्शोधित अनुमानों का सम्बन्ध है पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की वास्तविक प्रगति और कार्यनिष्पादन की सूची मेरे वकतव्य के साथ अनुबन्ध में दी गई है यह जहां तक इसकी प्रगति का ताल्लुक है पूरी योजना चरणवार रूप में जून, 1987 तक पूरी की जानी है। पहला चरण मार्च 1983 तक पूरा हो जाएगा और इससे 20 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की सम्भावनाएं पूरी होंगी। चरण दो जून 1985 तक पूरा हो जाएगा और इससे .58 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की सम्भावनाएं पूरी होंगी। चरण तीन जून, 1987 तक पूरा हो जायगा और इससे 1.3 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की सम्भावनाएं पूरी होंगी।

अध्यक्ष महोदय : यह सब विवरण सभापटल पर रखा जा सकता है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जी हां, महोदय, मैं इसे सभापटल पर रखूंगा।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा है, अण्डर-दि-चेयरमैनशिप-आफ-दि-चीफ मिनिस्टर-आफ बिहार। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि 1972 से 1974 तक की वैस्टर्न कोथी कैनाल के बारे में एस्टीमेंट कमेटी ने रिपोर्ट दी है? श्री राजमंगल मिश्र उसके चेयरमैन थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि···*

के परिवार ने कोथी कैनाल में लूट मचा रखी है और इसी लिए कोथी कैनाल का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले की छानबीन करनी पड़ेगी।

श्री राम विलास पासवान : जी हां, इसकी छानबीन करनी पड़ेगी मैं यह कह रहा हूं कि एस्टीमेट कमेटी ने कोसी नहर के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की है और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है···(**व्यवधान**)···मिश्र जी आप तो स्पीकर थे, अब क्यों नहीं बोलते हैं और आप रूलिंग देने वाले थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि···*

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

के परिवार ने कोथी-कैनाल में अरबों रुपया कमाया है और इस पर इन्क्वारी की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि आप किसी पर दोषारोपण करें···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : वह दोषारोपण नहीं कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट को उद्धृत कर रहा हूं। एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट है कोसी कैनाल के बारे में। गवर्नमेंट को जानकारी है यदि श्री पांडे जी होते तो वे इसका जवाब देते। शायद इसीलिए वे नहीं आए हैं। (**व्यवधान**)

श्री सतोश अग्रवाल : समिति का हवाला दिया जा सकता है।

श्री जियाउ रहमान अंसारी : अध्यक्ष महोदय, अव्वल तो यह बात साफ नहीं है कि किस एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट को रेंफर कर रहे हैं। यदि बिहार स्टेट की एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट को रैफर कर रहे है तो उसका मुझे कोई इल्म नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। कोसी कैनाल के बारे में एस्टीमेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। मंत्री जी को उसकी जानकारी नहीं हैं, ये मंत्री किस लिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप एक और सवाल दूसरा इस सम्बन्ध में दे दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : क्या एस्टीमेट्स कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो कोसी के सम्बन्ध में है, उसको यहां सदन के पटल पर रखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह यहां की नहीं है, वहां की है। उस सदन की वह रिपोर्ट है, इस सदन की नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : वह कोसी कैनाल के ऊपर है।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार द्वारा प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही की जानी चाहिए। परन्तु इसका पता तो मैं बाद में लगाऊंगा।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि कोसी मेरे चुनाव क्षेत्र में है।

श्री धनिक लाल मंडल : मुझे भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं। मैं किसी को भी अनुमति नही दे रहा हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर दुसरा क्वेश्चन दे दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : मैं सीधा-सा प्रश्न पूछना चाहता हूं।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिए। आप रिपीट कर रहे हैं। आप दोबारा प्रश्न दे दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : मैं सीधा-सा प्रश्न पूछना चाहता हूं।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिए। आप रिपीट कर रहे हैं। आप दोबारा प्रश्न दे दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : मैं समझा नहीं पा रहा हूं। पश्चिमी कोसी नहर में जो धांधली हुई है, उसके सम्बन्ध में वहां एक जांच समिति बैठी थी और उस जांच समिति ने*

परिवार के लोगों को दोषी ठहराया था। यह मंत्री जी के दिमाग में है ?

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दूसरा सवाल दे दीजिए।···(व्यवधान)···आप अब बैठिये ;···(व्यवधान)···मंडल जी, आप भी बैठिये। श्री डी० पी० यादव। (व्यवधान)

श्री धनिक लाल मंडल : मेरी स्टेट का सवाल है। बहुत इम्पोर्टेन्ट सवाल है।···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं है, आप बैठिये। पहले उनको सवाल करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको एलाऊ किया है। इस तरीके से पार्लियामेंट में सवाल नहीं होगा।

श्री डी० पी० यादव : पिछले दस सालों में देश में खाद्य का औसत उत्पादन कम होकर 1137.08 लाख टन रह गया है, जबकि यदि हम खाद्यान्न की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति भी करते हैं, तो भी 1980-81 में कम से कम 1321 लाख टन की जरूरत है। इससे यही स्पष्ट होता है कि खाद्यान्न के मोर्चे पर हमें अभी बहुत कुछ करना है। इसके अतिरिक्त आबादी में हो रही वृद्धि के कारण हमें 30 लाख टन अतिरिक्त खाद्य की जरूरत होगी। सरकार के लिए यह बहुत कठिन कार्य है। दिनांक 31 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न सं० 107 का जो उत्तर दिया गया है उसके अनुसार पिछले दस वर्षों में बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य की स्थिति अच्छी नहीं रही है। इन योजनाओं को लागू करने में बहुत बड़े पैमाने पर लूट-पाट की गई है और भ्रष्टाचार हुआ है। इस सम्बन्ध में बिहार तो एक खास उदाहरण है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री इस बात से सभा को आश्वदत करेंगे कि उच्चतम स्तर तक निगरानी की जाएगी और छठी योजनावधि के समाप्त होने तक सभी लम्बित योजनाएं पूरी कर ली जाएंगी ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : केन्द्रीय जांच आयोग का निगरानी सेल बहुत अच्छा काम कर रहा है और परियोजना को शीघ्रताशीघ्र पूरी करने में जो अड़चनें आती हैं, उनको दूर करता

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

है। वह मामले पर राज्य और केन्द्रीय सरकार से बातचीत करता है। यदि किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो समन्वय समिति अन्य मंत्रालयों के साथ भी मामला उठाया जाता है। जहाँ तक मुख्य परियोजनाओं को पूरा करने का सम्बन्ध है, अधिकांश चालू परियोजनाएं छठी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक पूरी हो जाएंगी। केवल कुछ परियोजनाएं ही सातवीं योजना के दौरान पूरी की जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री नरसिंह मकवाना।

श्री धनिक लाल मंडल : सर...

अध्यक्ष महोदय : 25 मिनट हो गए एक सवाल को। (**व्यवधान**) अगर आप इन्सीस्ट करेंगे मंडल जी तो और भी करेंगे। जी नहीं मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री धनिक लाल मंडल : इस पर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने समय दिया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आधा घंटा एक सवाल को दे दिया है।

श्री धनिक लाल मंडल : आपने एक सवाल को 45-45 मिनट का समय दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नो नो मिस्टर मंडल। श्री नरसिंह मकवाना। (**व्यवधान**) बिल्कुल नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप लोग ऐसा व्यवहार करेंगे, तो मैं सभा की अध्यक्षता नहीं करूंगा।

श्री धनिक लाल मंडल : हम आपसे हमेशा ही सहयोग करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका दूसरा प्रश्न स्वीकार कर लूंगा बशर्ते कि आप उसकी सूचना दें। नहीं तो सारा समय इसमें जाता रहेगा।

श्री धनिक लाल मंडल : ये तो दोनों पक्ष के लिए समान है।

गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए सुविधाएं

* 208. **श्री † नरसिंह मकवाना** :

श्री रामावतार शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्दी बस्तियों में रहने वालों को दी जाने वाली उन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी व्यवस्था किये जाने के लिये सरकार ने राज्यों को निदेश दिये हैं :

(ख) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है; और

(ग) गन्दी बस्तियों में रहने वालों को सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकारों को कितनी राशि दी गई और क्या कार्य तदनुसार किया गया है तथा इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बृजमोहन महंती : (क) राज्य क्षेत्र में पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत चुने हुए गन्दी बस्ती क्षेत्रों में निम्नलिखित मूलभूत सुविधाएं दी जानी हैं :—

(1) जल सप्लाई

(2) बरसाती पानी के लिए नालियां

(3) गलियों में खड़ंजे बिछाना

(4) स्ट्रीट लाइट

(5) सामुदायिक स्नानागृह तथा शौचालय

(ख) तथा (ग) :—गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार योजना राज्य क्षेत्र में चलाई जा रही है और योजना आयोग के परामर्श से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजना में निधियों की व्यवस्था की जाती है। छठी योजना में इस योजना के लिए 151.48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि शहरी क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ गन्दी बस्ती निवासियों के लिए मूलभूत सुविधा दी जा सके। केन्द्रीय सरकार ने गन्दी बस्ती निवासियों के लिए मूलभूत सेवाओं के प्रावधान के लिऐ राज्य बजट में पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था के लिए सरकारों से अनुरोध किया है।

श्री नरसिंह मकवाना : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मन्त्री से यह जानना चाहा था कि उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने सराहनीय कार्य किया है। मन्त्री जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, इसके लिए मेरी कोई शिकातत नहीं है। अब मैं आपके जरिये से जानना चाहता हूं कि वे राज्य सरकारें कौन-सी हैं जिन्होंने वास्तव में अच्छा काम किया है और कितना अच्छा काम किया है ?

श्री बृजमोहन महन्ती : राज्य सरकारों के काम की परस्पर तुलना करना बहुत कठिन है। वस्तुतः हमें सभी राज्य सरकारों का सहयोग मिल रहा है। यदि माननीय सदस्य चाहते हों तो मैं सभा पटल पर विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय संघ शासित क्षेत्रों के कार्यकलापों और योजना परिव्ययों के ब्यौरे को रख सकता हूं। एक राज्य की दूसरे से तुलना करना हमारे लिए बहुत कठिन और विचित्र भी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आप यह कह ही सकते हैं कि पश्चिम बंगाल ने अच्छा काम नहीं किया है।

श्री नरसिंह मकवाना : मैंने स्पष्ट तौर से प्रश्न के समय पूछा था कि उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं। अगर मन्त्री जी नहीं देना चाहते हैं तो दूसरे यह जानना चाहता हूं कि छठी

पंचवर्षीय योजना अवधि में जो एक करोड़ गन्दी बस्तियों के लिए सुविधाएं जुटायी जाएंगी तो एक करोड़ बस्तियों के लिए सुविधा जुटाने के बाद कितने करोड़ और बाकी रहेंगी और उनके लिए आप क्या इन्तजाम करना चाहते हैं ?

श्री बृजमोहन महन्ती : इस समय जो गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं उनकी संख्या 262.1 लाख हैं। हमारा अनुमान है कि हम 100 लाख के लिए सुविधाए जुटा पाएंगे। शेष के लिए परवर्ती योजनाओं में सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

श्री सुनील मैत्रा : मेरे चुनाव-क्षेत्र में कुल आबादी का तीस प्रतिशत गन्दी बस्तियों में रहता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरे क्षेत्र में 60 प्रतिशत गन्दी बस्तियों में रहते हैं।

श्री सुनील मैत्रा : मैं छठी योजना के दस्तावेज की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में यह कहा गया है :

> "गन्दी बस्तियों का बड़े पैमाने पर पुर्नस्थापन करने के बजाय उनके पर्यावरण में सुधार पर ही ज्यादा बल दिया जाएगा, इसके लिए निवेश में काफी वृद्धि की जाएगी। विशेष रूप से जल निकासी, मल निकासी, और स्वच्छता पर बल दिया जाएगा।"

हमने इन मुद्दों को कार्यरूप दिया है। एक और बात यह है कि दस्तावेज के अंग्रेजी संस्करण के पृष्ठ 396 पर यह बताया गया है कि :

> "कलकत्ता में विकास परियोजनाओं का कार्य जारी रखने के लिए 247 करोड़ रूपये की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए 'कलकत्ता मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथारिटी' और विश्व बैंक ने सहायता दी है।"

अब छठी योजना में यह बताया गया है कि केवल कलकत्ता शहर में चालू योजनाओं के लिए 247 करोड़ रुपए निश्चित किए गए हैं। किन्तु आप अपने उत्तर में यह कह रहे हैं कि छठी योजना में जल-पूर्ति पानी रिसने को रोकने, गलियों में खड़ंजे बिछाने गलियों में रोशनी का इन्तजाम करने, जनसामान्य के स्नानघर और शौचालय बनाने के लिए 151.45 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

(क) क्या आप अपने वक्तव्य और छठी पंचवर्षीय योजना में दिये गए ब्यौरे के बीच जो असंगति है, उसको स्पष्ट कर सकते हैं ?

(ख) क्या आप बताएंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना में जो 247 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई थी उसमें से कलकत्ता के विकास के लिए 1980-81 में और 1981-82 में वास्तव में कितनी राशि निर्यात की गई थी, तथा

(ग) वर्तमान 1982-83 के लिए कितनी राशि का नियतन किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : केवल एक प्रश्न के लिए अनुमति दी गई थी ।

श्री सुनील मैत्रा : महोदय ये उसी प्रश्न के भाग हैं ।

श्री ब्रजमोहन महंती : महोदय ये राज्य-क्षेत्र की योजनाएं हैं और और राज्य सरकारें इनका संचालन कर रहीं हैं । किंतु सभा के समक्ष में जो प्रस्तुत कर रहा हूं वह पश्चिम बंगाल की यथातथ्य स्थिति है । गंदी बस्ती के जितने लोगों को सुविधाएं प्रदान की जानी है, उनकी संख्या 26.2 लाख है । और अपेक्षित निधि 39.30 करोड़ है । और 1980-85 के लिए योजना में जो व्यवस्था है—वह 39.30 करोड़ रूपए की ही है,— जो कि काफी संगत है, और उससे 18 लाख लोगों के अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी ।

श्री सुनील मैत्रा : आपने असंगतियों को स्पष्ट नहीं किया है । योजना के दस्तावेज में बताया गया है कि 247 करोड़ रूपए मंजूर किए गए थे ।

(व्यवधान)

श्री ब्रजमोहन महंती : मैं अब उसी के बारे में बात करूंगा । कलकत्ता के लिए जो 247 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गयी है वह सभी शहरी विकास परियोजनाओं के लिए है । हम उसके केवल एक भाग के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, और मैं सभा को यह भी बताना चाहूंगा कि विश्व-बैंक की सहायता से कलकत्ता मद्रास और कानपुर में बहु-क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं शुरु कर दी गयी हैं । विश्व बैंक ने जो ऋण दिया है, वह इस प्रकार है ।

कलकत्ता के लिए यह 870 लाख डालर है । अतः विश्व बैंक की परियोजनाएं भी निरंतरित हैं और पश्चिम बंगाल सम्बन्धी हमारे आंकड़े वही हैं । केवल कलकत्ता के बारे में हमारे पास कोई और जानकारी नहीं है । यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है ।

(व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर : स्वर्गीय संजय गांधी को गरीबों का बहुत ख्याल था इसलिए गंदी बस्ती में रहने वाले दस लाख लोगों को भूमि दी गयी थी और उन्हें दिल्ली में बसाया गया था । उस समय उनसे यह वायदा किया गया था कि उन्हें 25 वर्ग गज भूमि के स्वामित्व का अधिकार देने के लिए कोई निर्णय किया है ? यदि नहीं किया, तो क्या नये 20 सूत्री कार्यक्रम में ऐसा कोई सूत्र है । जिसके अनुसार भूमि हीन को स्वामित्व का अधिकार दिए जाने की व्यवस्था है । इसके बारे में कब निर्णय लिया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : सरकार ने 27 पुर्नस्थापन बस्तियों में रहने वालों को स्वामित्व का अधिकार देने का निर्णय किया है और इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण आवेदन-पत्र वितरित किये हैं और सरकार ने भी आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

श्री रतन सिंह राजदा : मैं बहुत दिन से आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मैं बम्बई से हूं। (व्यवधान) मुझे भी इजाजत दें । मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपका ध्यान पहले ही इस ओर दिला चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह बताना ही पड़ेगा कि मैं कैसे कार्यवाही करता हूं।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने दिल्ली को इजाजत दी है । बम्बई के बारे में आपका क्या ख्याल है ? इस बारे में बम्बई को इजाजत क्यों नहीं दी गई है ? (व्यवधान) कुछ तो सिद्धांत होना ही चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप देखें कि 544 सदस्य हैं। सभी को मौका नहीं मिल सकता है। कलकत्ता हो गया है। दिल्ली कैपिटल है। सब के सब माननीय सदस्य इसमें इंटरेस्टिड हो सकते हैं। अपने अपने प्रश्नों से वे बिल्कुल टरेस्टिड हैं । सारे करना चाहते हैं। कौन सा ऐसा सदस्य है जो नहीं करना चाहता हूं।

श्री धनिक लाल मंडल : जिन का जिस में इंटरेस्ट है उनको मौका मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आपके पहले ये उठे थे। इन्होंने कहा था।

अध्यक्ष महोदय : यह न कलकत्ता की बात है और न दिल्ली की। यह बात स्लम्ज की है। एक प्राजेक्ट का जिक्र यहां आ गया है । उसके लिए कुछ लोग इंटरेस्टिड हो सकते हैं, देश व्यापी इंटरेस्ट उस में हो सकता है। अगर इस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर आप इसको लेंगे तो कैसे काम चल सकता है। सभी नाराज हो जाएंगे तो किसको मैं राजी करुंगा। आपका यह काम है। मुझे कोसी कैनाल से कोई दुशमनी नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि वह जल्दी हो जाए।

श्री धनिक लाल मंडल : राष्ट्रीय महत्व के सवाय के साथ साथ कोई सवाल ऐसा होता है जिसके सम्बन्ध में मैम्बर के अपने क्षेत्र का सवाल जुड़ा होता है। उसको तो मौका मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्रुद्ध होकर काम करना तो फिर लठबाजी से ही काम चलता है। फिर पार्लिमैंट की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यहां तो शान्ति से काम चलता है, प्रेम से काम चलता है।

श्री धनिक लाल मंडल : जिन मैम्बरों के अपने क्षेत्रों का सवाल हो जाता है उनको भी तो आप देखें।

अध्यक्ष महोदय : वाद विवाद में कोई जीत नहीं सकता और न कभी किसी की जीत हुई है। यह तो मानने की बात है। ठंडे रहेंगे तो काम ठीक हो जाएगा। कभी कभी कोई ऐसा सवाल होता है कि उसमें काफी समय लग जाता है। इसमें पच्चीस मिनट लग गए हैं।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप हर नगर से कम से कम एक को जरूर इजाजत दीजिए।

श्री माधव राव सिंधिया : (व्यवधान) केवल बम्बई या कलकत्ता के लिए ही अनुमति क्यों ? ग्वालियर भी उतना ही महत्वपूर्ण है ?

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, मैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूं। पहले उन्होंने हाथ उठाया था, इस वास्ते उनको बुलाया है। मेरी भी आपकी तरह से दो ही आंखें हैं। मैं सवाल अपने लिए नहीं करवा रहा हूं। सब के लिए है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : गन्दी बस्ती में रहने वाले 100 लाख लोगों में से 40 लाख लोग केवल बम्बई में ही रहते हैं। और आप बम्बई की उपेक्षा कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं पूछता हूं कि बम्बई की कैसे उपेक्षा की जा सकती है। जबकि 100 लाख लोगों में से 40 लाख बम्बई में रहते ? मैं शुरु से ही आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

प्रो० मधुदण्डवते : एक उपाय तो है। श्री अटल बिहारी दिल्ली की गन्दी बस्तियों का प्रतिनिधित्व करते है, और डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी बम्बई का। आप दोनों को इजाजत दीजिए दिल्ली और बम्बई दोनों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप इस तर्क से सहमत क्यों नहीं है ? मैं बड़े-बड़े प्रश्न तो नहीं पूछता। मैं केवल उसी समस्या के बारे में पूछता हूं। मैं बम्बई में कैसे मुंह दिखा सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आपका चेहरा तो बहुत सुन्दर है।

श्री हरिकेश बहादुर : कृपया फिर बुलडोजरों का उपयोग नहीं करिएगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं नयी दिल्ली से चुना गया हूं लेकिन मैं सवाल बम्बई के बारे में करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप उनका आर्गुमेंट मत दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि बम्बई की विराट नगरी में अनेक गन्दी बस्तियां केन्द्रीय सरकार की जमीन पर बनी हुई हैं, बसी हुई है जैसे रेलवेज की जमीन, डिफेंस की जमीन, ऐटामिक ऐनर्जी कमीशन से जुड़ी हुई जमीन, और उन जमीनों पर जो लोग रहते हैं उनके लिए आवश्यक सुविधाएं भी नहीं पहुंचाई जा रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कहती है कि जमीन केन्द्र सरकार की है इसलिए केन्द्रीय सरकार इन बस्तियों में रहने वालों के लिए कुछ भी करें। और केन्द्रीय सरकार कुछ ध्यान नहीं देती। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार केवल राज्य को निर्देश देगी या अपनी जमीन पर जो गन्दी बस्तियां हैं उनके सुधार के लिए भी कोई ठोस कदम उठायेगी ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय वाजपेयी जी को जानकर प्रसन्नता होगी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि स्लम्स में जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो आवश्यक सुवि-

धाएं हैं वह देने की चेष्टा राज्य सरकार करे। जहां तक आपने बताया बम्बई में डिफेंस की, रेलवेज की, या मेरे पास जो सूचना है पोर्ट ट्रस्ट, एयरपोर्ट अथोरिटि, सी० पी० डब्लू० डी० की जमीनों पर स्लम्स हैं। हाल ही में हमने और वहां की राज्य सरकार ने इस पर बातचीत की है, और हम लोगों ने जो सम्बन्धित मंत्रालय हैं उनसे कहा है कि वह अपनी सहमति दें जिससे कि वह जो हम सैद्धान्तिक रूप से मानते हैं उन्हें वह सुविधा मिलनी चाहिए। अगर तत्काल उनको कुछ जमीन की आवश्यकता नहीं हो तो उन्हें दी जाए, और इस पर सरकार का ध्यान जोरों से लगा है। हमारी कोशिश है कि शीघ्रातिशीघ्र जिस जमीन की आवश्यकता नहीं है और जिसकी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेन्ट की वह जमीन है आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जायें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं केवल अपने चुनाव-क्षेत्र की ही बात करूंगा, क्योंकि मैं एक चुनाव क्षेत्र से उड़कर दूसरे चुनाव-क्षेत्र में नहीं जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब तो हमने वायुदूत सेवा और चलाई है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि वे यह कह रहे हैं वे वह कर रहे हैं। किन्तु महाराष्ट्र सरकार ने आपको 40,000 गन्दी बस्तियों की सूची दी थी और आपने बताया था कि "इसमें से गन्दी बस्ती में रहने वाले 9,000 लोगों की जमीन की आपको आवश्यकता नहीं है।" किन्तु आप उन क्षेत्रों में सुविधाएं देने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जहां कि ये 9,000 झोपड़ियां हैं। क्या आप महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिख सकते हैं कि आप उक्त सुविधा को देने के लिए सहमत हैं, वे उनके लिए सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार हमें पत्रों में यही लिख कर भेजती रहती है कि केन्द्रीय सरकार सुविधा देने के लिए अनुमति नहीं दे रही है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : यह सही नहीं है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के निर्माण और आवास मन्त्रालय के उप-मन्त्री से मेरी भेंट हुई थी। और इसके बारे में हमारी चर्चा हुई थी। वस्तुतः जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया है, हमने इस मामले पर विभिन्न मन्त्रालयों से विचार-विमर्श किया था क्योंकि अभी जिस भूमि का जिक्र किया था वह विभिन्न मन्त्रालयों की है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप कब उत्तर देंगे?

श्री भीष्म नारायण सिंह : यदि हमें उस भूमि की तुरन्त आवश्यकता नहीं होगी, तो सुविधाएं दी जाएंगी। सिद्धान्त रूप से हम सहमत हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सिद्धान्त रूप से क्या होता है? उन्होंने आपको सूची भेजी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कोसलराम। श्री मालन्ना। श्री संतोष मोहन देव।

श्री रतन सिंह राजदा : श्रीमान् यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में झोपड़िया हैं। केन्द्रीय सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं तीसरे प्रश्न पर आ गया हूं।

श्री रतन सिंह राजदा : आप मुझे बाद में अनुमति दे दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तो अनुभवी सांसद हैं। आप कैसे कर सकते हैं ? क्या आप हर समय ऐसा कर सकते हैं। 500 सदस्य हैं।

श्री रतन सिंह राजदा : यह महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : हरेक बात महत्वपूर्ण है। बताइये कौन सी बात महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री रतन सिंह राजदा : क्या आप इस मामले पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसकी सूचना दे सकते हैं। क्या इस पर कोई रोक है ? क्या हमने इस पर विचार नहीं किया है ?

खाद्यान्न के उत्पादन में प्रोत्साहन के लिए कृषि विमानन

* 212. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यूरोप के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा किए गए इस अध्ययन की ओर दिलाया गया है कि कृषि विमानन से खाद्यान्न की कमी दूर करने में, विशेषकर एशिया में, सहायता मिल सकती है और कृषि विमानन पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार हमारे विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए कृषि विमानन का प्रयोग प्रेरक के रूप में करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकार को ऐसे किसी अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी हां।

(ग) भारत सरकार के अन्तर्गत कृषि विमानन निदेशालय की स्थापना 1971 में की गई थी। इस समय इसके पास 28 फिक्सड विंग तथा 5 रोटेरी विंग वाले विमानों का बेड़ा

है इसके अलावा निजी प्रचालकों के पास 11 फिक्सड विंग तथा 18 रोटेरी विंग वाले विमान हैं।

कृषि विमानन निदेशालय तथा निजी प्रचालकों द्वारा 1981-82 से जनवरी, 1982 तक विभिन्न हवाई प्रचालनों जिनमें कीट नियंत्रण तथा बीजारोपण शामिल हैं, के तहत लाया गया क्षेत्र नीचे दिया गया है :—

कृषि विमानन निदेशालय :	3.74 लाख एकड़
निजी प्रचालक :	3.25 लाख एकड़
योग :	5.99 लाख एकड़

श्री सतोष मोहन देव : श्रीमान्, अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं यह सुझाव देता हूं कि, इस नियम की तरह कि जब कोई मैच चल रहा हो और बेकाबू भीड़ मैदान में घुस आए तो इससे जो समय नष्ट होगा उसे पूरा करने के लिए रेफरी खेल का समय बढ़ा सकता है। इसी तरह प्रश्नकाल के दौरान जब इस प्रकार समय नष्ट होता है उसे पूरा करने के लिए नियमों में कोई प्रावधान होना चाहिए।

प्रधान मंत्री ने, विशेषकर नए सदस्यों को, सलाह दी है कि नए सदस्य पेपर पढ़ें और प्रभावी बनें। जब हम प्रभावी बने रहने का प्रयास करते हैं तो मंत्रियों के उत्तर हमें अधिक प्रभाव शून्य बना देते हैं। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में "क्या सरकार का ध्यान यूरोप के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा किए गए अध्ययन की ओर दिलाया गया है," मंत्री महोदय ने कहा है "जी नहीं। सरकार के ऐसे किसी अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।"

मेरे हाथ में 11 फरवरी, 1982 के फाइनेन्शियल एक्सप्रेस की एक कटिंग है। इस में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कृषि-क्षेत्र में इस्तेमाल किये जाने वाले विमानों के सम्बन्ध में एक अध्ययन 218 पृष्ठों की रिपोर्ट प्रकाशित की। श्रीमान् कुछ महीने पहले, जब आपने जनसंख्या वृद्धि विषयक सम्मेलन का उद्घाटन किया था, आपने ठीक ही कहा था कि भारत में कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है परन्तु जनसंख्या प्रगति इतनी अधिक हुई है कि यह प्रगति दिखाई ही नहीं देती; जनसंख्या वृद्धि सारी प्रगति का शून्य कर देती है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कृषि विमान के क्षेत्र में प्रगति के किए सरकार क्या कदम उठा रही, क्योंकि संयुक्त राष्ट्रसंघ के अध्ययन के अनुसार, यद्यपि, कृषि विमानन पर प्रति कार्य घंटा लागत भूमि पर लगी मशीनों से कई गुना अधिक है तथापि कृषि उत्पादन बढ़ाने में कृषि विमानन बहुत सहायक है। इस ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि कृषि विमानन का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए और फिक्सड विंग और रोटरी विंग वाले विमानों की संख्या बढ़ाने और फलतः देश के विमानों की मदद करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

राव बीरेन्द्र सिंह : जैसा मैंने पहले कहा है हमारे पास काफी विमानन हैं, कुल 39 हैं। हम छिड़काव के काम में राज्यों की मदद कर रहे हैं। देश में कुछ विशेष क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं जिनमें वनस्पति संरक्षण के लिए भारत सरकार प्रति एकड़ 11 रुपए की सहायता देती है। तिलहनों तथा दलहनों की फसलों के लिए भी ऐसी ही सहायता अर्थात्, 11 रुपए प्रति एकड़ और रसायनों की लागत की 50 प्रतिशत खर्च भी दिया जाता है। इन योजनाओं के अन्तर्गत हम राज्यों को वनस्पति रक्षण के उपायों में सहायता करते हैं। कुछ राज्यों को भारत सरकार से सहायता मिल रही है छिड़काव करने के लिए कृषि विमानन निदेशालय के अलावा कुछ राज्य प्राइवेट आपरेटरों से भी काम लेते हैं। कुछ राज्य केन्द्रीय सरकार से सहायता नही ले रहे हैं। उन्होंने कभी सहायता नहीं मांगी है लेकिन हम राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वे अपनी वनस्पति रक्षण योजनाओं और उपायों में सुधार करें।

श्री संतोष मोहन देव : मेरे प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उन्होंने बताया कि कृषि विमानन निदेशालय के अन्तर्गत 2.74 लाख एकड़ क्षेत्र और प्राइवेट आपरेटरों के अन्तर्गत 3.25 लाख एकड़ क्षेत्र शामिल हैं। आप तो किसान हैं तथा इसमें विशेषज्ञ हैं क्या इन आंकड़ों से यह लगता है कि कृषि निदेशालय का फार्म ठीक चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री से फिर यह पूछना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में किसानों की सहायता करने के लिए फ्लीट की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

राव बीरेन्द्र सिंह : वर्तमान फ्लीट का भी पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। जैसा मैंने पहले ही कहा है कुछ राज्य तो वनस्पति संरक्षण के लिए सहायता की मांग ही नहीं करते।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं माननीय मंत्री से एक सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

इन कार्यक्रमों के ये विचार विकसित देशों से ग्रहण किये जाते हैं। मैं पूर्णतः इनके विरुद्ध हूं।

हमारा देश गरीब है हमें अधिक पानी चाहिए। हमें छोटे तथा सीमान्त किसान की मदद करनी चाहिए।

क्या माननीय मंत्री सभा को सूचित करेंगे कि सरकार विकसित देशों से आए इन विचारों को छोड़ देगी वह इन योजनाओं पर खर्च नहीं करेगी बल्कि छोटी सिंचाई योजनाओं तथा ऐसी अन्य योजनाओं पर खर्च करेगी ?

ये बातें विकसित देशों के लिए लाभदायक हो सकती हैं हमारे देश के लिए नहीं। हमें अपना धन सिंचाई पर तथा अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाने पर खर्च करना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

क्या माननीय मंत्री सभा को बतायेंगे कि उत्पादन बढ़ाने या भारतीय किसान की सहायता करने और धन का अपव्यय न करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ? क्या आप प्रगति को रोकना चाहते हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : नहीं, श्रीमान । प्रश्न प्रगति रोकने का नहीं है । लेकिन प्रगति के नाम पर धन का अपव्यय तो नहीं किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, यह असंगत है ।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : क्या आप जानते हैं कि मैं उत्तर दूं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । असंगत है । आप नहीं महसूस करते । श्री चक्रवर्ती, आप किसान नहीं है । इसलिए इसे नहीं समझ रहे हैं ।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : कैमिकल्ज की कीमत और एयरक्राफ्ट का भाड़ा बढ़ने के कारण अब किसान कृषि-विमानन से लाभ उठाने के अनिच्छुक है । पिछले तीन साल से इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा है । क्या सरकार कैमिकल्ज की बढती हुई कीमतों, एयरक्राफ्ट के बढ़ते हुए भाड़े और इसके कम इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए पर-एकड़ सब-सिडी को बढ़ा कर 25 रुपये पर एकड़ और कैमिकल्ज की सबसिडी 50 परसेंट से बढ़ा कर 75 परसेंट करने जा रही है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : हम इस वक्त जितनी सबसिडी दे रहे हैं, वह मैंने बता दी है ।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या आप उसको बढ़ा रहे हैं या नहीं ?

राव वीरेन्द्र सिंह : अगर आनरेबल मेम्बर को सुझाव उसको बढ़ाने का है, तो मैंने उसको नोट कर लिया है ।

छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों का समेकित विकास

* 215, †**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** :

श्री रेणुपद दास :क्या निर्माण और आवास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नगरों के राज्यवार नाम क्या हैं जो छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों के समेकित विकास के लिए केन्द्र द्वारा चलाई गई योजना के अन्तर्गत आ सकते हैं ; और

(ख) उन मे से प्रत्येक नगर के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है :

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बृजमोहन महंती) : (क)और (ख) : छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अधीन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मे निर्धारित शहरों की संख्या उन शहरों के नाम जिनके लिए अभी तक परियोजनायें अनुमोदित की गई है और इन प्रत्येक शहरों को स्वीकृत केन्द्रीय सहायता का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना की 28. 2. 1982 तक की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल 232 कस्बों में से नियत किए गए शहरों की संख्या	जिन शहरों के लिए योजना प्राप्त और अनुमोदित हुई ।	अब तक दी गई कुल राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	18	1. अनकापाली	8.00
		2. रामचन्द्रपुरम	10.00
		3. तेनाली	22.00
		4. विजय नगरम	12.00
		5. भीमावरन	3.50
		6. करीम नगर	13.4
		7. मेडक	9.00
		8. श्री काकूलम	5.50
		9. काममम	अभी तक कोई विधियां
		10. त्रिरुपति	नहीं दी गई
		11. ननइयाल	3.80
		12. गडवाल	4.00
		13. छितूर	5.00
		14. गंटाकल	16.50
			11275
असम	5	1. तिनसुखिया	17.91
		2. सिलचर	7.00
		3. जोरहाट	10.50
		4. तेजपुर	13.50

1	2	3	4
		5. डिबूगढ़	5.00
			53.92
बिहार	15	1. भोपलगंज	5.00
		2. हाजीपुर	10.00
		3. सहरसा	4.00
		4. डाल्टगंज	10.00
		5. छपरा	10.00
		6. डुमका	5.50
		7. चैबासा	10.50
		8. बेगूसराय	12.50
		9. देवगड़	26.00
		10. आरा	17.00
			110.50
गुजरात	17	1. आनन्द	20.83
		2. पोरबन्दर	12.37
		3. पाटण-उत्तर	3.78
		4. बीरावल पाटण	10.50
		5. बलसाद	10.00
		6. पोदनपुर	80.0
		7. अंकलेश्वर	14.00
		8. दाहोद	6.50
		9. मोहम्मदाबाद	5.79
		10. गोधरा	8.00
		11. भूज	12.00
		12. मैसाणा	12.00

1	2	3	4
		13. खम्बात	6.00
		14. अमरोली	15.00
		15. कलोलसेज	20.00
			16.4.73
हिमाचल प्रदेश	1	1. शिमला	15.00
हरियाणा	6	1. कर्नाल	13.00
		2. कुरुक्षेत्र	27.00
		3. हिसार	1200
		4. नारनौल कोई निधिया नहीं दी गई	
		2. पलवल	
		6. सिरसा	
			52.00
केरल	8	1. कोट्टायम	22.40
		2. कुरूवायू	25.00
		3. त्रिचूर	15.00
		4. कायाकुलम	9.40
		5. तेलीचेरी	18.00
		6. त्रिरूर	30.60
		7. छंगनाचेरी	12.00
		8. बादागड़ा	10.00
			142.40
कर्नाटक	16	1. रायचूर	3.25
		2. होसपेट	8.80

1	2	3	4
		3. हसन	1850
		4. तुमकुर	5.25
		5. चित्रदुर्ग	2.00
		6. चन्नापटना	2.50
		7. कनकपुरा	2.25
		8. माधदी	4.50
			47.05
मध्य प्रदेश	16	1. विलासपुर	18.50
		2. देवास	12.00
		3. खजुराहो	5.00
		4. हरसी	29.00
		5. रेबा	6.00
		6. कटनी	3.00
		7. मुरैना	3.00
		8. बरानपुर	5.00
		9. डोंगरगढ़	4.00
		10. राजनन्द तांव	5.00
		11. बालाघाट	
			90.50
मणिपुर	1	1. चन्द्रेल	4.50
महाराष्ट्र	22	1. बराई	1.50
		2. ननमार	15.50
		3. परालो विजयनाथ	2.50
		4. यावतमाल	10.50
		5. सतारा	8.00

1	2	3	4
		6. रत्नागिरी	8.75
		7. अम लनेर	17.50
		8. कटोल	6.00
		9. पारभनी	13.00
		10. कम्पाठी	17.75
		11. किनवाट	7.00
		12. डरमानाबाद	3.50
		13. मोरसी	6.15
		14. हिंगनघाट	4.20
		15. जलना	4.30
		16. अम्बे जोगई	8.00
		17. सेलू	8.00
		18. डिगरस	5.50
		19. भंडारा	10.00
		20. वाशिम	10.40
			168.05
उड़ीसा	5	1. पुरी	5.00
		2. सम्बलपुर	20.50
		3. बालासोर	1.00
		4. राउरकेला	14.00
			40.50
पंजाब	8	1. पठानकोट	17.00
		2. होशियारपुर	16.50
		3. संगरु	9.50

1	2	3	4
		4. मोगा	9.00
		5. खन्ना	15.00
		6. फगवाड़ा	17.00
		7. भटिंडा	16.25
			100.25
		19. नामाकल	11.00
		20. कोविलपटी	19.00
		21. तेहिनी अली ग्राम	10.00
		22. नागापटिनम	17.25
		23. रानीपेटिनम बाताजापत	10.00
		24. पनस्टी	15.00
			307.50
उत्तर प्रदेश	23	1. आजमगढ़	5.00
		2. फतेहपुर	3.00
		3. जौनपुर	2.55
		4. हाथरस	10.00
		5. बांदा	4.00
		6. बाराबंकी	8.00
		7. देवरिया	14.50
		8. काशगंज	700
		9. गाजीपुर	17.60
		10. बिजनौर	4.75
		11. सीतापुर	15.00
		12. मणिपुर	10.00

1	2	3	4
		13. रायबरेली	20.00
		14. हरदोई	16.00
		15. ओराई	10.50
		16. अलमोड़ा	2.00
		17. मोहाब	8.20
		18. ऐटा	1.50
		19. बलिया	12.50
		20. शामली	2.00
		21. बदायू	13.00
			187.10
पश्चिम बंगाल	20	1. खड़ग पुर	10.00
		2. मेदिनापुर	10.00
		3. बांकुरा	9.00
			25.00
राजस्थान	11	1. पाली	3.15
		2. बारन	4.00
		3. भीलबाड़ा	20.00
		4. सीकर	5.00
		5. चुरु	900.
		6. सुमेरपुर	10.00
		7. नाथद्वारा	7.25
		8. बाड़मेर	10.00
		9. गंगानगर	31.80

1	2	3	4
		10. जैसलमेर	17.00
		11. चित्तौड़गढ़	—
			1170.20
सिक्किम	1	1. जोड़थिंग	5.50
त्रिपुरा	1	1. उदयपुर	9.00
तमिलनाडू	28	1. धर्मापुरी	10.50
		2 करुर	17.00
		3. कुडूकोट्टाई	5.00
		4. उधागमण्डलम	10.00
		5. गोबी छेटी	9.00
		6. श्री चन्दगुड़ी	14.00
		7. मनारगुड़ी	8.50
		8. पल्लावी	10.00
		9. मेटोपलायम	7.50
		10, छेंगलपाटू	5.00
		11. कुनूर	23.00
		12. मनमदुरई	92.50
		13. धरापुरम	10.50
		14. अटूर	22.00
		15. त्रिभुवनममलई	22.50
		16. उदमालपट्ट	11.25
		17. होशुर	14.00
		18. पोलाची	20.00
जम्मू और काश्मीर	1	-	-

1	2	3	4
मेघालय	1	-	-
नागालैण्ड	1	-	-
योग	225	171	1753.45
संघ राज्य का क्षेत्र			
गोआ दमण और द्वीव	1	1. पणजी	3.50
पाण्डिचेरी	1	1. कराईकल	4.00
अण्डमान तथा निकोबार	1		
अरुणाचल प्रदेश	1		
दार और नागर हवेली	1		
मिजोरम	1		
योग	231	173	1760.95

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्डर : छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों को स्वीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजएा के अन्तर्गत लाने का क्या माप दंड है ? क्या इसके लिए जनसंख्या. क्षेत्रफल तथा आपको आकार बनाया जाता है और उत्तर में उलिखित कस्बों में कौन सी वास्तविक योजनाएं लागू की जानी है ? कृपया ब्यौरा दें।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): वास्तव में हमने छोटे कस्बों का विकास करने का निर्णय किया है क्योंकि देश में यह दृष्टिकोण चल रहा था कि छोटे कस्बों की हालत बिगड़ रही है इसलिए महानगरों में लोग आ रहें हैं। वास्तव में कस्बों की परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकारें बनाती हैं। यह एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले कस्बों के लिए नहीं है, इससे कम जनसंख्या वाले छोटे कस्बों के लिए है. वे परियोजना रिपोर्ट बनाकर मंजूरी के लिए संघ सरकार को भेजते हैं। यहां हम उस राज्य की शहरी जनसंख्या तथा देश की शहरी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार उस राज्य के कस्बों की संख्या का निर्धारण करते हैं। संघ सरकार द्वारा विकास के लिए छांटने की कसौटी यही है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उन्होंने ठीक से यह नहीं बताया है कि इन कस्बों में वास्तव में कौन सी समेकित योजनाएं कार्यन्वित की जा रही हैं। उन्होंने छोटे कस्बों का जिक्र तो किया है परन्तु मध्यम दर्जे के कस्बों की जनसंख्या आदि के बारे में कुछ नहीं बताया है। अपने उत्तर में उन्होंने बताया है कि 231 कस्बों का अनुमोदन किया गया है लेकिन उन्होंने केवल 173 कस्बों

के नाम दिये हैं। धनराशि 1.76095 लाख रुपये है। यह बहुत कम है। बर्दवान, रानीगंज, दुर्गापुर, सोनमुखी, विष्णुपुर एक ऐतिहासिक कस्बा है—बरसात और अन्य कस्बों का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने बताया है कि पश्चिम बंगाल में 20 कस्बे चुने गए हैं लेकिन विवरण में केवल 3 कस्बों के नाम हैं। बांकुरा के लिए केवल 1 लाख रुपये दिये गये हैं। लेकिन पहले हमे पता चला था कि एक करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं। बाकी धनराशि का क्या हुआ? बांकुरा के विकास के लिए वह कब दी जाएगी? मैं पश्चिम बंगाल के उन 17 कस्बों के नाम जानना चाहता हूं जो इस विवरण में उल्लिखित नहीं हैं।

श्री बृज मोहन मोहन्ती : एक बात स्पष्ट कर दी जाए। कि 1971 में देश की शहरी जनसंख्या और राज्य की शहरी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विभिन्न राज्यों में कुल 231 कस्बे आवंटित किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल में बांकुरा के बारे में, 9 लाख रुपये आवंटित किये गए हैं; प्रगति रिपोर्ट न मिलने के कारण और धनराशि नहीं दी गई है।

श्री भीष्म नरायण सिंह : एक टाउन के लिए कुल परियोजना लागत एक करोड़ रुपये होती है, इसमें से 40 लाख रुपये केन्द्र सरकार द्वारा, 40 लाख राज्य सरकार द्वारा और 20 लाख रुपये कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी, स्थानीय निकायों या वहां जो भी संस्था हो उसके द्वारा दिये जाते हैं। जैसे ही हमें पहले दी गई धनराशि के उपयोग किये जाने का प्रमाण-पत्र मिल जाता है हम और धनराशि दे देते हैं। बांकुरा का उपयोग- प्रमाण पत्र नहीं मिला होगा।

श्री रामसिंह यादव : राष्ट्रीय राजधानी विकास योजना के अन्तर्गत गत वर्ष बजट में 2 करोड़ रुपया रखा गया था। लेकिन उस दो करोड़ रुपये में से समन्वित तरीके से स्टेट्स को उन टाउन्स के लिए जैसे अलवर है, मेरठ है, गाजियाबाद है, नरेला है, गुड़गांव है, रिवाड़ी है, इनको पूरे तरीके से पहले जो स्कीम मंजूर हुई थी उसके हिसाब से रुपया नहीं दिया गया और इस साल केवल डेढ़ करोड़ रुपया आप ने रखा है। तो क्या आप इस साल की राजधानी विकास योजना की धनराशि को बढ़ाएंगे और क्या कोई इंटीग्रेडेट स्कीम इन टाउन्स के डेवलपमेंट के लिए देंगे?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अधिक फसलें उगाने, अधिक सिंचाई की व्यवस्था करने और उर्वरकों का पर्याप्त प्रयोग करने के बारे में सुझाव

*210. **श्री के० टी० कोसल राम** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना में 20 जनवरी, 1982 को पर्यावरण अभियांत्रिकी, प्रदुषण नियंत्रण और जल

संरक्षण के बारे में हुई अखिल भारतीय सेमिनार में सन, 2000 ईसवी तक देश की अनुमानित 94.5 करोड़ जनसंख्या को खिलाने के लिए आवश्यक अधिक फसलें उगाने, अधिक सिंचाई की व्यवस्था करने और उर्वरकों के अधिक प्रयोग करने के बारे में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्री तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पुर्ति क्या (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) सेमिनार द्वारा दिए गए। कोई सुझाव कृषि मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

आयातित खाद्य तेल का कोटा बढ़ाने के लिये कर्नाटक का अनुरोध

* 211. **श्री के० मालन्ना** : क्या नागरिक पुर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि चालू वित्तीय वर्ष में कर्नाटक राज्य ने आयातित खाद्य तेल के कोटे में वृद्धि की जाए; और

(ख) यदि हां, तो कितना कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है और केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्रसिंह) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1981 में कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों का आबंटन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था। जनवरी, 1982 में राज्य का कोटा दिसम्बर, 1981 के 640 मीटरी टन की तुलना में बढ़ाकर 1006 मीटर टन कर दिया गया था। फरवरी तथा मार्च 1982 के दौरान भी आबंटन की यही दर कायम रखी गयी है।

वनस्पति के मूल्यों को घटाने के लिए की गई कार्यवाही

* 213. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति घी का खुदरा मूल्य कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकार के साथ हुई अपनी बातचीत के फलस्वरूप, वनस्पति उत्पादकों के दो एलोसियेशनों के प्रतिनिधियों ने स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण बरतने की घोषणा की, जिसके तहत उन्होंने वनस्पति घी के 16.5 किलोग्राम के टीन को, उत्पादन शुल्क सहित, 217/-रु० के अधिकतम कारखाना मूल्य पर बेचना

स्वीकार किया है। छोटे पैकों के मूल्य 16.5 किलोग्राम के टीन के मूल्य के अनुरूप नियत किये जाने हैं। उद्योग से कहा गया है कि वे सभी स्तरों—उत्पादक, थोक विक्रेता तथा खुदरा विक्रेता—पर इस मूल्य व्यवस्था को लागू रखें और वनस्पति उद्योग व व्यापार के साथ तालमेल रखते हुए वनस्पति घी के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए कारगर कदम उठायें।

(ख) कुल मिलाकर, स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण को बनाये रखा जा रहा है।

पानी की सप्लाई और सफाई योजनाओं के लिए संस्था

* 214. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्लाक, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई और सफाई योजनाओं के लिए सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भरता

* 216. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री पीयूष तिरकी : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य-तेलों के मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का (राज्यवार) ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने सूखे प्रदेश में तिलहनों की कृषि करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क), (ग) देश में खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए संगठित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। इस देश में तिलहनों की खेती इस समय अधिकतर असिंचित भूमि में की जाती है। 1984-85 तक तिलहनों के उत्पादन को 130 लाख मीटरी टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए निम्नांकित कदम उठाये गये हैं :—

1. केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 10 राज्यों में तिलहनों के विकास के लिए गहन कार्यक्रम चलाना। इस योजना का उद्देश्य कृषकों के खेतों में प्रदर्शन आयोजित करना, बीज उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाना, पोध संरक्षण उपायों का विस्तार करना तथा कृषकों और विस्तार कार्यकत्ताओं को प्रशिक्षण देना।

2. गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली के और मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन के लिए विशेष परियोजनाएं प्रारम्भ करना।

3. तिलहनों के परिवर्धन के लिए पांचवी योजना के 14 करोड़ रु० तुलना में छठी योजना में 65 करोड़ रु० का आवंटन करना।

4. तिलहन की फसलों के अन्तर्गत 1979- 0 के 8 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र की तुलना में 1984-85 तक 14.0 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र लाना।

5. गैर-पारम्परिक तिलहनों, जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी की फसलें और अधिक क्षेत्र में उगाना।

6. अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

7. न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, ताकि किसानों को अपने उत्पाद का पर्याप्त मूल्य मिल सके।

8. संसाधन तथा आधार ढांचे सम्बन्धी आवश्यक सुविधाएं स्थापित करना, ताकि वे तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के साथ-साथ चल सकें।

9. चावल की भूसी के तेल, खाद्य तथा अखाद्य दोनों, का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करना और, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, वृक्ष तथा वनमूल के तिलहनों का उपयोग करना।

पल्प वुड के लिए नई किस्म के वृक्ष

* 217. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वानिकी वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए उस नए सिद्धान्त की जानकारी है जो उन्होंने "पल्प वुड" के लिए वर्तमान प्रत्येक 30 से 40 वर्ष की अवधि की अपेक्षा 3 से 5 वर्ष की अवधि में नए किस्मों के वृक्षों की कटाई छंटाई करने के सम्बन्ध में खोजा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वानिकी वैज्ञानिकों को यह नया सस्ता तरीका अपनाने की जानकारी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार को लुगदी काष्ठ के वृक्षों की कम अर्से की बारी से कटाई करने की अवधारणा की जानकारी है।

(ख) भारतीय वानिकी वैज्ञानिक इस सम्बन्ध में काफी समय से काम कर रहे हैं और लुगदीकाष्ठ के बागानों की आमतौर से 7 से 10 वर्ष की बारी से कटाई की जाती है।

चम्बल के बीहड़ों को कृषि योग्य बनाना

*218. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल के बीहड़ों को, जो डकैतों के सम्वर्धक-स्थल है और जहां वे छिपते हैं, कृषि योग्य बनाने के लिए कोई व्यापक योजना सम्बद्ध राज्य सरकार के परामर्श से अथवा अन्यथा छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लागू किए जाने के लिए बनाई गई है ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होगा और इसमें केन्द्र और राज्य सरकार का कितना-कितना योगदान रखा गया है; और

(ग) पूर्ववर्ती योजनाओं में उक्त बीहड़ों के कितने प्रतिशत भाग को पहले ही कृषि योग्य बना लिया गया है उस पर कितनी लागत आई हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार इस समस्या से चिन्तित है। उसने पठारी भूमि के संरक्षण और बीहड़ क्षेत्रों के स्थिरीकरण के लिए मार्गदर्शी परियोजना की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की थी। 1979-80 में यह योजना राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित किये जाने के बाद, राज्यों ने छठी योजना के दौरान चम्बल के बीहड़ों के कुछ क्षेत्रों का सुधार करने केलिए योजनायें तैयार की हैं।

(ख) सम्बन्धित तीन राज्यों अर्थात् राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश का राज्य क्षेत्र में 921 लाख रुपये के परिव्यय से बीहड़ क्षेत्र के 13,000 हैक्टार क्षेत्र तथा ऊबड़खाबड़ भूमि की परिधि के आस-पास 600 कि. मी. क्षेत्र का सुधार करने का प्रस्ताव है।

(ग) विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत 597.96 लाख रुपये की लागत से मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश राज्यों में अब तक 39,231 हैक्टार क्षेत्र का सुधार करना बताया गया है, जिसमें चम्बल का लगभग 4.73 प्रतिशत बीहड़ क्षेत्र हैं।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

*219. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल, फल तथा वनस्पति के पूरे विंग बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा प्रस्तावित "खाद्य तेल और तिलहन उत्पादन और विपणन की पुनः संरचना" नामक एक परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें अन्य बातों के साथ एक तिलहन और वनस्पति तेल स्कंध की स्थापना करने की भी व्यवस्था है। यह स्कंध स्थापित किया जा चुका है। इसका मुख्य काम परियोजना का नियोजन, समन्वय, प्रबोधन और मूल्यांकन करना, उपहारस्वरूप प्राप्त तेल के विपणन की व्यवस्था करना और राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ आदि की सहायता करना है।

सरकार द्वारा फल और सब्जी स्कंध की स्थापना के किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है।

आन्ध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त जिले

220 *210. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों का मौके पर अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक रिपोर्ट कुछ सिफारिशों के साथ सरकार को भेजी गई थी ;

(ग) यदि हाँ, तो वे सुझाव और सिफारिशें क्या थीं और राज्य को दी गई वित्तीय सहायता से सरकार कहाँ तक सन्तुष्ट है और

(घ) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई गई काम मुहैया कराने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) जी; हां। राज्य में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल ने 5 से 8 मई 1982 तक आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया था।

(ग) केन्द्रीय दल ने विभिन्न सूखा राहत उपाय करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को 30 सितम्बर, 1981 तक की अवधि के लिए 26.04 करोड़ रुपए के अधिकतम व्यय की राशि देने की सिफारिश की थी।

दल ने सिफारिश की कि सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए मुख्य तौर पर योजना सम्बन्धी निर्माण कार्यों विशेषकर सिंचाई, सड़क तथा मृद संरक्षण सम्बन्धी निर्माण कार्यों की

गति को तेज करने पर बल दिया जाए ताकि इस संकटपूर्ण स्थिति में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें और इसी बीच इसके कार्यान्वियन में तेजी लाई जा सके।

केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा राहत कार्यों से सम्बन्धित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार से 26.35 करोड़ रुपए के व्यय की बढ़ाई गई सीमा की मंजूरी दी ताकि सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए अपेक्षित राशि की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।

(घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों अर्थात् मुख्य तथा मध्य सिंचाई निर्माण कार्य, लघु सिंचाई निर्माण कार्य, सड़क निर्माण तथा मृदा संरक्षण निर्माण कार्य, के तहत सूखा राहत निर्माण कार्य को आरम्भ करके सूखे से प्रभावित लोगों को उपयोगी रोजगार प्रदान किया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मृदा सम्बन्धी अनुसंधान और विकास

*221. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने मृदा सम्बन्धी अनुसंधान और विकास की पूर्णतः उपेक्षा की है हालांकि इस प्रयोजन के लिए इसका करनाल में एक पूरा संस्थान है;

(ख) क्या यह सच है कि क्षारीय मिट्टी के लिए अब तक जिस एक मात्र उपचार का विकास किया गया गया है, वह भी पश्चिमी देशों से गृहीत किया हुआ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पूरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन करने का है, जिससे कि इसका अनुसंधान कार्य देश की आवश्यकताओं के लिये अधिक सार्थक हो सके ?

कृषि और ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) भारत सरकार को इसकी पूर्ण जानकारी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने भारतीय मृदा सम्बन्धी अनुसंधान और विकास पहलुओं की उपेक्षा नहीं की है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। यह सच नहीं है। भारत में सामाजिक, आर्थिक, कृषि-जलवायु सम्बन्धी तथा मृदा की स्थितियों का संयोजन पश्चिमी देशों से भिन्न हैं। इसलिए इन मृदा सम्बन्धी समस्याओं को सुधारने के लिए केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में जो प्रौद्योगिकी विकसित की गई हैं वे भिन्न प्रकार की तथा स्थान विशेष के लिए है जो हमारी स्थितियों के लिए उपयुक्त हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि परिषद का वर्तमान गठन और ढांचा व्यावहारिक और मूल प्रकृति वाले दोनों तरह के सम्बद्ध अनुसंधान कार्यक्रमों के अभिज्ञान, विकास और कार्यान्वयन के लिए अत्यधिक सहायक है जिसकी देश को आवश्यकता है।

कृषि भुमि पर आलीशान बंगले

* 222. श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में लोगों में खाली भूमि पर विशेषकर कृषि भुमि पर आलीशान बंगले बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कृषि भूमि की बर्बादी रोकने और किसानों के हितों पर अधिक ध्यान देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई मार्गदशी निर्देश बनाये गये हैं,

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क)इस विषय में कोई निश्चित सूचना नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न हीं नहीं उठता।

शहरी भूमि के मूल्यों में भारी वृद्धि

* 223. श्री चित्त बसु :

श्री डी०एम० पुत्ते गौडा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में शहरी भूमि के मुल्यो में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां तो क्या इससे अधिकांश लोगों के लिए मकान बनाना पहुंच से बाहर हो गया है और शहरी स्वरूप बिगड़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो शहरी भूमि के मुल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए अब तक क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) यह सच है कि हाल के वर्षों में अपेक्षाकृत बड़े शहरों में शहरी भुमि के मुल्यों में वृद्धि हुई है।

(ख) यह सच है कि अपेक्षाकृत गरीब वर्गों के लोगों के लिए परम्परागत नगरीय आवास मंहगे हो गए हैं और अन्य कारणों में विकसित भूमि की कमी से कुछ हद तक शहरों की अनियोजित वृद्धि हुई है।

(ग) राज्य सरकारों ने शहरी क्षेत्रों में आवास बोर्डों और नगर विकास प्राधिकरणों की पूंजी निवेश के माध्यम से विकासित भूमि की सप्लाई बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। छटी योजना में आर्थिक दुष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 16.2 लाख विकासित स्थलों के प्रावधान के लिए 485

करोड़ रुपया की व्यवस्था की गई है। ग्रुप आवास योजनाओं को प्रोत्साहित करने की मांग की गई है। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गता छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के विकासार्थ दिए गए ऋणों के माध्यम से छोटे और माध्यम दर्जे के शहरों में रिहायशी योजनाएं आरम्भ की गई हैं। शहरी भुमि की सट्टेबाजी और जगाखोरी रोकने के लिए नगर भुमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है। नए 20 सुत्री कार्यक्रम में नगर भूमि की समस्या पर विशेष बल दिया गया है। छठी पचवर्षीय योजना के दौरान आवास तथा नगर विकास निगम ने अपना निवेश 600 करोड रूपये तक बढ़ा दिया है, जिसका 55प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग आवास के लिए है। 31.1.82 को, हुडको के ऋण से 10, 72, 365 रिहायती एककों के निर्माण में और 74, 144 विकसित प्लाटों में सहायता मिलेगी।

बैलगाड़ी का नया पहिया

* 224. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जनवरी, 1982 के टाइम्स आफ इंडिया" में बैलगाड़ी के आस्ट्रेलिया में बनाए गए नये पहिये के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार परीक्षण के लिए इस बैलगाड़ी का आयात करने का हैं, जिससे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) के उन वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने में भी सहायता मिलेगी जो इसी प्रकार की परियोजनाओं पर वर्षों से कार्य करते रहे हैं ;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अपनी भोपाल स्थित संस्था, अथवा आई० ए० आर० आई० नयी दिल्ली, अथवा एन०डी०आर०आर० करनाल में इसी तरह की किसी बेहतर बैलगाड़ी का डिजाइन तैयार किया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह एक महत्वपूर्ण अनुसंधान होगा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को निदेश दिये जाने चाहिए कि वह इस पहलू की ओर, विशेषकर देश के सामने उर्जा संकट को देखते हुए ध्यान दे ?

कृषि और ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) आस्ट्रेलिया से इंजीनियरी डाइंग तथा विस्तृत जांच पड़ताल के परिणाम मंगाये जा रहे हैं। यदि यह स्थानोय दशाओं के अन्तर्गत उपयोगी पाये गये तो देश में उपलब्ध परम्परागत तथा उन्नत बैलगाड़ियों की तुलना में, प्रारुप तैयार किये जायेगे, उनकी जांच की जायेगी तथा उनका मूल्यांकन किया जायेगा।

(ग) नहीं श्रीमान। केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान में कोई भी ऐसी उन्नत बैलगाड़ी

विकसित नहीं की गई है जो कि 70 के बाद वाले वर्षों में शुरू की गई थी। तथापि, केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल में उन्नत बैलगाड़ियों के विकास पर अनुसंधान प्रायोजना का कार्य हाथ में लिया गया है। राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान में जहां पर कि पशुओं की, जिनमें संकर पशु भी शामिल है, दुलाई के लिए बैलगाड़ियों को खींचने की शक्ति का अध्ययन किया जाता है। कई अन्य स्थानों पर बैलगाड़ियों पर किये गये अध्ययनों के फलस्वरूप सुधरी किस्म के नमूनों का विकास किया गया है जिनमें रगड़ रोधी बायरिंग, हवा वाले टायर के पहिये ठोस रबड़ की पहिये वाली गाड़ी, इस्पात की बॉडी वाली बैलगाड़ी, अधिक सामान ले जाने की क्षमता वाली गाड़ियां, अच्छे जुए वाली बैलगाड़ियों और ऐसी गाड़िया जिनमें ब्रेक लगाने का तंत्र है। शामिल हैं।

(घ)भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में बैलगाड़ियों का विकास अनुसंधान की प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है, विशेष रूप से इसका कारण ऊर्जा संकट और भारत में केवल 5 प्रतिशत सुधरी किस्म की बैलगाड़ियों का होता है।

केरल में प्रस्तावित मत्स्य अवतारण केन्द्र

225. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के चेत्तुवई और पुत्तियांगडी जैसे प्रस्तावित मत्स्य अवतारण केन्द्रों तथा विजिंगाम की मत्स्य पत्तन परियोजना की स्वीकृति देने में विलम्ब होने के कारण हैं ; और

(ख) सरकार का विचार कब तक मंजूरी देने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री श्री (आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) **चेत्तुवई** : चेत्तुवई में मछली उतारने के केन्द्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार से मार्च, 1980 में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तकनीकी जांच करने पर यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थल उपयुक्त नहीं है। प्राक्कलन में भी संशोधन की आवश्यकता थी। तद्नुसार राज्य सरकार को पत्र लिखा गया। राज्य सरकार से संशोधित प्राक्कलन सहित उत्तर प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है।

पुथियनगडी : पुथियनगडी के सम्बन्ध में जून, 1981 में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और जांच करने के बाद यह पाया गया कि डिजायन और प्राक्कलन में जेटी/घाट जैसे महत्वपूर्ण खटक की व्यवस्था नहीं की गई है। तद्नुसार राज्य सरकार को मामले पर पुनर्विचार करने और नये प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

विझिंजम : जुलाई, 1968 में, 173 लाख रुपए की लागत से इस परियोजना के प्रथम चरण को मंजूरी दी गई थी। राज्य सरकार ने यह कार्य पूरा कर लिया है। चरण-2 को मंजूरी देने के लिए, बन्दरगाह की आर्थिक व्यवहार्यता से सम्बन्धित कुछ आंकड़ों की आवश्यकता थी और राज्य सरकार को इसे भेजने के लिए कहा गया था। इसके साथ-साथ भारत सरकार की

समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना को विझिजम के मछली संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था। विझिजम में समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना के दो जलयानों को नियुक्त करके अक्तूबर, 1981 में यह सर्वेक्षण शुरु किया गया था। उपरोक्त सामग्री प्राप्त होने पर प्रस्ताव पर आगे विचार विचार किया जाएगा।

जलमार्गों की लाइनिंग का नया तरीका

*226 श्री गुलाम मोहम्मद खां

श्री आर०पी० गायकवाड : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्र की इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि भूमि संरक्षण विशेषज्ञों ने जल प्रबन्ध में बड़ी सफलता प्राप्त की है;

(ख) क्या जलमार्गों की लाइनिंग के नये तरीके से, हिसाब से/होने वाली पानी की हानि 30 प्रतिशत से घटकर एक प्रतिशत रह गई है;

(ग) क्या विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने इस नये तरीके की सराहना की थी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउ रहमान अंसारी) : (ख) से (घ) : प्रश्न में उल्लिखित लाइनिंग की "नयी" प्रणाली में सम्भवतः सिंचाई नहरों में लाइनिंग की सामग्री के रूप में कम सघन पोलिथिलीन फिल्म के प्रयोग का जिक्र किया गया है। नहरों में रिसन तथा अन्य हानि को रोकने के अर्थशास्त्र को पूरी तरह स्वीकार किया गया है। जल की हानि को न्यूनतम करने के लिए देश में पहले भी कई नहरों को पक्का किया जा चुका है इंटों तथा टाइलें, सीमेंट कंक्रीट, शार्टक्रीट, ऐस्फाल्ट, पालिथिलीन फिल्म, इत्यादि विभिन्न प्रकार की सामग्रियां को नहरों को पक्का करने में क्षेत्र में प्रयोग किया गया है। लाइनिंग में कम सघन पोलिथिलीन फिल्म पक्का करने के क्षेत्र में हाल में इस्तेमाल की गई है। अपनाई जाने वाली लाइनिंग पद्धतियों के सम्बन्ध में निर्णय स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों लागत तथा कार्यक्षमता इत्यादि जैसे विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है। पोलिथिलीन लाइनिंग प्रणाली का हमारे देश में, हाल में कई सिंचाई परियोजनाओं में इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार की लाइनिंग में इंटों तथा टाइलें जैसे कठोर आच्छादन की आवश्यता होती है ताकि उसे क्षति से बचायां जा सके। इसको दीर्घकालिक टिकाऊपन, सामर्थ्य तथा अर्थशास्त्र को अभी प्रमाणित किया जाना है। इस प्रणाली का हरियाणा में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक परियोजना में भी इस्तेमाल किया गया है। विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने भी इस परियोजना का दौरा किया है।

देश में उर्वरकों की मांग

2314 : श्री बीरभद्र सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में उर्वरकों की मांग कितनी है ; और

(ख) इसमें से स्वदेशी उत्पादन से अनुमानित कितनी मांग पूरी हो जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन): (क) और (ख) :उर्वरकों की आवश्यकताओं का अनुमान, प्रत्येक फसल मौसम के लिए इसके प्रारम्भ होने से पहले राज्य सरकारों आदि के परामर्श से लगाया जाता है। 1982 के चालू खरीफ (फरवरी से जुलाई 1982) के लिए देश में 30 लाख मीटरी टन पोषक तत्वों) एन+पी+के) की सकल आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। इसमें से विनिर्माताओं द्वारा देसी उत्पादन के माध्यम से 23 लाख मीटरी टन पोषक तत्वों (एन+पी) की सप्लाई किए जाने की सम्भावना है। इसी प्रकार जुलाइ, 1082 में रबी, 1982-83) अगस्त, 1982 से जनवरी 1983 तक) के लिए अनुमान लगाया जाएगा।

इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को आपरेटिव द्वारा संयुक्त उपक्रम में उर्वरक संयन्त्र स्थापित करना

2315: **श्री अजीत बाग।** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव (इफ्को) द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में अथवा स्वयं ही कुछ और उर्वरक संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या है जहां यह संयन्त्र स्थापित किये जायेंगे ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग)

भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफ्को) और दक्षिणी पैट्रो-केमिकल उद्योग निगम तथा भारत सरकार पश्चिम अफ्रीका के सेनेगल में स्थापित किए जा रहेए कक में फास्फरिक अम्ल तथा संसाधित उर्वरक निर्माण में सहयोग दे रहे हैं। सेनेगल के इस सयुक्त उपक्रम में उत्पादित फास्फोरिक अमल के रूप में प्रतिवर्ष 110,000 मीटरी टन पी 2 और 5 की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए इसमें भाग लेने वाले सभी भारतीय मिलकर लगभग 88.0 करोड़ रुपए की साम्य पूंजी का करीब 0 प्रतिशत लगभग 18 करोड़ रुपए लगाऐंगे। इफ्को का भारत निवेश में से कुल 8 करोड़ रुपए के करीब योगदान होगा और 1984 में किसी समय संयन्त्र के उत्पादन शुरु करने के बाद 15 बर्ष के लिए प्रतिवर्ष लगभग 50,000 मीटरीटन पी 2 ओ 5 मिलने की आशा है।

इफ्को का आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा में प्रतिवर्ष 315,000 मीटरी टन की क्षमता वाले

डाय-अमोनियम फास्फेट संयन्त्र की स्थापना के लिए जिसे आंध्रप्रदेश की सरकार द्वारा बढ़ावा किया जा रहा है, सयुक्त क्षेत्र परियोजना में योगदान देने का भी प्रस्ताव दिया है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 83 करोड़ रुपए है, जिसमें 1? करोड़ रुपया साम्य पूंजी है। आंध्र प्रदेश सरकार तथा इफ्को का साम्य पूंजी के लिए क्रमश: 26 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत का अंशदान देने का प्रस्ताव हैं। यह प्रस्ताव अपने प्रारम्भिक चरण में है और परियोजना/निवेश के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त होने के बाद इसके कार्यान्वियन में इसकी शुरुआत से लगभग 3 वर्ष लग जायेंगे,

इफ्को का प्रतिवर्ष 66,000 मीटरी टन अमोनियम क्लोराइड और 66,000 मीटरी टन सोडा-क्षार का विनिर्माण करने के लिए फूलपुर में एक अमोनियम फ्लोराइड-सोडा क्षार संयन्त्र स्थापति करने का प्रस्ताव है। इस पर लगभग 37 करोड़ रुपए व्यय होंगे। यह परियोजना उचित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त होने के बाद परियोजना की शुरुआत से इसके क्रियान्वयन पर करीब 3 वर्ष लग जायेंगे। इफ्को ने 1350 मीटरी टन अमोनिया तथा 2200 मीटरीटन यूरिया/प्रति दिन की अधिष्ठापित क्षमता से बम्बई हाई गैस पर आधारित एक उर्वरक संयन्त्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है। इसके स्थान, लागत तथा अन्य ब्यौरे अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

रुग्ण चीनी मिलों का अधिग्रहण

2316. **श्री के प्रधानी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 से 1981 के बीच सरकार ने कुल कितने चीनी मिलों का अधिग्रहण किया ;

(ख) उन चीनी मिलों के और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां वे मिलें स्थित थीं ;

(ग) क्या सरकार को देश की कुछ और मिलों की रुग्णता के बारे में जानकारी है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उन मिलों के अधिग्रहण का प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ङ.) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) (क) : सरकार ने 1978 और 1981 के बीच 16 चीनी मिलों को - 11 चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहणन) अधिनियम, 1978 के अधीन और 5 औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन, अपने अधिकार में लीं थीं।

(ख)	मिल का नाम	जिस राज्य में स्थित हैं
1.	जीजामाता सहकारी शक्कर कारखाना लि०	महाराष्ट्र

1	2	3
2.	श्री सतपुड़ा तापी परिसर शक्कर कारखाना लि0	महाराष्ट्र
3.	दि केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि०	राजस्थान
4.	दि कावेरी शुगर्ज एण्ड केमिकल्स लि०	तमिलनाडु
5.	दि अजुध्या शुगर मिल्स	उत्तर प्रदेश
6.	दि देवरिया शुगर मिल्स लि०	उत्तर प्रदेश
7.	श्री सीताराम शुगर कं० लि०	उत्तर प्रदेश
8.	दि आर० बी० नारायण सिंह शुगर मिल्स लि0	उत्तर प्रदेश
9.	दि सेकसरिया शुगर मिल्स लि०	उत्तर प्रदेश
10.	लक्ष्मी शुगर मिल्स, हरदोई	उत्तर प्रदेश
11.	राजा बुलन्द शुगर कं० लि, रामपुर	उत्तर प्रदेश
12.	श्री रामा शुगर्ज एण्ड इंडस्ट्रीज लि० बोबिली	आन्ध्र प्रदेश
13.	श्री रामा शुगर्ज एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, सीतानगरम	आंध्र प्रदेश
14.	मोतीपुर शुगर फैक्ट्री लि०, मुजफ्फरपुर	बिहार
15.	श्री जावरा शुगर मिल्स लि०, जावरा	मध्य प्रदेश
16.	सेठ गोविन्द राम शुगर मिल्स, मेहिदपुर	मध्य प्रदेश

(ग) और (ड़) : सरकार ने चीनी मिल की रुग्णता का पता लगाने के बारे में कोई कसौटी निर्धारित नहीं की है। तथापि, औद्योगिक (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 195, के अधीन मिलों को अधिकार में लेने के बारे में राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाता है। अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने की दशा में और सार्वजनिक हित में चीनी का उत्पादन बनाए रखने के लिए ही चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहणन) अधिनियम, 1978 के अधीन मिलों को अपने अधिकार में लिया जाता हैं। फिलहाल, किसी भी चीनी मिल को अपने अधिकार में लेने विषयक कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

छठी योजना के दौरान गोबर गैस संयन्त्रों की स्थापना

2317. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

श्री ए. के. बालन :

श्री मतिलाल हसदा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान कितने गोबर गैस संयन्त्रों की स्थापना करने का विचार किया गया है; और

(ख) प्रत्येक संयन्त्रों की लागत, क्षमता और स्थान क्या होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री(श्री आर.वी. स्वामीनाथन) (क)

छठी योजना की शेष अवधि के दौरान कृषि मंत्रालय की बायोगैस विकास सम्बधी राष्ट्रीय परियोजना का 400,000 बायोगैस एकक स्थापित करने का विचार है।

(ख) राष्ट्रीय परियोजना के तहत बायोगैस यूनिटों की स्थापना सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में की जायेगी। बायोगैस एककों की अनुमानित क्षमता तथा लागत प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

बायोगैस एककों का आकार (प्रति दिन घन-मीटर गैस का-उत्पादन)	* एक बायोगैस एकक के संभावित लागत के अनुमान (रुपए में)** *स्टीलड्रम टाईप	फिक्सड डोम पाइप
2	3640	2260
3	4710	3080
4	5250	4020
6	6510	5120
8	7110	
10	7800	
15	9520	
20	13260	
25	17940	
35	28700	
45	32360	
60	40560	
85	60530	

*1974 में खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग द्वारा निर्धारित फ्लोटिंगड्रम किस्म के आकार

** 1980 में योजना, अनुसंधान तथा कार्यकारी प्रभाग द्वारा निर्धारित फिक्सड डोम किस्म के आकार

* विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार सही लागत में अन्तर हो सकता है जो कि सामग्री परिवहन तथा मजदूरी आदि की विषमता पर निर्भर करता है।

खाद्य तेल का आयात

2318. **श्री वसुदेव आचार्य:** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1981 में खाद्य तेल की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया था; और

(ख) उपर्युक्त में से शेष कितने खाद्य तेल को 1982 में आगे ले जाया गया ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क)

(क) पंचांग वर्ष 1981 के दौरान, राज्य व्यापार निगम द्वारा सरकार के खाते में 11.54 लाख मीटरी टन खाद्य तेलों का आयात किया गया ।

(ख) : 1.1.1982 को राज्य व्यापार निगम के पास आयातित खाद्य तेलों का 2.76 लाख मीटरी टन का भण्डार था ।

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में अनधिकृत झुग्गियां

2320. **श्री हीरालाल आर0 परमार:** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका/ सम्पदा अधिकारी, दिल्ली को कुछ झुग्गियां हटाने के बारे में अनेक शिकायतें/अभ्यावेदन मिले हैं जो सरोजनी नगर, दिल्ली के टाइप तीन और चार के क्वार्टरों के बीच कुछ प्रेस वालों और ऐसे ही अन्य व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से से बना ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदनों की मुख्य बात क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

ससदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य खाद्य निगम

2321. **श्री डी० एस०ए० शिवप्रजाशम:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत किसी राज्य खाद्य निगम की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां तो उस राज्य का नाम क्या है और उसने किस तारीख से कार्य करना शुरु कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विवास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं :

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य खाद्य निगम स्थापित किए जाएं । राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के अधीन राज्य खाद्य निगम स्थापित करने में कोई अभिरुचि नहीं दिखाई है । तथापि, अधिकांश राज्यों ने अपने भाण्डागार निगम, नागरिक पुर्ति निगम और अन्य सहकारी एजेन्सियां स्थापित की हैं जो कि खाद्यान्नों की वसूली और अन्य परिचालनों का अधिकांश कार्य करती हैं ।

खाद्य तेलों के मुल्य

2322. श्री बी० वी० देसाई : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) क्या यह सच है की जनवरी 1982 के महीने में खाद्य तेलों के दामों में पर्याप्त वृद्धि हुई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चालु वर्ष में इनके मुल्यों का पिछले सभी मुल्य रिकार्डों को पार करने की संभावना है;

(ग) यदि हां तो मूंगफली के तेल के मुल्यों का इसी सर्वाधिक उपलब्धता के समय इतना ऊचे चढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) क्या अन्य खाद्य तेलों के मुल्यों में भी इसी स्तर पर वृद्धि हुई है :

(ङ) क्या यह भी सच है कि यद्यपि मूंगफली की फसल बहुत अच्छी हुई परन्तु इसका प्रभाव महसूस नहीं किया गया ; और

(च) इसके मुख्य कारण क्या हैं और सरकार को कब तक यह विश्वास हो जाएगा कि खाद्य तेलों के मुल्य उचित स्तर पर स्थिर हो जायेंगे ।

कृषि तथा नागरिक पुर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) (क) से (च): जी नहीं । मूंगफली, बिनौले तथा जिंजली के तेलों को छोड़कर अन्य सभी खाद्य तेलों के मुल्यों में जनवरी, 1982 में गिरावट आई ।

मूंगफली के तेल के मूल्य में कुछ वृद्धि होने का मुख्य कारण स्पष्टत: यह है कि अच्छी फसल होने के वावजूद प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों से खूले बाजार में इसकी आमद पर्याप्त नहीं हैं । तथापि, सभी खाद्य तेलों के मूल्यों में फरवरी, 1982 में गिरावट आई ।

राजस्थान के बाड़मेर जिले को केन्द्रीय आर्थिक सहायता

2323. * श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे

कि सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रमों, पेयजल सप्लाई योजना, वन और सिंचाई कार्य, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और स्वयं सेवी रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली राजस्थान के बाड़मेर जिले की विभिन्न योजनाएं कौन सी हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : बाड़मेर जिले के लिए लागू विभिन्न योजनाओं जो केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र हैं, के कुछेक घटक निम्नलिखित हैं :—

(1) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिगत जल विकास, वानिकी तथा पशुपालन ;

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति हेतु त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना ;

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वानिकी तथा लघु सिंचाई कार्य ;

(4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, वानिकी, ग्रामीण व कुटीर उद्योग तथा वाणिज्यिक सेवा गतिविधियां आदि ; और

(5) ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की योजना (ट्राइसेम)।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय समस्यायें

2325. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय प्रशासन और शहरी विकास की केन्द्रीय परिषद की हाल में राजधानी में एक बैठक आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किस किस्म के निर्णय लिए गए ;

(ग) इस बैठक से पूर्व बैठक कब हुई थी ; और

(घ) तेल से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर आवासीय और सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के बारे में क्या उपयोगी कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में आवास समस्या का सम्बन्ध है, केन्द्रीय परिषद् ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे (1) ग्रामीण भूमिहीन कारगरों के लिए आवास स्थल तथा निर्माण सहायता की योजना के लिए छठी योजना में निर्धारित लक्ष्यों को न्यूनतम आवश्यकता

कार्यक्रम और नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अंग के रूप में पूरा करने का भरसक प्रयास करें (11) हुडको, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और बैंक जैसे केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध ऋण सहायता से योजना को पूर्ण करें, (111) वाजिब स्तर पर आर्थिक सहायता रखें तथा (1v) उचित अन्तर्विभागीय समन्वय और प्रबोधन का विकास करें। केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग से भी अनुरोध किया कि छठी योजना अवधि के दौरान कार्यक्रम के लिए भारी परिव्ययों पर विचार करें।

(ग) 29 और 30 दिसम्बर, 1980 को

(घ) यद्यपि आवास राज्य का विषय है, केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर इस बात पर बल दिया है,

(i) स्थानीय पर्यावरणों को ध्यान में रखते हुए कम लागत की आवास तकनीकी अपनाना,

(ii) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त वित्तीय प्रावधान निर्धारित करना।

(iii) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों के लिए हुडको, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और बैंकों से उपलब्ध निधियों का उच्चतर निर्धारण करना, और

(iv) कार्यक्रम का निष्पादन, मार्गनिर्देशन के लिए राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त सांस्थानिक प्रबन्ध।

अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं के लिए योजना

2326. **श्री बापू साहिब परूलेकर** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं के लिए हाल में कोई विस्तृत योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी (क) और (ख) : छठी योजना के शेष 3 वर्षों के दौरान 9 मिलियन हैक्टेयर की क्षमता के सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 1982-83 के दौरान 2.8 मिलियन हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। अपेक्षित अतिरिक्त परिव्ययों सहित राज्यवार ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

भेड़-बकरी पालन फार्म स्थापित करना

2327. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक भेड़-बकरी पालन फार्म खोला गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) और (ख) : पूर्वोत्तर परिषद् ने त्रिपुरा में एक क्षेत्रीय बकरी प्रजनन फार्म की स्थापना को मंजूरी दी है जिस पर 1980-81 के दौरान 4.12 लाख रुपए की राशि व्यय हो चुकी है और और 1981-82 में 10.00 लाख रुपए के व्यय का अनुमान लगाया गया है। परियोजना के तकनीकी कार्यक्रम में देशी बकरियों के आर्थिक स्वरूप में सुधार लाने के लिए उनके चुनींदा प्रजनन और "वीटल" नस्ल के बकरों से देसी बकरियों का प्रजनन करके संकर-जनित बकरियों के उत्पादन का कार्य शामिल है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध खाद्यान्न भंडार

2328. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध कराये गए खाद्यान्न भंडारों की स्थिति क्या है ;

(ख) इन खाद्यान्न भंडारों में आयातित खाद्यान्न का कितना भाग है ; और

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्त मांग पूरी हो रही है ; और

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) : एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1982 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से राज्यवार खाद्यान्नों की उठाई गई मात्रा बताई गई है।

(ख) : 1981-82 के दौरान ठेकाबद्ध आयायित गेहूं की सप्लाई में से केवल लगभग 0.7 हजार मीटरी टन अमरीकी गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अभी तक जारी किया गया है।

(ग) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न की कुल उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता और अन्य [संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मासिक आधार पर सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों के नियमित आवंटन किए जा रहे हैं।

विवरण

1981 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पुल से विभिन्न राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को सप्लाई किए गए खाद्यान्नों की मात्रा को बताने वाला विवरण।

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	1981 * चावल	गेहुं	मोटे अनाज	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	369.7	56.4	8.8	434.9
2.	असम	246·3	95·9	—	342.2
3.	बिहार	144.4	95.9	—	323.9
4.	गुजरात	185.2	179.5	7.0	305.1
5.	हरियाणा	0.2	22.5	—	22.7
6.	हिमाचल प्रदेश	12.4	23.7	—	36.1
7.	जम्मू तथा कश्मीर	93.3	50.6	—	143.9
8.	कर्नाटक	185.6	26.2	—	211.8
9.	केरल	1077.8	45.7	—	1123.5
10·	मध्य प्रदेश	218·1	239.1	—	457·2
11.	महाराष्ट्र	669.4	428-5	—	1097.9
12.	मणिपुर	20.4	0.2	0.1	20.7
13.	मेघालय	64.2	—	—	64.2
14.	नागालैण्ड	29.1	—	—	29.1
15.	उड़ीसा	0.1	63.2	—	63.3
16.	पंजाब	1.7	84.1	—	85.8
17.	राजस्थान	12.4	166.3	0.5	179.2
18.	सिक्किम	31.6	3.5	—	35.1
19.	तमिलनाडु	295.1	39.7	—	334.8
20.	त्रिपुरा	45.5	2.9	—	48.4
21.	उत्तर प्रदेश	287.9	285.2	—	573.1

* अस्थायी, इनमें संशोधन हो सकता है।

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

		1981 *			
22.	पश्चिमी बंगाल	870.8	637.7	—	1508.5
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	4.8	4.9	—	9.7
24.	अरुणाचल प्रदेश	324.1	4·3	—	28.4
25.	चण्डीगढ़	1.9	6.1	—	8.0
26.	दिल्ली	126.3	445.7	—	572.0
27.	दादर तथा नगर हवेली	0.2	0.1	—	0.3
28.	गोआ, दमन तथा दीप	36.9	18.0	—	54.9
29.	लक्षद्वीप	3.5	0.4	—	3.9
30.	मिजोरम	38.3	—	—	38.3
31.	पांडिचेरी	5.9	0.7	—	6.6
	जोड़	5103.1	3044.0	16.4	8163.5
	अन्य (के० रि० पु/सी० सु० ब० रक्षा आदि)	85.6	186-6	4.2	276.4
	सफल जोड़	5188.7	3230.6	20.6	8439.9

* अस्थायी, इसमें संशोधन हो सकता है।

कर्नाटक में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के भूमिहीन परिवारों को मकान के लिए मुफ्त जमीन देना

2329. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्नाटक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने भूमिहीन परिवार हैं और कितने लोगों को मकान के लिए मुफ्त जमीन दी गई है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : कर्नाटक राज्य में ग्रामीण भूमिहीन परिवारों की कुल संख्य 10,60,852 है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन परिवारों की संख्या उपलब्ध नहीं है। दिसम्बर, 1981 तक मुफ्त आवास-स्थल दिये गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन परिवारों की संख्या 3,81,968 है।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

2330. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनवरी, 1981 से पूर्व हुए अन-अधिकृत निर्माण के नियमतीकरण के बारे में सरकार की नीति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है गृह मंत्रालय ने हाल में दिल्ली की नगर निगम से जनवरी, 1981 तक के अनअधिकृत निर्माण को हटाने के आदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तों आदेशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार आदेशों की एक प्रति सदन के सभा पटल पर रखेंगी ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकार ने दिल्ली में गैर सरकारी भूमि पर विद्यमान अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के आदेश किये हैं इनमें 3-6-1977 तथा 16-2-1976 तक बनी क्रमशः रिहायशी तथा वाणिज्कि संरचनाएं शामिल हैं । दिल्ली में जनवरी, 1981 से पहले की विद्यमान अनधिकृत निर्माणों के नियमितीकरण के कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं ।

(ख) गृह मंत्रालय ने बतलाया है कि उन्होंने ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में बाढ़ समस्या हल करने की योजना

2331. **श्री भीखू राम जैन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसकी बाढ़ और बाढ़ के अन्तर्गत आने वाली भूमि की खतरे की समस्याओं को हल करने के बारे में कोई वृहद योजना बनाई गई है और चालू वर्ष में इस पर कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है ; और

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान किए जाने वाले बाढ़ सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा साहिबी नदी नजफगढ़ नाला जल-निकास नाले के लिए एक बृहद (मास्टर) योजना तैयार की गई है । इस बृहद योजना में शामिल किये गए निर्माण कार्यों का दिल्ली प्रशासन तथा हरियाणा सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वियन किया जा रहा है । दिल्ली प्रशासन ने भी बाढ़ नियंत्रण तथा नदी नियंत्रण हेतु एक बृहद योजना का कार्य हाथ में ले रखा है ।

केन्द्रीय सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने भी यमुना नदी पर बाढ़ नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक उपायों की सिफारिश करने हेतु विस्तृत अध्ययन करने के लिए यमुना समिति को निर्देश दिया है ।

1981-82 के दौरान दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य पर प्रत्याशित व्यय 8.33 करोड़ रुपए है ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किए जाने के लिए परिकल्पित व्यय बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य ये हैं—तटबन्धों को ऊँचा तथा सुदृढ़ करना, नदी में जल-निकास निमार्गों पर जल-कपाटों की व्यवस्था करना, निचले क्षेत्रों में बसे गांवों के इर्द-गिर्द रिंग बंधों की व्यवस्था करना, बाढ़ तटबन्धों को सुदृढ़ बनाना/ऊंचा करना तथा अन्य जल-निकास चैनलों की क्षमता में वृद्धि करना।

छठी योजना के दौरान दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए अनुमोदित परिव्यय 39 करोड़ रुपये है।

वृहत योजना (मास्टर प्लान) में संशोधन

2332. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री राम विलास पासवान :

श्री रामावतार शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली की वृहत योजना को कई बार संशोधित किया हैं जिसके परिणामस्वरूप कृषि के हरित क्षेत्र में कमी हुई है और रिहायशी क्षेत्र में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली की मूल वृहत योजना क्या थी और इसमें कृषि का हरित क्षेत्र और रिहायशी क्षेत्र कितना था।

(ग) इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है है ;

(घ) क्या कृषि के हरित क्षेत्र को रिहायशी क्षेत्र में इस परिवर्तन की सिफारिश करते हुए परिस्थिति विज्ञानी (इकोलोजिस्ट) के विशेषज्ञ मत को लिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो परिस्थिति विज्ञानी का गठन करने वाली संस्था के नाम का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली राज्य संघ की विभिन्न पाकिटों में लगभग 180 एकड़ कृषि हरित पट्टी का भू-उपयोग मुख्यत: सरकारी अर्ध-सरकारी संगठनों तथा सार्वजनिक उद्यमों के लिए रिहायशी उपयोग के लिए बदल दिया गया है दिल्ली की वृहद योजना में दिल्ली में रिहायशी क्षेत्र हेतु लगभग 47,360 एकड़ भूमि की व्यवस्था की गई थी तथा नगरीयकरण सीमा के चारों ओर 1 मील की दूरी पर कृषि हरित पट्टी का विचार किया गया था।

(घ) तथा (ङ) भू-उपयोग के परिवर्तन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रस्तावों की नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन, नई दिल्ली के परामर्श से जांच की जाती है जो कि एक बहु-शिक्षण संगठन है और जिसमें पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकी आयोजना सहित नगरीय एवं

क्षेत्रीय आयोजना के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। एक सार्वजनिक सूचना के जरिये प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में सुझाव/आपत्तियां भी आमन्त्रित की जाती हैं। भू-उपयोग के परिवर्तन के प्रस्ताव पर निर्णय लेने से पूर्व सभी ऐसे सुझावों/आपत्तियों पर विचार किया जाता है।

ग्रामीण गरीबों को पेयजल और आवासीय सुविधाओं के लिए केन्द्रीय नियतन योजनाएं

2333. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में नई दिल्ली में राज्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में ग्रामीण गरीबों को पेय जल सप्लाई और आवासीय सुविधाएं देने के लिए केन्द्रीय नियतन योअनाएं चलाने की आवश्यकता पर बल दिया गया ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त सुझाव पर विचार किया और तदनुसार राज्यों के शेयर में बृद्धि की और यदि हाँ, तो वर्ष 1982 के दौरान दोनों मदों के लिए अलग-अलग राज्यवार बढ़ाये गए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इन दो मदों पर दिये जाने वाले ओर को देते हुए उपलब्धि के लिए लक्ष्यों को भी बढ़ाया गया है और यदि हाँ, तो विभिन्न राज्यों के लिए राज्यवार नये निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 4 तथा 5 फरवरी, 1982 को हुए सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि सभी राज्यों तथा संघ राज्यों द्वारा समस्याग्रस्त ग्रामों के पेय जल पूर्ति कार्यक्रम को गम्भीरता से तथा सार्थक मूल्य समयवद्ध ढग से कार्यान्वित किया जाए। जहाँ कही आवश्यक हो, इस कार्यक्रम के लिए राज्यों तथा केन्द्र द्वारा अतिरिक्त वित्तीय तथा अन्य संसाधन नियत किए जाएं। जहाँ तक ग्रामीण गरीबों के लिए आवास योजना का सम्बन्ध है ये राज्य क्षेत्र में है तथा इनके लिए कोई केन्द्रीय नियतन नहीं है।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्यय जो कि समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल की व्यवस्था कराने में राज्य सरकारों के संसाधनों को पूरा करने के लिए है, को 1981-82 में 110 करोड़ रुपये से 1982-83 में 157.50 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। 1982-83 के रोजगार आँकड़े अभी नियत नहीं किये गए हैं।

(ग) छठी योजना के दौरान, सभी चुने हुए समस्याग्रस्त ग्रामों में कम से कम स्वच्छ पेय जल का एक स्रोत जिसमें वर्षभर पानी उपलब्ध हो मुहैया कराने के प्रयास किये जायेंगे राज्य तथा केन्द्रीय विधियों से ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के दौरान लगभग 36,000 ग्रामों को तथा 1982-83 में लगभग 45,000 ग्रामों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। राज्यवार लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। ग्रामीण गरीबों के लिए आवास हेतु, छठी योजना में 68 लाख परिवारो को आवास-स्थल देकर सभी पात्र भूमिहीन

परिवारों को 1985 तक इसमें लाभ पहुंचाने की व्यवस्था शामिल है। इन परिवारों में से 36 लाख परिवारों को निर्माण सहायता देने की व्यवस्था है। इन लक्ष्यों को संशोधित नहीं किया गया है।

वर्ष 1982-83 के दौरान दिल्ली में खोली जाने वाली उचित मूल्य दूकान

2334. **श्री हरिहर सोरन :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार के पास राजधानी में वर्ष 1982-83 के दौरान कुछ और उचित दर की दुकानें खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी नई उचित दर की दुकानें खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) नई दिल्ली के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां उचित दर की दुकानें खोली जाएगी; और

(घ) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) (क) से (घ) दिल्ली जैसे बढते जा रहे शहर में जहां काफी बड़ी संख्या में नयी बस्तियां बसती जा रही हैं और आबादी निरन्तर बढ़ती जा रही है, उचित दर की दुकानें खोलना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। वर्ष 1981 के दौरान, 754 नई उचित दर की दुकानें खोली गयीं। 1982-83 के दौरान आवश्यकता होने पर नई दिल्ली के सम्बन्धित इलाकों तथा राजधानी के अन्य भागों की जरुरतों के मुताबिक नई दुकानें खोली जाएंगी। इस समय यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कुल कितनी नई दुकानें खोली जाएंगी या कहां-कहां खोली जाएंगी।

जल प्रदाय के कार्यकरण में अनियमितताएं

2335. **श्री निहाल सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लेखा परीक्षा अधिकारियों ने दिल्ली नगर निगम के जल प्रदाय विभाग के कार्यकरण के वर्ष 1977-78 के अपने प्रत्यावेदन में अनेक अनियमितताओं का उल्लेख किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने लेखा परीक्षा प्रत्यावेदन की जांच की और जांच में किस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में आवासीय समस्या

2336. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासनीय सुविधा देने के लिए क्या प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान कितने परिवारों के आवास के लिए किया गया है और ;

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के मध्य प्रदेश के लिए आवास हेतु जिसमें पुलिस आवास भी शामिल है, 58.10 करोड़ रूपये के एक परिव्यय का अनुमोदन किया है चूकि आवास राज्य का विषय है, इसलिए ग्रामीण और नगरीय आवास के लिए परिवारों को लाभान्वित किए जाने आदि के लिए निधियों का उपयोग करने के तौर तरीकों का निर्णय करना राज्य सरकार काम है ।

नयी दिल्ली नगर पालिका द्वारा स्टालों का आबंटन

2337. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो नयी दिल्ली नगरपालिका स्टालों के आबंटन की प्रतीक्षा सूची में है और वरीयता-वार से कब से प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ख) कितनें स्टाल निर्माण की विभिन्न अवस्था में हैं और वे आबंटन के लिए कब तक उपलब्ध होंगे ; और

(ग) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि स्टालों का आबंटन निश्चित रूप से गुणवत्ता के आधार पर नियमानुसार किया जाये, सरकार नयी दिल्ली नगर पालिका के प्रशासन को निदेश जारी करेगी,

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उनके पास कोई अनुमोदित सूची नहीं है ।

(ख) नई दिल्ली नगस पालिका द्वारा फिलहाल किसी स्टाल का निर्माण नहीं किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा किसी स्टाल के अनुचित आवंटन का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है ।

दिल्ली का यमुना जल पीने योग्य नहीं

2338. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुड़की विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा किये गये हाल के अध्ययन से पता चला है कि दिल्ली तथा अन्य कुछ स्थानों का यमुना-जल मनुष्यों के पीने योग्य नहीं है ।

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के विस्तृत निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय भूमि संसाधन, अनुरक्षण तथा विकास आयोग बनाया जाना

2339. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय भूमि संसाधन और अनुरक्षण तथा विकास आयोग बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वर्तमान राज्य भूमि आयोग बोर्डों के साथ सहयोग करेगा ; और

(ग) क्या यह एक स्वायत्तशासी निकाय होगा ; और यदि हां, तो इसके लिए बजट कितनी राशि का उपबन्ध किया जाना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां,

(ग) प्रस्तावित आयोग के गठन तथा दूसरे ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

छठी योजना अवधि के अन्तर्गत 100 लाख रुपए का आबंटन किया गया है।

विष्णु गार्डन, दिल्ली में मूल भूत सुविधाओं का प्रावधान

2340. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विष्णु गार्डन, दिल्ली के "ई" ब्लाक में 24 से 44 संख्या के प्लाट रिहायशी प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में पक्की सड़कें/जल सप्लाई, मल निकासी की व्यवस्था, सड़कों की बत्तियां, नालियां आदि जैसी मूल सुविधाएं उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है विष्णु गार्डन एक नियमित अनधिकृत कालोनी है तथा कालोनी का उचित विकास, जिसमें कि पक्की सड़कों का निर्माण नालियां मल निकास नालियां बिछाना जल पूर्ति की मुख्य लाइने आदि शामिल हैं, का कार्य तब आरम्भ किया जायेगा

जबकि नियमित अनधिकृत कालोनियों के विकास की योजना अनुमोदित की जायेगी तथा लाभ भोगियों से विकास प्रभारों को वसूल कर लिया जाएगा। इसी बीच दिल्ली नगर निगम ऐसी कालोनियों में सम्पर्क मार्ग, खड़जे बिछाना, भूमि भरना तथा साधारण किस्म की खुली नालियों जैसी कुछ मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कर रहा है।

नेपाल राज्य क्षेत्र में पश्चिम कोसी नहर का निर्माण

2341. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल राज्य क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर पर और कमला नदी के पूर्व में कितने निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं ; कितने निर्माणाधीन हैं और कितने निर्माण कार्य अभी आरम्भ किए जाने हैं ;

(ख) उनके और वालन तथा उसकी वालान नदियों पर निर्माण कार्य के पूरा होने की समय सारणी क्या है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नेपाल राज्यक्षेत्र में और कमला नदी के पूर्व के क्षेत्र में उस स्थान सहित जहां से नहर नदी से निकलती है 1982 तक सिंचाई की व्यवस्था हो जाए; और

(ग) कमला नदी पर नहर निर्माण कार्य किस स्थिति में है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) नेपाल में पश्चिमी कोसी नहर पर निर्मित की जाने वाली कुल 60 संरचनाओं में से, 28 संरचनाएं पूर्ण हो चुकी है। 4 संरचनाओं पर कार्य हो रहा है तथा 16 संरचनाएं निविदा आमन्त्रण की अवस्था में हैं। इसी प्रकार, बिहार में मुख्य नहर की पहली 40 कि० मी० की लम्बाई में निर्मित की जाने वाली 65 संरचनाओं में से, 5 संरचाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा 7 संरचनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

(ख) जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, नेपाल के क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर तथा बिहार में भुताही बालान नदी अर्थात आर० डी० 6000 तक मुख्य नहर तथा उसकी वितरण प्रणाली और जल निकास कार्य जून, 1983 तक पूर्ण किए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) कमला नदी के पारण के निकट पश्चिमी कोसी नहर के सन्रेखण तथा साथ ही नदी के पारण हेतु संरचना के स्थान के सम्बन्ध में बिहार सरकार के पटना स्थित केन्द्रीय अभिकल्प संगठन में जांच की जा रही है तथा उसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

सी० एस० सी० मार्केट जनकपुरी, नई दिल्ली के स्टाल में शटरों का लगाया जाना

2342. **श्री शिबु सोरन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सी० एस० सी० मार्केट ए-1, जनकपुरी में स्टालों के मालिकों को शटरों के लगाए जाने के कारण उनका आबंटन रद्द करने के लिए हाल ही में उन्हें नोटिस जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बाजार में आबंटित किए गए स्टाल केवल एक छोटे खुले स्थान के समान हैं जो रात के समय काफी असुरक्षित है ; और

(ग) यदि हां, शटरों के लगाये जाने के इन मामूली निर्माणों/परिवर्तनों को कुछ शुल्क लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित किया जाना, जिससे कि चोरी, उठाई गिरी आदि को रोकने के लिए इन स्टालों को ताला लगाया जा सके, उचित रहीं हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

पानी के संसाधन

2343. **श्री वी० आर० महाटा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में भूमिगत जल, नदी जल और अन्य प्रकार के जल के रूप में कौन-कौन से संसाधन उपलब्ध हैं और प्रत्येक राज्य में तथा प्रत्येक योजना अवधि में उनमें से कितनों का उपयोग सिंचाई के लिए किया गया है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य का तत्संबंधी लक्ष्य और योजना परिव्यय क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जल-संसाधनों राज्य-वार अनुमान नहीं लगाया गया है । कुल उपलब्ध भूतल जल का मूल्यांकन 1440 मिलियन एकड़ फुट लगाया गया है, जिसमें से केवल लगभग 540 मिलियन एकड़ फुट का उपयोग किया जा सकता है । इस समय केवल लगभग 220 मिलियन एकड़ फुट का उपयोग किया जा रहा है ।

उपलब्ध भूमिगत जल रिचार्ज का मूल्यांकन 360 मिलियन एकड़ फुट लगाया गया है, जिसमें से 250 मिलियन एकड़ फुट का उपयोग किया जा सकता है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान (1980-85) के दौरान सिंचाई क्षमता के लक्ष्य और वित्तीय परिव्यय ।

क्रम संख्या	राज्य	क्षमता का लक्ष्य (हजार हेक्टेयर)	परिव्यय (संस्थागत वित्त सहित) (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	870	1130 .29
2.	असम	226	148 .10
3.	बिहार	1680	1243 .70
4.	गुजरात	453	1043 .80
5.	हरियाणा	298	500 .31
6.	हिमाचल प्रदेश	28	32.85
7.	जम्मू व कश्मीर	65	120 .04
8.	कर्नाटक	715	313 .50
9.	केरल	303	360 .30
10.	मध्य प्रदेश	1033	1392 .50
11.	महाराष्ट्र	875	1459 .01
12.	मणिपुर	61	49 .70
13.	मेघालय	15	7 .10
14.	नागालैंड	10	10 .90
15.	उड़ीसा	660	566 .00
16.	पंजाब	410	422 .53
17.	राजस्थान	482	588 .26
18.	सिक्किम	8	4 .50
19.	तमिलनाडू	233	222 .19
20.	त्रिपुरा	13	32 .70
21.	उत्तर प्रदेश	4550	1617 .70
22.	पश्चिम बंगाल	687	540-20
उप-जोड़ राज्य		13675	13, 261.08
संघ राज्य क्षेत्र		66	93 .85
केन्द्रीय सेकटर			460
कुल जोड़		13741	12, 814 .93
	अर्थात	14,000	अर्थात 12,815

सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध अदेयता प्रमाण-पत्र

2344. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवा निवृत्त/ मृतक कार्मिकों को बेबाकी/ अनादायगी अग्रिम प्रमाण पत्र जारी करने समय उनके सेवा में आने की बिभिन्न तिथियों से उनके लेखों को पुनरावलोकन किया जाता है और बहुत वर्षों के बाद उनसे भारी बकाया राशि की वसूली की सलाह दी जाती है जिससे सरकारी राजस्व की हानि के साथ-साथ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से भारी वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो सम्पत्ति निदेशालय द्वारा जारी किये जाने वाले वार्षिक बेनाकी प्रमाणपत्रों से क्या लाभ होता है ; और

(ग) क्या कर्मचारियों को व्यक्तिगत कठिनाई तथा सरकारी राजस्व की क्षति को बचाने के लिये किसी धारित समय तक के लेखों को अन्तिम रुप दिया जा सकता है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार को राजस्व की कोई हानि न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सेवा निवृत्त/ मृतक कार्मिको को बेबाकी/अन्तिम अग्रिम प्रमाण-पत्र देते समय उनके लेखों पूर्वप्रभावी का पुरावलोकन करना आवश्यक है ।

तथापि, प्रशासनिक कारणों से चूंकि यह कार्य अवशिष्ठ पड़ा है, अतःसम्पदा निदेशालय द्वारा वार्षिक बेबाकी प्रमाण- पत्र यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाते हैं कि सम्बन्धित व्यक्तियों को कोई कठिनाई न हो उनके मामलों में अनावश्यक बिलम्ब न हो ।

(ग) अन्तिम बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने से ही लेखों को अन्तिम रुप दिया जा सकता है ।

जनकपुरी मार्केट में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

2345. **श्री राम लाल राही :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० ब्लाक, शिब नगर, जनकपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मार्केट में शौचालय, सड़क पर प्रकाश, पेय जल की सुविधाओं आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं यदि हां तो ये मूलभूत सुविधायें उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई ;

(ख) क्या अनेक दुकानों की नीलामी होना अभी शेष है, इन दूकानों की नीलामी कब की जायेगी ; और

(ग) क्या मार्केटों की पहुच सड़कों का ठीक ढंग से निर्णय नहीं किया गया है और उस पर तारकोल नहीं डाला गया है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि संयुक्त विन्यास नक्शे में स्नानगृह/ शौचालय तथा पेय जल की सुविधायें उपलब्ध कराई हैं तथा स्थाल पर बनाई गई हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया हैं कि आरक्षित शेष चार दुकानें व्यापार विशेष के लिये विक्रम लिए उपलब्ध हैं और ये शीघ्र ही बेच दी जायेंगीं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विन्यास नक्शे के अनुसार मार्कीट के सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जा चुका है और उनमें कोलतार बिछाया गया है।

"टेन्ट्रम आफ ए वी आई पी लैण्डलार्ड" शीर्षक समाचार

2346. **डा०ए०यू० आजमी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 16—31 जनवरी, 1982 के "ओन लुकर" में "टैन्ट्रम आफ एवी आई पी लैण्डलार्ड" शीषर्क के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा सहकारी आवास की अवैध रुप से उप-किराये पर दिये जाने के बारे में प्रकाश डाला गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में संसद सदस्यों द्वारा लिखित कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और(घ) : इस मामले की जांच की जा रही है।

(ग) जी, हां।

पांच सितारा होटल निर्माण के लिये दिल्ली में भूमि का आवंटन प्राप्त करने वाली पार्टियां

2347. **श्री दया राम शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्हें एशियाई खेल के सम्बन्ध में पांच सितारा होटल निर्माण करने के लिये दिल्ली में भूमि आवंटित की गई है, तथा प्रत्येक पार्टी को कहां-कहां पर कितना क्षेत्र आवंटित किया गया है ;

(ख) प्रत्येक भूमि प्लाट के लिये क्या मूल्य लिया गया है ;

(ग) क्या लिया गया मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य से बहुत ही कम है ; और

(घ) यदि हां, तो इतनी रियायती दरों पर भूमि आवंटित किये जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जबकि सरदार पटेल मार्ग तथा बाराखम्बा रोड पर होटल स्थलों के आवंटन सरकारी नीति के अनुसार सम्बन्धित तिथियों को प्रचलित पूर्व-निर्धारित वाणिज्यिक दरों पर सरकार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नई दिल्ली नगर पालिका को किया गया था रायसीना रोड और जनपथ के चौराहे पर का स्थल 1,800 रुपये प्रति वर्ग गज की पूर्व निर्धारित दर की तुलना में 1,400 रू० प्रति वर्ग गज की दर पर नई दिल्ली नगरपालिका को आवंटित किया गया था। पंचशील मार्ग और कौटिल्य मार्ग के चौराहे के स्थल का आवंटन 1,800 रुपये प्रति वर्ग गज की दर पर नई दिल्ली नगरपालिका को आवंटित किया गया था। पंचशील मार्ग और कौटिल्य मार्ग के चौराहे के स्थल का आवटन। 1,800 प्रति वर्ग गज की पूर्व-निर्धारित वाणिज्यिक दर की तुलना में 1,200 रुपये प्रति वर्ग गज की रियायती दर पर भारतीय पर्यटन विकास निगम को किया गया था।

(घ) भारतीय पर्यटन विकास निगम को यह प्लाट रियायती दर पर आवंटित किया गया था क्योंकि यह अशोक होटल के उपयोग एवं कब्जे में टेडेमेडे आकार का था और यह किसी अन्य पार्टी द्वारा बनाए जाने के लिए किसी पांच-तारा होटल के लिए काफी नहीं था। आगामी एशियाई खेलों के लिए होटल आवास की आवश्यकताओं को और इस तथ्य को कि भारतीय पर्यटन विकास निगम एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, भी ध्यान में रखा गया था।

दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम में संशोधन

2348. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समाज की बदलती हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम समयानुकूल नहीं रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में इस अधिनियम में संशोधन करने के बारे में विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

क्र० सं०	पार्टी का नाम जिसे भूमि आवंटित की गई	विवरण: स्थान	क्षेत्र (एकड़ में)	प्रभारित मूल्य प्रीमियम (रू०)	वार्षिक भुगतान
1	2		3	4	5
	(क) सरकार द्वारा किया गया आवंटन				
1.	भारतीय पर्यटन विकास निगम	पंचशील मार्ग और कौटिल्य मार्ग का चौराहा	3.195	1,85,56,560	कालम 4 में उल्लिखित राशि का 2/1/2 प्रतिशत
2.	नई दिल्ली नगरपालिका	बाराखम्बा रोड क्षेत्र (फायर ब्रिगेड लेन)	6.0485	8,78,24,220 300 रू० प्रति वर्ग गज की दर पर	—वही
3.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	सरदार पटेल मार्ग (दूसरा स्थल)	6.00	5,22,72,000 1800 रु० प्रति वर्ग गज की दर पर	—वही
4.	नई दिल्ली नगर पालिका	रायसीना रोड और जनपथ के चौराहे पर विण्डसर प्लेस	4.5 लगभग	5,22,72,000 2400 रू० प्रति वर्ग गज	—वही

1	2	3	4	5
नीलामी के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया आवंटन				
1. मैसर्स एशियन होटल	भीकाजी सम प्लेस	4.95	4,36,00,000 1817 रू० प्रति वर्ग गज की दर पर	प्रथम दो वर्ष के लिए 1 रु० और तत्पश्चात कालम 4 में उल्लिखित राशि का 2/1/2 प्रतिशत
2. प्रस्तावित कम्पनी की ओर से मि० जयप्रकाश	समाज सदन बसन्त लोक	0.31	1,82,00,000 3250 रू० प्रति वर्ग गज की दर पर	—वही
3. मैसर्स कौस्मोपोलिटन बिल्डर्स एण्ड होटलियर्स प्रा० लि०	समाज सदन फ्रैण्ड्स कालोनी	1.83	1,60,00,000 1351 रू० प्रति वर्ग गज की दर पर	—वही

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम के संशोधनार्थ कतिपय प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इमारती लकड़ी की तस्करी

2349. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इमारती लकड़ी के वी० आई० पी० तस्करों द्वारा वन काटे जा रहे हैं,

(ख) क्या उनके एजेंटों द्वारा वन कर्मचारियों को पीटा जाना और परिणामतः वन-पट्टाधारियों को पट्टे दिये जाने से देश में वातावरण संबन्धी परिस्थिति खराब हो रही है और ऐसी कुछ घटनाओं का कुछ समय पूर्व समाचार पत्रों में भी उल्लेख था, और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अपराधियों को दंडित किये जाने को सुनिश्चित करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इमारती लकड़ी के वी० आई० पी० तस्करों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार की दृष्टि में नहीं आया है ।

(ख) कुछ राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता हैं कि कानून को लागू करने के कार्य पर लगे हुए अधिकारी बन उत्पादकों के तस्करों के हाथो आक्रमण और हिंसा के शिकार होते हैं । वन अधिकारियों द्वारा पट्टेधारियों की तरफदारी करने के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है ।

(ग) अपराधियों को पकड़ने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में ये शामिल है :—

(1) ठेकेदारी एजेंसी के जरिए वृक्षों की गैर-कानूनी कटाई की संभावना को समाप्त करने के लिए वनों के विभागीय कार्य ।

(2) मुखबिर और कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन तथा इनाम की व्यवस्था करना ।

(3) गैर कानूनी कटाई से संबन्धित अनुबन्ध को तोड़ने के मामलें में कड़ा दण्ड देना

(4) संगठित गिरोहों का मुकाबला करने के लिए विशेष पुलिस दस्तों की सहायता लेना

(5) विशेष गश्ती दलों के जरिए गश्त लगाना ।

(6) वनों की गश्त लगाने के लिए स्थानीय ग्रामवासियों के रक्षक दलों का गठन करना

(7) वन रक्षण कर्मचारियों के लिए आग्नेय अस्त्रों की व्यवस्था करना

(8) अलग सतर्कता सेलों की स्थापना करना ।

सीमेंट प्रदूषण से फसल को नुकसान

2350 : **श्री राम स्वरूप राम:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 फरवरी, 1982 के "दैनिक हिन्दुस्तान" में "सीमेन्ट प्रदूषण से फसल को नुकसान" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और रोहताश इंडस्ट्रीज से से होने वाले सीमेंट प्रदूषण से किनने एकड़ फसल को नुकसान हुआ था ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) :अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गेहूं का आयात

2351. **श्री के० मालन्ना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित गेहूं को भारतीय खाद्य निगम द्वारा उतारा -लादा रहा है ;

(ख) कितना-कितना गेंहूं किस-किस देश से प्राप्त किया गया है और कितना गेहूं बंदरगाहों पर उतारा जा रहा है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने उचित दर दुकानों के माध्यम से बांटे जाने के लिये और अधिक गेहूं आवंटित किये जाने की मांग की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) भारतीय खाद्य निगम 15.15 लाख मीटरी टन अमरीकी गेहूं और 7.50 लाख मीटरी टन आस्ट्रेलियाई गेहूं हैंडल कर रहा है जिन्हें 1981-82 में आयात करने का ठेका किया गया था ।

(ख) : घाट पर लगे जहाजों के अनुसार, 1 .3. 1982 तक लगभग 12.75 लाख मीटरी टन अमरीकी गेहूं और 2.54 लाख मीटरी टन आस्ट्रेलियाई गेहूं यहां पहुंच चुका है। इन आदमों में से 1. 3. 82 तक हमारे बन्दरगाहों पर जो मात्रा उतारी गई थी उनमें अमरीकी गेहूं 12.42 लाख मीटरी टन और आस्ट्रेलियाई गेहूं 1.63 लाख मीटरी टन था ।

(ग) : जी हां । कुछेक राज्यों ने केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अपने गेहूं के मासिक आवंटन में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया था । केन्द्रीय पूल में स्टाक की कुल उपलब्धता, विभिन्न राज्य सरकारों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे अनुरोधों पर बिचार किया गया था और उन पर निर्णय लिया गया था ।

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला के निदेशक का कार्यकाल

2352. **श्री एम० एम० लारस :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के निदेशक का पांच वर्ष का कार्यकाल 8 अक्तूबर, 1980 को समाप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कार्यकाल की अवधि को बीते एक वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भी वह निदेशक पद के कार्यभार को संभाले हुए है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निदेशक के सेवा काल को तीन-तीन महीने करके बढ़ाया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर वी स्वामीनाथन) (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) डा0 बी0वी0 नगाईच को दिनांक 8. 10. 1975 से पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में निदेशक के पद पर यह नियुक्त किया गया था । उनके पांच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद उनकी कार्यकुशलता के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि उन्हें वैज्ञानिक श्रेणी में वापस बुला लिया जाय और उनके वेतन और भत्ते अनुसंधान प्रबन्ध स्थिति नियमों के अनुसार उनके व्यक्तिगत वेतन के रूप में ज्यों के त्यों रखे जायें । तथापि संस्थान के कार्य के हित में यह भी निर्णय लिया गया कि नये निदेशक के चयन तक डा0 नगाईज तदर्थ आधार पर केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के निदेशक के पद पर कार्य करते रहें । केन्द्रील आलु अनुसंधान संस्थान के निदेशक का पद अभी विज्ञापित किया गया है तथा इस पद के करीब 6-8 महीने की अवधि में भर दिये जाने की सम्भावना है ।

(ग) जी नहीं, श्री मान् ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मूल्यों में वृद्धि का सामना करने वाले उपभोक्ता संगठनों को अनुदान

2353. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार मूल्य-वद्धि का सामना करने के लिए उपभोक्ता संगठनों को अनुदान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनुदान देने के लिये क्या आधार/माप दंड हैं ;

(ग) क्या इन संगठनों ने इन अनुदानों में वृद्धि के लिए कोई मांग की है ; और

(घ) क्या सरकार ने इन संगठनों के कार्यक्रमों को 100 प्रतिशत अनुदान देने के प्रस्ताव पर विचार किया है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ): (क) सरकार उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रमों/गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए "उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपाय" योजना केतहत उपभोक्ता संगठनों को अनुदान दे रही है -

(ख) उपर्युक्त योजना के तहत, पात्र उपभोक्ता संगठनों को सामान्यत: योजना की कुल लागत के 50 प्रतिशत तक सहायक देने पर विचार किया जाता है।

(ग) विगत में ऐसे मामले हुए हैं, जब संगठनों ने अधिक अनुदान देने का अनुरोध किया है।

(घ) सहायता मंजूर करने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की इस समय पुनरीक्षा की जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण

2354. **श्री सज्जन कुमार** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में किसानों की भूमि बहुत कम दामों पर खरीदती है और बहुत अधिक दामों पर बेचकर लाभ कमाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके विरोध में सरकार को अनेकों अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि किसान अपनी भूमि का उचित मूल्य पायें, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिये अर्जित भूति के लिये दिये गये मुआवजे की दरों के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। भूमि अर्जित की जाती है तथा भूमि अर्जन अधिनियत 1894 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। विद्यमान कानून में त्रुटियों को ठीक करने के लिये भूमि अर्जन अधिनियम 1994 के संशोधन हेतु सरकार शीघ्र ही बिल पेश करेगी।

'डिवेलपमेंट आफ क्राप्स एण्ड टेक्नोलोजी' शीर्षक समाचार

2355. **श्री नारायण चौबे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान (2 जनवरी, 1981 की समीक्षा इन्डिया में) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान की 1981 की समीक्षा की ओर दिलाया गया है जिसमें फसलों

के किस्म संबंधी विकास और नई प्रौद्योगिकी का दावा किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त वर्ष के दौरान प्रमुख खाद्य फसलों, सब्जियों और चारे की अधिक उपज वाली रोग-रोधी बहुत किस्में विकसित की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक किस्म की फसल कितने एकड़ भूमि में की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निर्यात आवश्यकता के लिये बासमती चावल की 4 नई किस्में भी विकसित की गई हैं,

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये अब तक कितने एकड़ में खेती की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां श्रीमान् । पिछले एक वर्ष के दौरान अनेक अधिक उपज देने वाली तथा संकर किस्मों का जिनमें मुख्य रोगों की प्रतिरोधी शक्ति तथा सहिष्णुता है, का पता लगाया गया हैं । किस्मों को रिलीज करने वाली केन्द्रीय उपसमिति द्वारा 1981 में रिलीज की गयी फसलों की किस्मो की सूची नीचे दी गई हैं :—

फसल	किस्मों का नाम
गेहूं	लोक-1, शिप्रा के० एस० एम० एल-3, आर०एस० 86, एच० डब्ल्यू-517, एम० एल० के० एस०-11, एच० वी० 208, एच० यू० डब्ल्यू-37
चावल:	आई० आर०-36
दालें:	उड़द: पन्त यू०-19, पन्त यू०-30 चना: पन्त जी०-114 मसूर: पन्त एल०-639 मूंग: पूसा-7, पूसा-10
ज्वार:	सी० एस० एच०-9
ग्वार:	एच० जी० 75, एच० एफ० सी०-119
जई:	ओ० एस०-6, यू० पी० ओ०-94
बरसीसम:	वरदान (एस०-99-1)
लोबिया	(चारे वाली फसल) यू० पी० सी० 5286
ज्वार	(चारे वाली फसल) एच० जी० 136

ये नयी किस्में हैं तथा इसके बीज का किसानों को वितरण करने तथा बड़े पैमाने पर उगाने के लिए संवर्धन किया जा रहा है ।

(ग) तथा (घ) : जी हां, श्रीमान । चार कल्चर यानी पूसा 150-21-1, यू० पी० आर० एम० 500 पी० ए० यू० 263-1-9-2-1 तथा सी० आर० एम० 8-5709-23-1-190 का पता लगाया गया है जिसमें बढ़िया दाने के गुण तथा सुगन्ध है । इसके अतिरिक्त, कई अन्य किस्में जैसे vl-8 ए०, सी० आर० 206-36352, आई० ई० टी० 7314, आई० ई० टी० 7861 तथा आई० ई० टी० 7862 भी विकसित की गयी हैं जिनमें उपरोक्त किस्मों जैसी विशेषतायें हैं । इन नई किस्मों की अधिक उपज देने और गुण सम्बन्धी विशेषतायें करीब-2 बासमती चावल जैसी ही है । इनका प्रजनन केन्द्रों में जांच के लिए परीक्षण किया जा रहा है ।

लम्बित जल विवाद

2356. **श्री जेवियर अराकल** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोर्ड/या सरकार के निर्णय के लिए कितन जल विवाद लम्बित हैं और वे कब से लम्बित हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए कौन सी सिंचाई परियोजनाएं लम्बित हैं ; और

(ग) उपर्युक्त योजनाओं का निवटारा करने में कितना समय लग जायेगा ।

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) दो मुख्य नदी जल विवाद लम्बित पड़े हैं, जो

(1) कर्नाटक, केरल तमिलनाडु और पांडिचेरी के बीच कावेरी बेसिन तथा

(3) हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के बीच यमुना बेसिन

के जल के उपयोग एवं विकास से संबंधित हैं केन्द्रीय सरकार के नोटिस में कावेरी के जल के बटवारे का मामला 1970 में तथा यमुना के जल के बटवारे का मामला 1974 में लाया गया था ।

(ख) अन्तर्राज्यिक पहलुओं के कारण केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) अन्तर्राज्यिक पहलुओं के कारण लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति, बेसिन वाले सम्बन्धित राज्यों के बीच जल-विवादों के हल होने पर निर्भर करती है । जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा बातचीत द्वारा मतभदों को दूर करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है परन्तु इस समय केन्द्रीय सरकार के पास कोई निर्णय लेते तथा उसको पक्ष राज्यों पर लागू करने के लिए कोई अधिकार नहीं हैं । अत: विवादों के हल होने की कोई संभावित तारीख बताना संभव नहीं है ।

विवरण

अन्तर्राज्यिक पहलुओं के कारण लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं की सूची

क्रम० सं०	संबन्धित राज्य	परियोजना का नाम
		एक-कावेरी नदी वेसिन
1.	कर्नाटक	मेहावती (वृहद)
2.	—वही	कार्बनी (वृहद्)
3.	—वही	होसपटना (लिफ्ट वृहद)
4.	—वही	हारंगी (वृहद्)
5.	—वही	यागची (वृहद्)
6.	—वही	कृष्णराजा सागर दक्षिण (वृहद्) तट नहर, चरण-एक
7.	— वही	स्वर्शवती (मध्यम)
8.	—वही	अर्कावती (माध्यम)
9.	—वही	कुडर गुंडीनाला (मध्यम)
10.	—वही	त्रिकली होल (मध्यम)
11.	—वही	उदुधोरा ाल्ला (मध्यम)
12.	—वही	इगालूर (मध्यम)
13.	—वही	चंगावाड़ी (मध्यम)
14.	—वही	ओवटा-होला (मव्मय)
15.	केरल	केरल भवानी (वृहद्)
16.	—वही	कुटिटयाडी आवर्धन (वहद्)
17.	—वही	अट्टापेडी आवर्धन (वृहद्)
18.		कावेरी का आधुनिकीकरण
19.	—वही	कालामलाई (मध्यम)
20.	—वही	काडागानार (मध्यम)
21.	—वही	थोषियार (मध्यम)
22.	—वही	वर्धान्धी (मध्यम)
23	—वही	सिद्धापल्ले (मध्यम)

1	2	3
		दो-यमुना नदी बेसिन
1.	हरियाणा	बीबीपुर झील की क्षमता में वृद्धि करना (वृहद्)
2.	—वही	सिवानी लिफ्ट सिंचाई (चरण-दो-तीन-(वृहद्)
3.	—वही	नलकूपों द्वारा पश्चिमी यमुना नहर की जल सप्लाई में वृद्धि (वृहद्)
4.	—वही	लोहारु लिफ्ट स्कीम, चरण दो (बृहद्)
5.	—वही	मुवाक नहर लिंक चैनलों और नन्सी ब्रांच गोहाना वितरणी तथा दिल्ली समानन्तर ब्रांच का निर्माण (वृहद्)
6.	—वही	हंसी ब्रांच आर० डी० 60000 का पुनंरुपण एवं लाइनिंग (वृहद्)
7.	—वही	सतलुज यमुना लिंक (बहद्)
8.	—वही	सुन्दर ब्रांच आर० डी० 16137 छोर एवं सुन्दर वितरणी शीर्ष से छोर का पुनंरुपण तथा लाइनिंग (वृहद्)
9.	—वही	नंगला लिफ्ट सिंचाई स्कीम (वृहद्)
10.	—वही	मवानी लिफ्ट सिंचाई चरण एक (मध्यम)
11.	—वही	जुई नहर के लिए पानी हेतु बुशना ब्रांच का और सुन्दर सब ब्रांच बुसना ब्रांच पुर्नरुपण तथा एस० एन० चक्रवर्ती नहर चरण-चार (मध्यम)
12.	—वही	जुई लिफ्ट स्कीम चरण दो (मध्यम) को वर्तमान माइनरों का पुनंरुपण तथा विस्तार एवं नई माइनरों का निर्माण
13.	—वही	देदुपुर में अतिरिक्त शीर्ष नियापक कम्पलैक्स का निर्माण (मध्यम)
14.	—वही	दिल्ली समान्तर ब्रांच के साथ-साथ 50 अतिरिक्त संवर्धन नलकूपों का प्रतिष्ठापन (मध्यम)

1	2	3
15.	—वही	हांसी ब्रांच के साथ-साथ, 50 अतिरिक्त संवर्धन नलकूपों का प्रतिष्ठापन ।

शाहाजहांनाबाद का विकास

2357. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहाजहानाबाद के विकास हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि योजना आयोग द्वारा "शाहजहानाबाद के पुनर्विकास" शीर्षक योजना के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 10.00 करोड़ रुपये के नियतन से एक योजना अनुमोदित की गई है। इस योजना में पुराने शहर के ऐतिहासिक महत्व व विशेषताओं को सुरक्षित रखते हुए, पुन: निर्मित किये जाने का विशेष प्रस्ताव होगा। इस सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये परियोजना रिपोर्ट के प्रारुप का दिल्ली प्रशासन जांच कर रहा है।

इसी दौरान पुराने शहर में जहां भी सम्भव हैं वहां रहन-सहन के स्तर को सुधारने के लिए पर्याप्त सुधार किया जा रहा है।

खाद्य तेल का आयात

2358. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष में पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेल का आयात करने जा रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितनी मात्रा में खाद्य तेल इस वर्ष आयात किया जा रहा है और निर्यातक देशों के नाम और उनके द्वारा कितना तेल भारत को निर्यात किया जा रहा है।

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरफ) (क) से (ख) : खाद्य तेलों का आयात सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है, ताकि खाद्य तेलों की मांग और उनके देशी उत्पादत के बीच के अन्तर को पूरा किया जा सके। चालू वर्ष के दौरान भी खाद्य तेलों की आयात की जाने वाली मात्रा इनके देशी उत्पादन, देश में तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यो के रुख, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा अन्य सम्बद्ध बातों पर निर्भर करेगी। राज्य व्यापार निगम द्वारा खाद्य तेलों की खरीद विश्वव्यापी टेंडरों के माध्यम से की जाती है और यह अपनी आवश्यकता के तेल आमतौर पर ब्राजील, मलेशिया, इण्डोनेशिया, कनाडा और यूरोप से लेता है।

उर्वरकों की मूल्य-वृद्धि का प्रभाव

2359. **डी०एम० पुत्ते गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की मूल्य वृद्धि का प्रभाव बड़े किसानों की अपेक्षा छोटे और सीमांत किसानों पर अधिक पड़ता है ; और

(ख) छोटे किसानों को सस्ती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जून, 1980 और जुलाई, 1981 में उर्वरकों के मूल्यों में हुई वृद्धि के बावजूद, देश में उर्वरकों की कुल खपत बढ़ी है जो सरकार द्वारा उठाये गए अनेकों कदमों का परिणाम है, जैसे फसलों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि करना, उर्वरकों को रेल.शीर्षों तक पहुंचाने की बजाए सरकारी खर्चे पर खड मुख्यालयों तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना, 15-8-1981 से वितरण पर मिलने वाले लाभ में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि करना और अल्पावधि ऋणों में वृद्धि करना। किसानों की विभिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत, पोटाशयुक्त और फास्फेटयुक्त उर्वरकों पर छोटे और सीमांत किसानों को क्रमशः 25 प्रतिशत और 33-1/3 की दर पर राज सहायता देने का प्रावधान है।

हेतावने सिंचाई परियोजजना

2360. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हेतावने सिंचाई परियोजना (जिला रायगढ़, महाराष्ट्र राज्य) की मूल योजना के विशेष संदर्भ में इसकी कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा स्थिति सुधारने के लिये सरकार की कार्यवाही/निदेश क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) हेतवाने सिंचाई परियोजना की रिपोर्ट तकनीकी परीक्षण एवं योजना आयोग की स्वीकृति के लिए महाराष्ट्र सरकार से जुलाई, 1981 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। आयोग की टिप्पणियाँ राज्य सरकार को जनवरी, 1982 में भेज दी गई थीं, जिनके उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है। इस परियोजना को अभी तक योजना आयोग द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है।

तथापि, राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना को अपनी छठी योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित कर लिया गया है।

भरतपुर पक्षी बिहार में साइबेरियाई सारस

2361. **श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भरतपुर पक्षी बिहार में अब भी साइबेरियाई सारस प्रति वर्ष आते हैं जो विश्व की तेजी से समाप्त होने वाली एक नस्ल है ;

(ख) क्या यह सच है कि साइबेरिया, मंगोलिया, काजीकिस्तान, लद्दाख, तिब्बत और चीन से प्रतिवर्ष पक्षी आते हैं ;

(ग) क्या पक्षी प्रेमी तथा विशेषज्ञ को यह भय है कि अप्रैल में जब मथुरा तेल शोधक कारखाना चालू हो जायेगा तो उसे छोड़े जाने वाला सल्फाडायोक्साइड पक्षियों के लिये खतरनाक होगा तथा उसके कारण पक्षी यह स्थान छोड़ जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पक्षी बिहार पर पड़ने वाले प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन करने का कार्य श्री सलीम अली जैसे विशेषज्ञों को सौंपेगी तथा सुझाव मानेगी और यदि हां तो ऐसा कब किया जायेगा और इस बीच प्रदूषण की दर कम रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिमी चीन, केन्द्रीय और पश्चिमी साइबेरिया और काजीकिस्तान से जल पक्षी प्रतिवर्ष भरतपुर आते हैं। मंगोलिया और पूर्वी साइबेरिया से पक्षी प्रायः पूर्वी भारत में आते हैं।

(ग) और (घ) कुछ विशेषज्ञों को यह भय है कि मथुरा तेल शोधक कारखाने से छोड़े जाने वाले सल्फरडायोक्साइड के प्रदूषण से भरतपुर राष्ट्रीय पार्क के पक्षियों पर बुरा असर पड़ेगा। तथापि, वायु प्रदूषण को रोकने के लिये मथुरा तेल शोधक कारखाने में सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है। विशेषज्ञों ने बताया है कि आगरा स्थित तेल शोधक कारखाने से सल्फरडायोक्साइड का असर भरतपुर में नगण्य होगा। तथापि, भरतपुर में एक प्रबोधन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है और अगर उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे तो उसके अध्ययन किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा :

वर्ष 1981 तक राज्यवार, पेय जल की व्यवस्था किये गए गांव

2362. **श्री मति लाल हसवा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के अन्त तक कितने गांवों में अब तक पेय जल की व्यवस्था की गई है, उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) कितने गांवों में पेय जल की व्यवस्था की जानी है और कब तक; तथा उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राज्यों को 1981 तक कुल कितनी राशि आबंटित की गई, अब तक कितनी राशि दी गई, उसका राज्यवार ब्यौर क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) पेय जलपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य योजनाओं में दी गई विधियों से इन योजनाओं को बनाती तथा कार्यान्वित करती हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल मुहैया करने के लिए उनके संसाधनों की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता देती है। जहां जलपूर्ति के संसाधन आसानी से उपलब्ध नहीं है अथवा जहाँ जल संसाधन सुरक्षित नहीं है। 1971 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 5.76 लाख ग्राम थे जिनमें से लगभग 2.31 लाख ग्राम राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार 1-4-1980 को प्राथमिकता आधार पर जलपूर्ति सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शेष रहे थे। 2.31 लाख ग्रामों की इस संख्या में से वर्ष 1980-81 के दौरान 25,978 ग्रामों को पेय जलपूर्ति मुहैया कराई गई थी। राज्यवार आंकड़े संलग्न है (अनुलग्नक-I)। [ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 3501/82

(ख) छठी योजना के दौरान, वर्षभर स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के कम से कम एक संसाधन सहित चयनित सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लेने का प्रयास किया जाएगा। राज्यवार आंकड़े संलग्न हैं (अनुलग्नक-II) ग्रथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 3501/82)।

(ग) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उन वर्षों के दौरान जिनमें केन्द्रीय कार्यक्रम चालू था तथा 1980-81 तक राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है (अनुलग्नक-III)। [ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 3501/82]

कृषि सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम

236. **डा० कृपा सिंधु भोई** :

श्री निहाल सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने यह मत व्यक्त किया है कि यदि भारत को औसत कृषि उपज को विकसित देशों की उपज से तुलना करने लायक बनाना है, तो लाखों छोटे और सीमान्त किसानों के लिए कृषि को एक ऐसा संयुक्त उद्यम बनाया जाना चाहिए, जिसका एक पक्ष सरकार हो;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस दिशा में क्या उपाय करने का विचार किया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि सम्बन्धी अनेक विविध सेवाओं को न्यूनतम लागत पर किसाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उठाने का है, जो इस प्रयोजन के लिए अत्यन्त आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) सरकार को इस सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान के निदेशक से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) सरकार समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम समूचे देश में पहले से ही चला रही है ताकि लघु और सीमान्त किसान कृषि आदानों पर 25 प्रतिशत और 33/1/3 प्रतिशत की दर से राज सहायता का लाभ उठा सके और फार्म प्रबन्ध कार्यप्रणाली शुरु कर सकें। यह राशि प्रति लाभानुभोगी अधिक से अधिक 3000 रुपये होगी। सामुदायिक निर्माण कार्यों के लिये लाभानुभोगी को उसकी भागीदारी के अनुसार स्वीकृत कार्य की पूंजी गत लागत पर 50 प्रतिशत राज सहायता दी जाती है। कुछ राज्यों में भूमि सुधार के लिए राष्ट्रीय प्रदर्शन और अन्य अनुसंधान परियोजनाओं में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा शुरु किये गये विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के उपरोक्त वर्ग को विशेष राज सहायता मुहैय्या की गई है।

लघु और सीमान्त कृषकों द्वारा भंडारण खत्तियों की खरीद के लिये समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी राज सहायता उपलब्ध होती है।

सरकार विशेषकर लघु तथा सीमान्त किसानों को लघु उन्नत उपकरणों, हाथ के औजारों और मशीन सम्बन्धी भाड़ा सेवा उपलब्ध कराने के लिए तथा लघु तथा सीमांत लघु किसानों के बीच उनके अपने उपयोग के लिए इन वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने हेतु कृषक कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी एक योजना पर विचार कर रही है।

लाडो की सराय दिल्ली में वाटरवर्क्स

2364. **श्री निहाल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के जल आपूर्ति विभाग ने लाडो की सराय (भूली भटियारी) 32 लाख रुपये की लागत से एक वाटरवर्क्स बनाया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वाटरवर्क्स के लिए 15 लाख रुपये मूल्य की मशीनरी खरीदी गई थी और कोई यह नहीं जानता कि यह मशीनरी कहां गई और इस भवन में एक कार्यालय खोल दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कब और किसके पर्यवेक्षण में यह वाटरवर्क्स बनाया गया और क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) : दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि 1965-66 में आपपत काल के दौरान सरकार ने जल पूर्ति के लिए आपातिक कार्यों को आरम्भ करने के

लिए 25 लाख रुपये का ऋण मन्जूर किया था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ भूली-भटियारी में 5 एम. जो. डी. क्षमता के स्लो सैण्ड फिल्टर्स का निर्माण शामिल था। इस बात पर विचार किया गया था कि उद्यान प्रयोजनों के लिए भुलोभटियारी में जल शोधन तालाब के लिए जो कच्चा पानी यमुना नदी से खींचा जा रहा था उसे आगे और स्लो सैण्ड फिल्टर्स में शोधित किया जाएगा दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान की समिति ने स्लो सैण्ड फिल्टर्स के सिविल कार्यों को एन. पी, सी. सी. को सौंपा जिसे 11.44 लाख रुपये की लागत से तैयार किया गया। विद्युत और मकैनिक उपकरणों की पूर्ति तथा स्थापना का कार्य 208, 137 रुपये की लागत से सौंपा गया था। इस योजना के लिए स्लूस बल्बों और अन्य विशेष वस्तुएं 0.82 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई थी। भूमि तथा विकास अधिकारी ने 9540-रुपए और वार्षिक किराए की लागत से 1,923 एकड़ नाप की भूमि दिल्ली जल प्रदाय तथामल व्ययन संस्थान को अन्तरित की स्लो सैण्ड फिल्टर का निर्माण किया गया परन्तु उन्हें उपयोग म भी लाया गया क्योंकि इनके उपयोग के लिए कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। तत्पश्चात बजीरा बाद, हैदरपुर में शोधन संयन्त्रों तथा आर. सी. सी. कुओं और नलकूपों का निर्माण किया गया जिन्हें पानी के वैकल्पिक श्रोतों के रूप में रखा गया। फल पुर्जों को हटा दिया गया है और स्टाक में रख दिया गया है और अधिकांश उपकरणों को अन्य संयन्त्रों में उपयोग में लाया गया है। इस पम्प हाउस को एक कार्यालय में बदल दिया गया हैं। क्योंकि कोई अनियमितता नहीं हुई थी इसलिए अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में वनस्पति घी की खपत

2365. **श्री शिवशरण वर्मा :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वनस्पति घी की कुल कितनी खपत है ; डी. सी. एम. केमिकल्स द्वारा कितने घी का उत्पादन किया जाता है और गणेश फूलोर मिल्स द्वारा कितने का तथा उनक द्वारा पड़ौसी राज्यों को कितना निर्यात किया जाता है ;

(ख) क्या जब तक राजधानी की आवश्यकता पूरी न हो जाए तब तक दिल्ली में वनस्पति घी के निर्यात पर पूर्ण रोक लगाने का विचार है ;

(ग) स्थानीय बाजारों में बिक्री हेतु रेपसीड तथा पाम तेल कितनी मात्रा में सप्लाई किया जाता है ; क्या यह आम आदमी को मिला या इसे काले बाजार में बेच दिया गया और क्या उपभोक्ताओं द्वारा इसे पसन्द किया जाता है या सरसों के तेल आदि में मिलाने के लिए काम में लाया जाता है ; और

(घ) दिल्ली में वनस्पति घी की कमी के मुख्य कारण क्या है और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा आम आदमी को शोषण से बचाने के लिए किन ठोस कदमों पर विचार किया गया है/ उठाये गये हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) वनस्पति घी की मांग सीधी खपत के लिए इस्तेताल किए जाने वाले देशी तेलों के मूल्य तथा

इनकी उपलभ्यता के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है । इसलिए, दिल्ली में वनस्पति घी की कुल सामान्य खपत का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है । अक्तूबर, 1981 और जनवरी, 1982 के बीच दिल्ली में हुआ वनस्पति का उत्पादन और दिल्ली से बाहर भेजी गई इसकी मात्रा निम्न प्रकार है :-

	वनस्पति का उत्पादन		अन्य राज्यों को भेजी गई मात्रा	
			(मीटरी टनों में)	
	ग. फ. मि.	डी. सी. एम.	ग. फ. मि.	डी. सी. एम.
अक्तूबर, 81	1634.8	6750.2	—	3260.9
नवम्बर, 81	1834.8	6457.8	1.5	3434.1
दिसम्बर, 81	1939.8	6749.7	—	3669.5
जनवरी, 82	2139.8	5400.0	—	2749.9

(ख) : जी नहीं ।

(ग) : सरकार द्वारा रेपसीड तेल और ताड़ का तेल खुले बाजार में बिक्री के लिए नहीं दिया जाता है । इनकी आपूर्ति उचित दर की दुकानों को की जाती है । दिल्ली प्रशासन को हर माह उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए 200 मीटरी टन आर. बी. डी ताड़ का तेल और 800 मीटरी टन रेपसीड तेल दिया जाता है । सरकार द्वारा प्रबंधित गणेश फलोर मिल्स द्वारा दिल्ली में सुपर बाजारों और सहकारी समितियों के माध्यम से 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के पेकेजों में आर. बी. डी. पामोलीन और रेपसीड तेल की थोड़ी सी मात्रा बेची जाती है ।

(घ) : दिल्ली में बनस्पति घी की उपलभ्यता, कुल मिलाकर संतोषजनक रही है । तथापि अस्थायी स्वरुप की स्थानीय कमियों से इंकार नहीं किया जा सकता । दिल्ली में उपभोक्ताओं को वनस्पति आसानी से मिल सके, इसके लिए दिल्ली प्रशासन ने इसकी सप्लाई व्यवस्थित करने के लिए कुछ उपाय किए हैं, जिनके अनुसार लाइसेंसधारी वनस्पति फुटकर विक्रेता राशन कार्डधारियों को हर पखवाड़े में 5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति नहीं बेच सकेगा । एक किलोग्राम तक वनस्पति उपभोक्ताओं को बिना राशन कार्ड के बेचा जा सकता है ।

उपहार कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के उत्पादों का आयात

2366. **श्री रसीद मसूद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन फ्लड दो के अन्तर्गत दूध के उत्पादों के आयातित उपहार का केवल तरल दूध के लिए या समृद्ध दुग्ध उत्पादों में बदलने हेतु उपयोग किया जा रहा है और इसे प्राप्त करने वाली डेरियों द्वारा इसके वास्तविक उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूध के उत्पादन में पहले वाले आपरेशन फ्लड की असफलता तथा आपरेशन फ्लड—दो की धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए सरकार देश को आयातों से मुक्त रखेगी; और

(ग) क्या उपहार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमानित सप्लाई पर या वाणिज्यिक आयातों के लिए इस वर्ष के दौरान दुग्ध उत्पादों के आयात में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जैसा कि गेहूं के मामले में किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) आपरेशन फ्लड—2 के अन्तर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहारस्वरूप प्राप्त स्कीम दुग्ध चूर्ण, बटर आयल और मक्खन तथा घरेलू तौर अधिप्राप्त स्किम दुग्ध चूर्ण के सम्मिलित लागू स्टाक को निर्मुक्त करने की निर्धारित नीति के अनुसार (जो 1-4-1979 से 31-12-81 तक थी) तरल दुग्ध संयंत्रों की दूध तैयार करने की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात जिंसों को डेरियों द्वारा घी सहित उत्पादकों के निर्माण हेतु भी उपयोग में लाया जा सकता है। और नाममात्र आधार पर इसे शिशु आहार निर्माताओं को भी निर्मुक्त किया जा सकता है। तथापि 1982 के लिए इस नीति को संशोधित किया गया है। और इन जिंसों को अब मुख्य रूप से दूध निर्माण के लिए डेरी संयन्त्रों द्वारा उपयोग में लाया जाएगा। वर्ष 1980-81 के दौरान भारतीय डेरी निगम द्वारा निर्मुक्त जिंसों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र अन्त: अभिकरण प्रतिनिधिमण्डल द्वारा आपरेशन फ्लड—एक परियोजना की समाप्ति पर तैयार की गई परिसमापन मूल्यांकन रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि यद्यपि 1970 और 1980 के दौरान आपरेशन फ्लड—एक के कार्यकलापों के कारण देश में दुग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, किन्तु कुल दुग्ध उत्पादन देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में अभी समर्थ नहीं हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अन्त: अभिकरण प्रतिनिधि मण्डल ने यह विचार इस आधार पर व्यक्त किया है कि परियोजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने पर ध्यान दिया गया था। आपरेशन फ्लड—दो परियोजना के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार-स्वरूप प्राप्त होने वाली जिंसों की मात्रा में से कटौती करने परियोजना के कार्यान्वयन पर असर पड़ेगा।

(ग) स्किम दुग्ध चूर्ण के व्यापारिक आयात का कोई प्रस्ताव नहीं है, किन्तु सरकार ने इस तथ्य की रोशनी में कि चालू वर्ष दूध की कमी वाला वर्ष है, डेरियों को जिंसों की सप्लाई सुनिश्चित करने में आपरेशन फ्लड—दो परियोजना की सहायता करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा की जाने वाली कुल निश्चित सप्लाई में से अग्रिम निकासी के रूप में 1982 के दौरान 1200 मीटरी टन स्किम दुग्ध चूर्ण तथा 4,000 मीटरी टन बटर आयल की अतिरिक्त सप्लाई का अनुरोध किया है।

विवरण

1980-81 के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार स्वरूप प्राप्त स्किम दुग्ध चूर्ण, बटर आयल और मक्खन के स्टाक से तथा घरेलू तौर पर अधिप्राप्त स्किम दुग्ध चूर्ण से दी जाने वाली मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े मीटरी टन में)

	स्किम दुग्ध चूर्ण	बटर आयल	मक्खन
1. महानगरीय डेरियां तथा अन्य डेरी योजनाएं	33481	7748	1503
2. सेना क्रम संगठन	850	...	...
3. शिशु आहार विनिर्माता	1280	...	...
योग	35611	7748	1503

कृषि मन्त्रालय के अधीन कार्य कर रही समितियां, बोर्ड और निगम

2367. श्री राजेशकुमार सिंह क्या : कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी उपक्रमों के भिन्न-भिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए उनके मन्त्रालय के अधीन अब तक गठित समितियां, बोर्डों और निगमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन समितियों, बोर्डों और निगमों के कृत्य क्या है;

(ग) उन समितियों/बोर्डों के सदस्यों के नाम क्या हैं जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं; और

(घ) सदस्य किस आधार पर नियुक्त किये जाते हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) तक :

जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा के गेहूं के कोटे में कमी

2368. श्री अनादिचरण दास : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को मासिक नियतन के आधार पर केन्द्रीय पूल से गेहूं सप्लाई किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य को मार्च 1981 से फरवरी, 1982 तक गेहूं का कितना नियतन मास-वार किया गया है;

(ग) क्या उड़ीसा को गेहूं के नियतन में भारी कमी की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्य की आवश्यकता के अनुसार उड़ीसा को गेहूं के मासिक नियतन में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) : जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के मासिक कोटे को 5000 मी० टन से बढ़ाकर 10,000 मी० टन करने के लिए अनुरोध किया था। मार्च 1982 से इस कोटे को बढ़ाकर 7,000 मी० टन प्रति मास कर दिया गया है। वर्तमान खाद्य स्थिति के संदर्भ में यथा सम्भव गेहूं की अधिक मात्रा बचाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को यह भी सुझाव दिया गया है वे चावल की खपत को बढ़ावा दें। फिलहाल, यह राज्य केन्द्रीय पूल से चावल का कोई भी कोटा नहीं ले रहा है।

विवरण

उड़ीसा राज्य को मार्च, 1981 से फरवरी, 1982 तक किए गए गेहूं के मासवार आवंटन को बताने वाला विवरण

(हजार मी० टन में)

मास	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	रोलर फ्लोर मिल
1981		
मार्च	5.0	7.6
अप्रैल	5.0	7.6
मई	5.0	7.6
जून	5.0	7.6
जुलाई	5.0	7.6
अगस्त	5.0	7.6
सितम्बर	5.0	9.6*

* इसमें त्योहारों के लिए 2.0 हजार मी० टन की मात्रा शामिल है।

1	2	3
अक्टूबर	5.0	7.6
नवम्बर	5.0	7.6
दिसम्बर	5.0	7.6
1982		
जनवरी	5.0	7.6
फरवरी	5.0	7.6

गेहूं फ्लोर-मिल्स

2369. श्री मुल चन्द डागा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान केन्द्रीय पूल के स्टाक से राज्यवार कितनी मात्रा में तथा कितनी रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं वितरित किया गया ;

(ख) गेहूं किन किन शर्तों के अन्तर्गत वितरित किया गया; और

(ग) मिलों को भारतीय खाद्य निगम से वर्ष 1980-81 और 1982-82 के दौरान क्रमश : प्राप्त मैदा, सूजी और आटा किस मूल्य पर बेचा गया ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी):(क) वर्ष : 1980-81 और 1981-82 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा रोलर फ्लोर मिलो को वितरित की गई गेहूं की मात्रा का ब्यौरा विवरण में दिया गया है (राज्यवार)। क्योंकि आगजनी, मुकदमेबाजी, हड़तालों आदि के कारण कुछेक मिलें अपना काम बन्द कर देती हैं, इसलिए जो यूनिट भारतीय खाद्य निगम से गेहूं प्राप्त करते हैं उनकी संख्या वर्ष भर में स्थिर नहीं रहती है। वर्तमान सूचनानुसार, प्रत्येक राज्य में मिलों की सख्या का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(ख) और (ग) फ्लोर मिलों को केन्द्रीय भण्डार से निर्धारित निर्गम मूल्य पर गेहूं सप्लाई किया जाता है। तदुपरान्त राज्य सरकारें गेहूं के पदार्थों के मुल्यों और वितरण पर नियंत्रण रखती हैं। फ्लोर मिलों को दिए जाने वाले मिलिंग मार्जिन में संशोधन करने तक राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे गेहूं के प्रमुख पदार्थों अर्थात केवल मैदा और सूजी के ही मुल्य साविधिक रुप से निर्धारित करे। इनका ब्यौरा विवरण 3 और 4 में दिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम मिलों को गेहूं सप्लाई करने के लिए उनके साथ सामाण्त ठेके भी करता है। इस ठेके में गुण नियंत्रण, तौल, सुपुर्दगी अनुसूची, वित्तीय प्रबन्ध, विवाचन आदि जैसी कार्य-विधिकमदें शामिल होती हैं।

विवरण—1

1980-81 और 1981-82 (अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1982 तक) के दौरान रोलर फ्लोर मिलों को सप्लाई किए गये गेहूं की मात्रा को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश	(जनवरी, 1982 तक)	
आन्ध्र प्रदेश	126.3	84.7
असम	130.2	107.40
बिहार	246.1	149.1
गुजरात	130.8	82.9
हरियाणा	59.3	51.9
हिमाचल प्रदेश	34.4	20.5
जम्मू तथा कश्मीर	92.5	66.4
कर्नाटक	264.8	219.5
केरल	60.3	38.1
मध्य प्रदेश	61.1	54.9
महाराष्ट्र	350.3	311.4
एन० ई० एफ०	49.1	41.5
उड़ीसा	122.5	70.3
पंजाब	174.5	117.4
राजस्थान	30.6	16.7
तमिलनाडू	325.4	277.3
उत्तर प्रदेश	361.0	267.6
पश्चिमी बंगाल	413.5	339.0
दिल्ली	344.5	232.9
गोआ, दमन और दीप	12.2	12.0
चंडीगढ़	17.8	11.0
जोड़	3407.2	2572.5

विवरण—2

देश में भारतीय खाद्य निगम से गेहूं लेने वाली रोलर फ्लोर मिलों की संख्या बताने वाला विवरण

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	रोलर फ्लोर मिलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	14
असम	14
बिहार	21
गुजरात	13
हरियाणा	9
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू और कश्मीर	10
कर्नाटक	33
केरल	6
मध्य प्रदेश	9
महाराष्ट्र	14
मेघालय	1
नागालैण्ड	2
उड़ीसा	13
पंजाब	14
राजस्थान	8
सिक्किम	1
तमिलनाडु	31
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	39
पश्चिमी बंगाल	34
चंडीगढ़	2
दिल्ली	12
गोआ	1
जोड़	305

विवरण—3

130 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं के निर्गम मूल्य के संदर्भ में वर्ष 1980-81 के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मैदा और सूजी के निकासी-मूल्य बताने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	निकासी मूल्य प्रतिक्विंटल (रुपयों में)	
1.	आन्ध्र प्रदेश	187.44	189.81
2.	असम	183.00	180.00
3.	गुजरात	179.00	182.00
4.	हिमाचल प्रदेश	175.00	175.00
5.	कर्नाटक	187.00	188.00
6.	केरल	180.00	178.00
7.	महाराष्ट्र	165.00	165.00
		(90 किलो का प्रति बोरा)	
8.	मध्यप्रदेश	176.00	190.00
9.	माणिपुर	188.00	188.00
10.	नागालैण्ड	196.00	196.00
11.	उड़ीसा	186.00	186.00
12.	पंजाब	175.00	175.00
13.	राजस्थान	170.00	170.00
14.	तमिलनाडु	172.00	173.21
15.	उत्तर प्रदेश	180.00	180.00
16.	पश्चिम बंगाल	182.09	190.00
17.	चण्डीगढ़	175.00	175.00
18.	दिल्ली	175.00	190.00
19.	पाण्डिचेरी	180.00	175.00
		(90 किलो का प्रति बोरा)	

दिवरण — 4

वर्ष 1981-82 के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मैदा और सूजी के निकासी मूल्य बताने वाला विवरण (105/-रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का निर्गम मुल्य)

क्रम सं	राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	निकासी मूल्य प्रति क्विंटल (रुपयों में)	
		मैदा	सूजी
1.	आन्ध्र प्रदेश	223.35	222.34
2.	असम	16.75	212.00
3.	बिहार	212.00	212.00
4.	गुजरात	215.00	215.00
5.	हरियाणा	210.00	205.00
6.	हिमाचल प्रदेश	210.00	210.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	214.30	—
8.	कर्नाटक	210.00	210.00
9.	केरल	243.79	243.79
10	मध्य प्रदेश	207.80	212.70
11	महाराष्ट्र	186.00	194.00
		(90 किलों का प्रति बोरा)	
12	मणिपुर	223.00	216.00
13.	मेघालय	216.75	212.00
14.	नागालैण्ड	216.75	212.10
15.	उड़ीसा	214.00	214.00
16.	पंजाब	200.00	200.00
17.	राजस्थान	208.00	208.00
18.	सिक्किम	210.00	235.00
19.	तमिलनाडु	200.79	187.38
20.	त्रिपुरा	220.00	220.00
21.	उत्तर प्रदेश	221.50	221.50
22.	पश्चिमी बंगाल	203.00	215.00
23.	चंडीगढ़	200.00	200.00
24	दिल्ली	204.00	210.00
25.	गोआ, दमन और दीव	210.00	225.00
26.	पांडीचेरी	216.00	211.00
		(90 किलो के प्रति बोरा का थोक मूल्य)	

फसल बीमा योजना की मुख्य बातें

2370. श्री राम प्रसाद अहिरवार :

श्री सूरज भान :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालो, आलू आदि और फलों को भी फसल बीमा योजना में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है,

(ख) इस समय कितने प्रतिशत किसान इस योजना के अन्तर्गत आते हैं,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के लाभों के बारे में किसानों का क्या अनुभव रहा है ; और

(घ) क्या छोटे किसानों के लिए प्रीमियम की राशि में कमी करने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कुछ राज्यों में आलू तथा दलहन फसलों को पहले से ही फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। मार्गदर्शी फसल बीमा योजना में फलों को शामिल किए जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) इस योजना में शामिल किए गए किसानों की संख्या 1979-80 में 16268, 1980-81 में 23442 तथा 1981.82 (खरीफ मौसम) में 18 08 थी।

(ग) इस योजना से अभी तक प्राप्त हुआ अनुभव इतना सीमित है कि किसानों को इससे पहुंचने वाले लाभों के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तथापि चालू योजना के तहत 1979-80 में 3832 किसानों को क्षतिपूर्ति के रुप में 5.29 लाख रूपए तथा 1980-81 में 2985 किसानों को लगभग 3.27 लाख रुपए दिए गए।

(घ) जी नहीं।

कम जोखिम वाले क्षेत्रों, जहां इस समय यह योजना चल रही है, के लिए प्रीमियम की दर न्यूनतम स्तर पर निर्धारित की गई है अर्थात यह बीमा की गई राशि के 5 प्रतिशत से कअधि नहीं होगी। छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम पर भी 50 प्रतिशत की रियायत दी गई है जिसे भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बराबरी के आधार पर वहन किया जाता है।

स्थायी खर-पतवारों के कारण फसल को हानि

2371. **डा० बसन्त कुमार पण्डित :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि फसल वाली भूमि में स्थायी खर-पतवार के कारण देश की लगभग एक तिहाई फसलों की हानि होती है,

(ख) क्या सरकार ने देश में फसल वाली भूमि में स्थायी खर-पतवार के कारण फसल को होने वाली हानि के कारणों का कभी सर्वेक्षण और जांच की है,

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान (दोनों मौसमों में) इन भूमियों में स्थायी खर-पतवार के कारण फसलों को अनुमानतः कितनी हानि हुई और राज्य-वार धन की अनुमानित हानि के आंकड़े क्या हैं :

(घ) क्या सरकार ने फसलों वाली भूमियों में से स्थायी खर पतवार को समाप्त करने और इस खतरेपर काबू पाने के लिये निःशुल्क अथवा सहायता-प्राप्त दरों पर पतवार-नाशी दवाइयां वितरित करने हेतु कोई द्रुत कार्यक्रम बनाया है,

(ङ.) क्या सरकार ने बंगलौर में 23 नवम्बर, 1981 को हुए 8 वें "एशियन पैसिफिक वीड साइन्स सोसाइटी कान्फरेंस" की रिपोर्ट और निष्कर्षों का अध्ययन किया है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, डा० गौतम द्वारा सम्बोधित किया गया था, और

(च) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) से (घ) स्थलीय तथा जलीय दोनों प्रकार के अनेक बारहमासी खरपतवार होते हैं जो एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते है, जिसमें संस्थयगत भूमि भी शामिल है। नटसेज, कन्स, लान्टाना, इम्पेर्टा पेन्नीसेटुम, ओक्सालिस आदि प्रमुख बारहमासी खरपतवार हैं। जलीय बारहमासी खरपतवारों में जल हायसिन्थ सबसे अधिक खतरनाक हैं। ये खरपतवार देश के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया जिससे यह मूल्यांकन किया जा सके कि इन खरपतवारों से फसलों को कितनी हानि होती है। तथापि कुछ विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत कार्यरत संस्थाओं ने देश के कुछ भागों में पृथक पृथक अध्ययन किये हैं। अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा किये गये इन सर्वेक्षणों से पता चला है कि ऐसे खरपतवारों से उपज में होने वाली हानि 5 प्रतिशत से 48 प्रतिशत तक होती है जो खरपतवार की मात्रा व फसल पर निर्भर करती है।

बारहमासी खरपतवारों के नियंत्रण हेतु खरपतवारनाशियों के लिये राजसहायता देने का सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं हैं। फिर भी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, गेहूं की फसल में फालारिस तथा जंगली जई खरपतवार (वार्षिक) के नियन्त्रण के लिए गेहूं पैदा करने वाले सभी राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ङ.) और(च) 8 वी एशियन पैसिफिक वीड साइन्स सोसाइटी कान्फरेंस की रिपोर्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्राप्त हो गयी है। सम्मेलन की सिफारिशें सामान्य है और खरपतवार विज्ञान के क्षेत्र में भावी अनुसंधान कार्यक्रम तैयार करते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा जा रहा है।

आपरेशन वर्गों के बारे में सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया अध्ययन

2372. श्री जायनल अबेदिन :
श्री गदाधर साहा : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'आपरेशन वर्गा' के बारे में सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन की ओर दिलाया गया है कि लगभग 70 प्रतिशत वर्गादार परिवारों ने अपनी वित्तीय क्षमताओं में वृद्धि के बारे में बताया है और यह भी पाया गया है कि वर्गादार महाजनों तथा जोतदारों जैसे परम्परागत ऋण दाताओं से सौदा करने की बेहतर स्थिति में हैं,

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या सरकार राज्य सरकारों को वर्गादार की दशा सुधारने के लिए सलाह देगी ;

(घ) यदि हाँ, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) उस अध्ययन जिसके अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के 3 गांवों में रिकार्ड किए गए 50 वर्गा परिवारों को लिया गया है, से पता चला है कि "आपरेशन वर्गा" के अन्तर्गत रिकार्ड किए जाने के परिणाम स्वरुप 29 परिवारों (58 प्रतिशत) ने सूचित किया था कि उनकी वित्तीय क्षमताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि 21 परिवारों (42 प्रतिशत) ने कुछ सुधार की सूचना दी थी। अध्ययन से भी पता चला था कि ऋण के संस्थागत स्रोतों में काफी वृद्धि हुई है और रिकार्ड किए गए वर्गादारों (बटाईदारों) के मामले में परम्परागत स्रोतों पर कम निर्भरता रहा है।

(ख) काश्तकारों तथा बटाईदारों को अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जाना भूमि सुधार कानूनों से सम्बन्धित स्वीकृत राष्ट्रीय नीति के अनुकूल है और अन्य कई राज्यों ने भी इस सम्बन्ध में विशेष अभियान शुरू किए हैं।

(ग) व (घ) पंचवर्षीय योजनाओं में यह सिफारिश की गई हैं कि राज्य के काश्तकारी कानूनों में काश्त की सुरक्षा, लगान पर अधिकतम सीमा और काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार दिलाने हेतु व्यवस्था होनी चाहिए। यद्यपि प्रायः सभी राज्य सरकारों के पास काश्त की सुरक्षा तथा अधिकतम लगान की व्यवस्था हेतु कानून है फिर भी, कुछेक राज्य सरकारों (पश्चिम बंगाल सहित) ने स्वामित्व के अधिकार दिलाने के लिए कानून नहीं बनाए हैं।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

कापियों, नियंत्रित कपड़े और खाद्य तेलों के वितरण का अधिग्रहण

2373. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार अगले शैक्षिक वर्ष से कापियों के थोक वितरण को को जनवरी, 1982 से नियंत्रित कपड़े का अपने खुदरा केन्द्रों के माध्यम से वितरण को और इस समय राशन दुकानों पर बेचे जा रहे खाद्य तेलों की बिक्री को दिल्ली नागरिक पूर्ति निगम के वितरण केन्द्रों के माध्यम से वितरित करने हेतु अधिगृहित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो योजना वा ब्यौरा क्या है, इसे कब तक लागू किया जायेगा ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति के शाखा स्टोरों, सुपर बाजार और उसकी शाखाओं को उक्त योजना में शामिल किया जायेगा ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) व (ख) दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम ने अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से कापियों के फुटकर वितरण का कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन दिल्ली प्रशासन ने अभी तक थोक वितरण का कार्य इसे सौंपने के बारे में निर्णय नहीं किया है। नियंत्रित कपड़े के थोक वितरण का 50 प्रतिशत कार्य, जो अगले वित्तीय वर्ष से आरम्भ किया जाना है, भी इस निगम को सौंपा गया है, लेकिन इसकी खुदरा बिक्री निगम के खुदरा बिक्री केन्द्रों के अलावा सहकारी समितियों द्वारा की जाती रहेगी। आयातित खाद्य तेलों के थोक वितरण का कार्य भी निगम को सौंपा गया है, लेनिक इनकी फुटकर बिक्री उचित दर की दुकानों द्वारा की जाती रहेगी, और ये निगम के वितरण केन्द्रो से स्टाक उठायेंगी।

(ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी समिति और सुपर बाजार केवल खुदरा बिक्री केन्द्र हैं और वे उसी रूप में कार्य करते कहेंगे, उन्हें कापियों, नियन्त्रित कपड़े और खाद्य तेलों के थोक व्यापार में नही लगाया जाना है।

वनस्पति घी उद्योग

2374. **श्री रामविलास पासवान :** क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में पृथक-पृथक वनस्पति घी उद्योगों के नाम क्या हैं और वे कितने हैं ;

(ख) प्रत्येक संयंत्र की ऊत्पादन क्षमता क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक उद्योग में गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, वनस्पति घी का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ;

(घ) देश में वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में वनस्पति घी की मांग क्या थी ; और

(ङ.) क्या सरकार ने देश में वनस्पति घी की कमी दूर करने की दृष्टि से इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु इस बीच कोई कार्यवाही की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० ० 3502/82]

(घ) वनस्पति की माँग निम्न प्रकार आंकी गयी है :—

तेल वर्ष	मात्रा लाख मीटरी टनों में
1978-79	6.39
1979-80	6.77
1980-81	7.17
1981-82	7.59

(ङ) वनस्पति की वर्तमान क्षमता उसके उत्पादन तथा मांग से काफी अधिक है।

देश के सभी समस्या मूलक गावों में पेयजल

2375. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :**
श्री मोहन लाल पटेल :
श्री डी० पी० जदेजा :
श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी समस्या मूलक गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक और उनका राज्यवार ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों से यह पता चलता है कि एक अप्रैल 1980 को लगभग 2.31 लाग ऐसे गांव हैं जिन्हें अग्रता के आधार पर जल पूर्ति सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है राज्यवार ब्योरा संलग्न है। छठी पंचवर्षीय याजना के दौरान चुने हुये सभी समस्याग्रस्त गांवों को शुद्ध जल का कम से कम एक सुरक्षित स्रोत, जिसमें वर्षभर पानी रहे, उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जायेगे।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए परिव्ययों को पर्याप्त मात्रा में बढ़ा दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में परिव्यय 2007.11 करोड़ रूपये है जो कि पांचवी

पंचवर्षीय योजना (1974-79) के 429.29 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में काफी अधिक हैं। फरवरी, 1982 में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के दो सम्मेलन भी आयोजित किए गए जिसमें यह संकल्प किया गया था कि सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जलपूर्ति कार्यक्रम को गम्भीरता से तथा लागत प्रभावी ढ़ंग तथा समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाय।

विवरण

31.3.80 की स्थिति के अनुसार चुने हुये शेष समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या जिनमें जल पूर्ति मुहैया की जानी है।

ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समस्याग्रस्त गावों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8206
2.	असम	15743
3.	बिहार	15194
4.	गुजरात	5318
5.	हरियाणा	3440
6.	हिमाचल प्रदेश	7815
7.	जम्मू और कश्मीर	4698
8.	कर्नाटक	15456
9.	केरल	1158
10	मध्य प्रदेश	24944
11.	महाराष्ट्र	12935
12.	मणीपुर	1212
13.	मेघालय	2927
14.	नागालैंड	649
15.	उड़ीसा	23616
16.	पंजाब	1767
17.	राजस्थान	19803
18.	सिक्किम	296

1	2	3
19.	तमिलनाडू	6649
20.	त्रिपुरा	2800
21.	उत्तर प्रदेश	28505
22.	पश्चिम बंगाल	25243
23.	अण्डमान व द्वीप समूह	173
24.	अरुणाचल प्रदेश	1740
25.	चण्डीगढ़	शून्य
26.	दिल्ली	99
27.	दादरा व नगर हवेली	—
28.	गोवा दमन और द्वीप	65
29.	लक्षदीद्वप	—
30.	मिजोरम	214
31.	पाण्डेचेरी	118
	योग	230,784

दक्षिण दिल्ली को गंगा जल की सप्लाई

2376. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी दिल्ली के सभी विदेशियों और वहाँ के निवासियों को गंगा जल उपलब्ध कराने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है; और

(ख) उक्त योजना पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि शाहदरा में 30.7 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई लागत से एक 100 एम. जी. डी. का जल शोधन संयत्र लगाया जा रहा है। इस संयंत्रको अपर गंगा नहर से कच्चा पानी प्राप्त होगा। पानी को पहुंचाने के लिए कन्ड्यूट बिछाने का कार्य इस संस्थान के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम कर रहा है। इस कार्य का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है शोधन एककों के निर्माण और वितरण प्रणाली को बिछाने का कार्य प्रगति पर है। इस संयंत्र को चालू करने की निर्धारित तिथि 1983 है। तथापि इस संयत्र के पहले चरण को पहले ही चालू किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

इस संस्थान ने यह भी बताया है कि यह जल शोधन संयंत्र प्राथमिक रूप से शाहदरा तथा दक्षिण दिल्ली में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए है।

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कर्मचारी संघ, शिमला द्वारा केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन

2377. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कर्मचारी संघ, शिमला से दिनांक 10-6-1978, 9-11-1978, 18-3-1980, 16-8-1980 और 14-2-1980 के ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें क्या मुद्दे उठाये गए हैं;

(ग) कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) दिनांक 10-6-1978, 0-11-1978, 19-3-1980 तथा 14-2-1981 के पांच ज्ञापनों में से दिनांक 10 6-1978 तथा 14-2-1981 के सिर्फ दो ज्ञापन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्राप्त हुए थे। बाकी तीन ज्ञापन परिषद को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्राप्त ज्ञापनों में संस्थान के निदेशक के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गए थे जोकि प्रधानमंत्री के नेशनल साइक्लोन रिलीफ फन्ड्स से एकत्रित निधि का उपयोग, संस्थान की एक महिला कर्मचारी पर शारीरिक रूप में प्रहार तथा निदेशक के रिश्तेदारों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में था।

(ग) तथा (घ) : निदेशक के विरुद्ध लगाये गए आरोपों के द्वारा जांच-पड़ताल वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अनेक अवसरों पर की गई है। इन जांच पड़तालों के द्वारा यह पाया गया कि विभिन्न आरोपों का सबूत नहीं पाया जा सका।

तथापि, निदेशक को यह सलाह दी गई कि वह अपने कर्मचारियों के साथ सम्बन्ध सुधारें तथा युवा विज्ञानियों की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दें।

जब डा० गागाईच की केन्द्रीय आलू अनुसंधान के निदेशक के रूप में सेवा की पहली अवधि समाप्त होने को आई तो यह निर्णय लिया गया कि उन्हें सेवा की दूसरी अवधि देने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उन्हें अनुमति दी गई कि जब तक नियमित पदधारी इस पद नहीं आता, जो अभी विज्ञापित किया गया है, वे निदेशक के पद पर कार्य करते रहें।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि परिषद ने कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की है जैसाकि उपरोक्त ज्ञापनों से स्पष्ट है।

सहकारी विभागों में भ्रष्टाचार

2378. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में कुछ सहकारी विभागों ने करोड़ों रुपये का सरकारी धन का गबन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) : राज्य सरकारें अपने सम्बन्धित सहकारिता विभागों के कार्य निष्पादन से सम्बन्धित हैं। सहकारी समितियां राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार में इस प्रकार की समितियों के लिए जिम्मेदार हैं। सहकारी विभागों में सरकारी धन के गबन का कोई मामला केन्द्रीय सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

दीर्घावधि दूध की नई पद्धति

2379. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (नवम्बर-दिसम्बर, 1961) में प्रदर्शित दीर्घावधि दूध की नई पद्धति के कार्य-निष्पादन की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में डेरी बोर्ड द्वारा अब अधिष्ठापित की जा रही "टेट्रापेक" पद्धति के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि योजना आयोग की आपत्तियों के बावजूद कृषि मंत्रालय के तकनीकी विशेषज्ञों ने खुले रूप से टेंडर मंगाये बिना ही वर्ष 1978 में "टेट्रापेक" के आर्डर दे दिये थे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां. सरकार को दीर्घावधि दूध परिसंस्करण करने वाले उपकरण के कार्य-निष्पादन के बारे में प्रारम्भिक रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं।

(ख) टेट्रापेक पद्धति के साथ तुलना नहीं की गई हैं। तथापि, यह बताया गया है कि नई पद्धति की पूंजीगत लागत समान क्षमता की टेट्रापेक की तुलना में अधिक है।

(ग) सरकार ने सभी आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् टेट्रापेक परियोजना, जिसमें टेट्रापेक मशीनों का आयात करना निहित है, को जुलाई, 1979 में स्वीकृति प्रदान कर दी थी। टेट्रापेक मशीनों का आयात, आपरेशन फ्लड-II के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली का पद्धति अपना कर किया गया था।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष आवास योजना

2380. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांग वर्ष के दौरान पूरे देश में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये विशेष आवास योजनायें मंजूर करने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आवास राज्य का विषय है। राज्य सरकारों को योजना नियतनों के अन्तर्गत आवास के लिए "समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों" के रूप में निधियां दी जाती है वे अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं के लिए निधियाँ उद्दिष्ट करने में स्वतन्त्र हैं।

उत्पादकता वर्ष के दौरान कृषि का विकास

2381. **श्री कमल नाथ :**

श्री मगन भाई बरोट : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादकता वर्ष के दौरान समग्र विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक फसल के लिए कितने लक्ष्य रखे गए हैं और ये कार्यक्रम किन एजेंसियों के जरिए चलाये जायेंगे ;

(ग) प्रगति पर निगरानी रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और इसके लिए कौन-कौन सी फसलों का निर्धारण किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) 1982-83 के सम्बन्ध में फसलवार लक्ष्य नीचे दिये गए :—

फसल	इकाई	1982-83
1. चावल	दस लाख मीटरी टन	58.0
2. गेहूं	,, ,,	39.0
3. मोटे धान्य	,, ,,	31.0
4. कुल धान्य	दस लाख मीटरी टन	128.0

1	2	3	4
	दस लाख मीटरी टन		
5. कुल दलहन	,,	,,	13.5
6. कुल खाद्यान्न	,,	,,	141.5
7. गन्ना	,,	,,	190.5
8. सभी तिलहन	,,	,,	12.0
9. कपास	दस लाख गांठें		8.6
10. पटसन तथा मेस्ता	,,	,,	8.5

उपरोक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों को राज्यवार लक्ष्यों में बांटा गया है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की केन्द्रीय सहायता से मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। 26 तथा 27 फरवरी, 1982 को नई दिल्ली में उत्पादकता वर्ष तथा नए 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में आयोजित किये गए कृषि विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान राज्य सरकारों ने 1982-83 के दौरान तिलहन तथा दलहन उत्पादन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का आश्वासन दिया था। सम्पूर्ण देश के लिए दलहन उत्पादन का संशोधित लक्ष्य 147 लाख मीटरी टन तथा तिलहन उत्पादन का 135 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

(ग) उत्पादकता वर्ष तथा नये 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए कार्यकारी कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर निकट एवं निरन्तर निगरानी रखने के लिए इस विभाग में एक प्रबोधन कक्ष की स्थापना की गई है। यह कक्ष राज्य सरकारों/क्रियान्वयन एजेंसियों से मासिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि समस्याओं तथा समय-समय पर आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए समय पर कदम उठाए जाएं। इस विभाग के विभिन्न प्रभाग अपने सम्बद्ध क्षेत्रों के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की पाक्षिक आधार पर समीक्षा कर रहे हैं। मासिक आधार पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय कृषि, ग्रामीण विकास तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालयों/विभागों के सचिवों की समिति द्वारा भी कार्यकारी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा मासिक आधार पर की जा रही है। इसके अलावा, कार्यकारी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रबोधन के लिए कृषि, ग्रामीण विकास तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री अपने अधीनस्थ मंत्रालयों/विभागों के सचिवों की मासिक बैठकें भी बुला रहे हैं। इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र-अधिकारी का पदनाम दिया गया है और उन्हें विभिन्न राज्यों का दायित्व सौंपा गया है। वे राज्य के दौरे के दौरान इन दोनों कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य सरकारों को सहायता दे रहे हैं। 1981-82 के दौरान राज्यों के दलों के साथ छः क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। ये बैठकें प्रगति तथा समस्या की समीक्षा करने तथा उपचारात्मक उपाय करने के लिए सुझाव देने में काफी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। उत्पादकता वर्ष तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यकारी

कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1982 के दौरान विशेष क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की जाएंगी ।

(घ) मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में 1982-83 के लिए फसल उत्पादन के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

फसल	इकाई	1982-83
चावल	हजार मीटरी टन	4100
गेहूं	,,	3600
कुल धान्य	,,	10825
कुल दलहन	,,	2500
कुल खाद्यान्न	,,	13325
गन्ना	,,	2620
तिलहन	,,	1390
सोयाबीन*	,,	550
कपास	हजार गांठें	320

*तिलहन में शामिल किया गया है ।

कृषि उत्पादस बढ़ाने के उपायों में ये शामिल हैं :—समुदायिक नर्सरियों तथा मिनीकिट प्रदर्शन कार्यक्रमों का विस्तार करना, अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशिओं का अधिक उपयोग करना, उन्नत फार्म उपकरणों को लोकप्रिय बनाना एवं उनका वितरण करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि ऋणों की अधिक सप्लाई करना, कृषि उत्पादों आदि के भण्डारण, परिसंस्करण एवं विपणन के लिए अब संख्या को सुदृढ़ करना आदि ।

"शार्ट ड्यूरेशन वैराटइीज आफ पल्सेज" शीर्षक समाचार

2382. श्री के० ए० राजन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दालों की अल्पावधि किस्मों के बारे में दिनांक 2 जनवरी, 1982 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दावों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि गत दस वर्षों के दौरान उत्पादन में कमी हुई है और यदि हां, तो गत दस वर्षों में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अब तक प्राप्त अधिकतम अनुकूल स्थितियों के अन्तर्गत सर्वाधिक उत्पादन की तुलना में किन्हीं नई किस्मों से अधिक उत्पादन मिलने की सम्भावना है ; और

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा रिलीज की गई छः भूसीरहित (हस्लकलेस) किस्यों का उत्पादन और शामिल किया गया क्षेत्र क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) पिछले 10 वर्षों के दौरान दालों की उपज में पर्याप्त रूप में कमी नहीं आई है बल्कि यह उपज 500 किलो० प्रति हैक्टर के आस पास अस्थिर रही है। 1968-69 में, राष्ट्रीय औसत उत्पादकता 490 किलो०/हैक्टर थी जो 1978-79 में सीमान्त रूप में बढ़कर 517 किलो०/हैक्टर हो गयी। पिछले 10 वर्षों के क्षेत्र, पैदावार और उत्पादन का विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

वर्ष	क्षेत्र (हजार हैक्टर)	उत्पादन (हजार मीटरिक टन	पैदावार किलो०/हैक्टर
1968-69	21,264	10,418	490
1969-70	22,023	11,691	531
1970 71	22,534	11,818	524
1971-72	22,151	11,094	501
1971-73	20 915	9,907	474
1973-74	23,427	10-008	427
1974-75	22,024	10,014	455
1975-76	24,454	13,039	533
1976-77	22,983	11,361	494
1977-78	23,497	11,973	510
1978-79	23,549	12,170	517

(ग) दाल की विभिन्न उन्नत किस्मों के विकास के प्रयास किये जा रहे हैं जो अनुकूलतम अवस्थाओं के अन्तर्गत पुरानी किस्मो से प्राप्त होने वाली अधिकतम पैदावार से भी अधिक पैदावार देती है। तोय कृषि अनुसंधान शाला में किये गये आरंभिक परीक्षणों से पता चला है कि चना और अरहर की नई किस्मों से सबसे अधिक उपज क्रमशः 38 क्विंटल/हैक्टर और 25 क्विंटल/प्रति हैक्टर है जबकि इनका संगत राष्ट्रीय औसत 7.41 और 7.19 क्विंटल हैक्टर है। अभी भी अधिक उपज वाली रोग रोधी किस्मों को विकसित करने के लिए दालों के अनुसंधान प्राप्त हुई कार्यक्रम में तेजी लायी गई है।

(घ) अखिल भारतीय समन्वित जो सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत, अनेक भूमीरहित किस्में जैसे-करन-3, करन-4, करन/8, करन-19, करन-164 और करन-287 विकसित की गयी हैं। इनमें जौ की दो किस्मों अर्थात् करन-18 और करन-19 को सितम्बर, 1981 में आयोजित अखिल भारतीय जौ अनुसंधान कार्यकर्ताओं के वर्कशाप द्वारा आशा जनक घोषित किया गया है। ये किस्में सिन्धु-गंगा के मैदानों में सिंचित अवस्थाओं के अन्तर्गत ठीक समय पर बुआई करने के लिए उपयुक्त पाई गयी हैं। इन किस्मों ने प्रायोगिक परिक्षणों में 35-45 क्विंटल प्रति हैक्टर पैदावार दी है। बड़े पैमाने पर उगाने से पहले, इन किस्मों का किसानों के खेतों पर बड़े पैमाने पर परीक्षण करना होगा और केन्द्रीय किस्म रिलीज उप- समिति द्वारा भी इन्हें अनुमोदित करना होगा।

छोटे और सीमांत किसानों का सर्वेक्षण

2383. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने छोटे और सीमांत किसानों की स्थितियों की के बारे में कोई राज्यवार सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब किया गया था और छोटे तथा सीमांत किसानों की समस्याएं क्या हैं जैसी कि वे राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा बताई गई हैं ; और

(ग) उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग की अन्तरिम रिपोर्टों तथा इसकी अन्तिम रिपोर्ट में छोटे एवं सीमांत किसानों के विकास की समस्या के बारे में विचार किया गया हैं। इसने समय-समय पर विभिन्न राज्यों तथा संस्थानों को प्रश्नावलियां भेजी थीं ताकि वह अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए अपनी विभिन्न रिपोर्टों में छोटे एवंसीमांत किसानों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तथापि, आयोग ने छोंटे एवं सीमांत किसानों की स्थिति के संबंध में कोई राज्यवार सर्वेक्षण रिपोर्ट नही निकाली थी।

आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित सीमांत किसानों की समस्याएं फसलों की खेती के विकास तथा अन्य गौण व्यवसायों के लिए ऋण एवं अन्य आदानों की उपलब्धि एवं उनको सप्लाई से सबंधित हैं, ताकि वे अपनी आय बढ़ा सके।

(ग) आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में चुनींदा क्षेत्रों में मिश्रित लघु कृषक विकास एजेंसियों का गठन किया गया तथा लघु एवं सीमांत किसानों के आर्थिक विकास में सहायता करने के लिए इन्हें मजबूत बढ़ाया गया। इस कार्यक्रम के तहत, सीमांत किसानों को व्यक्तिगत कार्यक्रमो के लिए 33 1/3 प्रतिशत की उच्च दर से राज-सहायता तथा ग्रुप समुदायिक परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत की दर से राज-सहायता प्रदान की गई थी।

समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, जिसमें 2 अक्टूबर, 1980 से लघु कृषक विकास एजेंन्सी को मिला दिया गया था, अब समूचे देश में चल रहा हैं और इसमें ऋण, राज-सहायता,आदानों की सप्लाई तथा अवसंरचनात्मक सहायता के जरिए उपयुक्त आर्थिक कार्य-कलापों के विकास में कमजोर वर्गों, जिसमें सीमांत किसान भी शामिल हैं, को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है, ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें।

विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत सीतापुर जिले में नलकूप लगाना

2384. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सिंचाई सुविधाओं के लिये विश्व विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत सीतापुर जिले (उत्तर प्रदेश में राज्य के नलकूप लगाने संबंधी जानकारी है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक आश्वासन भी दिया गया था ;

(ख) यदि हाँ ,तो विश्व बैंक से राज्य के नलकूपों को लगाने की योजना में सीतापुर को शामिल न करने के विस्तृत कारण क्या है ; और

(ग) क्या सरकार इस योजना में सीतापुर को शामिल करने के बारे में आश्वासन देगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउ रहमान अंसारी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) : विश्व बैंक की सहायता से 500 नलकूपों के निर्माण के लिए पायलट परियोजना (चरण-I) में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के पश्चिमी, मध्यवर्ती तथा पूर्वी क्षेत्रों में, प्रत्येक में 4 प्रतिनिधि जिलों का चयन किया है, जिनमे सीतापुर शामिल नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने परियोजना के चरण-II में शामिल किए गए जिलों में जिसे विश्व बैंक की सहायता के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, अब सीतापुर जिले को भी शामिल कर लिया है।

अपर, सकरी' जलाशय परियोजना

2385. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर ,सकरी' जलाशय परियोजना गिरिडीह-हजारीबाग जिले में निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए इसके द्वारा सिंचित किये जाने वाले बिहार के नवादा, मुंगेर और नालंदा जिलों से कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर सियार गाँव के निकट एक स्थान चयन दिया गया है

(ख) क्या इस परियोजना से किसी लाभ के बजाए हानि होगी क्योकि यह गिरिडीह और हजारीबाग जिले की ग्यारह किलोमीटर सर्वोत्तम कृषि भूमि को डुबो देगी :

(ग) क्या सकरी नदी पर गोविन्दपुर (नवादा) के समीप हैडवर्क के जरिये नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, जहां ग्यारह किलोमीटर लम्बे पर्वतों तथा चटटानों से कटाई कराये जाने के आवश्यक व्यय को रोक कर तथा बिना किसी क्षति के इस पानी को मोड़कर आधी लागत पर एक बांध का निर्माण किया जा सकता है ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस का पुनरीक्षण करेगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउ र हमान अंसारी) : (क) अपर सकरी जलाशय को जोरासिमर गाँव के निकट निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) इस परियोजना से नए क्षेत्रों में 73673 एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था होगी और वर्तमान पौड़ा वीयर स्की में के अन्तर्गत 55703 एकड़ क्षेत्र में सिचाई व्यवस्था दृढ़ होगी तथा इसके अन्तर्गत 6000 एकड़ भूमि (जिसमें 8510 एकड़ कृषि-योग्य भूमि सम्मिलित है) जलमग्न होगा । गिरिडीह और हजारीबाग के जिलों में 8800 एकड़ क्षेत्र जल-मग्न होगा ।

(ग) और (घ) : पौडा वीयर नाम का एक वीयर विद्यमान है, जिससे सिंचाई की जा रही है । इस वीयर को स्कीम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है और इस स्कीम के अन्तर्गत बसंती के स्थान पर अन्य वीयर के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है ।

सिंचाई एक राज्य-विषय है और सिंचाईस्कीमों को तैयार करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता है ।

महाराष्ट्र में ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम

2386. **श्री आर० आर० मोले** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ग्रामीण पुनर्निर्माण के अन्तर्गत कार्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं, और

(ख) शुरू किये जा रहे इन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) समान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रयोजित प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं जिन्हें पिछले दो वर्षों में महाराष्ट्र में कार्यान्वित किया जा रहा है । हांलाकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को महाराष्ट्र के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है फिर भी सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम राज्य के 6 जिलों अर्थात अहमदनगर, शोलापुर, नासिक पुणे, सतारा तथा सांगली में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित वर्ग को किसी समक्ष तथा बैंक ग्राह्य आर्थिक गतिविधि को शुरू करने के लिए उपदान सुलभ किया जाता है । कृषि पशुपालन, लघु सिंचाई कोशकीटपालन, बागवानी, मछलीपालन, लघु कुटीर उद्योग तथा वस्तुत: कोई भी आर्थिक प्रस्ताव जिससे लक्षित परिवारों की आय में वृद्धि होने की संभावना है, की इस कार्यक्रम के माध्मय से की जा सकेगी । सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के मुख्य घटक ये है—भू—सरक्षण, लघु सिंचाई, पशु तथा डेरी विकास वानिकी तथा चारगाह विकास राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

के अन्तर्गत शुरू किए जा रहे निर्माण कार्यों में ये शामिल हैं —भू –संरक्षण, पौधरोपण, सड़कों का निर्माण, माध्यमिक मुख्य नालियों का निर्माण सिंचाई व कमाण्ड क्षेत्र में खेत की नालियों तथा भूमि समतलीकरण आदि, 1979-80, 80-81 तथा 81-82 के दौरान इन कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति को दर्शाने वाले विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3503/82]

दिल्ली में भूमि के मूल्यों में अत्याधिकवृद्धि

2387. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भूमि के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि होने के लिये क्या कारण हैं,

(ख) क्या प्राइवेट कालोनाइजर भूमि के मूल्यों को बढ़ाने के लिये स्थिति का दुरुपयोग करने और गड़बड़ी करने के लिये जिम्मेदार हैं, और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का है ताकि द्रुत नगरीकरण में निवास हेतु कृषि भूमि को बचाया जा सके,

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली में भूमि की कीमतों में वृद्धि सामान्य मुद्रा स्फीति की प्रवृति तथा जनसंख्या में वृद्धि के कारण बढ़ती हुई मांग की तुलना में खरीद के लिये भूमि की कम उपलब्धता जैसे कारणों से है।

(ग) शहरी विकास के लिये भूमि की अनिवार्य आवश्यकताओं के समनुरुप जहाँ भी सम्भव हो कृषि के परिवर्तन को रोकने के सभी प्रयत्न किये जाते हैं।

बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

2388. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन तथ्यों की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम, बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को साल-बीजों को एकत्र करने में इस वर्ष भारी घाटा पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में गहराई से कोई जांच की है,

(ग) क्या यह सच है कि घाटा अभूतपूर्व भ्रष्टाचार से हुआ था।

(घ) क्या इससे निहित स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा साल-बीजों की काला बाजारी किये जाने से आदिवासी लोग प्रभावित होते हैं, और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में कोई जांच समिति नियुक्त करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) (ड.) सरकार को बिहार राज्य विकास निगम लि० द्वारा साल के बीजों को एकत्र करने तथा सेनकी बिक्री में अनियमिततायें बरतने की शिकायत प्राप्त हुई है। उनकी जांच की जा रही है।

शहरी भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1976 का कार्यान्वयन

2389. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी अधिनियम, 1976 को कब लागू किया था ;

(ख) शहरी भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी उपायों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उस अनिश्चय से शहर के उचित विकास को बहुत नुकसान पहुंचा है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 संसद द्वारा 17.2.1976 को बनाया गया था और उसी तारीख से सभी संघ राज्य क्षेत्रों और 11 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में लागू हुआ।

निम्नलिखित 6 राज्यों ने बाद में इस अधिनियम को निम्न प्रकार से अपनाया :—

राज्य	अपनाने की तारीख
असम	25 मार्च, 1976
बिहार	1 अप्रैल, 1976
मध्य प्रदेश	9 सितम्बर, 1976
मणिपुर	12 मार्च, 1976
मेघालय	7 अप्रैल, 1976
राजस्थान	9 मार्च, 1976

(ख) तथा (ग) : इस अधिनियम का कार्यान्वयन विभिन्न कारणों से धीमा हुआ जिसमें भूमि धारकों का न्यायालय का आश्रय लेना शामिल है। तथापि अधिनियम के कार्यान्वयन में व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने, तथा भवन निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के संशोधन के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

देश में सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाना

2390. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरुस्थल विकास अथवा अन्य कार्य म के अन्तर्गतदेश में सड़कों के दोनों किनारों की ओर वृक्ष लगाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में उनके मंत्रालय द्वारा कोई कार्यक्रम शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्षवार इसके लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है, और

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कवार और राज्यवार अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है और चालू वर्ष में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनायन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

उपरि कृष्णा परियोजना के कार्यान्वियन के लिए कर्नाटक से प्राप्त हुआ प्रस्ताव

2391. **श्री के० बी० चौधरी :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तिम रुप से बांध की ऊचाई 1720' करने सहित उपरि कृष्णा परियोजना के चरण-II के कार्यान्वियन के लिए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउ रहमान अंसारी) : (क) जी, हां । केन्द्रीय जल आयोग में अपर कृष्णा, चरण-दो की परियोजना रिपोर्ट कर्नाटक सरकार से फरवरी 1982 में प्राप्त हुई है ।

(ख) परियोजना-प्रस्ताव में विदयुत के विकास की भी परिकल्पना की गई है । केन्द्रीय जल आयोग द्वारा केन्दीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से परियोजना रिपोर्ट की जांच का का कार्य हाथ म लिया गया है

देश में आधुनिक बूचड़खानों की संख्या

2392. **श्री के० राममूर्ति :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने आधुनिक बूचड़खाने हैं तथा देश में मांस के 7, 33,000 टन कुल वार्षिक उत्पादन में से इन बूचड़खानों में मांस का कितना उत्पादन होता है ;

(ख) वर्ष 1985 के अन्त तक देश में मांस की अनुमानित खप्त को जैसा कि योजना आयोग ने अनुमान लगाया है, पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या देश में मांस उद्योग के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में अब तक कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्याकारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) । (क) देश में चार आधुनिक बूचड़खाने हैं और इन बूचड़खानों में प्रति वर्ष 57675 मीटरी टन मांस का उत्पादन किया जाता है ।

(ख) देश में मांस की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें पश्चिम बंगाल, आध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा तथा दिल्ली में आधुनिक बूचड़खानों की स्थापना करने के लिए बधशाला निगमें गठित करने का कार्य भी शामिल हैं । दुर्गापुर तथा पणजी (गोवा) में बूचड़खानों के भवनों के निर्माण और उपकरणों एवं मशीनों को लगाने का कार्य पूरा हो चुका है तथा इनके शीघ्र ही चालू हो जाने की संभावना है । राज्यों को उनकी बधशालाओं को आधुनिक बनाने सुधार करने के लिए भी कहा जा रहा है ।

(ग) भारत सरकार के विपणन एव निरीक्षण निदेशालय ने एक सर्वेक्षण किया था और उसने "भारत में मांस के विपणन संबंधी रिपोर्ट"

"1955 नामक एक प्रकाशन निकाला था । उसमें उसके पश्चात भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा 1978 में मांस और मांस उत्पादनों की निर्यात क्षमता के सम्बन्ध में एक अन्य सर्वेक्षण किया गया ।

समुद्री मत्स्य अनुधान सस्थान द्वारा मोतियों का उत्पादन

2393. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान को औद्यगिक प्रयोग के लिए मोतियों के उत्पादन में उल्लेखनीय सफलता मिली है;

(ख) हमारे भारतीय समुद्र-तट पर इस औद्योगिकी का कहाँ और किन-किन स्थानों पर प्रयोग किया जाएगा; और

(ग) इससे सम्बन्धित कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाकर तमिलनाडु के समुद्री तट के साथ मन्नार की खाड़ी तथा गुजरात के तट के साथ कच्छ की खाड़ी में मोतियों के उत्पादन का कार्य हाथ में लिया जा सकता है ।

(ग) मोती उत्पादन प्रौद्योगिकी में तमिलनाडु, गुजरात, केरल, कर्नाटक, अण्डमान और निकोबार द्वीपों तथा लक्षद्वीप के मत्स्यिकी विभागों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर राज्यों को संस्थान द्वारा यह प्रौद्योगिकी प्रदान की गयी है । तमिलनाडु सरकार का मत्स्यिकी विकास निगम व्यावसायिक प्रायोजना को हाथ में लेने का प्रस्ताव रख रहा है ।

दिल्ली में जमीन के भाव

2394. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जमीन के संशोधित भाव क्या हैं और पूर्व-संशोधित भाव क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा जमीन की कीमतें बढ़ाने के क्या कारण और उद्देश्य है;

(ग) किस कानून के अन्तर्गत यह संशोधन किया गया है और इन भावों में की गई भारी वृद्धि के विरुद्ध अपील करने के लिए किसी नागरिक के लिए क्या रास्ता खुला है; और

(घ) क्या सरकार जमीन के इन भावों का उपयोग, सरकार द्वारा अर्जित भूमि के एवज में किसानों को मुआवजा देने में भी करेगी;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार समय-समय पर भूमि के मूल्य की दरें संशोधित करती है। 1979 में विगत संशोधन, के समय यह निर्णय लिया गया था कि वे मूल्य 2 वर्ष तक अर्थात् 31-3-81 तक वैद्य रहेंगे तत्पश्चात् संशोधन किया जाएगा। दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की नीलामी में प्राप्त हुए मूल्यों के आंकड़ों तथा निजी सौदों का भी विचार करने के बाद संशोधन किया जाता है।

(ग) रिहायसी तथा वाणिज्यिक भूमि की मार्किट दरों की निर्धारित अनुसूची मुख्यत: सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि के प्रशासन के प्रयोजन के लिए है अर्थात् पट्टे पर दी गई सम्पत्तियों के विक्रय पर पट्टे की शर्तों के अनुसार अनर्जित वृद्धि की वसूली हरजाने की वसूली, जिस प्रयोजन के लिए भूमि पट्टे पर दी जाती है के परिवर्तन की स्वीकृति आदि के लिए। चूंकि यह पट्टों के प्रशासनों के प्रयोजनार्थ है अत: किसी संविधि अथवा संशोधन के विरुद्ध याचिका के अन्तर्गत संशोधन का प्रश्न ही नहीं उठता। सामान्यत: पट्टाधिकारी इस बात से अवगत है कि अनर्जित वृद्धि, हरजाना प्रयोजन के परिवर्तन के प्रभार आदि का सरकार का भाग भूमि की चालू दरों पर अदा करना है।

(घ) जिन किसानों की भूमि सरकार द्वारा अर्जित की जाती है उनको मुआवजा सक्षम प्राधिकारणी द्वारा भूमि अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अनुसार निश्चित किया जाता है।

विवरण

वर्ग	रिहायशी		वाणिज्यिक	
	1-4-79 से 31-3-81 तक	1-4-81 से 31-3-83 तक	1-4-79 से 31-3-81 तक	1-4-81 से 31-3-83 तक
	(रुपये प्रति वर्ग मीटर)		(रुपये प्रति वर्ग मीटर)	
वर्ग-1 (कनाट प्लेस)	730	2000	4800	13000

वर्ग-2	720	2000	3600	10500
(कनाट सर्कस, बाराखम्बा रोड, कर्जन रोड, हनुमान रोड, जनपथ विण्डसर प्लेस तक, बेअर्ड रोड, मन्दिर मार्ग इत्यादि)				
वर्ग-3	720	2000	2160	6000
(अजमल खां रोड, खानमार्किट, मिन्टो रोड, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, गोल्फ लिंक, पचकुइयां रोड, डिफेन्स कालोनी, कमला नगर, करोलबाग भगतसिंह मार्किट इत्यादि)				
वर्ग-4	600	1600	1200	4500
(पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी पटेल नगर, राजेन्द्र नगर, लाजपतराय मार्किट, निजामुद्दीन)				
वर्ग-5	480	1200	960	3400
(जंगपुरा एक्सटेन्शन, लाजपत नगर, आजादपुर, जवाहर नगर, माल रोड, रोहतक रोड, अलीपुर रोड, कालकाजी, मालवीय नगर, राजपुर रोड, मलका गंज)				
वर्ग-6	360	1000	720	2000
(अलीगंज, अन्सारी मार्किट, डी० बी० गुप्ता मार्किट, गोखले मार्किट, खुरशीद मार्किट, खन्ना मार्किट, तेलीवाड़ा, विजय नगर, आजाद मार्किट, मोती नगर इत्यादि)				
वर्ग-7	240	800	480	1600
(बस स्टैण्ड एरिया एक्स्टैन्शन, भारत नगर, गुलाबी बाग, किंग्जवे कैम्प, सेवा नगर, रमेश नगर,				

तिमारपुर, इन्दिरा नगर, झील कुरंजा इत्यादि)				
वर्ग-8	120	400	240	800
(नरेला तथा अन्य बाहरी कालोनियां)				

टिप्पणी : 1. (क) वर्ग-1 तथा 2 के लिए वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए मार्किट दर 250 की फर्शी क्षेत्र अनुपात पर आधारित हैं, वर्ग-3 के लिए 150 की फर्शी क्षेत्र अनुपात पर तथा अन्य वर्गों के लिए वर्तमान फर्शी क्षेत्र अनुपात है।

(ख) रिहायशी दरें विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित वर्तमान फर्शी क्षेत्र अनुपात पर आधारित हैं। ये दो फर्शी क्षेत्र अनुपात में कमी या वृद्धि के अनुपात में घटायी या बढ़ायी जायेंगी।

2. जहाँ तक होटल तथा सिनेमा स्थलों का सम्बन्ध है, प्रायेक मामले पर इसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा।

3. 100 वर्ग गज (83.613 वर्ग मीटर) अथवा कम माप के रिहायशी पट्टों के बारे में विक्रय की अनुमति देते समय पट्टा कर्त्ता के अर्जित वृद्धि के भाग की गणना तथा वसूली के प्रयोजन हेतु 1-4-79 से 31-3-81 तक की अवधि के लिए निर्धारित भूमि दरें लागू होंगी।

4. अनुसूची में समविष्ट न किए गए किसी इलाके के लिए तुल्य क्षेत्रों की दरें लागू होंगी।

बारानी खेती से सम्बन्धित अनुसंधान केन्द्र

2395. **श्रीमती माधुरीसिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने अनुसंधान केन्द्र हैं जहाँ बारानी खेती की जाती है; और

(ख) बारानी खेती क्षेत्रों में अन्न और चारे की कौन-कौन सी मुख्य फसलें बोई जाती हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के के अन्तर्गत देश में 23 बारानी अनुसंधान केन्द्र हैं जो बारानी कृषि पर कार्य कर रहे हैं। यह कार्य, अखिल भारतीय समन्वित प्रयोजना से बाहर अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधों के लिए कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा किए जा रहे बारानी कृषि अनुसंधान के अतिरिक्त है।

(ख) मुख्य खाद्यान्न फसलें ये हैं—ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी गेहूं उच्च भूमि में उगाये जाने वाले चावल तथा दालें जैसे चना तथा 'तूर' (अरहर)।

चारे वाली फसलें—ज्वार, बाजरा, सेटेरिया, मक्का तथा लोबिया हैं।

अलमोड़ा, पिथोरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पोढ़ी गढ़वाल, टिहरी और नैनीताल जिलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल करना।

2396. **श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलमोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी और नैनीताल जिलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन जिलों में यह कार्यक्रम कब शुरू हो जायेगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र की पुनरीक्षा करने के लिए गठित कार्य दल ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने की अनुशंसा नहीं की है। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में निर्णय शीघ्र लिये जाने की आशा है।

केरल और हरियाणा में नये विकास खण्ड

2397. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और हरियाणा की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में नए विकास खण्डों के सृजन की इच्छा प्रकट की है और इस सम्बन्ध में आवश्यक स्वीकृति के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्यमंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) केरल सरकार ने अपने राज्य में 7 नये विकास खण्डों के सृजन का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार से कुछ और सूचना मांगी गई है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

हरियाणा सरकार से प्राप्त कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित नहीं है।

रुग्ण चीनी मिलों के प्रबन्ध को सहकारी समितियों को सौंपना

2398. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी मिलों की अधिग्रहण की अवधि समाप्त होने के बाद इनका प्रबन्ध सहकारी चीनी समितियों को सौंपने के प्रश्न की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की आशा हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) सरकार ने संबंधित समितियों को सहकारी चीनी मिलों को वापस करने समेत विभिन्न विकल्पों पर विचार किया है और अधिकार में रखने की अवधि को तीन वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय किया है। इस सम्बन्ध में सभी प्रभावित आठ मिलों के मामले में गजट में अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं ।

एक राज्य से दूसरे राज्य को गायों और बैलों का लाने ले जाने पर रोक या प्रतिबन्ध

2299. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राज्य से दूसरे राज्य को गायों और बैलों के लाने ले जाने पर कोई रोक या प्रतिबन्ध लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिबन्धों का स्वरुप और ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रस्ताव के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार लोगों को होने वाली कठिनाईयों और उनके द्वारा उठाई जाने वाली अनेक आपत्तियों को देखते हुये इस प्रस्ताव को त्यागने के बारे में विचार करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) पशु स्टाक का संरक्षण, बचाव और सुधार तथा पशु रोगों की रोकथाम करना संविधान में राज्य का विषय है। इन उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने पशुओं के लाने ले जाने पर समय समय पर प्रतिबन्ध लगाए है ।

(घ) मूलतः यह राज्य सरकारों का विचारणीय विषय हैं

चीनी का वितरण

2400. **श्री आनन्द पाठक :**
श्री सुबोध सेन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने चीनी का वितरण स्वयं सम्भालना शुरू कर दिया है ।

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं :

(ग) क्या सरकार अन्य राज्यों को चीनी के वितरण का काम सौंपने के बारे में विचार कर रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कब तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) फिलहाल, 15 राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों में फैक्ट्रियों से लेवी चीनी उठाने और उसका वितरण करने का कार्य राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों अथवा उनकी एजेंसियों के द्वारा सीधे किया जाता है। ये राज्य आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपुरा, और उत्तर प्रदेश और केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़, दादरा तथा नगर हवेली, गोआ, दमन औरद्वीप तथा पांडीचेरी हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल फैक्ट्रियों से लेवी चीनी उठाने का कार्य अन्य राज्य सरकारों को सौंपने का कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं है। उपभोक्ताओं को लेवी चीनी का वितरण करने का कार्य राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा किया जा रहा है, न कि केन्द्रीय सरकार द्वारा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से गायब फाइलें

2401. **श्री लहना सिंह तुर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (दिनांक 1-15 फरवरी, 1982 के 'आनलुकर'' समाचार के अनुसार) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कुछ और फाइलें गायब हैं और ड्यूटी में इस तरह की लापरवाही बरतने के लिये उच्च प्रबन्धकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या एक उपयुक्त प्रक्रिया अपनाये जाने के बावजूद ऐसा हुआ है,

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है रिपोर्ट के अनुसार महा-निदेशकों और वैज्ञानिकों के बीच तालमेल पूर्णतः समाप्त हो चुका है ; और

(घ) क्या सरकार प्रशासनिक न्यायाधिकरण या अन्य किसी प्रभावशाली उपचारात्मक तंत्र का गठन करेगी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वह धारणा गलत है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कई फाईलें गायब हैं। दिसम्बर, 19 1 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय की केवल एक फाइल के गायब होने की रिपोर्ट मिली है तथा उस फाइल का पता लगाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अधिकारी की कार से एक ब्रीफकेस की चोरी की गयी जिसमें परिषद की एक फाइल थी तथा इस मामले की रिपोर्ट पुलिस प्राधिकारियों से कर दी गयी है। इसको ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा ड्यूटी में में लापरवाही नहीं दिखाई गई इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) परिषद में एक उपयुक्त प्रक्रिया को विकसित करने तथा उसे अपनाये जाने के बाव-

जूद एक फाइल ही गायब हुई है। इस सम्बन्ध में यह भी बताया जाता है कि परिषद के मुख्यालय में हजारों फाइलें होती हैं जो कि एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में तथा एक प्रभाग से दूसरे प्रभागको सैकड़ों कर्मचारियो द्वारा पहुंचायी जाती हैं । इन प्रक्रियाओं की स्थिति में किसी फाइल का गुम हो जाना केवल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए एक विलक्षण भूल नहीं मानी जा सकती ।

(ग) यह धारणा सही नहीं है वैज्ञानिकों के मध्य आपस में तथा विज्ञानियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के बीच पूरा तालमेल है जो मिल जुलकर एक समर्पित दल के रूप में कार्य करते हैं ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् । परिषद ने पहले से ही संयुक्त कर्मचारी परिषद केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद और शिकायत कक्ष के रूप में आपके कर्मचारियों की शिकायत को दूर करने के लिए एक कारगर सलाहकार तंत्र की स्थापना की है । अतः एक प्रशासनिक अधिकरण के गठन का प्रश्न ही नही उठता ।

गेहूं के वसूली मूल्य का बढ़ाया जाना

2402. **श्री राम सिंह यादव :**

श्री राम विलास पासवान : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों, कीटनाशी दवाओं, बीज, ट्रैक्टरों, डीजल, तेल आदि कृषि आदानों में मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुये गेहूं के वसूली मूल्य बढ़ाने का है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गेहूं की खेती के लिये प्रयोग में आने वाले सभी आदानों के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई हैं तथा सरकार ने गेहूं के मूल्य में कितनी वृद्धि की है ; और

(ग) सरकार गेहूं की वसूली-मूल्य में वृद्धि करने के बारे में किन प्रस्तावों पर विचार कर रही है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार अन्तिम फैसला कब तक ले लेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) सरकार 1981-82 की फसल के लिए गेहूं की वसूली मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। वसूली मूल्य के सम्बन्ध में निर्णय लेते समय सरकार आदानों के मूल्यों में वृद्धि सहित अन्य सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखेगी ।

(ख) कृषि मूल्य आयोग ने 1981-82 की फसल के लिए गेहूं की मूल्य नीति से संबंधित अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में परिवर्तनशील लागत में हुई वृद्धि 31.7 प्रतिशत थी, जिससे 1981-82 में उत्पादन लागत का औसत स्तर 121.98 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। पंजाब के सम्बन्ध में, लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखने के पश्चात 1981-82 के लिए प्रति क्विंटल उत्पादन लागत

128.45 रुपए प्रति क्विंटल निकाली गई थी । 1978-79 की फसल के लिए गेहूं का वसूली मूल्य 115 रुपए प्रति क्विंटल तथा 1980-81 की फसल के लिए 130 रुपए प्रति क्विंटल था । 1981-82के लिए वसूली मूल्य अभी निर्धारित किया जाना है ।

(ग) 142 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वसूली मूल्य निर्धारित करने से सम्बन्धित कृषि मूल्य आयोग के प्रस्ताव तथा राज्य सरकारों, सम्बद्ध आर्थिक मंत्रालयों और योजना आयोग के विचारों पर सरकार विचार कर रही है ।

(घ) सरकार के निर्णय की घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी ।

स्वीकृति के लिए विचाराधीन कन्हर परियोजना

2403. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले की कन्हर परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने में क्या कठिनाईयां हैं, जबकि केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर राज्य स्तर पर काम शुरू हो चुका है,

(ख) क्या परियोजना को स्वीकृति न दिये जाने के कारण इस परियोजना की प्रगति बहुत धीमी है और यह निर्धारित लक्ष्य तक पूरी नहीं हो पायेगी ; और

(ग) यदि हाँ, तो भारत सरकार द्वारा इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कन्हर के जल के बंटवारे के सम्बन्ध में करार पर 20 फरवरी, 1977 को उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और उपर्युक्त करार को दृष्टि में रखकर, परियोजना अब पर पुन: विचार किया जाएगा ।

(ख) और (ग) सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है जो परियोजनाओं के लिए लक्ष्य भी नियत करती है । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को यह सलाह देती रही है कि वे पहले निर्माणधीन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन राशि आवंटित करे तथा उसके बाद ही नई स्कीमों के लिए धनराशि आवंटित करें ।

स्वीकृति के लिए विचाराधीन केरल की सिंचाई परियोजनायें

2404. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित ऐसे सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो केन्द्र की स्वीकृति के लिये विचाराधीन हैं ;

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इनमें से ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं, जिन्हें शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने की आशा है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) तकनीकी संवीक्षा तथा योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त केरल की सिंचाई स्कीमों को, जिसमें जांच की वर्तमान स्थिति दी गई है दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

राज्य सरकार से टिप्पणियों के स्पष्टीकरण/उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात तथा उनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता और लागत संबन्धी प्रभावकारिता के सिद्ध हो जाने पर ही उनकी स्वीकृति के लिए आगे कार्यवाही की जा सकती है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	वर्तमान स्थिति
1.	2.	3.	4.
	बृहद स्कीमें		
1.	चिमोनी	17-10-1978	वन भूमि के सम्बन्ध में, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा फरवरी, 1981 में मांगे गए अद्यतन अनुमान तथा सूचना राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
2.	कक्कदावु	17-9-1974	लाभ लागत अनुपात के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तरोंकी केरल सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने परियोजना के लाभ-लागत अनुपात का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है और समित द्वारा पुन: अध्ययन पूर्ण कर लिए जाने के पश्चात टिप्पणियों के उत्तर भेजे जाएंगे।
3.	इदामल्यार	30-6-1978	जल वैज्ञानिक पहलुओं पर राज्य सरकार से दिसम्बर, 1981 में मांगे गए और स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा की जा रही है।
4.	कारापार कुरियार कुट्टी बहुद्देश्यीय	22.2.1979	जून तथा सितम्बर, 1979 और जनवरी, 1980 में भेजी गई केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां

1	2	3	4
	स्कीम (सिंचाई भाग)		के उत्तरों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है ।
5.	मुक्तापुझा	8.1.1975	योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा 24-7-81 को हुई बैठक में अपनी बैठक में इस परियोजनाको विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारास्वीकृति दिए जाने की शर्त पर, स्वीकार्य पाया गया था ।
6.	केरल भवानी	26.6.72	कावेरी जल के संबन्ध में करार न हो पाने के कारण, लम्बित पड़ी हैं ।
7.	कुटटियाड़ी आवर्धन(बहुद्देश्यीय) स्कीम	2.9·1979	कावेरी के जल के सम्बन्ध में करार न हो पाने के कारण लम्बित पड़ी है ।
	मध्यम स्कीमें		
1.	वामनपुरम्	10.10.1980	संशोधित रिपोर्ट योजना आयोग की सलाहकार समिति के विचाराधीन हैं ।
2.	अट्टाबड़ी	30·8·1971	कावेरी के जल के सम्बन्ध में करार न हो पाने के कारण, लम्बित पड़ी है ।

उड़ीसा में धान की वसूली

2405. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम ने उड़ीसा में चावल और धान की वसूली करने का काम छोड़ दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो राज्य में कौन-सी एजेंसी चावल की वसूली का काम कर रही हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तीन लाख टन के लक्ष्य की तुलना में अभी तक केवल 50,000 टन चावल की वसूली की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई निर्देश दिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) भारत सरकार खाद्यान्नों की मूल्य और वसूली नीति निश्चित करती है लेकिन खाद्यान्नों की वसूली करने के लिए नियुक्त की जाने वाली एजेंसियों से सम्बन्धित ब्यौरे सम्बन्धित राज्य सरकारों

पर छोड़ दिये जाते हैं। चालू मौसम के दौरान, उड़ीसा में सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य नागरिक पूर्ति निगम और प्राइवेट मिल मालिकों और गैर-मिल मालिकों के माध्यम से राज्य सरकार जैसी एजेंसियां चावल की बसूली कर रही हैं। तथापि, भारतीय खाद्य निगम को राज्य में स्थित आधुनिक चावल मिलों की आवश्यकता पूरी करने के लिए धान की वसूली करने की अनुमति दी गई हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने चालू मौसम के दौरान चावल की वसूली के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। राज्य में 22-2-1982 तक लगभग 69 हजार मीटरी टन चावल की वसूली की गई है।

(घ) अन्य राज्यों की भांति, उड़ीसा सरकार को भी परामर्श दिया गया था कि वे राज्य में अपनाई जा रही अनौपचारिक लेवी की बजाय प्रतिशतता के आधार पर मिल लेवी लगाएं। इसी प्रकार उन्हें यह भी परामर्श दिया गया था कि वे भारतीय खाद्य निगम को सीधे मिलों से चावल लेवी लेने की अनुमति प्रदान करें।

वर्ष 1980-81 में कर्नाटक में कम लागत के मकान

2406. **श्री ओस्कर फर्नान्डीज** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में कर्नाटक राज्य में कम लागत के कितने मकानों का निर्माण किया गया ;

(ख) वर्ष 1981-82 की अवधि के दौरान कम लागत के कितने मकानों का निर्माण किया जायेगा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : कर्नाटक राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) कर्नाटक राज्य सरकार को कम लागत के मकान बनाने के लिए कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता नहीं दी गई क्योंकि सभी राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए जिसमें आवास भी शामिल है, केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्यों को "समेकित ऋणों" और "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है जो उनके किसी विशेष योजना या विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती है। तथापि, बागान कर्मचारियो की सहायता प्राप्त आवास योजना की केन्द्रीय क्षेत्र योजना का के अन्तर्गत, 1981-82 के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार को 2.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता ऋण के रूप में दी गई थी।

नई दिल्ली नगरपालिका के विचाराधीन सहायक अध्यापकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे

2407. **श्री जयनारायण रौत** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के कुछ सहायक अध्यापकों ने उक्त नगर पालिका को वर्ष 1980 में कुछ चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे भेजे थे ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे दावों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कुछ दावे नगर पालिका के पास अब भी विचाराधीन हैं ?

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और नई दिल्ली नगर पालिका इन पर कब अपनी स्वीकृति प्रदान करेगी ;

(ङ.) क्या इस सम्बन्ध में कुछ संसद सदस्यों ने वर्ष 1981 में नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र भेजे थे ; और

(च) यदि हाँ, तो क्या नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष ने संसद सदस्यों के पत्रों की प्राप्ति सूचना भेजी है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उन पत्रों पर नई दिल्ली नगर पालिका ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है उनके पास ऐसा कोई दावा निलम्बित नहीं है चूंकि दावेदार ने सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं इसलिए दावों को या तो समाप्त समझा गया है या कतिपय औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए वापिस किया गया है और वे उनसे वापिस प्राप्त नहीं हुए हैं या उनको अनुमेय पाया गया और दावेदार को तदनुसार सूचित किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ.) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि एक संसद सदस्य ने उसके प्रशासक को पत्र लिखा था।

(च) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि पत्र की विधिवत पावती भेजी गई थी।

विवरण

नई दिल्ली नगर पालिका में सहायक अध्यापकों की संख्या जिन्होंने 1980 के दौरान चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए अपने दावे पेश किए।

अनुक्रमांक	नाम	राशि
1.	श्रीमती सुदेश गुलाटी सहायक अध्यापिका	[illegible]

1	2	3
	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल नं० 2, शेरशाह मेस, नई दिल्ली ।	
2.	कुमारी मीना, सहायक अध्यापिका, नगर पालिका माध्यमिक बाल विद्यालय बापू धाम, नई दिल्ली ।	139.36 रुपये
3.	श्रीमती महारानी गुप्ता, सहायक अध्यापिका नगर पालिका प्राथमिक पाठशाला नं० 2, लोधी रोड, नई दिल्ली ।	506.13 रुपये

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग

2408. **श्री इरा अनबरासु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मयूर विहार के फ्लैटों में रेह लग रही है तथा उनका प्लास्टर इन फ्लैटों की आवटंन के एक वर्ष के भीतर ही गिरना शुरू हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, बाजार, डाकघर, पर्याप्त बस सुविधा, बैंक स्कूल आदि की व्यवस्था जैसी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सभी सम्बद्ध विभागों को सूचित करने के लिए समय पर कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रश्न के भाग (क) और (ख) के सम्बन्ध में, इस स्थिति में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : **(क)** दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि डी पी सी लेविल से नीचे दीवारों के कुछ भागों में शोरे के छूटपुट धब्बे है परन्तु इस बात से इन्कार किया है कि शोरे की प्रतिक्रिया के कारण पलस्तर उखड़ना शुरू हो गया है ।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा है कि मयूर विहार कम्प्लेक्स में स्थानीय विपणन केन्द्रों के लिए 2 स्थलों,, 4 सुविधा विपणन केन्द्रों तथा स्कूल समाज सदन, डिस्ट्रिक्ट पार्क आदि को शामिल करके अन्य सामूदायिक सुविधाओं के लिए स्थलों की व्यवस्था है । इसने सूचित किया है कि पाकिट--III में एक विपणन केन्द्र निर्मित किया गया है तथा तीन अन्य विपणन केन्द्र निर्माण के विभिन्न स्तरों में है तथा विपणन केन्द्रों में निवासियों की रोजमर्रा की मांग पूरी करने के लिए डाकघर, बैंक तथा अन्य सुविधाओं के लिए स्थलों की व्यवस्था की गई है ।

महाराष्ट्र में गन्ने की खेती की लागत

2409. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में गन्ने की खेती की लागत में फसल की कटाई, ढुलाई और चीनी उत्पादन की लागत को शामिल करने का है ;

(ख) क्या सरकार ने, गन्ने में चीनी की मात्रा में विविधता तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जहां चीनी कारखाने हैं पेराई मौसम की अवधि में भिन्नता के आधार पर चीनी के लेवी मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजन से महाराष्ट्र को तीन जोन्स में विभाजित करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ग) क्या महाराष्ट्र में चीनी के लेवी मूल्य निर्धारित करते समय कार्यकर पूंजी पर ब्याज और भंडारण प्रभारों को शामिल करने के लिए सरकार सहमत हो गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) महाराष्ट्र और अन्य जोनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए गन्ने के सांविधिक न्युनतम मूल्यों के आधार पर चीनी के निकासी लेवी मूल्यों का हिसाब लगाया जाता है। फैक्ट्री के दरवाजे पर किसी सीमा विशेष तक गन्ने की सुपुर्दगी के लिए ये न्यूनतम मूल्य देय होते हैं। इसलिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में इसी सीमा तक कटाई और परिवहन संबंधी प्रभार शामिल होते हैं।

विशेषज्ञ मूल्य निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त सीमा से अधिक दर पर अतिरिक्त परिवहन लागत की अनुमति भी दी जाती है।

(ख) 1980-81 मौसम में लेवी चीनी के मूल्यों का हिसाब उस उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर लगाया जा रहा है जिसने उद्योग के लागत ढांचे की थी और अपनी रिपोर्ट सरकार को अक्तूबर, 1980 को प्रस्तुत कर दी थी। प्रत्येक जोन के अन्दर लागत रूपरेखा के आधार पर वर्तमान जोनों के उप-जोन बनाने के बारे में यह समिति कोई सन्तोषजनक सिद्धान्त निर्धारित नहीं कर सकी थी। अतः समिति ने वर्तमान 16 जोनों को बरकरार रखने और महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों के लिए एकल जोन रखने की सिफारिश की थी। क्योंकि राज्यों के उप-जोन बनाने के बारे में किसी भी विशेषज्ञ निकाय द्वारा नये सिरे से कोई विचार नही किया गया है, इसलिए सरकार के लिए महाराष्ट्र को जोनों में विभक्त करना सम्भव नहीं हुआ है।

(ग) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज भी, जिसमें चीनी का भण्डारण करने पर ब्याज भी शामिल होता है, सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लेवी चीनी के मूल्य का एक अंश होता है।

औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों के अनुसार कृषि वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण

2410. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को घाटे से बचाने के लिये कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत को

ध्यान में रखते हुये, औद्योगिक उत्पादों के लिए निर्धारित मूल्यों की तरह कृषि उत्पादों के लिये मूल्य निर्धारित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) प्रौद्योगिकी, कार्य प्रणालियों तथा उत्पादन के प्रतिमानों में मूलभूत अन्तर होने के कारण कृषि मूल्यों के निर्धारण की पद्धति ठीक उसी तरह की नहीं है जैसी औद्योगिक उत्पादों की है। तथापि, किसी कृषि जिन्स का अधिप्राप्ति या न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय अन्य सम्बद्ध घटकों सहित, जिसमें कृषि व गैर कृषि क्षेत्रों में व्यापार की शर्तों में होने वाले परिवर्तन भी शामिल हैं, उस जिन्स की उत्पादन लागत का पहले ही ध्यान में रखा जाता है । सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सतत् प्रयास करती है कि किसानों को हानि न होने पाये, बल्कि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन मिले ।

चीनी उपक्रम अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत अधिगृहीत की गई चीनी मिलों का कार्यकरण

2411. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन आठ चीनी कारखानों का कार्यकरण, जिनका चीनी उपक्रम अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिगृहित किया गया था, सही नहीं पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मिलों के कार्यकरण-ब्यौरा उपलब्ध नहीं हैं और क्या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कोई वित्तीय लेखा परीक्षा अथवा छानबीन नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं। सरकार ने जिन आठ चीनी फैक्ट्रियों का प्रबन्ध अपने अधिकार में लिया था उनके कार्यकरण में सुधार हो रहा है ।

(ख) जिस तारीख में उन्हें अधिकार में लिया गया था तब से इन चीनी मिलों के तकनीकी काम-काज और वित्तीय कामकाज संबंधी ब्यौरे उपलब्ध हैं । अधिगृहित की गई इन फैक्ट्रियों के तुलन-पत्रों की औपचारिक लेखा परीक्षा भी शुरू कर दी गई है, लेखा-परीक्षा नियुक्त किये गये हैं और लगभग सभी फैक्ट्रियों में लेखा-परीक्षा कार्य चल रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए सिविल निर्माण कार्य

2412. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1982 में नई दिल्ली में "आयोजित किये जाने वाले नवें एशियाई खेलों क लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य अभिकरणों द्वारा शुरू किये गये विभिन्न सिविल, निर्माण कार्यों में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उनके कार्यों के पूरा होने का निर्धारित कार्यक्रम क्या है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) निम्नलिखित नये स्टेडियम इत्यादि जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जा रहें हैं तथा जिनसे निर्माण और आवास मंत्रालय का सम्बन्ध है, नवम्बर, 1972 में होने वाले एशियाई खेलों के प्रारम्भ होने से काफी पहले पूर्ण हो जायेगा :—

	निर्माण अभिकरण	स्टेडियम का नाम
1.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	1. इन्द्रप्रस्थ एस्टेट नई दिल्ली में इन्डोर स्टेडियम
		2. इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में साईकिल वेलोड्रोम
		3. तुगलकाबाद नई दिल्ली में सूटिंग रेंज
		4. सीरी फोर्ट, नई दिल्ली में एशियाई खेल गांव कम्पलेक्स।
	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	5. लोधी रोड में मुख्य एथलेटिक स्टेडियम।
		6. नेशनल स्टेडियम नवीकरण
		7. होजखास, नई दिल्ली में टेनिस
		8. प्रगति मैदान के राज्यों में नुमाइशी कम्पलेक्स में हाल।

चीनी उद्योग का छितराव और विकास

2413. **श्री एस० ए० डोरई सेबास्तियन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के 315 चीनी कारखानों में से 87 कारखाने उत्तर प्रदेश में हैं और 70 कारखाने महाराष्ट्र में है जिससे देश के दूर दराज के क्षेत्रों में चीनी ले जाने हेतु रेलवे प्रणाली पर अनावश्यक दबाव उत्पन्न हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो देश में चीनी कारखानों में संतुलन छितराव और विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) देश के अन्य भागों में स्थित चीनी कारखानों के आंकड़े क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप-मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) फिलहाल, देश में 324 चीनी फैक्ट्रियां स्थापित है जिनमें उत्तर प्रदेश में 91 फैक्ट्रियां और महाराष्ट्र में 79 चीनी फैक्ट्रिया स्थित हैं गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता के कारण अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछेक राज्यों में अधिक चीनी फैक्ट्रियां स्थित हैं और इसलिए रेल द्वारा अथवा सड़क के रास्ते अधिशेष राज्यों से कमी वाले राज्यों को चीनी भेजने होती हैं ।

(ख) छठी पत्रवर्षीय योजना के दौरान, सरकार ने निर्णय किया है कि नई चीनी फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस केवल उन क्षेत्रों को दिया जाएगा जहां पर प्रस्तावित फैक्ट्री के स्थान के आस पास पहले से ही गन्ने की बहुतायत हैं अथवा सघन क्षेत्र में गन्ने के निकास की अच्छी सम्भाव्यता है, तदनुसार उद्योग मंत्रालय ने अपने 4 जुलाई 1980 के प्रेस नोट द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें देश मे स्थापित चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार संख्या दी गई है ।

विवरण

देश में राज्यवार स्थापित चीनी फैक्ट्रियों की संख्या बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य		स्थापित चीनी फैक्ट्रियों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	...	91
2.	बिहार	...	30
3.	पंजाब	...	8
4.	हरियाणा	...	5
5.	पश्चिमी बंगाल	...	2
6.	असम	...	2
7.	नागालैंड	...	1
8.	राजस्थान	...	3
9.	मध्य प्रदेश	...	7
10.	उड़ीसा	...	3
11.	महाराष्ट्र	...	79

1	2	3	4
12.	गुजरात	...	14
13.	गोआ	...	1
14.	तमिलनाडु	...	22
15.	कर्नाटक	...	23
16.	पांडुचेरी	...	1
17:	आन्ध्र प्रदेश	...	29
18.	केरल	...	3
		जोड़ अखिल भारत :	324

कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयोग

2414. **श्री ए० के० राय :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक कुल कितनी कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रवृति को रोकने के लिये क्या उपाय किये गए हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में राज्यों को कोई निदेश जारी किये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है :

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) भारत सरकार कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाने के बारे में सूचना एकत्र नही करता है ।

(ख) राज्य सरकारी सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का अधिग्रहण करने हेतु सक्षम है इस विषय में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है लेकिन राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है कि नितान्त आवश्यक क्षेत्र का ही अधिग्रहण किया जाए और गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण व्यर्थ में नहीं किया जाए ।

अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल सप्लाई और सफाई व्यवस्था दशाब्दी

2415. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 30 प्रतिशत से भी कम शहरी क्षेत्रों में मलव्ययन तथा अन्य जल निकासी तरीकों की व्यवस्था है और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था एक प्रतिशत भी नहीं है ;

(ख) 30 मार्च 1981 और 31 दिसम्बर 1981 को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में सफाई व्यवस्था के क्षेत्रों के आंकड़े क्या थे ;

(ग) गत तीन वर्षों में अर्थात 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान अलग अलग रूप से इस बारे में क्या सुधार किये गये हैं ;

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल सप्लाई और सफाई व्यवस्था दशाब्दी (1981-90) के अन्तर्गत सरकार का क्या कार्यक्रम है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 31-3-1981 को की गई व्यवस्था	*31-12-1981 को की गई व्यवस्था
नगरीय स्वच्छता 27 प्रतिशत	सूचना उपलब्ध नहीं है।
ग्रामीण स्वच्छता 0-5 प्रतिशत	

(ग) स्वच्छता राज्य का विषय है तथा योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा निष्पादित की जाती है। प्रश्नगत सूचना इस मन्त्रालय में उपलब्ध नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक (1981-91) के दौरान निम्नलिखित लक्ष्यों की सिफारिश की गई है --

नगरीय मल निर्यात तथा स्वच्छता	श्रेणी के नगरी के बारे में जनसंख्या का 100 प्रतिशत तथा श्रेणी ii तथा अन्य नगरों के बारे हैं 50 प्रतिशत की व्यवस्था की जानी है। प्रत्येक राज्य में सम्पूर्ण व्यवस्था मलनिर्यात अथवा निर्यात की सामान्य स्वच्छता प्रणाली के जरिये नगरीय जनसंख्या की 80 प्रतिशत होनी चाहिए।
ग्रामीण स्वच्छता	स्वच्छ शौचालयों से जनसंख्या का 25 प्रतिशत को लाभान्वित किया जाना है।

एशियाड 82 के लिए आरक्षित रखे गए स्ववित्तपोषण योजना के अन्तर्गत बने फ्लैट

2416. **श्री बी० डी० सिंह :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या विभिन्न स्थानों पर इस समय स्ववित्तपोषण योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन फ्लैटों की इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को इनका आबंटन करने के बजाय एशियाड 82 के लिए आरक्षित किए जाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान को अकाल सहायता

2417. **श्री अशोक गहलोत : श्री वृद्धि चन्द्र जैन : श्री कमला मिश्र मधुकर : श्री जयनारायण रति :**

श्री पियूष तिरकी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार ने राज्य के अकाल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 255 करोड़ रुपये की मांग की है ;

* ऊपर दी गई, की गई व्यवस्था की प्रतिशतता के आंकड़े 1981 की प्रक्षेपित जनसंख्या पर आधारित है।

(ख) यदि हां, तो क्या यह मांग सरकार के विचाराधीन है;

(ग) क्या राजस्थान के अकाल प्रभावित क्षेत्रों के सम्बन्ध में केन्द्रीय अध्ययन दल से रिपोर्ट सरकार को मिल गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने राजस्थान के अकाल प्रभावित क्षेत्रों को सहायता देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां, राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए गए अपने ज्ञापन में 255.13 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय दल के दौरे के दौरान 1981-82 के मानसून पश्चात सूखे के दौरान सूखा/राहत उपायों के लिए कुल मांग को बढ़ाकर 268.28 करोड़ रुपये की अतिरिक्त करके 13.28 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की है।

(ख) से (ङ) सूखे से हुए नुकसान का मौके पर जाकर जायजा लेने और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सहायता का अनुमान लगाने के लिए 14 से 17 दिसम्बर, 1981 तक एक केन्द्रीय दल ने राजस्थान का दौरा किया। इस दल की रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1981-82 के दौरान 3953.06 लाख रुपये तथा 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 1982 की अवधि के लिए 1311.92 लाख रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

मद	(लाख रुपये में) 1981-82
1. राहत	5.00
2. पीने का जल/प्याई व्यवस्था का परिवहन	51.00
3. चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के उपाय	15.00
4. पशु संरक्षण तथा भोज तथा पशु चिकित्सा सहित चारे की व्यवस्था/कम प्रोटीन वाले आहार के लिए राज सहायता तथा गोशालाओं के लिए राज सहायता	265.50
5. योजना स्कीमों जैसे सड़कें, सिंचाई	

मद	(लाख रुपये में) 1982-83
और वन लगाना तथा मृदा संरक्षण के कार्यों में तेजी लाकर रोजगार के अवसरों का सृजन	2380.00
6, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कुओं को खोदकर/गहरा करके और उनमें से गाद निकाल कर, सामुदायिक तालाबों का निर्माण करके, ट्रक टैंकों की खरीद करके तथा ग्रामीण तथा शहरी जल आपूर्ति योजनाओं द्वारा पीने के जल की आपूर्ति की व्यवस्था	1000.06
7. चारा उगाने के लिए राज-सहायता, सांडों के लिए राज-सहायता, पशुओं के लिए पाईपों के जरिए जल आपूर्ति	103.50
8. अनुपूरक पोषण कार्यक्रम	75.00
9. छोटे व सीमांत किसानों के लिए कृषि आदानों हेतु राज-सहायता	58.00
1981-82 का योग	3953.06
1. ब्याई व्यवस्था सहित जल परिवहन और आपूर्ति के लिए प्रबन्ध	90.00
2. कुओं को खोदना/गहरा करना और उनमें से गाद निकालना तथा सामुदायिक तालाबों का निर्माण	176.85
3. ग्रामीण तथा शहरी जल आपूर्ति योजना	1045.07
1982-83 का योग	1311.92

सूखे की पुनरावृत्ति को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित दीर्घावधि कार्यक्रमों के लिए वित्तीय व्यवस्था की जा रही है :

सूखा प्रण क्षेत्र कार्यक्रम

इस कार्यक्रम को 13 जिलों अर्थात जैसलमेर, बाड़मेर, अलौरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चुरू, उदयपुर, अजमेर, और झुंझनू में कार्यान्वित किया जा रहा है। 1981-82 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में 692.50 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम

इसमें 11 जिले अर्थात गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चुरु, झुंझनू, जोधपुर, सीकर, जालौर और पाली शामिल हैं। 1981-82 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्सेदारी के तौर पर 496.94 लाख रुपये की राशि का आबंटन किया गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कर्मचारियों को स्थाई किया जाना

2418. **श्री मनीराम बागड़ी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इन अस्थायी कर्मचारियों को कब तक स्थायी किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी गत दस वर्षों से अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उन कारणों का ब्यौरा क्या है जिनकी वजह से उन्हें अब तक स्थायी नहीं बनाया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) न केवल दिल्ली में अपितु देश में अन्य स्थानों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करना एक सतत प्रक्रिया है जो पृथक-पृथक ग्रेडों में स्थाई रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ग) जी, हां।

(घ) कुछ श्रेणियां में यद्यपि स्थाई रिक्तियां उपलब्ध हैं फिर भी वरिष्ठता सूचियों को चुनौती देते हुए न्यायालयों में मामलों के दायर होने के कारण स्थाईकरण नहीं किया जा सका। ऐसे मामलों में केवल न्यायालयों द्वारा मामलों का निर्णय करने के बाद ही आगे की कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

चालू की गई सिंचाई योजनायें

2419. **श्री आर० पी० यादव :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने 14 जनवरी, 198 को राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में कहा "50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) किन-किन राज्यों में और कौन-कौन सी सिंचाई योजनायें इस घोषणा को पूरा करने के लिए चालू की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में कितन सिंचाई क्षमता का विकास किया गया ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) 1975-76 से 1978-79 की अवधि के दौरान सृजित की गई अतिरिक्त क्षमता का राज्यवार ब्यौरा दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है (विवरण)।

(ग) बिहार राज्य में, पिछले तीन वर्षों (1978-79 से 1981-82) के दौरान 6,05,000 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

विवरण

सिंचाई स्कीमों से सृजित अतिरिक्त क्षमता।

(हजार हैक्टेयर)

क्रम सं०	राज्य	(सृजित क्षमता) सतत स्कीमों से	नई स्कीम से	जोड़
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	376	—	376
2.	असम	76	30	106
3.	बिहार	485	10	495
4.	गुजरात	342	10	352
5.	हरियाणा	161	20	181
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
7.	जम्मू व कश्मीर	39	—	39
8.	कर्नाटक	192	20	212
9.	केरल	108	—	108
10.	मध्य प्रदेश	383	—	383
11.	महाराष्ट्र	408	40	448

1	2	3	4	5
12.	मणिपुर	23	5	28
13.	मेघालय	—	—	—
14.	नागालैंड	—	—	—
15.	उड़ीसा	199	10	199
16.	पंजाब	72	—	72
17.	राजस्थान	319	10	329
18.	सिक्किम	—	—	—
19.	तमिलनाडु	13	5	18
20.	त्रिपुरा	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	1422	140	1562
22.	पश्चिमी बंगाल	172	2	174
	जोड़ राज्य	4780	302	5082
	संघ राज्य क्षेत्र	—	—	—
	कुल जोड़	4780	300	5080
	अर्थात:	4780	300	5080

उत्तर प्रदेश में डेरी विकास कार्यक्रम और आपरेशन फ्लड—1 कार्यक्रम की असफलता।

2420. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश डेरी विकास कार्यक्रम असफल रहा है और आपरेशन फ्लड 1 को उत्तर प्रदेश राज्य में केवल सीमित सफलता मिली थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस मामले में क्या कदम सोचे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) डेरी संयन्त्रों की स्थापना करने उनका प्रचालन करने और दूध की सप्लाई को बरकरार रखने तथा डेरी विकास कार्यक्रम के तहत अन्य उपाय करने से सम्बन्धित मामले राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं तथा आपरेशन फ्लड—1 कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए डेरी विकास कार्यक्रमों का उत्तर प्रदेश में अभी कुछ मामलों में अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है।

आपरेशन फ्लड—1 कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में दो फीडर बैलेंसिंग डैरी संयन्त्र स्थापित किए गए हैं जिनमें से एक मेरठ में तथा दूसरा वाराणसी में है। मेरठ स्थित संयन्त्र सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहा है, जबकि वाराणसी में लगाए गए संयन्त्र में अभी अपेक्षित निष्पादन स्तर प्राप्त होना है।

राज्य सरकार ने डेरी विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कुछ समस्याओं तथा बाधाओं का पता लगाया है तथा उसके बारे में रिपोर्ट दी है जो निम्नलिखित है :

(1) ग्राम स्तर पर पर्याप्त सहकारी संरचना की कमी ;

(2) सहकारी समितियों का दोषपूर्ण गठन विशेष रूप से उनके उप-नियम जो उत्पादकोन्मुखी नहीं है ;

(3) डेरी योजनाओं को को ग्रामों में विस्तार कार्यकलापों का सहयोग प्राप्त नहीं है;

(4) निजी दुग्ध व्यापारियों की अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा :

(5) दुधारू गो पशुओं का छिट-पुट वितरण जिससे डेरी यूनिटों के लिए दूध को संगठित रूप से एकत्र करने में सुविधा नहीं होती ; और

(6) डेरी विकास तथा पशु पालन कार्यक्रमों में परस्पर समन्वय में कमी।

इन खामियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं :—

(क) ग्राम स्तर पर सहकारी संरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है और समितियों के उपनियमों को उत्पादकोन्मुखी बनाया गया है।

(ख) जिला दुग्ध यूनियनों को पुनर्गठित एवं सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ग) जिला स्तरीय दुग्ध यूनियनों के कार्यकलापों के बेहतर समन्वय एवं मानकीकरण के उद्देश्य से राज्य की शीर्ष सहकारी निकाय अर्थात् प्रादेशिक सहकारी डेरीसघ को सुदृढ़ किया गया है।

(घ) दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी आदान सप्लाई कार्य को तेज किया गया है।

(ङ) राज्य के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में दूध को लाने ले जाने के लिए 'मिल्क ग्रिड' बनाया गया है।

(च) डेरी विकास कार्यक्रमों के समग्र विकास में बेहतर परिणाम पाने के लिए उन्नत प्रबन्ध तकनीकें आरम्भ की गई हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सिंचाई परियोचनाओं को स्वीकृति

2421. श्री जेनुल बशर : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनायें अनिर्णीत पड़ी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार की निम्नलिखित सिंचाई स्कीमें सिंचाई मन्त्रालय के केन्द्रीय जल आयोग में जांच के लिए लम्बित पड़ी हैं :—

1. मजोर बांध (इलाहाबाद, मिर्जातुर) को ऊंचा उठाना।
2. गंगा बराज (कानपुर, उन्नाव)
3. चिल्लीमल पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि करना।
4. लबेरी बांध परियोजना (झांसी)।
5. पथराई बांध परियोजना (झांसी)।
6. कल्हर सिंचाई स्कीम।
7. किशन बांध (सहारनपुर, मुफ्फर नगर, मेरठ)।
8. लखवर व्यासी परियोजना (मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर)
9. बेगुल जलाशय स्कीम।

राज्य सरकार द्वारा कुछ अन्य सिंचाई स्कीमें भी प्रस्तुत की गई हैं, जिनके बारे में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मांगे गए उत्तरों, स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणियों की उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) परियोजनाओं की स्वीकृति, मुख्यत: परियोजना रिपोर्ट में सम्मिलित ब्यौरों के स्वरूप इन स्कीमों को अन्तिम रूप देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग एवं परियोजनाओं की जांच करने वाले अन्य संगठनों की टिप्पणियों के उत्तर भेजने में राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले समय पर निर्भर करती है।

राज्यों में आवास योजना

2422. **श्री एन० के० शेजबलकर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान विभिन्न राज्यों में आवास सम्बन्धी क्या योजना है और लक्ष्य को पूरा करने के लिए धनराशि का प्रस्तावित आबंटन कितना है। राज्यवार आँकड़े बताये ; और

(ख) गत वर्ष की योजना के आंकड़े क्या थे और इस हेतु कितनी धनराशि आबंटित

की गई और उनमें से कितनी राशि खर्च की जा सकी गत वर्ष के दौरान कितने मकानों का निर्माण किया गया ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आवास राज्य का विषय है। योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों को आवास के लिए भेजे गए अनुमोदित योजना परिव्यों के भीतर, राज्य सरकारें विभिन्न आवास योजनाओं के लिए निधियों का नियतन करने, अग्रताएं निश्चित करने और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र हैं। वर्ष 1981-82 के लिए सभी राज्यों के लिए आवास हेतु योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय का एक विवरण संलग्न है (विवरण)-1

(ख) वर्ष 1980-81 के लिए सभी राज्यों के लिए आवास हेतु योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय का एक विवरण संलग्न है (विवरण)-2

वर्ष 1980-81 के दौरान किया गया खर्च और बनाए गए मकानों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

विवरण-1

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	आवास के लिए अनुमोदित परिव्यय (1981-82)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1580.00
2.	असम	300.00
3.	बिहार	830.00
4.	गुजरात	1616.00
5.	हरियाणा	560,00
6.	हिमाचल प्रदेश	200.00
7.	जम्मू और कश्मीर	310.00
8.	कर्नाटक	2207.00
9.	केरल	1015.00
10.	मध्य प्रदेश	770.00
11.	महाराष्ट्र	2400.00
12.	मणिपुर	70.00
13.	मेघालय	70.00
14.	नागालैण्ड	195.00

क्रम सं०	राज्य का नाम	लाख रुपयों में आवास के लिए अनुमोदित परिव्यय (1980-81)
15.	उड़ीसा	427.00
16.	पंजाब	1000.00
17.	राजस्थान	477.00
18.	सिक्किम	57.00
19.	तमिलनाडु	1712.00
20.	त्रिपुरा	145.00
21.	उत्तर प्रदेश	2532.00
22.	पश्चिमी बंगाल	815.00

विवरण-2

1.	आंध्र प्रदेश	1586.00
2.	असम	197.00
3.	बिहार	782.00
4.	गुजरात	1560.00
5.	हरियाणा	603.00
6.	हिमाचल प्रदेश	190.00
7.	जम्मू और कश्मीर	275.00
8.	कर्नाटक	2345.00
9.	केरल	1013.00
10.	मध्य प्रदेश	614.00
11.	महाराष्ट्र	2324.00
12.	मणिपुर	69.00
13.	मेघालय	75.00
14.	नागालैंड	185.00
15.	उड़ीसा	512.00
16.	पंजाब	989.00

1	2
17. राजस्थान	466.00
18. सिक्किम	54.00
19. तमिलनाडू	1463.00
20. त्रिपुरा	130.00
21. उत्तर प्रदेश	2453.00
22. पश्चिम बंगाल	830.00

समेकित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे तथा मध्यम कस्बों का विकास

2423. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री दौलत राम सारण :

श्री माधव राव सिंधिया : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे तथा मध्यम कस्बों के समेकित विकास के लिए केन्द्र द्वारा आयोजित योजना के क्रियान्वयन में हुई प्रगति के सम्बन्ध में कोई पुनरीक्षा की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ। मेरे मंत्रालय द्वारा आन्तरिक पुनरीक्षा की गई है ।

(ख) इस पुनरीक्षा के आधार पर यह पाया गया है कि योजना के कार्यान्वयन की प्रगति धीमी है । कुछ कारण इस प्रकार हैं :—

(1) इस योजना के अन्तर्गत राज्य और स्थानीय स्तर पर अगर आयोजन नगर विकास और नगर पालिका प्रशासन के लिए अति व्यापी उत्तरदायित्व से आँशिक रूप से उत्पन्न परियोजनाएं बनाने और उनका द्रुतगति से कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक समस्याएं ।

(2) इस योजना के लिए निर्धारित मार्ग-निर्देशकों के अनुसार परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने में त्रुटियां ।

(3) विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने के लिए और वास्तविक निष्पादन, प्रबोधन और समन्वय के लिए राज्य तथा स्थानीय स्तर पर अभिकरणों का पता लगाने में असफलता ।

(4) इस परियोजना के लिए समान प्रावधान और आकस्मिक व्यय के लिए केन्द्रीय

सहायता हस्तान्तरित करने के लिए राज्य और स्थानीय बजट में पर्याप्त प्रावधान बजट प्रावधान करने में असफलता।

(5) भूमि अर्जन में विलम्ब, प्राक्कलनों एव निविदाओं का विलम्ब से स्वीकृति देना सामग्री आदि की आपूर्ति, लागतों में वृद्धि, परियोजना की स्वीकृति के पश्चात् स्थलों में परिवर्तन करना और अन्य क्षेत्रीय स्तर की कठिनाइयां जैसी कार्यान्वयन समस्याएं।

मेरे मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दिसम्बर, 1980 में पत्र भेजे है और तत्पश्चात् उनसे त्वरित परियोजना बनाने और अनुमोदित योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया है। स्थानीय शासन और नगर विकास की केन्द्रीय परिषद् की 18वीं बैठक में विस्तृत रूप में इस मामले पर भी विचार किया गया तथा इस योजना के अन्तर्गत पता लगाये गए शहरों का प्रभावी विकास करने का संकल्प किया गया। फरवरी, 1982 में स्थानीय शासन और नगर विका की केन्द्रीय परिषद् की 19वीं बैठक में इस पर पुन: बल दिया गया। मेरे मंत्रालय के और नगर एवं ग्राम आयोजना संगठन के अधिकारीगण योजना की प्रगति पर विचार-विमर्श करने तथा राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं।

आवासीय मकानों के दुरुपयोग हेतु शुल्क वसूली के लिए भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा बनाये गए मानदण्ड

2424. **श्री सूरज भान :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के आवासीय मकानों का भूमि विकास कार्यालय के साथ हुए पट्टे सम्बन्धी करार के विपरीत व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जाने के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय के भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा दुरुपयोग शुल्क की गणना करने हेतु क्या फार्मूला अपनाया जाता है ;

(ख) क्या भूमि तथा विकास कार्यालय के दिनांक 31 मार्च, 1976 के आदेश संख्या 23/1976 की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे और भूमि विकास कार्यालय द्वारा पट्टे पर दिये गए कितने आवासीय मकानों के बारे मे उपर्युक्त आदेश के खण्ड (8) के अन्तर्गत 1 प्रतिशत दुरुपयोग शुल्क का भुगतान किया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे पट्टे-धारियों के नाम तथा मकानों के पते क्या है; और

(ग) नई दिल्ली में आवासीय मकानों का व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग किये जाने के कितने मामले भूमि विकास अधिकारी की जानकारी मे आये है और कितने मामलों में पट्टेधारियों ने दुरुपयोग शुल्क का भुगतान नही किया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों मे न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप पट्टेधारियों को मकानो में प्रवेश करने से रोका गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) फार्मूला संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सदर्भित कार्यालय आदेश में विभागीय और प्रशासनिक अनुदेश दिये गए हैं और इसे सभा पटल पर रखने का प्रस्ताव नहीं है। पट्टे पर दिये गए उन रिहायशी परिसरों की संख्या के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है, जिनके बारे में पिछले तीन वर्षों के दौरान केवल एक प्रतिशत दुरुपयोग प्रभार वसूल किया गया है, क्योंकि इस तरह के कोई सांख्यिकी आँगड़े नहीं रखे जाते।

(ग) नई दिल्ली में रिहायशी परिसरों के दुरुपयोग के मामलों की संख्या के बारे में जो भूमि तथा विकास अधिकारी के ध्यान में आए थे और उन मामलों की संख्या के बारे में जिनमें दुरुपयोग प्रभार अदा नहीं किये गए हैं, एक अनिश्चित काल तक लगभग 60,000 फाइलों की जांच करना अपेक्षित होगा।

इसी प्रकार उन मामलों की संख्या से सम्बन्धित सूचना जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यायालय के आदेशों के फलस्वरूप पट्टेधारियों को मकान में पुनः प्रवेश करने से भूमि तथा विकास अधिकारी को रोका गया है, लगभग 60,000 फाइलों की जांच करना अपेक्षित होगा। दोनों किस्मों की सूचना को संकलित करने में होने वाला धन प्राप्त किये जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

विवरण

निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार पट्टे की शर्तों का उल्लघंन करके वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए रिहायशी परिसरो के बारे में 1.481 से दुरुपयोग प्रभार वसूल किया जाता है :—

प्लाट का आकार	दुरुपयोग किया गया क्षेत्र घिरा हुआ अनुमेय क्षेत्र×	उस प्रयोजन के लिए भूमि की मौजूदा वाणिज्यिक दर जिसके लिए संपत्ति का दुरुपयोग किया जाता है।	—	जिस प्रयोजन के लिए पिछले अन्तरण की तारीख को भूमि की दर जिस पर भूमि पट्टे पर दी गई।	*12/1/2 प्रतिशत

टिप्पणी : यदि वहां दुरुपयोग के लिए भूमि तथा विकास अधिकारी से नोटिस प्राप्त होने पर दोषी किरायेदारों के विरुद्ध बेदखली के लिए पट्टेदार/भूतपूर्व पट्टेदार मुकदमा करता है और वह ऐसे किरायेदारों को बेदखल करने में सफल होता है, तो एक प्रतिशत प्रभार आंशिक दण्डस्वरुप वसूल किया जाएगा।

दिल्ली में पाम आयल, रेप सीड आयल तथा वनस्पति घी की कमी

2425. **श्री मंगल राय प्रेमी :**

श्री सनत कुमार मण्डल : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पाम आयल, रेप सीड आयल तथा वनस्पति घी की बहुत कम सप्लाई है ;

(ख) क्या जनवरी, 1982 से खुदरा तथा उचित दर दुकानदारों के यहां इन वस्तुओं की बिक्री की गहरी जांच की गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) आर० बी० डी० ताड़ के तेल, परिष्कृत रेपसीड तेल तथा वनस्पति घी को सम्मिलित रूप में लेने पर इनकी समग्र उपलब्धता कुल मिलाकर संतोषजनक हैं। तथापि, अस्थायी किस्म की स्थानीय कमियों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ख) जी हां।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में निर्माण और आवास मंत्रियों का सम्मेलन

2426 : **श्री तारिक अनवर** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल मे दिल्ली में हुए निर्माण और आवास मंत्रियों के सम्मेलन की कार्य सूची में क्या मदें थी ;

(ख) उसमें हुई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है और इस सम्मेलन के क्या क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) राज्य सरकारों को गृह निर्माण परियोजनाओं के लिये क्या-क्या मार्गदर्शी निर्देश दिए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) शहरी विकास तथा स्थानीय स्वायत शासन के लिए केन्द्रीय परिषद की बैठक 4 तथा 5 फरवरी, 1982 को निर्माण और आवास मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई।

इस सम्मेलन में विभिन्न मदों पर (1) नया बीस सूत्री कार्यक्रम (2) गन्दी बस्ती सुधार (3) ग्रामीण आवास-स्तल (4) ग्रामीण जलपूर्ति (5) सामाजिक आवास योजना (6) हुड़को की वित्तीयता सहायता पद्धति (7) अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा सफाई दशक (1981-90

(8) कम लागत पर सफाई (9) छोटे तथा मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास तथा (0) स्थानीय निकायों की संवैधानिक तथा वित्तीय परिस्थिति जैसे विभिन्न मदों पर विचार विमर्श हुआ)।

केन्द्रीय परिषद ने नये 20 सूत्री कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में आवास पेय जल तथा गन्दी बस्ती सुधार के क्षेत्रों के कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया और संकल्प किया कि इन कार्यक्रमों के लक्ष्णों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें। कार्यसूची की विभिन्न मदों पर संकल्प पारित किए गये। यह निर्णय किया गया कि केन्द्रीय समस्याग्रत ग्रामों को पेय जल मूहैता कराने तथा भूमिहीन कामगारों के लिए आवास स्थलों का विकास तथा निर्माण सहायता को बढ़ाने तथा गन्दी बस्तियों के पर्यावणीय सुधार के लिए पर्याप्य परिव्यय उपलब्ध कराया जाय। कार्यकारी दल द्वारा हुडको की वित्तीय सहायता पद्धति पर सुझाये गये परिवर्तनों पर केन्द्रीय सरकार के सहानुभूति विचार के लिए सिफारिश की गई। अप्रैल, 1981 से शुरू हो रहे अन्तर्राष्ट्रीय जल पूर्ति तथा सफाई दशक के दौरान शहरी तथा ग्रामीण जलपूर्ति तथा सफाई दशक के दौरान शहरी तथा ग्रामीण आपूर्ति तथा सफाई क्षेत्रों में प्राप्ती के लिये प्रस्तावित लक्ष्यों का सम्मेलन ने समर्थन किया। छोटे तथा मध्यम नगरों के विकास के लिये योजनाओं के कार्यान्वियन में तेजी लाने का निर्णय किया गया। संविधान में स्थानीय निकाओं की शक्तियों कार्यों तथा वित्तीय संसाधनों के सांवधिक वर्णन की आवश्यकता पर भारत सरकार से विचार करने के लिए अनुरोध किया गया था।

(ग) ये संकल्प राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भेजे जा रहे हैं।

विश्व बैंक दल द्वारा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के कार्यकरण की पुनरीक्षा

2427. **श्री दौलत राम सारण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक दल ने हाल ही में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजला के कार्यकरण की पुनरीक्षा की थी और कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विश्व बैंक अन्तिम पर्यवक्षण मिशन ने राष्ट्रीय कृषि अनुसधान प्रायोजना के कार्यान्वियन की प्रगति की छः माही समीक्षा 2 सितम्बर से 15 सितम्बर, 1981 को की थी। इस मिशन में 3 सदस्य थे और राज्यों में अपन निरीक्षण के दौरान भारतीय कृषि अनूसधान परिषद का एक अधिकारी भी उनके साथ था। मिशन ने गुजरात (-4 सितम्बर) आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक (7-15 सितम्बर) और हरियाणा (8-9 सितम्बर) का दौरा किया जहाँ प्रायोजना का कार्यान्वियन किया जाना है। मिशन की रिपोर्ट 21 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुई और भारतीय कृषि अनुसंधान

परिषद की प्रायोजना निधिकरण समिति द्वारा इस पर 28 नवम्बर, 1981, को विचार किया गया। हरियाणा और आन्ध्र प्रदेश के मामले में मिशन का प्रभाव बहुत अनुकूल था, लेकिन गुजरात और कर्नाटक में प्रगति कम थी जिसका मुख्य कारण सिविल वर्कशाप को विलम्ब से प्रारम्भ करना, उपकणों की प्राप्ति और स्टाफ की भर्ती में विलम्ब होना था।

(ख) तथा (ग) इनमें से कुछ प्रमुख मामलों को उठाया गया तथा इस पर जो मिशन ने अपनी टिप्पणी दी उसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की टिप्पणियों के साथ परिशिष्ट में दिया जा रहा है।

विवरण

विश्व बैंक मिशन की सिफारिशें :	की गयी कार्यवाई
(क) प्रायोजना के कार्यान्वियन में तेजी लाने के लिए अग्रिम नियोजन की जरुरत है	प्रायोजना एकक ने विभिन्न स्तरों पर अग्रिम नियोजन के लिए कदम उठाये हैं। इन उठाये गये कदमों से प्रायोजना को तेजी से कार्यान्वित करने में सुविधा होगी। आरम्भिक अवस्था में अपेक्षतया कुछ धीमी शुरूआत और धीमी प्रगति का मुख्य कारण पहले पाँच वर्षों के बाद भारतीय कृषि अनुसधान परिषद द्वारा अपनी सहायता वापस ले लिए जाने के बाद भूमि अधिग्रहण, सिविल निर्माण कार्य, उपकरणो की खरीद में विलम्ब का होना तथा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजना के ऊपर होने वाले खर्च का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना था।
(ख) मुख्य प्रायोजना के अन्तर्गत स्वीकृत उप प्रायोजनाओं में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को परिस्थिति के अनुकूल बनाने तथा उन्हें राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना, अनुसंधान समीक्षा रिपोर्टों और मूल्यांकन रिपोट के मुख्य उद्देश्यों से अवगत कराने के लिए क्षेत्रीय वर्कशाप का आयोजन कियाजाना चाहिए।	इसमें भाग लेने वाले विश्वविद्यालय को ऐसे वर्कशाप आयोजित करने के लिए सलाह दी गयी है आन्ध्रप्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हैदराबाद में पहले ही एक वर्कशाप आयोजित किया जा जा चुका है अन्य वर्कशापों की योजना बनाई जा रही है।
ग) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजनों के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करने वाली एक पुस्तिका प्रकाशित की जानी चाहिए।	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करने वाली पुस्तिका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रायोजना एकक द्वारा पहले से ही तैयार की जा रही है।

(घ) क्षेत्रीय सह निदेशकों, क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों के इन्चार्ज के प्रशासकीय और वित्तीय अधिकार जिसे प्रायोजना के अधीन स्थिर किया जा रहा है, बढ़ाया जाना चाहिए ।

भारतीय कृषि अनुसधान परिषद में 17.12. 1981 को आयोजित कृषि विश्व विद्यालयों के कुलपतियों के पिछले सम्मेलन में इस मामले पर विचार किया गया था । आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपनाये गये अधिकारों के प्रतिमान पर प्रशासकीय और वित्तीय अधिकार बढ़ाने का अधिकार देने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

(ङ.) इस क्षेत्र में जिस कार्य में प्रगति हो रही है इसके गुणात्मक सुधार पर कुछ अधिक जोर दिया जाना चाहिए । गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में नई प्रायोजना के मूल्यांकन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए ।

इस निर्णय को सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी कृषि विश्वविद्यालय में उनके विचारार्थ और कार्यान्वयन हेतु परिचालित कर दिया गया है । इस सुझाव का सबन्ध अनुसंधान कार्यक्रम के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने से है । तदनुसार कृषि विश्वविद्यालयों को इस संबंध में उपयुक्त सलाह दी गयी हैं । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रायोजना एकक जो अभी तक विभिन्न राज्यों में मुख्य रूप से अनुसंधान समीक्षा और दूसरे आरम्भिक कार्य में व्यस्त थी-अब जिन प्रायोजनाओं में प्रगति जारी है उनके कार्यान्वयन में गुणात्मक सुधार और प्रबोधन पर अधिक जोर दे रही है । तीन राज्यों में नई उप प्रायोजना के मूल्यांकन के स्थगन के प्रायोजना निधिकरण समिति ने फैसला किया है कि परिषद के मुख्यालयों की प्रायोजना एकक प्रत्येक मामले की जांच गुण के आधार पर पृथक रुप से कर सकती है और उपयुक्त कार्यवाई कर सकती है ।

(च) कर्मचारियों के वेतन के लिए उप-प्रायोजना के अन्तर्गत कोष आवंटित किया गया लकिन स्टाफ के भर्ती में विलम्ब के कारण जो धनराशि उपयोग में नहीं लाई गयी उसे वापस ले लिया जाना चाहिए ।

इस पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सहमति व्यक्त की है और संबधित विश्वविद्यालयों को इस आशय से संबधित परिपत्र जारी कर दिया गया है ।

(छ) प्रत्येक विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में 5 करोड़ रु० की अधिकतम सीमा के संशोधन के लिए विचार किया जाना चाहिए ।

प्रायोजना निधिकरण समिति ने इस सिफारिश पर विचार किया है तथा यह निर्णय लिया है कि निधिकरण के पहले से ही स्थापित पैटर्न से ऐसा परिवर्तन सिर्फ योजना आयोग तथा वित्त मन्त्रालय के साथ सलाह करके लाया जा सकता है, जिसके साथ यह मामला उठाया जा रहा है ।

(ज) उप-प्रायोजनाओं में अनुसंधान कर्मचारियों के लिए अनुसंधान प्रणाली विज्ञान व डिजाईन के प्रत्ययात्मक पहलुओं पर प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए ।

सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है तथा इसको कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहें हैं ।

(झ) इसमें भाग लेने वाले कृषि विश्वविद्यालय को प्रर्याप्त निधि निम्नकार्यों के लिए दी जानी चाहिए-(क) वर्तमान भवनों के रख रखाव तथा मरम्मत । (क) क्षेत्र के दौरे के लिए परिवहन तथा (ग) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत अनुसंधान केन्द्रों के लिए जरनल तथा संदर्भ पुस्तकों की खरीद की व्यवस्था की जा रही है ।

अनुसंधान केन्द्रों में भवनों के रख रखाव के लिए विशिष्ट प्रावधान तथा क्षेत्र में दौरों के लिए परिवहन देने का प्रस्ताव सम्बन्धित कृषि विश्वविद्यालय के साथ उठाया जा रहा है । किताबों तथा जरनल के सम्बन्ध में प्रायोजना निधिकरण समिति ने 5 वर्षों के लिए क्षेत्रीय तथा विशेष केन्द्रों के लिए 50,000 रू० तथा उप-प्रायोजना के लिए 20,000 की अलग से व्यवस्था की है ।

(ट) भाग लेने वाले विश्वविद्यालय को सामान्य फार्म परिचालनों, खेती की लागत तथा उपयोगिकता के लिए पर्याप्त निधि की व्यवस्था करनी चाहिए ।

इस सिफारिश के बारे में मामला संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है ताकि वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों के बीच समझौते के ज्ञापन में पहले ही दिये गये वायदों को पूरा कर सके ।

(ठ) प्रायोजना के कृषि अभियान्त्रिकी तथा कृषि अर्थशास्त्र संघटकों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ।

सिफारशें मान ली गई हैं प्रायोजना की तैयारी, मूल्यनिर्धारण तथा कार्यान्वयन के समय इन दो क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया जा रहा है ।

(ड) कृषि विश्वविद्यालयों में विस्तार निदेशकों की भूमिका की समीक्षा अनेक राज्यों में लागू

इस मुद्दे को नोट कर लिया गया है । कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन

की गई प्रशिक्षण तथा दौरा (टी० एन्ड वी०) पद्धति के अनुसार की जानी चाहिए।

(ढ) कृषि विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण मानवशक्ति के नियोजन की समस्या का अध्ययन किया जाना चाहिए।

में इस पर विचार किया जायेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस समस्या के विचार हेतु एक समिति का गठन किया है तथा इण्डिया इन्स्टीच्यूट आफ एप्लाएड मैनपावर रिसर्च से भी यह कहा गया है कि वह इस तरह के अध्ययन को हाथ में ले।

गंगा नदी के कटाव के संबंध में पुवर्नास योजना

(4) 2428. **श्री डी० पी० यादव** : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी के कटाव के कारण पिछले पांच वर्षों में हजारों गांव बह गये हैं और अभी तक उनके पुनर्वास के लिये कोई-पुनर्वास योजना शुरू नहीं की गई है और ग्रामीण खुले आकाश के नीचे रह रहे हैं ;

(ख) क्या प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित किये गये नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई व्यवस्थित अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) : उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के अन्तर्गत आने वाले गंगा के मैदानों में के गंगा टेढ़े-मेढ़े होकर बहने से भूमि कटाव की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे इसके किनारों के निकट स्थित ग्राम प्रभावित होते है। चूंकि टेढ़े-मेढ़े होकर बहना इस नदी की सतत प्रक्रिया है, इसलिए नदी किनारों पर स्थित गांव नदी की एक भाग अथवा दूसरे भाग में कटाव से प्रभावित होते रहते हैं। बाढ़-नियंत्रण एक राज्य विषय है, इसलिए बाढ़ नियन्त्रण, कटाव-रोधी तथा अन्य सम्बद्ध स्कीमों के आयोजन एवं कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है तथा इस सैक्टर के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्यों द्वारा अपने-अपने वार्षिक योजना बजटों में की जाती हैं। पुनर्वास से सम्बन्धित उपाय भी जैसा व्यवहार्य हो, राज्यों द्वारा हाथ में लिए जाते हैं।

वृक्ष लगाने के लिए किसानों को उपयुक्त प्रोत्साहन

2429. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक वन रोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्ष लगाने के लिए, जिससे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध होगा, किसानों को उपयुक्त प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है, और

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति में सुधार करने के लिए, जो कागज उद्योग के लिए कच्चे माल की कमी के कारण उत्पन्न हुई है। दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

हरियाणा द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेरी को दूध की सप्लाई रोका जाना

2430. **श्री वी० बी० देसाई :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा ने दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी-दोनों को शुद्ध दूध की सप्लाई रोक देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हरियाणा सरकार के इस निर्णय से दिल्ली में अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ;

(घ) क्या इस निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु हरियाणा सरकार से अनुरोध किया गया हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) हरियाणा सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नही भेजा गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

तमिलनाडु द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए चावलों की सप्लाई न करना

2431. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 दिसम्बर, 1981 को तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र को चालू वर्ष की फसल से केन्द्रीय पूल के लिए चावलों को जमा करने में अपनी असमर्थता का निर्णय अवगत करा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकार ने किन मुख्य कारणों का उल्लेख किया ;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने पिछले साल भी केन्द्रीय पूल में पर्याप्त मात्रा में चावल जमा नहीं किया ;

(घ) क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के दिसम्बर के

चावल के कोटे में कटौती की है और जनवरी तथा फरवरी 1982 के महीनों में क्या स्थिति है ;

(ङ) क्या किसी अन्य राज्य ने इस प्रकार की कार्यवाही की है ; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही से निबटने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) : तमिलनाडु सरकार ने अपने 2 फरवरी, 1982 के पत्र द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए चावल दे पाने में अपनी असमर्थता के बारे में केन्द्रीय सरकार को अवगत कराया था क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उनकी अपनी आवश्यकताएं उनके द्वारा अधिप्राप्त मात्रा से अधिक थीं ।

(ग) : जी हां ।

(घ) : राज्यों को चावल का आवंटन मासिक आधार पर किया जाता है जिसमें केन्द्रीय पूल में चावल की कुल उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताएं, बाजार में उपलब्धता, राज्य सरकार के पास उपलब्ध स्टाक और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है । तमिलनाडु के चावल के आवंटन को दिसम्बर, 1981 मास में 60,000 मीटरी टन से कम करके 50,000 मीटरी टन कर दिया गया था क्योंकि बाजार में नई फसल आ गई थी और राज्य द्वारा की गई वसूली भी सन्तोषजनक थी और उनके पास अपना पर्याप्त स्टाक था । जनवरी और फरवरी, 1982 के लिए क्रमशः 50 000 मीटरीटन और 40,000 मीटरी टन का आवंटन किया गया था ।

(ङ) और (च) सामान्यतया अधिक चावल उत्पादक राज्य ही केन्द्रीय पूल में चावल देते हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्यों से भी चावल स्वीकार करने का निर्णय किया है, बशर्ते कि वे केन्द्रीय पूल में उसे देने के लिए इच्छुक हों ।

शाहदरा, दिल्ली में जल की सप्लाई

2432. **श्री नवीन खाण्डी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा संयंत्र से दिल्ली में पानी की सप्लाई अपर्याप्त है ;

(ख) वर्ष 1982 और 1985 के वर्षों में पानी की कुल कितनी मांग होगी ;

(ग) वर्ष 1982 और 1885 में पानी की सप्लाई की स्थिति क्या होगी ; और

(घ) दिल्ली को किन-किन स्रोतों से पानी मिलेगा;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखा दी जायेगी ।

उड़ीसा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित गृह निर्माण योजनायें

2433. **श्री के० प्रधानी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह निर्माण के लिए उड़ीसा में कोई केन्द्रीय योजना शुरू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के गावों तथा कस्बों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित अब तक कौन कौन सी गृह निर्माण योजनाये शुरु की गई है;

(ग) ये केन्द्रीय योजनायें कब शुरू की गई है ;

(घ) इन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कुल कितने मकानों का निर्माण हुआ हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयातित खाद्य तेल प्राप्त कर रहे दोषी वनस्पति उद्योगों को दण्ड

2434. **श्री अजित बाग :** क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे दोषी वनस्पति उद्योगों को, जो इस वर्ष आयातित खाद्य तेल लेने वाले हैं, कड़ा दण्ड देना सुनिश्चित करेगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्णीत उक्त उपायो का ब्यौरा क्या हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) और (ख) सरकार वनस्पति घी के उत्पादन, वितरण और मूल्यों पर कड़ी नजर रखे हुए है और दोषी वनस्पति उप्पादकों के विरुद्ध सभी प्रकार की उचित कार्यवाही करेगी ।

(3)

कृषि उत्पादकों के लिए विपणन सुविधायें

2435. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कृषि उत्पादों के लिए उपलब्ध अपर्याप्त विपणम सुविधाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विपणन सुविधायें उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।
(ख) जी हां।

(ग) चुने नियमित/ग्रामीण बाजारों के विकास के अन्तर्गत छठी योजना 1980-85 में 3800 लाख रुपये का आबंटन है। योजना के अन्तर्गत कृषि बाजारों के लिए आधारभूत सुविधाएं सुलभ करने हेतु निम्नलिखित दरों पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है :

(1) वाणिज्यिक फसलों (पटसन, तम्बाकू, कपास, मूंगफली, काजू, नारियल, आलू, प्याज तथा लाल मिर्चों) का व्यापार करने वाले नियमित बाजार	4 लाख रुपये प्रति बाजार
(2) कमाण्ड क्षेत्रों में स्थिति नियमित बाजार	5 लाख रुपये प्रति बाजार
(3) फलों तथा सब्जियों के लिए सीमान्त बाजार	15 लाख रुपये प्रति बाजार
(4) प्राथमिक ग्रामीण बाजार	1.5 लाख रुपये प्रति बाजार
(5) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल मान्यता प्राप्त पिछड़े क्षेत्रों में थोक ग्रामीण बाजार	5 लाख रुपये प्रति बाजार

उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान 1350 प्राथमिक ग्रामीण बाजारों, पिछड़े क्षेत्रों में 100 थोक बाजारों, 200 चुने नियमित बाजारों तथा 10 सीमान्त बाजारों को सहायता देने का प्रस्ताव है।

आन्ध्र प्रदेश में बेघर परिवारों के सम्बन्ध सर्वेक्षण

2436. **श्री अनन्तरामुलु मल्लु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेघर लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार की कौन सी योजना को क्रियान्वित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने बेघर परिवारों के सम्बन्ध में राज्यवार कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में चालू वित्त वर्ष और छठी पंचवीय योजना अवधि के लिए कोई निश्चित लक्ष्य रखे हैं; और

(ङ) यदि हां तो आन्ध्र प्रदेश राज्य को जारी किए गए मार्गदर्शी निदेशों का ब्योरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) राज्य सरकारें पहले ही एक योजना का कार्यान्वियन कर रही है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को नि:शुल्क आवास स्थल और आर्थिक सहायता या मकान निर्माण के लिए ऋण के रूप में सहायता दी जाती है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत परिवारों की संख्या के निर्धारण के लिए राज्य सरकारों ने सर्वेक्षण किया है।

(ग) पात्र परिवारो के राज्यवार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में 68 लाख परिवारों को आवास स्थलों के आबंटन के लिए तथा 36 लाख परिवारों को निर्माण सहायता देने के लिए 353.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

(ङ) यह कार्यक्रम 1971 से कार्यान्वित किया जा रहा है और यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा 20-सूत्री कार्यक्रम का अंग है। छठी पचवर्षीय योजना में 500 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से उन परिवारों को सहायता देन का विचार किया गया है जिन्हें आवास स्थल आबंटित किए गए हैं और 750 रुपये के हिसाब से उन परिवारों को सहायता देन का विचार किया गया है जिन्हें आवास स्थल भी दिए जाने हैं। सम्पूर्ण श्रम लाभ भोगियों द्वारा दिये जाने की आज्ञा की जाती है। राज्य सरकारों को अन्य कोई मार्ग निर्देशन जारी नहीं किए गए हैं।

राज्य सरकारों को विभिन्न योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जा रही है। आन्ध्र प्रदेश के कार्यक्रम के लिए छठी योजना परिव्यय 76.65 करोड़ रुपये है।

विवरण

राज्य-संघ राज्य क्षेत्र	राज्य-संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, लगाए गए अनुमान के अनुसार पात्र परिवारों की संख्या (30-9-81 तक)		
आन्ध्र प्रदेश	21,33,000	संघ राज्य क्षेत्र	
असम	2,37,607*	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	7,200
बिहार	19,58,000	चण्डीगढ़	90
गुजरात	5,23,623		

1	2	3	4
हरियाणा	2,47,601	दादर तथा नागर हवेली	1,035
हिमाचल प्रदेश	5,304	दिल्ली	14,8000
जम्मू तथा कश्मीर	20,120	गोवा, दमण और दीव	1,596
कर्नाटक	10,60,852	पांडिचेरी	15,318
केरल	1,36,840		
मध्य प्रदेश	9,13,037	योग	1,25,19,058
महाराष्ट्र	4,97,547		
उड़ीसा	5,00,000		
पंजाब	2,97,046		
राजस्थान	8,54,023		
तमिलनाडु	14,97,000*		
त्रिपुरा	42,650		
उत्तर प्रदेश	12,40,340		
पश्चिम बंगाल	3,14,534		

* योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लक्ष द्वीप और मिजोरम में यह योजना नहीं चल रही दें।

सरकारी मकानों में रह रहे निजी मकान वाले सरकारी कर्मचारी

2437. श्री अर्जुनसिंह सेठी :

श्री एन० ई० होरो : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जिनके पास अपने निजी मकान हैं और जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध कराए जाने की सुविधाएं दी गई हैं, किराये की देयता के सम्बन्ध में हाल में अपनी नीति को पुनरीक्षण की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : ड्यूटी के स्थानों पर या उनके समीप अपना निजी मकान रखने वाले 'अधिकारियों जिन्हें सरकारी आवास आवंटित किया गया है, किराया देयता के सम्बन्ध में सरकार की नीति निम्नलिखित रूप में जारी है :—

(1) यदि उसके अपने निजी मकान से आय 1,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो। — सामान्य किराया

(2) यदि उसके अपने निजी मकान से आय

1,000 रु० से अधिक परन्तु 2,000 रु० प्रतिमाह से कम है तो	सामान्य किराये का आधा
(3) यदि उसके अपने निजी मकान से आय 2,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक है; तो	पूरा बाजार किराया

तथापि, ड्यूटी स्थान पर या उसके समीप अपना निजी मकान रखने वाले उन अधिकारियों जिन्हें "किराया मुक्त" आधार पर सरकारी वास आवंटित किया गया है, के सम्बन्ध में उपर्युक्त नीति निर्णय का स्पष्टीकरण 3-3-82 को जारी किया गया था कि उपर्युक्त (1) (3) के सम्बन्ध में किराया आवंटी की परिलब्धियों का 70 प्र० श० तक कम किया जायेगा।

महाराष्ट्र राज्य में समेकित उद्यान परियोजनाओं के लिए सहायता

2438. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में समेकित उद्यान परियोजनाओं के लिए केन्द्र से कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1980-81 और 1981-82 में अब तक कितनी राशि आवंटित की गई, जारी की गई और कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, नहीं। तथापि, राज्य सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से प्रारम्भ की जाने वाली काजू विकास परियोजना के प्रति दिलचस्पी जाहिर की है।

केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र में नारियल के पैकेज सम्बन्धी एक योजना को भी मंजूरी दी है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से काजू विकास परियोजना के ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं।

वर्ष 198 -82 के लिए कुल 330001-रुपये की धनराशि से नारियल से सम्बन्धित एक पैकेज कार्यक्रम मंजूर किया गया है। इस वर्ष के लिए 4100/- रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई है। इसके उपयोग का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है।

तेलीवाड़ा, दिल्ली में पेय जल

2439. **श्री भीखू राम जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के तेलीबाड़ा क्षेत्र में पानी की समस्या गम्भीर हो गई है और यह कठिनाई इस क्षेत्र में पाइप लाइन को मुख्य लाइन से न जोड़े जाने के कारण जारी है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि तेलीवाड़ा में भूमि स्तर ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र की कुछ पाकिटों में पानी की कमी प्रथम तथा इससे ऊपर की मंजिलों में महसूस की जाती है। जलपूर्ति में सुधार करने के लिए जांच पड़ताल कार्य प्रगति पर हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की भाँति राज्यों के राजधानी क्षेत्र

2440. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की नवीनतम उपलब्ध जनगणना के अनुसार देश के शहरों की सूची में बंगलौर में जनसंख्या और शहरी सीमा के विस्तार के असाधारण वृद्धि रिकार्ड की गई ;

(ख) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकारों को उपयुक्त सहायता देने के बारे में कोई योजना है ताकि राज्यों की राजधानियां समय से पूर्व भीड़ भरी गन्दी बस्तियों में न बदल जायें ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में बनाई गई यदि कोई हो, तो योजना का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1982 के लिए विशेष तौर पर बंगलौर के लिए कितना आबटन करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1971-81 के दशक में महानगरीय शहरों में से बंगलौर में जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे अधिक थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में जाली राशन कार्ड

2441. **श्री हरिहर सोरन** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली और दिल्ली में जाली राशन कार्डधारियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की है ;

(ख) सरकार ने नई दिल्ली और दिल्ली में यह अभियान कब शुरू किया है ;

(ग) अब तक कितने जाली राशन कार्डधारी पकड़े गए हैं ; और

(घ) उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा जाली राशन कार्डों का पता लगाने के लिए जांच की जाती रहती है। इसने मई, 1981 में मंडल संख्या 16 और 20 के सभी खाद्य कार्डों की सरगर्मी से

घर-घर जाकर जांच की थी, जिनके अंतर्गत लगभग 4 लाख आबादी आती है। तथापि, जो जाली खाद्य कार्ड मिले उनकी संख्या नगण्य थी। खाद्य एवं संभरण आयुक्त, दिल्ली द्वारा 6 फरवारी, 1982 को एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई थी, खाद्य कार्डधारियों को सलाह दी गई थी कि यदि उनके पास कोई जाली जिसके खाद्य कार्ड हों तो उन्हें 28 फरवरी, 1982 तक जमा करा दें और उन व्यक्तियों के नाम भी अपने खाद्य कार्डों से उक्त तारीख तक कटवा दें जो किसी भी कारण चले गए हों। (यह तारीख बाद में 15 मार्च, 1982 तक बढ़ा दी गई है।) लोगों को इस बात से भी आगाह कर दिया गया था कि यद्यपि उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो निर्धारित अवधि के भीतर स्वेच्छा से फालतू कार्ड जमा करवा अथवा यूनिट कटवा देंगे, तथापि उन मामलों में, जिनका पता इस अवधि के समाप्त होने के पश्चात् चलेगा, आवश्यकता वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी, जिसमे गिरफ्तारी हो सकती है।

जनता पार्टी सरकार द्वारा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में बनाई गई सड़कों की जिला-वार संख्या

2442. **श्री निहाल सिंह** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनता पार्टी सरकार द्वारा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में जिला-वार कितनी सड़कें बनाई गईं ; और

(ख) ऐसी कितनी सड़को को मार्च, 1980 और दिसम्बर, 1981 की अवधि में जिला-वार पक्का कर दिया गया है और कितनी अभी कच्ची हैं और उन्हें पक्का करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू और विट्ठल भाई पटेल हाउस में संसद सदस्यों के सर्वेन्ट क्वार्टर

2443. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1979-80 के दौरान नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू और विट्ठल भाई पटेल में संसद सदस्यों के "सर्वेन्ट क्वार्टरों" में पुराने मजबूत तारों को हटाकर घटिया-स्तर के तार लगा दिये गए है; जिनमें निरन्तर खराबी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इन तारों के लिए कितनी धनराशि का ठेका दिया गया था और उस ठेकेदार का नाम क्या है जिसे यह काम सौंपा गया था; और

(ग) क्या सरकार सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के लिए जांच कराएगी और दोषी अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। मुल निर्माण कार्य के पश्चात् 1979-80 में पुनः बिजली के तार लगाये गए थे।

(ख)	फर्म का नाम	किए नए कार्य की लागत
	मैसर्स डयूक ट्रेडिंग कारपोरेशन	33,882 रुपये
	मैसर्स इलैक्ट्रिक डैकोरेटर कम्पनी	29,727 रुपये
	मैसर्स कपूर इंजीनियरिंग ट्रेडर्स	8,612 रुपये

(ग) चूंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार मानक कोटि की बिजली की फिटिंग का कार्य किया गया है और इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए जांच करने या किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं है।

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की बैठक

2444. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपेत्र बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने हाल ही मे हुई अपनी बैठक में निर्णय किया है कि इस घाटी में बाढ के भयंकर रूप और विस्तार से निपटा जाए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस कार्य में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की 9 फरवरी, 1982 को हुई 14वीं बैठक में 5 स्कीमों को जिनकी लागत लगभग 9 करोड़ रुपये हैं, वर्ष 1981-82 के वर्तमान वित्तीय वर्ष मे असम सरकार द्वारा उनका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु बोर्ड द्वारा स्वीकृति की गई थी। जब भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के अनुसरण में 31.12-1981 से एक उच्चस्तरीय तकनीकी संस्था "ब्रह्मपुत्र बोर्ड" का गठन किया है। इस बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र के जल संसाधनों के अन्य लाभकारी उद्देश्यों के लिए भी उपयोग एवं विकास को देखते हुए, बाढ़ नियन्त्रण, कटाव समस्याओं तथा जल-निकास सुधार हेतु एक व्यापक योजना तैयार करनी है।

यह बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्वीकृति किए जाने के पश्चात बहुद्देशीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन के कार्य को भी हाथ में लेगा।

कीटनाशक औषधियों के मूल्य में वृद्धि

2445. **श्री नवीन रवाणी** :

श्री दौलतसिंह जी जदेजा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि कीटनाशक औषधियों के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कीटनाशक औषधियों के मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ताकि इसका हमारे कृषि उत्पादन पर प्रभाव न पड़े ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी, हां।

)ख) 1981 के दौरान कृमिनाशियों के थोक विक्रय मूल्यों में 1980 के थोक विक्रय मूल्यों की तुलना मे 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृमिनाशियों के मूल्यों में वृद्धि के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :—

1. विनिर्माण/निरूपण की प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि होना।
2. पैकिंग लागत;
3. परिवहन लागत; और
3. स्थापना व्यय।

(ग) कृमिनाशियों के मूल्य में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए किए जा रहे उपाग निम्नलिखित हैं :—

(क) कृमिनाशियों को आवश्यक जिंस अधिनियम 1977 के अन्तर्गत लाया गया है।

(ख) कृमिनाशियों को खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लाकर कृमिनाशियों सम्बन्धी आयात नीति को उदार बनाया गया है।

(ग) सरकार कृमिनाशियों के देशी उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है ताकि एकाधिकार का समाप्त किया जा सके व बाजार में उचित प्रतियोगिता लायी जा सके।

(घ) राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे आम तौर पर प्रयोग की जाने वाली कृमिनाशियों का बफर स्टाक बनायें तथा उनकी समय पर उपलब्धि सुनिश्चित कराके वितरण प्रणाली में सुधार लायें।

विदेश से आयातित रासायनिक उर्वरक

2446. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में कितना रासायनिक उर्वरक आयात किया गया है;

(ख) वितरण के लिए जिन एक मात्र एजेंटो को यह उर्वरक सप्लाई किया जाता है उनकी राज्यवार संख्या जितनी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक उर्वरक आयात

करने का है और इसकी बढ़ती मांग और इसके वितरण की कठिनाइयों को देखते हुए क्या सरकार का विचार एकमात्र एजेंटों की संख्या बढ़ाने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान रासायनिक उर्वरकों के आयात की मात्रा निम्नलिखित थी :

(पोषक तत्वों की मात्रा लाख मीटरी टनों में)

	1979-80	1980-81
एन	12.95	15.10
पी	2.37	4.52
के	4.73	7.97
योग	20.05	27.59

(ग) आयतित उर्वरकों की सम्हाल और उनका वितरण आजकल निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है :—

(1) भारतीय खाद्य निगम

(2) भारतीत पोटाश लि०

(3) दक्षिणी पैट्रोकैमिकल्स उद्योग निगम

(4) मंगलौर रसायन और उर्वरक निगम लि०

(5) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि०

(6) राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लि०

(ग) चालू वर्ष के दौरान आयात की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में कम रहने का अनुमान लगाया गया है। यदि आवश्यकता पड़ी तो और अधिक एजेंसियों को इस काम पर लगाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम को समाप्त करना तथा इसके कर्मचारियों की छंटनी

2447. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

श्री रेणुपद दास :

डा० सरदीश राय :

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम लिमिटेड को समाप्त करने और इसके परिणामस्वरूप इस संगठन के कर्मचारियों की छंटनी के बारे में 2 फरवरी, 1982 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन कर्मचारियों को अन्य संगठनों में खपाने के लिये क्या कदम उठाए है; और

( ) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। तथापि, केन्द्रीय मत्स्यकी निगम लि० कर्मचारी संघ द्वारा प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री को लिखे दिनांक 3-2-82 के अभ्यावेदन प्राप्त हो गये हैं। उक्त संघ द्वारा कृषि मन्त्री को लिखा दिनांक 4-2-82 का अन्य अभ्यावेदन भी प्राप्त हो गया है।

(ख) अभ्यावेदन में संघ ने अनुरोध किया है कि :—

(1) सभी कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से खपाने तक निगम को समाप्त करने से रोकने के लिए एक आदेश जारी करना;

(2) कर्मचारियों को शीघ्रता से खपाने के लिए मन्त्रालय में एक विशेष सेल का सर्जन करना और

(3) कर्मचारियों को शीघ्रता से खपाने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों को निर्देश जारी करना।

(ग) निगम के नियमित कर्मचारियों को इस मन्त्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और जहां तक सम्भव हो सके कुछ अन्य संगठनों में वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि उनमें उपलब्ध रिक्त पदों और कर्मचारियों की योग्यता, उनके अनुभव, आदि पर निर्भर करेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

पेय जल की सप्लाई

2448. **श्री रास बिहारी बहेरा :**

श्री बाला साहिब वी० के० पाटिल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेकि :

(क) जिन गांवों में पेय जल की समस्या है उनमें पेयजल सप्लाई करने के बारे में छठी पंचवर्षीय योजना में परिव्यय का ब्यौरा क्या है और आज के दिन पेयजल की समस्या से ग्रस्त गांवों की, राज्यवार, जिलावार संख्या कितनी है, (प्रत्येक जिले मे गांवों की सख्या सहित)।

(ख) पेयजल सप्लाई कार्यक्रम के लिए राज्यों को पिछले तीन वर्षों में कितनी धनराशि दी गई है और उक्त अवधि में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने गांवों को वर्ष-वार, जिला-वार लाभ पहुंचा है तथा उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन गांवों के नाम क्या हैं जिन्हें इसका लाभ पहुंचा है; और

(ग) राज्यों को इस उद्देश्य के लिए मंजूर की गई धनराशि से अगले तीन वर्षों में राज्य-वार कितने समस्याग्रस्त गांवों में. विशेषकर उड़ीसा. पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के गांवों के राज्यवार नाम सहित, क्या कार्य किया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) राज्य क्षेत्र (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) में समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल मुहैया करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना परिव्यय के ब्यौरों का विवरण संलग्न है (विवरण-1) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये के परिव्यय से राज्य क्षेत्र के परिव्ययों प्रतिपूर्ति की जायेगी। 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार जिन समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल मुहैया कराया जाना शेष है उनकी राज्य वार संख्या संलग्न है (विवरण II) क्योंकि पेयजल पूर्ति राज्य का विषय है इसलिए जिलावार और ग्रामवार सूचना केवल राज्य सरकारों के पास ही सुलभता से उपलब्ध होगी।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों ने दिए गये अनुदान संलग्न विवरण में दिये गये हैं (विवरण-III) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य तथा केन्द्रीय निधियों के जिन समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल मुहैया कराया गया है उनका विवरण संलग्न है (विवरण-I.)

(ग) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले तीन वर्षों के लिए अभी तक निधियों का नियतन निर्धारित नहीं किया गया है। केन्द्रीय सहायता, समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों के ससाधनों में वृद्धि करने के लिए है। योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं जो इस कार्यक्रम से लाभ बहुंचाने के लिए ग्रामों का पता भी लगाती है।

विवरण—1

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) अनुमोदित परिव्यय जलपूर्ति क्षेत्र

(न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)

	करोड़ रेपयों में
आन्ध्र प्रदेश	95.00
असम	30.00
बिहार	75.00
गुजरात	65.00

हरियाणा	80.00
हिमाचल प्रदेश	35.00
जम्मू और कश्मीर	45.00
कर्नाटक	19.00
केरल	45.00
मध्य प्रदेश	60.00
महाराष्ट्र	230.00
मणिपुर	17.50
मेघालय	19.50
नागालैण्ड	11.75
उड़ीसा	34.00
पंजाब	68.00
राजस्थान	106.29
सिक्किम	6.00
तमिलनाडु	50.00
त्रिपुरा	12.00
उत्तर प्रदेश	220.00
पश्चिमी बंगाल	48.00
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	4.05
अरुणाचल प्रदेश	12.77
चण्डीगढ़	—
दादरा और नागर हवेली	0.60
दिल्ली	7.00
गोआ, दमण तथा दीव	1.70
लक्ष द्वीप	0.13
मिजोरम	8.00
पांडिचेरी	0.82
योग	1407.11

विवरण—2

ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम

30-3-80 की स्थिति के अनुसार उन पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या जिन्हें जलपूर्ति मुहैया करायी जानी शेष है।

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8,206
2.	असम	15,743
3.	बिहार	15,194
4.	गुजरात	5,318
5.	हरियाणा	3,440
6.	हिमाचल प्रदेश	7,815
7.	जम्मू तथा कश्मीर	4,698
8.	कर्नाटक	15,456
9.	केरल	1-158
10.	मध्य प्रदेश	24,944
11.	महाराष्ट्र	12,935
12.	मणिपुर	1,212
13.	मेघालय	2.927
14.	नागालैंड	649
15.	उड़ीसा	23,616
16.	पंजाब	1,767
17.	राजस्थान	19,803
18.	सिक्किम	296
19.	तमिलनाडु	6,649
20.	त्रिपुरा	2,800
21.	उत्तर प्रदेश	28,505

1	2	3
22.	पश्चिम बंगाल	25,243
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	173
24.	अरुणाचल प्रदेश	1,740
25.	चण्डीगढ़	शून्य
26.	दिल्ली	90
27.	दादरा तथा नागर हवेली	—
28.	गोआ, दमण तथा दीव	66
29.	लक्ष द्वीप	—
39.	मिजोरम	214
31.	पांडिचेरी	118
	योग	2,30,784

विवरण—3

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई निधियाँ

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1978-79 (लाख	1979-80 रुपयों	1980-81 में)
आन्ध्र प्रदेश	351.00	215.60	436.23
असम	149.57	383.15	427.11
बिहार	504.20	620.45	503.36
गुजरात	260.85	127.80	358.50
हरियाणा	200.79	260.19	357.09
हिमाचल प्रदेश	425.12	392.86	561.77
जम्मू तथा कश्मीर	200.00	182.05	314.75
कर्नाटक	107.70	69.00	28.81

1	2	3	4
केरल	27.800	282.35	330.08
मध्य प्रदेश	290.00	357.15	690.00
महाराष्ट्र	403.97	378.30	664.00
मणिपुर	53.57	53.55	106.08
मेघालय	103.77	111.60	149.00
नागालैंड	97.00	139.57	150.00
उड़ीसा	218.00	209.00	307.00
पंजाब	174.90	68.40	128.95
राजस्थान	353.27	205.00	559.10
सिक्किम	43.13	26.00	19.50
तमिलनाडू	408.00	219.37	506.00
त्रिपुरा	113.50	97.15	112.44
उत्तर प्रदेश	617.50	502.55	951.95
पश्चिमी बंगाल	535.01	673.72	443.50
अरुणाचल प्रदेश	32.00	46.20	3500
गोआ, दमन और दीव	9.50	11.95	11.46
मिजोरम	18.50	19.05	26.25
पांडिचेरी	17.00	12.00	7.00
अण्डमान तथा निकोबार	18.50	15.50	6.00
दिल्ली	14.00	13.10	13.50
योग	5,998.46	5,898.61	8,424.38

टिप्पणी : विभिन्न राज्यों के प्रबोधन तथा जांच कक्ष के लिए दी गई निधियों के आंकड़ों सहित 1978-79 में 97.02 लाख रुपये, 1979-80 में 78.31 लाख रुपये और 1980-81 में 35.05 लाख रुपये।

2. 1980.81 में सूखे से प्रभावित राज्यों के लिए ड्रिलिंग रिगों की लागत और उनसे सम्बन्धित व्यय के लिए 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया था।

विवरण 4

उन समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या जिन्हें पेय जल मुहैया कराया गया

		1978-79	7979-80	1980-81
1.	आन्ध्र प्रदेश	360	990	487
2.	असम	467	921	963
3.	गुजरात	788	816	525
4.	बिहार	3140	3316	2660
5.	हरियाणा	123	182	240
6.	हिमाचल प्रदेश	1289	1140	1166
7.	जम्मू तथा कश्मीर	216	198	321
8.	कर्नाटक	3924	958	2063
6.	केरल	15	19	78
10.	मध्य प्रदेश	1654	5289	7195
11.	महाराष्ट्र	2010	2618	2674
12.	मणिपुर	29	26	34
13.	मेघालय	28	104	52
14.	नागालैण्ड	74	74	72
15.	उड़ीसा	2993*	2555	1630
16.	पंजाब	136	135	80
17.	राजस्थान	353	1146	2403
18.	सिक्किम	119	4	21
19.	तमिलनाडु	1485**	230	710
20.	त्रिपुरा	300	513	579
21.	उत्तर प्रदेश	581	1250	912
22.	पश्चिम बंगाल	432	816***	874***
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	4	18	18

1	2	3	4	5
24.	अरुणाचल प्रदेश	69	63	172
25.	चण्डीगढ़	—	—	—
26.	दिल्ली	11	18	35
27.	दादर तथा नागर हवेली	—	—	—
28.	गोआ, दमण तथा दीव	2	11	7
29.	लक्षद्वीप	—	—	—
30.	मिजोरम	2	—	—
31.	पाण्डिचेरी	12	9	8
	योग	20,920	22,822	25,978

* आंशिक रूप से पेय जल मुहैया कराना शामिल है।

** हेमलेट भी शामिल हैं।

*** नए स्रोतों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

दिल्ली के गांवों में पेय जल की सप्लाई

2449. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने 245 में से 148 गांवों को समस्याग्रस्त गांव पाया है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में समस्या ग्रस्त गांवों के नाम क्या है और इन गांवों को पेयजल की सप्लाई के लिए आज तक मंजुर की गई धनराशि से क्या कार्य किया जा रहा है ; और

(ग) खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार कितने गांवों को इसका लाभ पहुंचा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अण्डमान और निकोबार में रबड़ के पेड़ लगाना

2450. **श्री दया राम शाक्य :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान-निकोबार द्वीपों के रबड़ के पेड़ किस क्षेत्र में और कब लगाए गए थे उनका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है

(ख) क्या यह सच है कि कुछ क्षेत्रों को ,छोड़कर बाकी पेड़ों से रबड़ प्राप्त नहीं हो रहा है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार द्वारा रबड़ वृक्ष लगाए गए है। जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

अवधि	स्थान	क्षेत्र हैक्टेयर में
1965-68	दक्षिणी अन्डमान द्वीप समूह	202.55
1969-79	निकोबार समूह का कच्छल द्वीप	598.41

इन बागानों में परिपक्व वृक्षों से लगातार रबड़ निकाला जा रहा है और उत्पादित मंडी में भेजा जा रहा है।

(ख) और (ग) कच्छल के 100 हैक्टार के क्षेत्र में परिपक्व वृक्षों से हाल ही में रबड़ निकाला जा रहा है। शेष क्षेत्र में यह कार्य निकट भविष्य में शुरू कर दिया जायेगा।

"इम्पलीमेंट लेड रिफार्म्स, स्टेट्स टोल्ड" शीर्षक समाचार

2451. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या ग्रामीण विकास मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1982 के इन्डियन एक्सप्रेस में "इम्प्लीमेंट लेंड रिफार्म्स, स्टेट्स टोल्ड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने राज्यों से समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों के कार्य को पूरा करने को कहा है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वास्तव में क्या कार्य हुआ है तथा प्रत्येक राज्य में भूमि की किस कठिनाई पर काबू पाना है ;

(घ) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने काश्तकारी नीति में महत्वपूर्ण संशोधन करने का सुझाव दिया है, यदि हां, तो "प्रमुख संशोधन" क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सरकार राज्यों से कहेगी कि वे अपने काश्तकारी कानूनों ये उतना "प्रमुख संशोधन" करे जो राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझाव के अनुरुप हों और यदि हां, तो कब तक ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रायय में राज्य मंत्री (श्री बालेशवर राम) (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों से अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण में तेजी लाने तथा इसके लिए विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों के शीघ्र निपटाने की ओर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया गया है।

(ग) संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के कयान्वयन में हुई प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) व (ङ) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सुझाव दिया था कि सीमान्त किसान द्वारा भूमि पट्टे पर देने की अनुमति दी जाए। भारत सरकार ने काश्तकारी नीति में सुझाये गए कुछ परिवर्तनों पर राज्य सरकारों की राय मांगी है।

विवरण

(क्षेत्र एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	फालतू घोषित किया गया क्षेत्र	कब्जे में लिया गया क्षेत्र	वितरित क्षेत्र	लाभभोगियों की संख्या
आध्र प्रदेश	9,76,042	4,33,586	3,02,376	2,07,454
असम	5,80,140	5,03,161	3,16,784	2.54,333
बिहार	2,33,205	1,44,008	1,37,658	1,52,725
गुजरात	1,28,578	46,760	5,381	1,290
हरियाणा	27,642	18,319	17,659	5,163
हिमाचल प्रदेश	1,36,109	1,35,293	3,654	4,825
जम्मू तथा काश्मीर	-	-	-	-
कर्नाटक	2,45,597	82,214	56,096	11,890
केरल	1,10,272	79,034	52,311	84,857
मध्यप्रदेश	2,55,946	1,41,970	79,803	31,775
महाराष्ट्र	3,70,193	2,81,586	2,81,586	76.892
मणिपुर	1,029	- 36	-	-
उड़ीसा	1,41,902	1,19,888	1,01,456	77,343

1	2	3	4	5
पंजाब	-49,597	-15,731	-12,407	2,939
राजस्थान	2,46,495	2,20,643	1.22,230	26,212
तमिल नाडु	79,292	75,840	58,257	38,360
त्रिपुरा	-1,881	-1,563	-1,034	- - 891
उत्तर प्रदेश	2,82,631	2,59,630	2,32,007	1,88,946
पश्चिम बंगाल	1,57,014	99,793	55,658	1,66,255
दादरा तथा नगर	-	-	-	-
हवेली	8,958	6,180	3,406	1,512
दिल्ली	-780	-413	-	-
पाण्डिचेरी	2,520	1,006	904	1,010
योग	40,43,823	26,66,654	18,40,667	13,34,652

"साइन्टिस्ट वार्न्स अगेन्स्ट सोइल डिग्रेडेशन" शीर्षक समाचार

2452, श्री हरिनाथ मिश्र :

श्री ए. के. राय : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी. 2982 के "टाईम्स आफ इण्डिया में" साइन्टिस्ट वार्न्स अगेन्स्ट सोइल डिग्रेडेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भू-विज्ञान की 12 वीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस फरवरी 1982 में नई दिल्ली में हुई थी।

(ग) यदि हां, तो कांग्रेस में रखे गए वे सुझाव क्या हैं जो हमारे देश पर लागू होते हैं और प्रत्येक सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

(घ) क्या प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक डा. पी. बुरिन्ग ने निम्नलिखित सुझाव रखे है :—

(एक) नगरीकरण के लिए उपयोग की जा रही अधिकतर भूमि बहुत अच्छी

कृषि योग्य भूमि थी और ऐतिहासिक तौर पर बसाए गए अधिकतर नगर उपजाऊ भूमि में बसे हुए हैं ;

(दो) तकनीकी और कृषि की दृष्टि से इस समय पैदा किए जा रहे अनाज का 10 गुणा अनाज पैदा किया जा सकता है ;

(तीन) विश्व में 17000 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर इस समय खेती नहीं की जा रही है परन्तु किन-2 प्रदेशों पर इसका क्षेत्र अलग-अलग है; और

(ङ) उक्त बातें भारत पर कहां तक लागू होती है और उक्त प्रत्येक पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसायटी के सात स्वीकृत आयोगों, अर्थात् (1) मृदा भौतिकी ; (2) मृदा रसायन विज्ञान ; (3) मृदा जैविकी ; (4) मृदा उर्वरता तथा पौध पोषण ; (5) मृदा उत्पत्ति, वर्गीकरण और मानचित्र कला ; (6) मृदा प्रौद्योगिकी और (7) मृदा खनिज विज्ञान के अधीन सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया ।

इस सम्मेलन की विशिष्टितायें विश्व मृदा नीति तथा मरुस्थालीकरण पर विचार गोष्ठी थी । यह सम्मेलन 16 फरवरी, 1982 को समाप्त हुआ । अन्तर्राष्ट्रीय मृदा-विज्ञान सोसायटी से अभी इस सम्मेलन की कार्यवाही और सिफारिशें प्राप्त की जानी है : जब ये प्राप्त हो जायेंगी आवश्यक कार्यवाई के लिए उनकी जांच की जाएगी ।

फिर भी, विचार विमर्श के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई वे निम्न-लिखित है :—

1. अन्तर्राष्ट्रीय मृदा और जल अनुसंधान सस्थान की स्थापना, जिसके केन्द्र ऊष्ण कटि-बन्धनीय क्षेत्रों में हो ;

2. अन्तर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसायटी मृदा के अधीन मृदा संरक्षण और पर्यावरण पर एक नए उप-आयोग की स्थापना ;

3. अधिक मात्रा में उर्वरक उपयोग की क्षमता और मृदा उत्पादकता के निर्वाह के लिए मूल और व्यावहारिक दोनों तरह के अनुसंधान में तेजी लाना ।

सरकार, भारत मृदा की समस्याओं के प्रति सजग है और इस सयध में पहले ही निम्न-लिखित कार्यवाई आरम्भ कर दी गयी है ;

1. मृदा विज्ञान में मूल अनुसंधान को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान की स्थापना को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है ;

2. छठी योजना के दौरान 21 अनुसंधान संस्थाओं और 41 फसल सुधार तथा मृदा उत्पादकता से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं में मृदा, जल और उर्वरक के उपयोग में अनुसंधान सहायता को सुदृढ़ किया गया है ;

3. राज्यों में मृदा और भूमि उपयोग नीतियों के लगातार प्रबोधन और समन्वय के लिए, भारत सरकार एक केन्द्रीय भूमि उपयोग आयोग स्थापित कर रही है।

(घ) 1. जी हाँ, श्रीमान "कृषि उत्पादन के लिए विश्व-मृदा की संभाव्यता" पर पूर्ण सत्र में अपने भाषण में डा० बुरिंग ने सम्भवतः उत्पादनशील फसल वाली भूमि की क्षतिका उल्लेख किया। उनके अनुसार ऐसा अनुमान है कि 1975 से 2000 ई. तक के इन 25 वर्षों की अवधि के दौराग विश्व में 200 मिलियन एकड़ भूमि गैर-सरकारी कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

2. जी हां, श्रीमान डा० बुरिंग ने आगे कहा कि कृषि उत्पादन के लिए विश्व मृदा की क्षमता अधिक है। उनके अनुसार मौजूदा समय में जितना खाद्यान्न का उत्पादन होता है उससे करीब 10 गुना अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करना सम्भव है।

3. डा. बुरिंग द्वारा की गयी टिप्पणियों में से एक टिप्पणी यह भी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि फसली भूमि का वर्तमान क्षेत्र 1500 मिलियन हैक्टर है, जबकि सम्भाव्य फसल भूमि का कुछ क्षेत्र करीब 3200 मिलियन हैक्टार है। इस तरह विश्व में कृषि योग्य कुल भूमि सम्भवतः 1700 मिलियन हैक्टार है, जो अधिकांश रूप में चराई वाली भूमि तथा कुछ अंश में जंगल के रूप में इस्तेमाल में लाई जाती है।

(ङ) भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के दबाव के कारण शहरों के आस-पास की कृषि भूमि का उपयोग गैर सरकारी कार्यों जैसे आवास, उद्योग, सड़क, मनोरंजन की सुविधाओं आदि के लिए किया जा रहा है।

जहां तक भारत के उत्पादन क्षमता का प्रश्न है अनुसंधान फार्म तथा राष्ट्रीय प्रदर्शन से प्राप्त प्रयोगात्मक उपलब्धियां इस बात का प्रमाण देती हैं कि उपलब्ध उत्पादन प्रोद्योगिकी के वर्तमान स्तर में 200 से 300 प्रतिशत तक के अन्तराल को पूरा करने की क्षमता है।

सम्भावित कृषि योग्य भूमि के बारे में जिसमें इस समय खेती नहीं की जा रही है, जहां तक भारत का सम्बन्ध है इसका क्षेत्र सीमित है। राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) द्वारा लगाये गये अनुमान में यह दिखाया गया है कि 2000 ई० तक कृषि योग्य भूमि में सुधार लाकर, नयी

सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराकर तथा परती भूमि के योगफल को कम करके 10 मिलियन हैक्टार भूमि को खेती के अन्तर्गत लाया जा सकता है ।

वनस्पति घी की पोलीपैक में बिक्री

2453. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्री कमला मिश्र मधुकर :

श्री एस. बी. सिदनाल : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 फरवरी, 1982 को "इकनोमिक टाइम्स" में "वनस्पति इन पोलीपैक" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वनस्पति और खाद्य तेलों को पोलीथीन पैकिटों में बेचने का है क्योंकि पोलीपैक का मूल्य टिन के डिब्बों की तुलना में कम होने के कारण उपभोक्ता मूल्य कम होगा, और

(ग) क्या मन्त्रालय का प्रस्ताव अनुमति के लिए स्वास्थ्य मन्त्रालय के पास लंबित है, और यदि हां, तो शीघ्र अनुमति प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं या किए जाएंगे ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) (क) : जी हां ।

(ख) व (ग) सरकार वनस्पति और खाद्य तेलों को अल्प घनत्व पोलीथीन बहिर्बेधित/उच्च घनत्व पोलीथीन बहिर्बेधित संयोजन अथवा किसी अन्य उपयुक्त संयोजन से बनाये गए-नम्य पैकों मे बेचना शुरु करने की संभावना की जांच कर रही है । स्वास्थ्य मन्त्रालय के परामर्श से, पेकिंग सामग्री के नमूने केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर को भेजे गये हैं, जिन्हें वनस्पति और खाद्य तेलों को पैक करने के लिए इन नम्य पैकों की उपयुक्तता तय करने तथा परिणामों की सूचना सरकार को देने के लिए कहा गया है ।

स्व. वित्तपोषण योजना के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र

2454. **श्री चित महाटा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तीसरी स्व वित्तपोषण योजना के अन्तर्गत इस विशेष शर्त के साथ की दक्षिण दिल्ली में किसी रजिस्टर्ड आवेदन कर्ता को इस योजना में मकान आवंटित नहीं किया जायेगा (रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास स्व० वित्तपोषण योजना

के अन्तर्गत दक्षिण दिल्ली में मकान आबंटित करने के लिए निकट भविष्य में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदनपत्र आमंत्रित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(घ) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि तीसरी स्व वित्तपोषित की वितरणिका में यह बताया गया था कि कालोनियों का स्थान दक्षिण दिल्ली के अलावा अन्य क्षेत्रों में फेलाये जाने की सम्भावना है । यह बताया गया है कि बाद में दक्षिण दिल्ली में कुछ पलाट पाये गये थे इसलिए दक्षिण दिल्ली में कुछ और फ्लाटों का निर्माण किया गया और पहली, दूसरी तथा तीसरी स्ववितपोषित योजनाओं के अन्तर्गत पजीकृत व्यक्तियों में दिए गये ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अगली स्ववितपोषित योजनाओं पंजीकरण आरम्भ करने का निर्णय अभी तक नही लिया गया है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

चावल का उत्पादन और वितरण

2455. श्री चित्त महाटा : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-82 के दौरान प्रत्येक श्रेणी के चावल का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को चावल का कितना वितरण किया गया ; और

(ग) उक्त अवधि में सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को चावल की मांग क्या थी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) : उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है :

फसल वर्ष	चावल के हिसाब से उत्पादन के अनुमान
1979-80	423.3 लाख मीटरीटन
1980-81	532.3 लाख मीटरी टन

1981-82 के लिए अग्रिम अनुमानों के अनुसार चावल का प्रत्याशित उत्पादन लगभग 545 लाभ मीटरी टन होगा ।

(ख) और (ग) : इस अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय भण्डार से चावल की कुल अखिल भारत मांग, उसका आवंटन और उठान इस प्रकार है :

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

वर्ष	मांग	आवंटन	उठान
1979	6274.63	6254.63	2373.9
1980	9365.11	9666.80	4161.5
1981	11134.65	10136.84	5188.7
1982	2771.38	1957.32	447.7*

* — केवल जनवरी, 1982 के लिए

अध्ययन दलों की रिपोर्ट

2456. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित अध्ययन दलों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है :

(एक) स्थानीय निकायों के संविधान अधिकार कौर नियम ;

(दो) नगर आयोजन और भवन विनियम ;

(तीन) शहरी स्थानीय निकायों के संसाधन ;

(चार) शहरी विकास को नीति ;

(ख) यदि हाँ, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) (1) स्थानीय निकायों के संविधान, अधिकार और नियम।

(2) शहरी स्थानीय निकामों का संसाधन पर अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जबकि नगर आयोना और भवन विनियमन पर अध्ययन दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। शहरी विकास की नीति पर अध्ययन दल को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

(ख) उपर्युक्त तीन अध्ययन दलों की रिपोर्ट स्थानीय शासन और शहरी विकास की केन्द्रीय परिषद, की 19 वीं बैठक में तथा 4 और 5 फरवरी, 1982 को हुई स्थानीय शासन और शहरी विकास की केन्द्रीय परिषद और अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारी समिति की संयुक्त बैठक में रखी थी और यह संकल्प किया था कि राज्य सरकारें अध्ययन दलों की रिपोर्टों में की गई शिफारिसों पर अन्तिम रूप से विचार करें और उन पर उपयुक्त कार्यवाई करें तथा इसकी सूचना निर्माण और आवास मंत्रालय को भी दें।

1971 से 1981 की अवधि के दौरान मंजूर की गई सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना

2457. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 से 1981 की अवधि के दौरान योजना आयोग के तकनीकी मूल्यांकन सेल द्वारा अनुमोदित की गई 529 सिंचाई परियोजनाओं में से कितनी बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनायें की गई है ; और

(ख) इस अवधि के दौरान तमिलनाडु के लिए कितनी और ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजनायें स्वीकृत की गई है और ईनमें से कितनी पूरी की गई हैं और कितनी पूरी की जानी है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जिया उर्रहमान अंसारी) :(क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

तुर्कमान गेट काम्पलेक्स में एक कमरे का मकान

2458. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :**

डा० ए० यू० आजमी : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का बिचार तुर्कमान गेट काम्पलेक्स के नबनिर्मित एक कमरे के मकानों को कब आबंटित करनेका है , क्योंकि काफी लम्बे समय से उन्हें आबंटित न किए जाने के कारण सरकार को राजस्व की भारी हानि हो रही है;

(ख) ऐसे आबंटन के लिए किन लोगों को पात्र माना गया है और इसकी शर्तें क्या होगी ;

(ग) क्या तुर्कमान गेट से हटाये गए लोगों को जिन्हें मिन्टो रोड, नई दिल्ली क्षेत्र में बसाया गया था, इसके आबंटन हेतु विचार किया जायगा ; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिन्टो रोड, नई दिल्ली क्षेत्र के कुछ सील बन्द क्वाटरों में लोग अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं ; यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री(श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

छठी पंचयर्षीय योजना के दौरान राज्लों को हुड़को द्वारा ऋण

2459. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री निम्नलिखित को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ;

(क) हुड़को ने छठी पंचवर्षीय योजना में अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि मंजूर की है ; और

(ख) हुड़को ने विभिन्न राज्यों को अब तक कितनी धनराशि दी है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

छठी योजनावधि अर्थात 1 अप्रैल, 1980 से 31 जनवरी, 1982 तक हुडको द्वारा राज्यवार स्वीकृत तथा दिया गया ऋण

राज्य संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत कण (करोड़ रुपयों में)	कुछ संकलित स्वीकृति की तुलना में दी गई राशि (करोड़ रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	25,24	14,47
असम	1,71	1,40
बिहार	7,61	1 60
गुजरात	30,03	19,69
हरियाणा	12,86	5,69
हिमाचल प्रदेश	1,68	0,86
जम्मू तथा काश्मीर	4,74	1,96
कर्नाटक	20,39	12,81
केरल	17,23	14,81
मध्यप्रदेश	9,02	4,31
महाराष्ट्र	43,22	16,89
मणिपुर	0,11	0,02
नागालैण्ड	1,57	-
उड़ीसा	10,67	2,31
पंजाब	20,27	7,77
राजस्थान	21,21	11,48
तमिलनाडु	23,41	17,31
उत्तरप्रदेश	29,35	22,16
पश्चिम बंगाल	12,44	8,98
चण्डीगढ़	6,55	6,36
दिल्ली	0,94	0,60
पांडिचेरी	1,24	0,13
योग	311,49	171,61

दिल्ली में राशन की दुकानों पर रेपसीड तेल, ताड़ का तेल और गेहूं की कमी

2460. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में राज्यों तथा राजधानी में राशन की दुकानों पर रेपसीड तेल और आर० बी० डी० ताड़ के तेल की कमी को माना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गेहूं के मामले में राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं में वितरण करने के समय विलम्ब हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त वस्तु को समय पर वितरित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) (क) : खुले बाजार में देशी तेलों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले आयातित खाद्य तेलों को सम्मिलित रूप में लेने पर, राज्यों तथा राजधानी में इनकी समग्र उपलभ्यता, कुल मिलाकर सन्तोषजनक है। तथापि, अस्थायी स्वरुप की स्थानीय कमियों से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(ख) व (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें दिल्ली भी शामिल है, को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों का आवटन, जिसमें गेहूं भी शामिल है, मासिक आधार पर किया जाता है और ऐसा करने में स्टाक की कुल उपलभ्यता, स्थानीय बाजारों में उपलभ्यता, विभिन्न राज्यों की समग्र आवश्यकताओं तथा ऐसी ही अन्य सबंधित बातों को ध्यान में रखा जाता है। यद्यपि ये आवंटन करने में देरी नहीं होती है, तथापि विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई को वास्तविक रूप में पहुंचाने में राज्य स्तर पर यदा-कदा देरी होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

खाद्य तेलों का उत्पादन और खपत

2461. **श्री रास बिहारी बहेरा** :

श्री राम कृष्ण मोरे : क्या कृषि मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश की अपेक्षित मांग को पूरा करने के लिए तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये है ;

(ख) भारत में खाद्य दलों की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि यह विश्व में न्यूनतम है ;

(घ) सरकार द्वारा वन संसाधनों से तेल का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है ; और

(ङ) ये परियोजनाएं किन राज्यों ने कार्यान्वित की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी०स्वामीनाथन) : (क) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है :

1. केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत तिलहनों के विकास के लिए सघन कार्यक्रम किसानों के खेतों में प्रदर्शन करना, बीज उत्पादन तथा वितरण प्रबन्ध को सुदृढ़ करना, वनस्पति-रक्षण के उपायों का विस्तार करना तथा किसानों और विस्तार कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना इस योजना के उद्देश्य हैं।

2. गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन पर विशेष परियोजनाएं आरम्भ करना।

3. तिलहनों के विकास के लिए पांचवी योजना के 14 करोड रुपए के आवंटन की तुलना में छठी योजना के आवंटन को बढ़ाकर 65 करोड़ रुपए करना।

4. तिलहन की फसलों के तहत सिंचित क्षेत्र को 1979-80 में 8 लाख हैक्टार की तुलना में 1984-85 तक बढ़ाकर 14 लाख हैक्टार करना।

5. गैर-परम्परागत तिलहन फसली अर्थात सोयाबीन तथा सूरजमुखी के तहत क्षेत्र को बढ़ाना।

6. अन्तरवर्ती और अन्तःवर्ती फसल के माध्यम से तिलहनों की शीघ्र पकने वाली किस्मों के तहत क्षेत्र को बढ़ाना।

7. अनुसंधान प्रयासों को तेज करना।

8. न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, ताकि किसानों को उनके उत्पादनों का पर्याप्त मूल्य प्राप्त हो सके।

(ख) तथा (ग) : खाद्य तेलों की दीर्घावधि योजना तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित किए गए अन्तःमंत्रालय अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य तेलों जिनमें वनस्पति भी शामिल है, की प्रति व्यक्ति खपत 5.2 किलोग्राम प्रति वर्ष है। यह विश्व में न्यूनतम खपत है।

(घ) तथा (ङ) : तिलहनों तथा वृक्ष और वन मूल से प्राप्त तेलों के विकास के लिए आदिवासी क्षेत्रों के विकास को ध्यान रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में 2 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से एक योजना को शामिल किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य भण्डारण गोदामों का निर्माण जैसी अवस्थापनात्मक सुविधाओं के विकास के माध्यम से अधिक से अधिक साल के बीजों को इकट्ठा करना तथा उनका परिसंस्करण करना ; अगम्य क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना, वाहनों की आदि करना है। शुरुआत को तौर पर तीन राज्यों अर्थात उड़ीसा, बिहार तथा मध्यप्रदेश, जिनमें साल के बीजों का प्रचुर भण्डार है, को इस योजना के लिए चुना गया है। उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना सरकार के विचाराधीन है।

लघु और सीमान्त किसानों के लिए योजना

2463. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने लघु तथा सीमान्त किसानों की सहायता के लिए 1982-83 में कार्यान्वयन के लिए कोई योजनाएं पेश की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा एवं उनकी लागत क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उनको मंजूरी दे दी है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा छोटे तथा सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों तथा गैर-कृषि श्रमिकों की सहायता के लिए कार्यान्वित किया जा रहा मुख्य कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। यह छठी पंचवर्षीय योजना स्कीम है जिसे मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है और यह वर्ष 1982-83 के दौरान भी जारी रहेगा। मध्यप्रदेश के सभी खण्ड समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिए गए हैं जिसके लिए 1982-83 के दौरान प्रतिखण्ड 8 लाख रुपये का आवंटन उपलब्ध होगा। इस धनराशि को केन्द्र तथा राज्य द्वारा बराबर-बराबर आधार पर वहन किया जाना है। योजना के अन्तर्गत लक्षित वर्ग को अपने आर्थिक स्तर में सुधार करने हेतु सक्षम आर्थिक गति-विधियाँ शुरु करने के लिए सहायता सुलभ की जाती है छोटे किसानों को 25 प्रतिशत सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों को 33/1/3 प्रतिशत की दर से लागत पूंजी का उपदान सुलभ किया जाता है। आदिवासी भागीदारों के लिए उपदान 50 प्रतिशत है। प्रतिवर्ष प्रति दण्ड 600 परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लेने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय को मध्यप्रदेश सरकार से कोई अन्य योजना प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है।

राजधानी में अधिग्रहीत भूमि का अवैध अन्तरण

2464. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष (1981-82) के दौरान राजधानी में अधिगृहित अथवा अधिसूचित भूमि की अवैध बिक्री, पंजीकरण और अन्तरण के कितने मामलों का पता चला है ;

(ख) इसमें भूमि का कुल कितना क्षेत्र अन्तर्गत है ; और

(ग) इस बारे में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली

प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1981 में 198? मामले तथा फरवरी, 1982 तक 37 मामले इस विषय में पंजीकृत किए गये थे।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ग) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :

1981	670
1982	8
(21-2 1982 तक)	

तूफान से प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय सहायता

2465. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष तूफानों के पीड़ितों को राहत देने के लिए तूफान से प्रभावित विभिन्न राज्यों को कितनी सहायता दी गई है ;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा इसमें से कितनी सहायता का उपयोग किया गया है और परिणम-स्वरुप कितने परिवार लाभान्वित हुए ; हैं और

(ग) इस प्रयोजन के लिए प्रत्येय राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से कितनी धनराशि लगाई गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप-मंत्री(कुमारी कमला कुमारी) : (क) 1981-82 दौरान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्य समुद्री तूफान से प्रभावित हुए थे।

उड़ीसा : राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया।

पश्चिम बंगाल : केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर आधारित राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1981-82 के दौरान 1817.87 लाख रुपये और 1982-83 के दौरान 757.50 लाख रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की है।

गुजरात : एक केन्द्रीय दल ने क्षति का मौके पर जायजा लेने और स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता का पता लगाने के लिए 3 से 4 मार्च, 1982 के बीच गुजरात का दौरा किया। इस दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है इसके प्राप्त होने तक भारत सरकार ने साधनोपाय पेशगी के रूप में राज्य के लिए 5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

प्रधान मन्त्री ने समुद्री तूफान से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष से उड़ीसा को 1 लाख रुपये, पश्चिम बंगाल को 5 लाख रूपये तथा गुजरात को 5 लाख रूपये की राशि निर्मुक्त की है।

(ख) और (ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेय जल

2466. **श्री सज्जन कुमार :**

श्री भीकू राम जैन : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली के सभी गांवों को 1982-83 तक पेय जल उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को समय पर पूरा करने के लिए कोई प्रभावशाली कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारयण सिंह) : (क) तथा (ग) जी, हां ।

(ख) तथा (घ) दिल्ली जलपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थानने सूचित किया है कि 1977-78 के अन्त तक केवल 61 ग्रामीण क्षेत्रों के गावों में जल की व्यवस्था की गई थी अब 245 ग्रामों में से 168 में जल सप्लाई की व्यवस्था विद्यमान है । शेष ग्रामों को संस्थान द्वारा मार्च, 1983 तक जलपूर्ति की व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ।

संस्थान ने बताया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न जलपूर्ति योजनाओं के लिये अनुमोदित परिव्यय 8 करोड़ रुपये का है।

भूमि अधिग्रहण में संशोधन का प्रस्ताव

2467. **श्री चित्त वसु :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां ।

(ख) एक संशोधन विधेयक तैयार किया जा रहा है ।

दिल्ली में रहने वाले बेघर लोग

2468. **श्री चित्त बसु :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में 2 लाख से भी अधिक लोग बेघर होने के कारण रात को खुले में सोते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि लगभग 20 लाख मनुष्यों के रहने की स्थिति से घटिया स्तर पर रह रहे हैं, जिनमें से 13 लाख लोग तो ऐसे स्थानों पर रहते है, जिन्हे स्लम घोषित किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली ने आवासीय स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए है अथवा किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि अधिसूचित गन्दी बस्ती क्षेत्रों के निवासियों की संख्या लगभग 15 लाख है परन्तु यह कहना सही नहीं है कि ने अमाननीय स्थितियों में रहते है।

(ग) सार्वजनिक आवास क्षेत्रों में दिल्ली विकास प्राधिकरण निम्नलिखित माध्यमों से बढ़ती हुई आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में काफी हद तक समर्थ हो गया है । (क) विकसित प्लाटों की बिक्री (ख) सरकारी समितियों को भूमि का आवंटन (ग) इसके द्वारा विकसित विभिन्न आवास योजनाओं में विभिन्न श्रेणियों के मकानों का निर्माण । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 60,000 मकानों का निर्माण के अतिरिक्त अभी तक आवटन नीलामी और सहकारी समितियों के माध्यम से 2,50,000 प्लाट दिये हैं। इस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 40,000 मकान निर्माणाधीन है और लगभग 32,000 मकानों के लिए आंलनों को तैयार करने, व्यवहार्यता जांच तथा निविदाओं को आमन्त्रित करने के लिए ज्ञा ञ तैयार करन का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1979 में पंजीकृत सहकारी ग्रुप आवास समितियों को भूमि आवंटन के भी कदम उठाये हैं इन कदमों से निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की आशा है और अगले पांच वर्षों में मकानों की पिछले संचय में भी पर्याप्त कमी होगी।

इसके अलावा, दिल्ली में सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाती है।

वर्ष 1981-82 में एन० आर० ई० पी० के लिए अनुदान

2469. **श्री चित्त बसु :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एन० आर० ई० पी० के लिए वर्ष 1981-82 के उत्तरार्द्ध के लिए स्वीकृति 90 करोड़ रुपये की राशि के अनुदान को रोक लिया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं। चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय बजट में किए गए 180 करोड़ रूपये के कुल प्रावधान में से 144.57 करोड़ रूपये की निधियां पहले ही बंटित कर दी गई है। शेष धनराशि के बंटन के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छठी योजना में सहकारी कताई मिलों के लिए धन राशि

2470. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि में सहकारी कताई मिलों पर कुल कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ;

(ख) उपर्युक्त धनराशि में से केरल में कितना खर्च किया जायेगा ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) सहकारी कताई मिलों के उत्पादकों के शेयर पूंजी अंशदान के लिए कृषि मन्त्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जिसके लिए छठी योजना में 20 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय की व्ययस्था है। जुलाहों की सहकारी कताई मिलों की शेयर पूंजी में योगदान देने के लिए वाणिज्य मन्त्रालय के वस्त्र विभाग में भी केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जिसके लिए छठी योजना अवधि के दौरान 32 करोड़ रुपए के परिव्यय की मजूरी दी गई हैं। ये दोनों योजनाएं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) तथा (ग) छठी पंच वर्षीय योजना की अवधि के दौरान अब तक केरल सरकार से सहकारी कताई मिलों की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए निधियों की मंजूरी देने से संबधित कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, यह समझा जाता है कि केरल सरकार छठी पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान एलेप्पी तथा त्रिचूर स्थित जुलाहा सहकारी कताई की दो मिलों में शेयर पूंजी में योगदान देने के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सम्पर्क स्थापित करेगी। राज्य सरकार प्रस्ताव प्राप्त होन पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम उस पर विचार करेगी।

छठी योजना में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास हेतु सहायता

2471. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि में राष्ट्रीय उद्यानो और अभयारण्यों के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि की सहायता दिए जाने की आशा है ;

(ख) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए केरल को दिए जाने के लिए प्रस्तावित सम्बद्ध धनराशि कितनी है; और

(ग) राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मूकघाटी की विकास करने के लिए दिए जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राष्ट्रीय पार्कों तथा आश्रयस्थलों का विकास करने के लिए राज्यों को सहायता देने हेतु छठी योजना अवधि में कुल परिव्यय 499 लाख रुपए है।

(ख) तथा (ग) : राष्ट्रीय पार्कों तथा आश्रयस्थलों के विकास के लिए केरल को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विकास सम्बन्धी योजना में उनके द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता की मात्रा के आधार पर निश्चित की जाएगी। इसमें मूकघाटी राष्ट्रीय पार्क के विकास की सहायता भी शामिल होगी।

जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जनसंख्या अधिनियम: 1980 का बाधक होना

2472. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का जल विद्युत परियोजना को शुरू करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ट्रांसमिशन लाइनों सहित सभी जल-विद्युत परियोजनाओं को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के क्षेत्र से छूट देने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार ने इसके लिए अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) वन क्षेत्रों से सम्बन्धित वन-बिजली परियोजनाओं के मामलों में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी की आवश्यकता होती है और इन मामलों पर शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है। मौजूदा कानून के तहत छूट की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) केरल राज्य बिजली बोर्ड ने वितरण लाइनों को बिछाने सहित पन-बिजली परियोजनाओं को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की परिधि से छूट देने के लिए केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया था। इस मामले में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि ऐसी कोई सामान्य छूट नहीं दी जा सकती है और ऐसे प्रत्येक मामले पर, जहाँ कि पन-बिजली परियोजनाओं इत्यादि के लिए वन-भूमि की आवश्यकता होती है। उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उनके गुण-दोषों के आधार पर विचार करना होगा।

विजिजाम बेस में मत्स्य परियोजना का पर्यवेक्षण

2473. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्वेषी मत्स्य परियोजना के विजिजाम बेस के कार्य का पर्यवेक्षण कौन कर रहा है;

(ख) विजिजाम में मत्स्य संसाधनों के सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नवम्बर और दिसम्बर, 1981 तथा जनवरी, 1982 में मछलियाँ पकड़ने के लिए जितने समय के लिए जहाज लगाया गया उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) समन्वेषी मात्स्यिकी परियोजना की विजिजाम स्थित कोचीन बेस की केवल एक अस्थाई प्रचालन एकक है। समन्वेषी मात्स्यिकी परियोजना के कोचीन बेस के उप-निदेशक विजिजाम एकक के सर्वेक्षण कार्यक्रम की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। तथापि, एक सहायक निदेशक की मदद से एक सहायक अभियन्ता स्थानीय प्रभारी अधिकारी के रूप में विजिजाम एकक की देखभाल करता है।

(ख) वेज बैंक मत्स्यन स्थल विजिजाम के दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग 40 मील दूर स्थित है। विजिजाम से सर्वेक्षण जलयान मत्स्यानिरीक्षणी (0-55 एम.) तथा कोचीन से मत्स्यसुगन्धी सर्वेक्षण जलयान (31.5 एम.) द्वारा इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है। मत्स्य-निरीक्षणी सर्वेक्षण जलयान ने हेमर्सल मात्स्यकी संसाधनों के लिए 30 से 200 मीटर की गहराई में लगभग 2500 वर्ग कि० मी० क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान उच्च कोटि की मछलियों जैसे पर्चेस, कारांगिड, स्क्विड तथा करलेफिश के बाहुल्य वाले क्षेत्र पाये गए। पकड़ी जाने वाली मछलियों में उच्च कोटि की मछली 30 से 40 प्रतिशत तक होती है। इस जलयान से ड्रालिंग द्वारा पकड़ी गई मछलियों की मात्रा प्रति घंटा 100 से 200 किलोग्राम तक है। मत्स्यसुगन्धी सर्वेक्षण जलयान ने टूना लाइनलाइन प्रणाली द्वारा वेलापवर्ती (पेलागिक) संसाधनों का सर्वेक्षण किया है। पकड़ी गई मछलियों में 65 प्रतिशत शार्क, 7.5 प्रतिशत बिलफिश तथा 7.5 प्रतिशत अन्य किस्में थीं। शार्क मछलियों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों का पता दिसम्बर, 1981 के दौरान लगाया गया था।

(ग) मत्स्यनिरीक्षणी सर्वेक्षण जलयान ने नवम्बर, 1981 के दौरान 16 दिनों में 40 घंटे, दिसम्बर, 1981 के दौरान 22 दिनों में 89 घंटे तथा जनवरी, 1982 के दौरान 20 दिनों में 64 घंटे तक मछली पकड़ने का काम किया। मत्स्यसुगन्धी सर्वेक्षण जलयान ने नवम्बर, 1981 के दौरान 14 दिनों में 42 घंटे, दिसम्बर, 1981 के दौरान 24 दिनों में 81 घंटे तथा जनवरी, 1982 के दौरान 19 दिनो में 60 घंटे तक मछली पकड़ने का काम किया।

हवाई अड्डों और बन्दरगाहों पर पौधों की बीमारी

2474. **श्री गुलाम मोहम्मद खान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हवाई अड्डों और बन्दरगाहों पर उचित जांच व्यवस्था न होने के कारण कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान कार्यों के लिए आयात किये गए पौधों और बीजों में बीमारियां बढ़ रही हैं जिसके परिणामस्वरूप वे हमारी खेती के लिए खतरनाक सिद्ध हो रही हैं; और

(ख) भारतीय कृषि को हानिकारक कीटाणुओं से बचाने की दृष्टि से आयातित बीजों और पौधों की जांच व्यवस्था सम्बन्धी कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं ।

(ख) विनाशकारी कीट एव कृषि कृमि अधिनियम, 1914 के अन्तर्गत समस्त पौध तथा बीज सामग्री को, प्रमुख हवाई अड्डों, बन्दरगाहों और सीमान्त चौकियों से देश में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले धूमित किया जाता है । अनुसधान उद्देश्यों के लिए आयातित पौध तथा बीज सामग्री की राष्ट्रीय पौध अनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली में आगे विस्तृत जाँच व उपचार की व्यवस्था की जाती है । यदि विशिष्ट बीज से पैदा होने वाले कीट/रोग को पूरी तौर पर दूर करने के लिए उपचार उपलब्ध नहीं होता है, तो सामग्री को नष्ट कर दिया जाता है ।

इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा अनुसंधान प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिकों को निर्मुक्त किये गए आयातित बीज व सामग्री से किसी विदेशी कीट/रोग की शुरुआत हुई है ।

उपभोक्ता संगठनों द्वारा प्रकावित स्मारिकाओं को विज्ञापन देना

2475. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी क्षेत्र संगठनों तथा सरकारी उपक्रमों को मूल्य वृद्धि को रोकने में सहायता दे रहे उपभोक्ता संगठनों द्वारा प्रकाशित की जा रही स्मारिकाओं में अपने विज्ञापन देने की सलाह देने के कोई कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन संगठनों को इस आशय का कोई आश्वासन दिया गया है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

"बायों-गैस फ्राम ग्रास"

2476. **श्री नारायण चौबे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गोबर की बजाए घास से बायो-गैस प्राप्त करने की सम्भावनाओं की ओर दिलाया गया है; (हिन्दुस्तान-टाइम्स, 8 जनवरी 1982);

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के वैज्ञानिकों का बायो-गैस उत्पादन के बारे में कोई नया सुझाव है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार बायो-गैस जो ऊर्जा का एक नवीन स्रोत है, के उत्पादन की देखभाल करने के लिए एक पृथक राष्ट्रीय समिति/बोर्ड का गठन करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) भारती कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा घास सहित सैंजुलोसिक सामग्री के उपयोग का अध्ययन करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ जैव-गैस प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित एक अखिल भारतीय समन्वित परियोजना शुरू की जा चुकी है। यह कार्य प्रायोगिक अवस्था पर होना बताया गया है।

(ग) जैब-गैस विकास के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना शुरू की गई है और कृषि मंत्रालय द्वारा जैब-गैस विकास के सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति की स्थापना की जा चुकी है।

सिचाई परियोजनाओं के लिए विदेशी सहयता

2477. **श्री जेवियर अराकल :** क्यासिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों अथवा संस्थाओं द्वारा किन-किन सिचाई परियोजनाओं की मदद की जाती है या उनके लिये सहायता दी जाती है और इन परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) क्या सरकार ने सिचाई योजनाओं के लिए किसी अन्य बाह्य स्रोत से नई सहायता या मदद के लिए अनुरोध किया है ?

सिचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) विभिन्न विदेशी अभिकरणों से सहायता प्राप्त करने वाली सिचाई परियोजनाओं की, ऋण-सहायता के ब्यौरे सहित सूची संलग्न है।

(ख) आई० बी० आर० डी०, आई० डी० ए०, आई० एफ० ए० डी०, यू० एस० ए०, आई० डी०, ई० ई० सी०, यू० एन० डी० पी, एफ० आर० जी० तथा सऊदी निधि जैसे विभिन्न विदेशी ऋणदाता अधिकरणों को विकास इत्यादि के लिए कई परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं; और सरकार किसी विशेष परियोजना के लिए स्रोत से उपलब्ध सहायता की आवश्यकताओं तथा उपयुक्तता को ध्यान में रखकर नई सहायता के लिए ऐसे ऋणदाता अधिकरणों के साथ जब भी स्थिति के अनुसार आवश्यक होता है, बातचीत करती रहती है।

विवरण

विदेशी अधिकरणों से ऋण-सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाएं

क्रम सं०	परिययोजना का नाम	परियोजना की लागत (मिलियन डालर में)	ऋण की राशि (मिलियन डालर में)	करार की प्रभावी तारीख	करार समाप्त होने की तारीख
1	2	3	4	5	6
	एक विश्व बैंक सहायता				
1.	चम्बल कमान क्षेत्र विकास	91.5	52.0	दिसम्बर, 74	जून, 82
2.	राजस्थान नहर कमान क्षेत्र विकास, चरण-एक	174.0	93.0	दिसम्बर, 74	जून, 82
3.	नागार्जुनसागर परियोजना (आन्ध्र प्रदेश)	279.0	145.0	सितम्बर, 76	जून 82
4.	पेरियार वैग्गई परियोजना (तमिलनाडु)	45.6	23.0	सितम्बर, 77	मार्च, 83
5.	जयकवाड़ी परियोजना (महाराष्ट्र)	140.0	70.0	जनवरी, 78	मार्च, 83
6.	उड़ीसा मध्यम परियोजना	116.0	58.0	जनवरी, 78	मार्च, 83
7.	कर्नाटक (अपर कृष्णा) सिंचाई परियोजना	258.4	117.0	अगस्त, 78	मार्च, 84
8.	गुजरात मध्यम सिंचाई परियोजना	215.0	85.0	अक्तूबर, 78	जून, 84
9.	हरियाणा सिंचाई परियोजना	222.0	111.0	दिसम्बर, 78	अगस्त, 83

1	2	3	4	5	6
10.	पंजाब सिंचाई परियोजना	257.0	129.0	जून, 79	जून, 85
11.	उत्तर प्रदेश सरकारी नलकूप परियोजन	37.7	18.0	मई, 80	मार्च, 83
12.	महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई परियोजना	455.0	210.0	जून, 80	सितम्बर,74
13.	गुजरात संयुक्त सिंचाई परियोजना	350.0	175.0	जून, 80	अप्रैल, 86
14.	महानदी विरूपा वराज परियोजना (उड़ीसा)	110.3	83.0	मार्च, 81	मार्च, 87
15.	मध्य प्रदेश मध्यम	232.1	140.0	मई, 80	मार्च, 87
16.	कर्नाटक टैंक परियोजना	111.6	54.0	मई, 81	मार्च, 86
17.	मध्य प्रदेश बृहद सिंचाई परियोजना	439.2	220.0	समझोते पर 24-2-82 को हस्ताक्षर किए गए	
	दो—आई० एफ० ए० डी० से सहायता				
1.	सीमा सिंचाई परियोजना	100.0	50.00	दिसम्बर, 79	दिसम्बर,85
.	राजस्थान नहर प्रावस्था-एक (चरण-दो)	110.64	55.00	मार्च, 80	दिसम्बर, 86
3.	मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई परियोजना	232.10	25.00	जून, 81	जून 87
	आई० डी० ए० के साथ सह-वित्त व्यवस्था				
	तीन यू० एस० ए० आई० डी० से सहायता				
1.	गुजरात मध्यम सिंचाई परियोजना				

1	2	3	4	5	6
	(आई० डी० ए० के साथ सह-वित्त व्यवस्था)	215.50	30.00	अक्तूबर 87	जून, 84
2.	राजस्थान मध्यम सिंचाई परियोजना	58.00	35.00	सितम्बर, 80	जून, 85

दिल्ली के मास्टर प्लान का पुनरीक्षण

2478. **श्री एच० के० एल० भगत :**

श्री राम विलास पासवान :

श्री रामावतार शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिए मास्टर प्लान का पुनरीक्षण करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या इस कार्य हेतु जन प्रतिनिधियों की कोई शिरकत है; और

(ग) यदि हां, तो किस तरीके से ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली के लिए 1981-2001 की भावी योजना तैयार करने की प्रक्रिया में है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस कार्य को करने के लिए पहले ही भावी योजना स्कन्ध स्थापित कर दिया है।

(ख) तथा (ग) दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली दिल्ली विकास प्राधिकरण की परामर्शदात्री परिषद् में सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त, योजना आयोग के सदस्य, तथा गैर-सरकारी सदस्य है जिससे इस प्राधिकरण को दिल्ली के विकास तथा योजना तथा भावी योजना को तैयार करने के सम्बन्ध में सलाह देती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण सम्मेलनों का भी आयोजन करता रहा है जिसमें, विशेषज्ञ, सरकारी संगटनों तथा जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

2479. **श्री एच० के० एल० भगत :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना जिसे 1973 में एक उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड ने अनुमोदित किया था। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में दिल्ली के आस-पास क्षेत्रों के सुनियोजित विकास करने तथा इन राज्यों में पता लगाये गये इर्द-गिर्द के कस्बों के विकास पर विचार किया गया है। इस योजना में इस क्षेत्र के सन्तुलित विकास स्वतः पूर्ण क्षेत्रीय शहरों में आर्थिक गतिविधियों को फैलाने और क्षेत्रीय परिवहन कार्य की पुनः संरचना करने और भूमि तथा अवसंरचना का स्वीकृत विकास पर विचार किया गया है। इस योजना में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के सिरे में स्थापित 18 शहरों का पता आस-पास के शहरों के रूप में लगाया गया है। फिलहाल, इन 18 पड़ोसी शहरों में केवल 5 शहर मेरठ और हापुड़ (उत्तर प्रदेश में) गुड़गांव और पानीपत (हरियाणा में) और अलवर (राजस्थान में) केन्द्रीय क्षेत्र योजना, के रूप में विकसित किये जा रहे हैं। राज्य सरकारों द्वारा समान निधियो के प्रावधान की शर्त पर केन्द्रीय ऋण सहायता अनुमोदित परियोजनाओं की लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित है। मार्च 1981 के अन्त तक 7.13 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। यह योजना छठी योजना अवधि के दौरान जारी रखी गई है और केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत योजना बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। क्षेत्र के लिए योजना को पुनः संचारित करने तथा प्रभावी समन्वय तन्त्र की व्यवस्था करने के उपाय विचाराधीन है।

वनस्पति उद्योगों की आयातित खाद्य तेल के आबंटन के नियम

2480. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति उद्योगों को आयातित खाद्य तेल का आबंटन करने के लिए सरकार द्वारा क्या नियम और मापदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) उन वनस्पति उद्योगों की सूची क्या है जिन्हें इस वर्ष आयातित खाद्य तेल का आबंटन किया जायेगा; और

(ग) यदि काली सूची में दर्ज कोई वनस्पति उद्योग है तो उसका क्या नाम है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) इस समय वनस्पति घी के उत्पादन के लिए आवश्यक तेल की 60 प्रतिशत तक की मात्रा का आवंटन प्रत्येक वनस्पति एकक को उसके द्वारा तेल वर्ष 1980-81 अर्थात् नवम्बर, 1980 से अक्तूबर, 1981 के दौरान किये गए औसत मासिक उत्पादन क आधार पर किया जा रहा है।

(ख) संस्थापित 90 एककों में से लगभग 81 एककों को इस समय आयातित तेल आवंटित किया जा रहा है। शेष न या तो उत्पादन करना बंद कर दिया है या शेष निर्माणाधीन हैं या वे साबुन बनान के लिए केवल औद्योगिक हार्ड तेल तैयार कर रहे हैं। इन एककों की एक सूची संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय

क्र० सं० फैक्ट्री का नाम

पंजाब

1. अमृत वनस्पति कं०, राजपुरा।
2. अमृतसर आयल वर्क्स, अमृतसर।
3. किशन चन्द, लुधियाना।
4. मार्कफेड वनस्पति, खन्ना।
5. नव भारत वनस्पति, दोराहा।
6. ओसवाल वनस्पति एण्ड एलाइड इण्डस्ट्री, लुधियाना।
7. ओसवाल वनस्पति एण्ड जनरल इंडस्ट्री, लुधियाना।
8. महावीर वनस्पति कंपनी, खरार (रणवीर कैमिकल खरार)
9. संगरूर वनस्पति मिल्स, संगरूर।

जम्मू व कश्मीर

10. के० सी० बनस्पति, जम्मू।
11. कश्मीर वनस्पति, जश्मू।

हरियाणा

12. एस० जी वैजीटेवल प्रोडक्ट्स, यमुना नगर।
13. हरियाणा वनस्पति कुंडली।
14. किरण वनस्पति प्रोडक्ट्स, भिवानी।
15. मार्कन्डा वनस्पति, शाहावाद।

दिल्ली

16. डी० सी० एम० कैमिकल वर्क्स, दिल्ली।
17. गणेश फ्लोर मिल्स, दिल्ली।

उत्तर प्रदेश

18. अमृत वनस्पति, गाजियाबाद।
19. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, गाजियाबाद।
20. जैन शुद्ध वनस्पति, गाजियाबाद।
21. मोदी वनस्पति, मोदी नगर।

22. प्राग वनस्पति प्रोडक्ट्स, अलीगढ़ ।

23. टाटा आयल मिल्स, गाजियाबाद.

24. बालाजी बैजिटेवल प्रोडक्ट्स, सीतापुर ।

25. गणेस फ्लोर मिल्स, कानपुर ।

26. भगवती वनस्पति, लखनऊ ।

27. मोतीलाल वनस्पति उद्योग, कानपुर ।

28. स्वरूप वैजिटेवल प्रोडक्ट्स, मंसूरपुर ।

राजस्थान

29. हेमराज उद्योग, जयपुर ।

30. मेहता वैजिटेवल प्रोडक्ट्स, चित्तौड़ गढ़ ।

31. आर० सी० एस० जयपुर ।

32. रोन्तास इण्डस्ट्रीज, जयपुर ।

33. प्रीमियर बैजिटेवल प्रोडक्ट्स, जयपुर ।

34. राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स, दिलवाड़ा ।

तमिलनाडु

35. मद्रास वनस्पति लि०, विल्लूपुरम ।

36. मत्तूर कैमिकल, मित्तूरदम ।

37. ओसवाल आयल्स एण्ड वनस्पति, मद्रास ।

38. टाटा आयल्स मिल्स कं०, मद्रास ।

39. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, त्रिची ।

कर्नाटक

40. बालाजी आयल ट्रेडर्स, बंगलौर ।

41. बी० टी० (प्रा०लि०) दावनगिरी :

42. रावी वैजिटेवल आयल्स इण्डस्ट्री, दावनगिरी ।

43. दि माडर्न मिल्स लि० हुबली ।

44. मार्गरीन एण्ड रिफाइन्ड आयल, बंगलौर ।

45. रायपुर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोआपरेटिव सोसायटी, रायपुर ।

केरल

46. टाटा आयल मिल्स, एर्नाकुलम।

47. केरल सोप लि०, कालीकट।

आंध्र प्रदेश

48. तुंगभद्रा इण्डस्ट्रीज लि०, सिकन्दराबाद।

49. बी० राजेन्द्र आयल मिल्स एण्ड रिफाइनेरी, हैदराबाद।

50. तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज (पट्टेदारी; हैदराबाद वनस्पति), हैदराबाद।

51. राधाकृष्ण वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, कल्लूर।

52. टी० जी० एल० पूरक कारपोरेशन, अदोनी।

53. तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज, कर्नूल।

पश्चिमी बंगाल

54. हिन्दुस्तान लीवर लि०, शामनगर।

55. कुसुम प्रोडक्ट्स, रिश्रा।

56. रसोई वनस्पति एण्ड इण्डस्ट्रीज, कलकत्ता।

57. स्वेइका वनस्पति, लिलियाह।

58. यूनाइटेड वेजिटेबल मैनुफैक्चर, रिश्रा।

59. वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, बेलधारिया।

बिहार

60. छविरानी एग्रो-इण्डस्ट्री, दुर्गावती।

61. रोहतास इण्डस्ट्रीज, डालमिया नगर।

62. हथवा वनस्पति, हथवा।

महाराष्ट्र

63. अहजद उमरभाय, बम्बई।

64. हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई।

65. आई० वी० पी०, बम्बई।

66. जयहिन्द आयल मिल्स, बम्बई।

67. लिवर्टी आयल मिल्स, बम्बई।

68. टाटा आयल मिल्स, बम्बई।

69. वेजिटेबल विटामिन फूड्स, बम्बई।

70. वैजिटेबल आयल लि०, बम्बई।

71. वरार आयल एण्डस्ट्री, बम्बई।

72. महाराष्ट्र वैजिटेबल प्रोड्क्ट्स, धूलिया।

73. विप्रो, आलनेर।

74. कोपरेटिव आयल इण्डस्ट्री, लातूर।

75. पुरोहित एण्ड कं०, नागपुर।

76. मानसिंगका इण्डस्ट्रीज, पचोरा।

गुजरात]

77. अश्विन वनस्पति (प्रा० लि०), शामलया।

78. मधुसूदन वैजिटेबल प्रोडक्ट्स, रखियाल।

79. नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड, भावनगर।

80. दीपक वैजिटेबल आयल इण्डस्ट्रीज, मनवदार।

81. जयन्त एक्सटैंशन, जामनगर।

82. कोठारी आयल प्रोडक्ट्स, गोडल।

83. मोरवी वैजिटेबल प्रोडक्ट्स, मोरवी।

84. प्रभात साल्वेन्ट एक्स्ट्रेक्शन, मानवदार।

85. श्री जगदीश आयल इण्डस्ट्री, पोरबन्दर।

86. भावनगर इलेक्ट्रिक कं०, भावनगर।

मध्य प्रदेश

87. मानसिका आयल मिल्स, खण्डवा।

88. मालवा वनस्पति एण्ड कैमिकल कं०, इन्दौर।

89. एस० एस० लि०, देवास।

90. राजाधिराज इण्डस्ट्रीज, सेवोनी।

सिंहभूम के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की मांगें

2481. श्री एन० ई० होरो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में सिंहभूम के घनों जंगलों को आदिवासी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है;

(ख) क्या आदिवासियों ने उस क्षेत्र में कुछ रोजी रोटी के साधनों की मांग की है;

(ग) क्या सकरार के ध्यान में कुछ मतभेद लाये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिमी कोसी हनर

2482. **श्री योगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई मंत्री पश्चिमी कोसी नहर के बारे में दिनांक 23 नवम्बर, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 211 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्राकृतिक मोड़ को समाप्त कर और अधिक भूमि की सिंचाई करने के लिये उत्तर में और आगे कमला नदी पर क्रास जल निष्कासन ढांचे को बनाकर आर० डी० 131 और 249-70 के बीच पश्चिमी कोसी नहर का पुन: मार्ग निर्धारण कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस नहर के स्रोत के रूप में 'सेल्फ हजेक्टर' के ढांचे के हेतु डिजाइनों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है; यदि हां, तो इसके निर्धारित समय पर पूरा होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) कोसी नियन्त्रण बोर्ड के पुनर्गठन के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (जियाउर्रहमान) अंसारी : (क) जी, नहीं ।

(ख) आर० डी० 139 तथा 249.70 के बीच पश्चिमी कोसी नहर के सरेखन की बिहार के केन्द्रीय अभिकल्प संगठन में जांच की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं । निर्माण पूर्ण करने की अनुसूची पर, गाद निष्कासक के अधिकल्व को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण पड़ने वाला प्रभाव का वर्तमान स्थिति में पता नहीं लगाया जा सकता ।

(घ) कोसी नियन्त्रण बोर्ड को अगस्त, 1981 में निम्न प्रकार से पुनर्गठित किया गया है :—

अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री, बिहार ।

सदस्य : (1) सिंचाई मन्त्री, बिहार/सिंचाई राज्य मन्त्री, बिहार ।

(2) विकास आयुक्त, बिहार ।

(2) वित्त आयुक्त, बिहार ।

(4) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग अथवा उनका प्रतिनिधि ।

(5) वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव, सिंचाई मन्त्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि ।

(6) प्रमुख इन्जीनियर एवं अपर आयुक्त एवं विशेष सचिव, सिंचाई विभाग, बिहार ।

सदस्य सचिव (7) सिंचाई आयुक्त, बिहार ।

विशेष आमन्त्रिती : (8) मुख्य इन्जीनियर, सिंचाई, पूर्णिया, मुख्य इन्जीनियर (सिंचाई) दरभंगा, मुख्य इन्जीनियर (योजना तथा मानीटरिंग) सिंचाई विभाग, बिहार, पटना ।

नन्थार में बागमती नदी पर बांध

2483. **श्री भोगेन्द्र झा० :** क्या सिंचाई मन्त्री नन्थार नदी पर बाँध के बारे मे 7 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2350 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नन्थार में बागमती नदी पर एक बहुप्रयोजनीय बांध का निर्माण करने के लिये नेपाल की शाही सरकार को कभी कोई विशिष्ट प्रस्ताव पेश किया है अथवा सूखा, बाढ़ बिजली आदि की समस्याओं को हल करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया है, यदि हाँ, तो उसकाब्यौरा क्या है । और यदि नहीं तो उसके कारण क्या है ; और

(ख) क्या धोंस बागमती तथा गिरोटा अवधारा नाद-समूह का आंतरिक अंग है ; और यदि हां, तो उनके लिये क्या विशिष्ट परियोजनायें हैं ?

सिंचाई मत्रालय में राज्य मत्री (श्री जियाउरहमान अन्सारी) : (क) फरवरी, 1982 में नई दिल्ली में हाल में हुई सरकारी स्तर की बैठक में नपाल में बागमती नदी पर एक बहुद्देशीय जलाशय बनाने का प्रश्न भारतीय पक्ष द्वारा उठाया गया था । नपाली शिष्टमंडल द्वारा यह सूचित किया गया था कि बागमती गदी पर एक ऊंचे बांध से सम्बन्धित अध्ययन नेपाल की महामहिम सरकार द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

(ख) जी, हां । बिहार सरकार ने, बागमती-अधवार थाले में बाढ़ नियंत्रण तथा जलनिकास हेतु अपने क्रियाविधि कार्यक्रम (5-7 वर्ष) निम्नलिखित स्कीमें शामिल की हैं :—

(1) अधवारा नदी समूह बाढ़-नियत्रण स्कीम ।

(2) सोलो घाट से नब्बी तक दरभगा बागमती पर तटबंध और गरसिउम से पासिउटन तक बचराजा कमला पर तटबन्ध ।

(3) लखनलिही नदी का चैनल बनाना ।

(4) 44 मील लम्बे अधवारा तटबन्ध को ऊंचा करना, चौड़ा करना तथा उसके लिए कटावरोधी निर्माण-कार्यों की व्यवस्था करना, और शिखर पर पक्की परिवहन सड़क की व्यवस्था करना ।

(5) खिरोही तटबन्ध पर 19 मील लम्बे तटबन्ध को ऊंचा तथा चौड़ा करना और सुरक्षा निर्माण-कार्यों की व्यवस्था करना ।

गुजरात में दालों और तिलहनों के लिए उपजाऊ कृषि योग्य भाग

2484. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री नवीन रवाणी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुष्क भूमि में कृषि पर अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना ने दालों और तिलहनों के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता वाले किन्हीं क्षेत्रों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे क्षेत्र का राज्यवार, विशेषकर गुजरात राज्य में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का उनका किस तरह विकास करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) बारानी खेती पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना से प्राप्त अनुसंधान सूचना के अनुसार देश के गैर-परम्परागत क्षेत्रों में दालों और तिलहनों को उगाने से उनमें से अतिरिक्त उत्पादन देने की क्षमता पायी गयी है । फिर भी, विभिन्न राज्यों में इस तरह के क्षेत्रों की सही सीमा का अभी मूल्यांकन नही किया गया है । वे विभिन्न इलाके जहां नये क्षेत्रों में ऐसी क्षमता है तथा जहां पर दालों और तिलहनों की खेती करनी है, निम्नलिखित हैं :—

(1) मूंगफली की खेती बिहार के अधिक वर्षावाले क्षेत्र, छोटा नागपुर संथाल परगना में, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुरा जिले भुवनेश्वर क्षेत्र की ऊंची भूमि, समुद्रतट की जलोढ़ मिट्टी वाली उच्च भूमि और आंध्र प्रदेश का समुद्री तट ।

(2) पीले सोयाबीन की खेती मालवा पठार के माध्यम काली मिट्टियों में, तथा नर्मदा घाटी की माध्यम गहरी काली मिट्टियों एवं विदर्भ क्षेत्र के पश्चिमी और उत्तरी-पश्चिमी भागों में की जाती है ।

(3) पूर्वी और मध्यवर्ती विदर्भ क्षेत्रों की मध्यम से गहरी काली मिट्टियों में मूंग और कुसुम की दोहरी फसल पद्धति लोकप्रिय हो सकती है । इस क्षेत्र में सूरजमुखी और अरहर की बीच की फसल पद्धति भी अपनाई जा सकती है

(4) मालवा के पठार तथा विदर्भ और महाराष्ट्र के मराठवाडा क्षेत्रों की काली मिट्टियों में वर्षा पर आश्रित गेहूं की जगह कुसुम की खेती की जा सकती है ।

(5) अरहर को कर्नाटक राज्य के बंगलौर माड्या, मैसुर, तुमकुर और कालोर जिलों में अकेली फसल के रूप में तथा (क) तेलांगना के उत्तर और उत्तर-पूर्वी भागों, (ख) विदर्भ क्षेत्र (ग) मराठवाडा क्षेत्र के पश्चिम भाग और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में इसे बीच की फसल के रुप में उगाया जा सकता है ।

(ग) बारानी प्रौद्योगिक उपयुक्त फसलों और फसल अनुक्रमों के लिए जिसमें अनाज, दालें तिलहन आदि शामिल हैं, विस्तार कार्य के लिए तकनीकी मार्गदर्शक के रूप में प्रकाशित की गयी है बारानी प्रौद्योगिक से सम्बन्धित तकनीकी गाईड 26 और 27 फरवरी, 1982 को नई दिल्ली में आयोजित हाल के राष्ट्रीय कृषि विकास वर्कशाप में भाग लेने वाले राज्य के अधिकारियों को दिया गया था ।

धान उत्पादन को बढाना

2485. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन तथा भारत में लगभग एक समान भूमि पर खेती की जाती है परन्तु चीन में धान की प्रति एकड़ उत्पादन 3 टन है जबकि हमारे देश में धान की प्रति एकड़ उत्पादन केवल 1.9 टन ही है ;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मात्रा में सुधार और देश में धान का उत्पादन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहीं हैं । और यदि हाँ, तो उनके प्रयास किस सीमा तक सफल रहे हैं : और

(ग) क्या सरकार ने धान का उत्पादन चीन में किये जा रहे धान के उत्पादन के बराबर करने के लिये कदम उठाये हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान । भारत में धान की औसत उत्पादकता चीन की तुलना में कम है । उदाहरण के लिए, भारत में 1980-81 में धान की प्रति हैक्टर औसत पैदावार 2049 किलो० थी जबकि चीन में 4163 किलो० प्रति हैक्टर थी । चीन में अधिक पैदावार का कारण सिंचाई के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र (80-90 प्रतिशत, का होना है जबकि भारत में सिंचित क्षेत्र केवल 38 प्रतिशत है । ऐसा अनुमान है कि चीन में उर्वरकों का औसत प्रयोग 129 किलो० प्रति हैक्टर है जबकि भारत में इसका औसत प्रयोग केवल 29.6 किलोग्राम है इसके अतिरिक्त भारत में चावल के बड़े क्षेत्र बाढ़ प्रवण गहरे जल वाली नीची भूमियो, वर्षा पर आश्रित उच्ची भूमियों और लवणीय-क्षारीय मिट्टियों के अन्तर्गत है। फिर भी अच्छी व्यवस्था और सिंचित स्थितियों के अन्तर्गत पंजाब, हरियाणा और दक्षिण-उत्तर डेल्टा क्षेत्रों में धान की पैदावार चीन की पैदावार के बराबर है ।

(ख) जी हां, श्रीमान । अनुसधान और विकास प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप चावल की उत्पादकता और उत्पादन में ठोस प्रगति हुई है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :

	1950-51	1965-66	1978-79
क्षेत्र (मिलियन हैक्टर	39.8	35.4	40.2
उत्पादन (मिलियन मी०टन में	20.5	30.5	53.8
पैदावार(किलो०/हैक्टर)	66.8	892	133.9

(ग) सरकार चावल की उत्पादकता बढ़ाने और संसार के कुछ अधिक चावल उत्पादन करने वाले देशों जैसे जापान और चीन के स्तर तक इसे लाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है कृषकों के खेतों में जांच की गयी चावल की कुछ उन्नत किस्मों ने सिंचित अवस्थाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रदर्शनों में 7 मीट्रिकटन और इससे भी अधिक पैदावार दी है। उन्नत किस्मों और उत्पादन प्रौद्योगिकी विकास और अपनाने के लिए अनुसंधान और विकास सम्बन्धी प्रयास किये जा रहें हैं ' ये उन्नत किस्में और प्रोद्योगिकी न केवल सुव्यवस्थित भूमियों के लिए हैं बल्कि उन समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए भी हैं जिनके सामने बाधायें उपस्थित हैं।

दिल्ली के लिए आयातित रिफाइन्ड तेल

2486. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री मीकू राम जैन :

श्री नवीन रवाणी :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क(क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली वनस्पति के पूरक के रूप में आययातित रिफाइन्ड तेल उपलब्ध कराने जा रही है ;

(ख) इस तेल का उत्पादन किस तरह किया जाता है और क्या इससे दक्षिणी देशों में पहले से ही उपयोग लाया जा रहा है और यदि हाँ, तो उन देशों के क्या नाम है जिनमें इसका प्रयोग किया जाता है;

(ग) क्या आयाल के अतिरिक्त सरकार ने देश में ही तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता इसमें मिलावट न कर सकें, इसके लिए किन मानक नियन्त्रण उपायों का उपयोग किया जाएगा ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) व (ख) दिल्ली में आर० वी० डी० पाशोलो तथा परिष्कृत रेपसीड तेल के 2 कि० ग्रा० और 4 कि० ग्रा० के उपभोक्ता पैक मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स, जिसे सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत प्रबन्ध हेतु अपने हाथ में ले लिया गया है द्वारा सुपर बाजार तथा सहकारी समितियों के माध्यम से बेचे जा रहे है ये तेल क्रमश: ताड़-फल तथा रेपसीड पर आधारित होते हैं। इनका उपयोग पाश्चिमी देशों सहित कई देशों में किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) वनस्पति के साथ कभी तेल की मिलावट करना खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1924 के तहत एक अपराध है।

उर्वरकों की खपत

2487. श्री एस० एम० कृष्णा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत दो वर्षों के दौरान उर्वरकों के उपयोग में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो 1977-78 और 1978-79 में उर्वरकों की खपत कितनी थी ; और

(घ) 1979-80 और 1980-81 में उर्वरकों के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी अथवा कमी हुई ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ख) 1977-78 तथा 1978-79 में पोषक तत्वों के रूप में क्रमश: 42.85 लाख मीटरी टन तथा 51.16 लाख मीटरी टन उर्वरकों की खपत हुई थी ।

(घ) 1979-80 तथा 1980-81 में उर्वरकों की खपत में इन वर्षों से पूर्व के वर्ष में हुई खपत से क्रमश. 2.7 प्रतिशत तथा 4.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई ।

दिल्ली में उचित दर दुकानों, मिट्टी के तेल के डिपुओं और वनस्पति तेल के डिपो के लाइसेंस दिये जाने की जांच

2488. श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

श्री क० लकप्पा : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के प्रवर्तन विभाग ने दिल्ली में उचित दर दुकानों, मिट्टी के तेल के डिपुओं और वनस्पति तेल डिपो को लाइसेंस दिए जाने के मामलों की आकस्मिक जांच के दौरान भारी अनियमितताएं पाई;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं ; और

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध तथा अनिवार्य वस्तुओं के उचित वितरण के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मौहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (ग) नवम्बर व दिसम्बर, 1981 तथा जनवरी, 1982 के महीनों के दौरान जिन 412 उचित दर की दुकानों, 128 मिट्टी के तेल के डिपुओं तथा 36 वनस्पति घी के विक्रेताओं की जाँच-पड़ताल की गई, उनमें से 347 उचित दर की दुकानों, 77 मिट्टी के तेल के डिपुओं तथा 15 वनस्पति घी के विक्रेताओं के यहाँ अनियमिततायें पाई गई । 30 उचित दर की दुकानों,

28 मिट्टी के तेल के डिपुओं तथा 5 वनस्पति घी के विक्रेताओं के यहाँ पाई गई अनियमितताएं गम्भीर स्वरूप की थी और उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत अपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। शेष मामलों में अनियमितताएं मामूली स्वरूप की थीं, जिनमें केवल विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता थी। जिन विक्रेताओं के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किये गए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई. जिसके परिणामस्वरूप उचित दर की 11 दुकानों तथा मिट्टी के तेल के 6 डिपुओं के प्राधिकार को रद्द कर दिया गया। शेष मामलों में विभागीय कार्यवाही चल रही है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

विस्थापितों की बस्तियों पर व्यय

2489. **श्री डी० एम० पुत्तगौडा।**
श्री के० लकप्पा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली मे विस्थापितों की 31 पुनर्वास कालोनियो से भूमि कर और अन्य करों के रूप में वास्तव में जितना कर अर्जित करती है उससे 7 से 10 गुणा अधिक उन पर खर्च कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी वास्तविक स्थिति क्या है और वसूली से अधिक खर्च किए जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1980-81 के दौरान पुनर्वास पट्टो से भूमि किया, हर्जाना. दुरुपयोग अनर्जित वृद्धि इत्यादि से लगभग 40 लाख रुपये की वसूलियाँ थीं। इसी अवधि के दौरान पुनर्वास और गैर-पुनर्वास पट्टों के प्रशासन पर 28 लाख रुपये व्यय हुए। केवल पुनर्वास सम्पत्तियों के प्रशासन पर हुए व्यय के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। तथापि, पुनर्वास पट्टों से अकेले ही प्राप्त राजस्व भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा, पुनर्वास और गैर-पुनर्वास पट्टों दोनों के प्रशासन पर किये गए व्यय से लगभग डेढ़ गुना है।

गन्ने का मूल्य निर्धारण

2490. **श्री राम लाल राही** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों से गन्ना खरीदने के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारण और सल्फर संयंत्रों और गन्ना पेरने के संयंत्रों आदि में सल्फर और खण्डसारी के मूल्यों के निर्धारण के लिए और सल्फर खण्डसारी आदि के उत्पादन, नियंत्रण, बिक्री और निपटान आदि के लिए कोई नीति बनाने का है जिससे कि किसानों को अपने गन्ने का इन उद्योगों से उचित मूल्य मिल सके और सल्फर खण्डसारी की कालाबाजारी और तस्करी भी रोकी जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत कारण क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) खंडसारी चीनी के उत्पादकों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्यों को निर्धारित करने के लिए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में पहले से ही व्यवस्था है जिसके द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त किन्हीं भी अनुरोधों पर विचार किया जाता है। जहाँ तक सल्फीटेशन और गैर-सल्फीटेशन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित खंडसारी के मूल्य-निर्धारित करने और इसकी बिक्री और निपटान पर नियंत्रण लगाने का सम्बन्ध है, ऐसा करना सम्भव नहीं है क्योंकि खंडसारी यूनिट असंगठित क्षेत्र में आते हैं और अधिकांशतः दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पुनर्निमाण के लिए कार्यक्रम

249\. **श्री राम लाल राही** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए कोई नीति अथवा कार्यक्रम तैयार किया है और वह उसे लागू करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और भूमि सुधारों के कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है, जिन्हें नये 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इन कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:—

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम :

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-79 मे आरम्भ किया था। प्रारम्भ में, लघु किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमांड क्षेत्र विकास जैसे विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाए गए 3000 खंडों में से 2000 खंड चुने गए थे। यह निर्णय भी लिया गया था कि इस कार्यक्रम का विस्तार विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत न लाये गए क्षेत्रों में प्रति वर्ष 300 खंडों की दर से एक चरणबद्ध तरीके से किया जाए। तथापि, यह निर्णय लिया गया था कि कार्यक्रम का विस्तार 2 अक्तूबर, 1980 से देश के सभी खंडों में कर दिया जाए। इस प्रकार देश के सभी 5011 खंडों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रत के अन्तर्गत ले लिया गया है।

2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित वर्गों, जिनमें छोटे किसान, सीमान्त किसान, कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगर शामिल हैं, को पारिवारिक सर्वेक्षणों पर आधारित सूक्ष्म स्तरीय खण्ड आयोजना के माध्यम से गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। प्रति वर्ष प्रत्येक खण्ड में औसतन 600 परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है। इस प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 150 लाख परिवारों को कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। छठी योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 1500 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसमें से 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। यह धनराशि मुख्यतया उपदानों के रूप में है।

इसके अलावा, 3,000 करोड़ रुपये संस्थागत ऋण के रूप में जुटाये जाएंगे। इस प्रकार छठी योजना अवधि के दौरान कुल मिलकर 4500 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक खण्ड को छठी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में 5 लाख रुपये वार्षिक, दूसरे वर्ष में 6 लाख रुपये वार्षिक तथा अन्तिम तीन वर्षों में 8 लाख रुपये वार्षिक का आवंटन किया जाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित वर्गों से सम्बन्धित छोटे किसानों को 25 प्रतिशत की दर से, सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों तथा ग्रामीण कारीगरों को 33/1/3 प्रतिशत और जनजाति के भागीदारों को 50 प्रतिशत की दर से उपदान सुलभ किया जाता है। यह प्रावधान किया गया है कि कम से कम 30 प्रतिशत लाभभोगी अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित होने चाहिए। किये गए उपदानों तथा जुटाए गए ऋणों का 30 प्रतिशत भी अनुसूचित जाति। जनजाति के लाभभोगियों को मिलना चाहिए।

3. कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने तथा भौतिक और सही ढंग में इसके कार्यान्वियन को तेज करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य, जिला और खण्ड स्तरों पर प्रशासनिक तन्त्र को मजबूत बनाने तथा कार्यक्रम के प्रभाव का निकट से प्रबोधन करने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो नये 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है, ने अक्तूबर, 1980 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान लिया था। इस कार्यक्रम को 31-3-1981 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता था। अब यह छठी पंचवर्षीय योजना का एक नियमित भाग बन गया है और इसे केन्द्र और राज्यों के बीच बराबर-बराबर व्यय वहन करने के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य की खोज में लगे लोगों को रोजगार के पूरक अवसर उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना भी है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास होगा तथा निर्धन ग्रामीणों के आय स्तर में क्रमिक रूप से वृद्धि होगी।

2. चालू वर्ष के 360.00 करोड़ रुपये के आवंटन, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य अंश भी शामिल है, के मुकाबले में 1982-83 के लिए आवंटन बढ़ाकर 380 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिसमें राज्य का अंश भी शामिल है। कुछ केन्द्रशासित क्षेत्रों, जो अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं कर रहे थे, को भी 1-4-1982 से इसके अन्तर्गत लाये जाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष 300 मिलियन से 400 श्रम दिनों की रोजगार सम्भव्यता सृजित करने का प्रस्ताव है। यह भी अनिवार्य बनाया जा रहा है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों पर लगाए गए मजदूरों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जायगा। इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए इसके कार्यान्वियन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को सौंप दी गई है।

भूमि सुधार :

नये 20 सूत्री कार्यक्रम में अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के शीघ्र कार्यान्वयन और भूमि अभिलेखों के संकलन से संबन्धित निर्देश का कार्यान्वयन राज्य सरकारों, जिनके पास प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है, द्वारा किया जायगा। तथापि, भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है तथा 20-सूत्री कार्यक्रम के इस पहलू के सही कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए अनुरोध किया है। भारत सरकार की राय में अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण में अवरोध डालने वाला एकमात्र अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक यह है कि न्यायालयों में बड़ी मात्रा में मुकदमें लंबित पड़े हुए हैं। राज्य सरकारों से लंबित पड़े हुए मामलों का पुनरीक्षण करने और उनके शीघ्र निपटान केलिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। उन्हें यह भी कहा गया है कि वे कानून में उन कमियों का पता लगायें जिनके कारण मुकदमे होते हैं और उनके संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जहां तक भूमि अभिलेखों को संकलित करने का सम्बन्ध है, उन्हे उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सलाह दी गई है, जहां भूमि अभिलेखों को तैयार करने की गति में तेजी लाना अथवा भूमि अभिलेखों का कार्य शुरु करना अनिवार्य है और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आवश्यक कदम तत्काल उठाये जाएं।

खाद्यान्नों का उत्पादन और मूल्य

2492. श्री बी० वी० देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982 में खाद्यान्न के मूल्य स्थिर रहने की संभावना है ;

(ख) यदि हां तो 1982 में खाद्यान्नों का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या यह 1982 में अपेक्षाकृत अधिक होगा ;

(घ) यदि हां, तो क्या अच्छी वर्षा की सम्भावना के कारण खाद्यान्नों का और अधिक उत्पादन होने की आशा है ;

(ङ) क्या वर्ष 1982 में उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त खाद्यान्न है ; और

(च) यदि हां, तो फरवरी ,1982 तक भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न का कुल कितना भंडार जमा था ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों मे राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) (घ) 1981-82 के दौरान खाद्य उत्पादन की संभावनाएं अच्छी हैं। यदि चालू फसल मौसम की शेष अवधि में वर्षा और मौसम की स्थितियां अनुकूल रही तो आशा है कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन 1319 लाख मीटरी टन के पिछले रिकार्ड स्तर से अधिक होगा और संभावनाएं है कि यह 1340 लाख मीटरी टन तक पहुंच जाए।

(ङ) जी, हां ।

(च) भारतीय खाद्य निगम के पास 1 फरवरी, 1982 को केन्द्रीय सरकार के खाद्यान्न भंडार की मात्रा 85.7 लाख मीटरी टन थी ।

ग्रामीण गोदामों का राष्ट्रीय ग्रिड

2493. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री जगदीश टाइटलर : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की योजना पर राज्यों सरकारों के उदासीन रवैये पर गंभीर रुप से चिन्तित है ;

(ख) यदि हां तो क्या यह सच है कि कुछ ही राज्यों ने ग्रामीण गोदामों के निर्माण का कार्य वास्तव में शुरु किया है ;

(ग) क्या इस बात को दर्शाने वाली रिपोर्ट सरकार को मिली है कि कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन तक नहीं किया है ;

(घ) क्या किसी भी राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में इन गोदामों की वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया है ;

(ङ) वर्ष 1980-81 के दौरान राज्य सरकारों से कुल कितनी परियोजनाएं प्राप्त हुई थी ; और

(च) राज्यों में गोदामों के निर्माण के लिए कितने मामलों में मंजूरी दी गई और वर्ष 1980 के दौरान गोदामों के निर्माण के लिए कुल कितनी मंजूरी दिए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क)

(ख) जी हाँ ।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नही ।

(ङ) वर्ष 1980-81 के दौरान राज्य सरकारो से कुल 1467 गोदामों के निर्माण के लिए परियोजनाएं प्राप्त हुई थी ।

(च) वर्ष 1980-81 के दौरान 444.406 लाख रुपये के कुल केन्द्रीय उपदान से 514 985 मीटरी टन की भण्डारण क्षमता वाले 1308 गोदाम अनुमोदित किए गए थे । वर्ष 1981-82 दौरान 300 लाख रुपये का बजट प्रावधान है और 5 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता

के सृजन के लिए केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है। अब तक 252.01 लाख रुपए के कुल केन्द्रीय उपदान से 2.45.00 मीटरीटन की भण्डारण क्षमता वाले 245 गोदामों के निर्माण के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। वर्ष 1982-83 के लिए 5 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता सृजन के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्तावित बजट प्रावधान 300 लाख रुपए है।

ग्रामीण गोदाम

2494. **डा० कृपा सिन्धु मोई :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलालों द्वारा किसानों का शोषण रोकने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना तीन स्तरीय राष्ट्रीय खाद्यान्न भंडारण प्रणाली का सुझाव दिया गया है ;

(ख) क्या ग्रामीण गोदाम परियोजना जिसे जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा खाद्यान्न भंडारण प्रणाली के रूप में अपनाया जायेगा, भी किसानों को विवश होकर अपना खाद्यान्न बेचने से बचाने में सहायक होगी ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। तथापि ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय जाल की स्थापना की योजना को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित नहीं किया जाना है। कार्यान्वयन एजेंसियां, राज्य माल गोदाम निगम, बाजार समितियां अथवा सहकारी समितियां हैं जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा निर्णय लिया जाए।

(ग) योजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं--

(1) प्रत्येक गोदाम की क्षमता 200 मीटरी टन से 1000 मीटरी टन हो सकती है।

(2) जहां कहीं अनिवार्य हो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए गोदाम में एक शीत भण्डारण खण्ड की व्यवस्था हो सकती है।

(3) इस योजना के अधीन निर्मित गोदामों को राज्य मालगोदाम निगमों को स्वीकार्य मानदण्डों तथा मानकों के अनुरूप होना चाहिए। ये गोदाम राज्य मालगोदाम निगमों से सम्बद्ध होने चाहिए।

(4) इन गोदामों की देखभाल प्रबन्धकों द्वारा की जानी है जिन्हें निकट के राज्य केन्द्रीय मालगोदाम निगम के माल गोदाम के साथ लगाकर प्रशिक्षित किया जाना है। प्रबंधकों की नियुक्ति हेतु महिलाओं को वरीयता दी जानी है।

(5) राज्य सरकारों द्वारा जमीन निःशुल्क सुलभ की जायेगी।

(6) गोदाम द्वारा जारी की गई रसीद एक विक्रेय प्रलेख होगा।

(7 गोदामों के निर्माण की लागत को 50 प्रतिशत उपदान तथा 50 प्रतिशत ऋणों के वहन किया जायेगा ।उपदान की धनराशि को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच बराबर-बांटा जाना है । ऋण के भाग को बैंकों द्वारा वहन किया जाना है ।

728,406 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता से 806985 मीटरीटन की भण्डारण क्षतता वाले अब तक 1689 गोदामों की स्थापना हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं ।

कीट नियंत्रण के उपायों पर सेमिनार

2495. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कीट नियंत्रण के उपायों" पर एक राष्ट्रीय सेमिनार नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस सेमीनार में क्या सिफारिशें की गई थी ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस दिशा में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान । भारतीय कीट विज्ञान सोसाइटी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से दिसम्बर 21-23,1981 तक एक तीन दिन का राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था । यह सेमिनार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ।

(ख) इस सेमिनार में जो सिफारिशें की गयी उसे संलग्न किया जाता है ।

(ग) और (घ) यह आशा की जाती है कि कीट विज्ञान सोसाइटी इन सिफारिशों को औपचारिक रूप से विचार के लिए सरकार को प्रस्तुत करेगी । सिफारिशों के प्राप्त हो जाने पर उनकी जांच-पड़ताल की जाएगी और उसके बाद आगे की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

विवरण

कीट नियंत्रण के उपायों पर सेमिनार

सिफारिशें

वर्तमान सूचना पर आधारित सेमिनार ने समेकित पद्धति में प्रमुख कीटों की व्यवस्था के लिए व्यवहार्य नीतियां तैयार की हैं । प्रबन्ध तकनीक को इस तरह से निरुपित किया गया कि किसान उसे आसानी से और जल्दी अपना लें, जैसे :

1. नाजुक स्थिति में कीटों के आक्रमण से फसल को बचाने के लिए बुआई की तिथि में फेर-बदल करना ।

2. रोग-रोधी किस्मों का उपयोग जिन् पर कीटों का बहुत की कम प्रकोप होता है ।

3. फसल-वितान(क्राप कैनोपी) में परिवर्तन लाने और कीटों की संख्या बढ़ाने के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म जलवायु में परिणामी परिवर्तन लाने के लिए ऐसे पौधों के साथ: अन्त कृषि करना जिन पर कीटों का अत्याधिक प्रकोप नहीं होता ।

4. दीमक, गुझिआ, घुन, कटवार्म, साफ्लाई, आदि जैसे मृदा कीटों के प्रकोपों को कम करने के लिए पौद-अवस्था में सिंचाई करना ।

5. विषाणु जैसे कीट-व्याधियों के प्रकोप को कम करने और उर्वरक प्रयोग से फसल को होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के लिए भी सर्वांगी कीटनाशियों का आधारी-प्रयोग ।

6. सिन्थेटिक पाइरेथ्रायड्स जैसे अधिक क्षमता वाली और स्तनपायी के लिए कम जह-हरीली सिन्थेटिक कीटनाशियों का प्रयोग ।

7. ग्रीष्मकालीस कर्षण, मिट्टी चढ़ाना ट्रैप क्रापिंग खूटियों को नष्ट करना, खेत की सफाई आदि जैसे अन्य कृषिक्रियाओं अपनाना ।

अनुसंधान प्राथमिकता वाले निम्नलिखित दृष्टिकोणों की सिफारिश की गयी

1. आर्थिक अवसीमा स्तरों और प्रमुख कीटों की जीवन तालिकाओं के निर्धारण सहित उनके अनुक्रमण और संख्यावृद्धि का अध्ययन ।

2. कर्षण नियन्त्रण उपाय और कीट रोधी किस्में जैसी गैर-वित्तीय आदान ।

3. आकर्षकों, न खाने योग्य पदार्थों, हारमोन्स आदि का प्रयोग करके गैर-कीटनाशी नियन्त्रण उपाय अपनाना ।

4. संश्लेषित और पौध-मूल के कीटनाशियों का विकास और उसे तैयार करना ।

5. कीटों की संख्या के लिए प्रकाश का फन्दा और सेक्स फेरेमोन्स आदि जैसे विभिन्न कीट नियन्त्रक दृष्टिकोणों के प्रबोधन और समय-निर्धारण का अन्वेषण किया जाना चाहिए ।

6. देश में पौध सरक्षण,क्रियाकलापों के एक प्रभारी (इन्चार्ज) वरिष्ट वैज्ञानिक को नियुक्त करके नीति-नियोजन निकाय को सुदृढ़ किया जाना चाहिए जिससे कि उन अनेक क्षेत्रों में जहां पर अभी भी अनुसंधान कार्य में कोई खास प्रगति नहीं हुई है - अनुसंधान कार्य में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न किये जायं ।

2496. मुल्लापेरिया रबांध को खतरा

2469. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बनाये गये मुल्लापेरीयार बांध की रक्षा के लिए यदि तत्काल निरोधक उपाय नहीं किए गए तो इसके क्षति ग्रस्त होने की आशंका है;

(ख) क्या केन्द्रीय जल विद्युत आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में विशेषज्ञों ने 1979 में आपातकालीन उपाय करने का सुझाव दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण है और किसी दुर्घटना को न होने देने के लिए मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं । बांध की सुरक्षा को कोई सन्नीकट खतरा प्रतीत नहीं होता ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा आवश्यक आपातकालीन उपाय पहले ही किए जा रहे हैं ।

कंक्रीट के पुश्ते द्वारा मौजूदा बांध को मजबूत बनाने जैसे दीर्घकालिक उपायों पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

समेकित विकास के लिए प्रायोगिक(पायलट) परियोजना

2497. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पश्चिम जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई पायलट परियोजना के अन्तर्गत बिन्द नदी क स्रवण क्षेत्र में 102 गावों में एक समेकित विकास योजना उस क्षेत्र के निर्धनता से जकड़े हुए निवासियों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है ;

(ख) क्या वानिकी योजना को अब बहुद्देश्यी बना दिया गया हैं ; यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह उस क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर में किस हद तक सुधार लाएगा और उनमें व्याप्त निर्धनता को दूर करेगा ।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां । इस परियोजना का नाम "इन्डो-जर्मन धौलाधार फार्म वानिका परियोजना-पालमपुर है और इसके तहत दो वर्षों के निर्धारित चरण के अन्तर्गत बिन्व नदी के स्रवण क्षेत्रों के 12 गांव आते हैं ।

(ख) तथा (ग) यह एक समेकित कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार है :— वानिका प्रणालियों का विकास करना, जैसे वृक्ष रोपण, चरागाह का सुधार करना, बाँस तथा बिली का रोपण करना, किसानों में पौधों का वितरण, पौधे लगा करके भूमि कटाव को रोकना नर्सरी आदि का विकास, ईधन की लकड़ी को खपत को कम करने के लिए उन्नत चूल्हों को विकसित करना तथा बनाना मृदा संरक्षण उपाय करके मृदा-क्षरण क्षेत्रों का सुधार करना, लघु सिंचाई और सिविल निर्माण-कार्य, पशु पालन और उन्नत कृषि विषयक पद्धतियों को अपना कर गहन खेती का संवर्धन, बीज की उन्नत किस्मों का वितरण ; बागवानी का विकास और उद्यमकर्ताओं को प्रस्तावित क्षेत्र में अपने एककों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन देकर रोजगार की सुविधाओं का सर्जन करना । इन विकासात्मक कार्यकलापों से क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार होगा ।

समेकित विकास कार्यक्रम

2498. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने विकास खण्ड है ;

(ख) उनमें से कितने खण्डों में समेकित ग्रामीण विकास योजना शुरु की गई है और प्रत्येक खण्ड में यह कितनी अवधि के लिए लागू की गई ;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खण्डों के लिए कितना वार्षिक परिव्यय निर्धारित किया गया है ;

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खण्डों के चयन के लिए क्या मानक अपनाए जाते है ; और

(ड.) देश के सभी खण्डों को कब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया जाएगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयो में राज्य मत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) 5011

(ख) समान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार 2-10 1980 से देश के सभी खण्डों में कर दिया गया है।

(ग) छठी योजना के दौरान, प्रत्येक खण्ड के लिए प्रथम वर्ष में 5 लाख रुपये द्वितीय वर्ष में 6 लाख रुपये तथा अन्तिम तीन वर्षों के दौरान (1982-83 के पश्चात) प्रति 8 लाख रुपये दिए जाएंगे ।

(घ) व (ड.) प्रश्न नहीं उठता।

एक अलग डेरी उपकरण कारखाने की स्थापना

2499. श्री रशीद मसूद : क्या कृषि मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 से आज तक, सभी डेरी परियोजनाओं के अन्तर्गत सरकार के खाते में आयातित तथा देश में ही तैयार डेरी उपकरणों का मूल्य कितना है,

(ख) क्या सरकार आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तथा सरकार की अनुमति के बिना डेरी बोर्ड के अनाधिकृत रूप से बन्द हो जाने को देखते हुये, कि अलग अलग डेरी उपकरण कारखाने स्थापित करने पर विचार करेगी,

(ग) क्या सरकार कड़ी जांच करके यह सुनिश्चित करेगी कि डेरी बोर्ड द्वारा पहले न्यूजीलैण्ड से आयातित स्टेनलेस स्टील की चीजों का बेतहाशा आयात न होता जाये जिसके कारण देशीय उत्पादकों को हानि पहुचती है ; और

(घ) क्या डेरी बोर्ड निदेशों में क्रयादेश देने से पूर्व सरकार को अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध मे सरकार के अनुदेशों का पालन कर रहा है, और क्या सरकार को इसके किसी उल्लघंन का पता चला है और यदि हां, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) आपरेशन फ्लड I आपरेशन फ्लड 2 के अन्तर्गत तथा दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा आयातित और देशी उपकरणों का मूल्य नीचे दिया गया है :

	आयातित	देशी
	(लाख रुपये)	
आपरेशन फ्लड I	842	42I4
आपरेशन फ्लड 2 (भरवरी 1982 तक)	909	3I14
दिल्ली दुग्ध योजना (1974 से 1981 तक)	34.40	239.14

(ख) डेरी उपकरण के उत्पादन के लिये भारतीय डेरी निगम के प्रस्तावित एकक की स्थापना की बात हिन्दुस्तान मशीन टूलस, जो एक सार्वजानिक क्षेत्र का एकक है, के पक्ष में समाप्त कर दी गयी थी जिसने अब औरंगाबाद में डेरी उपकरण का निर्माण करने वाली एक फैक्टरी स्थापित कर ली है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों एकक अर्थात इन्डो बर्मा पेट्रोलियम और भारत हैवी प्लेट एन्ड वेसल, ने भी डेरी उपकरण का निर्माण शुरू कर लिया है अतः फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र में डेरी उपकरण की दूसरी फैक्टरी स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयात संबंधी सभी प्रस्तावों पर सरकार द्वारा जांच की जाती है।

(ग) और (घ) 1979 में रेल के दुग्ध टैंकरों के लिये स्टेंगलेस स्टील के 4 आंतरिक शोल्स न्यूजीलेंड से उस समय पहुंचे जब आयात लाईसेंस के लिये भारतीय डेरी निगम के आवेदन पत्र पर विचार किया जा रहा था और बाद में जिसके लिये आयात लाईसेंस जारी कर दिया गया था। इसके पश्चात भारतीय डेरी निगम फर्म को आर्डर देने से पहले सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये निर्धारित पद्धति अपना रहा हैं।

किराया-खरीद आधार पर प्राप्त किए गए डी० डी० ए० फ्लैटों की किश्तों की अदायगी

2500. **श्री रशीद मसूद :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत व्यक्तियों को, फ्लैट की कुल लागत का 50 प्र० श० अदा कर दिये जाने के बाद भी, मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के के लिए प्रति मास 900 रुपये की ऊंची किस्त की अदायगी करनी पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा किस्त की यह राशि किस आधार पर निश्चित की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत जो व्यक्ति किराया-खरीद आधार पर मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के लिए विकल्प देते हैं उन्हें फ्लैट की लागत का 50 प्र० श० प्राथमिक धरोहर के रूप में भुगतान करना अपेक्षित है तथा शेष राशि 7 वर्ष की अवधि में समान मासिक किस्तों में देनी अपेक्षित है। उन्होंने यह भी बताया है कि प्रारम्भिक धरोहर तथा मासिक किस्त का भुगतान किसी एक व्यक्ति को आवंटित फ्लैट की लागत से सम्बन्धित है तथा यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मामले में मासिक किस्त 900 रुपये हो। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि यदि उसके फ्लैट के पूर्ण न होने, आदि के कारण फ्लैट का कब्जा देना सम्भव नहीं होता तो भुगतान की अवधि अस्थगित की जाती है।

दुग्ध उत्पादों का आ त जारी रखा जाना

2501. **श्री रशीद मसूद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुग्ध उत्पादों का आयात, जिसे परियोजना के समाप्त होने की मूल तिथि को वर्ष 1975 के अन्त में समाप्त हो जाना चाहिए था, अब भी बड़े पैमाने पर जमी हुई है जिसके आपरेशन फ्लड-2 बड़े पैमाने पर आयात के साथ आरम्भ किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डेरी विशेषज्ञों ने इस सम्भावना की चेतावनी पहले ही दे दी थी जैसा कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत गेहूं के आयात के मामले में हुआ था;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देसी उत्पादन की सहायता की दृष्टि से 1975-76 से सप्रेटा दुग्ध चूर्ण का वाणिज्यिक आयात बन्द कर दिया गया था। 1970 में आरम्भ की गई आपरेशन फ्लड-1 परियोजना 31 मार्च, को समाप्त हो चुकी है। 1978 में आरम्भ की गई आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार स्वरूप प्राप्त जिन्सों की विदेशों से प्राप्त की गई राशि का उपयोग परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों के रूप में किया जा रहा है। उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाली जिन्सों की मात्रा में किसी प्रकार की कमी करने से परियोजना के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ेगा।

(ख) चूंकि उपहार जिन्स, विशेष डेरी विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु विदेशों से विनियमित आधार पर प्राप्त हो रहे हैं, अतः डेरी जिन्सों के उपहार आयात की तुलना में पी० एल० 480 के तहत गेहूं के आयात से करना उपयुक्त नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

उपहार के रूप में प्राप्त दुग्ध उत्पादों का अनधिकृत वितरण

2502. श्री रसीद मसूद : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "आपरेशन फ्लड" के अन्तर्गत 1 से 4 मीटर डेरियों तथा अन्य "फीडर बैलेंसिग" डेरियों का 1970 से आज तक कितना दुग्ध चूर्ण और "बटर आयल" प्रति वर्ष दिया गया;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आपरेशन की योजना के अनुसार दुग्ध उत्पाद केवल 4 मीटरों डेरियों को 30 प्रतिशत मिल्क फैट मिल्क में बदलने के लिए दिए जाने थे;

(ग) क्या उपहार में प्राप्त वस्तुओं का प्रयोग गुजरात की कुछ डेरियों में "बेबी फूड" घी आदि बनाने के लिए किया जा रहा है और इस प्रकार भारी मुनाफा कमाया जा रहा है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यह अवैध रूप से केवल गुजरात की डेरियों को ही दिया जाता है और पंजाब और राजस्थान द्वारा जयपुर और चण्डीगढ़ के लिये किये गये अनुरोध को ठुकरा दिए गए और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए डेरी बोर्ड का पुनर्गठन करेगी और मन्त्रालय तथा डेरी निगम के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री : (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) आपरेशन फ्लड-1 परियोजना के तहत विश्व खाद्य कार्यक्रम से उपहार स्वरूप प्राप्त जिन्सों को चार महानगरीय डेरियों तथा अन्य फीडर बैलेंसिग डेरियों को वर्ष वार तथा डेरी वार दी गई सामग्री संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) आपरेशन फ्लड-1 के लिए भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र/खाद्य एवं कृषि संगठन एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच परस्पर हुए समझौते की प्रचालन योजना के अनुसार निम्नलिखितों को जिन्स दिये जाने थे :—

(1) कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली तथा मद्रास के चार महानगरीय शहरों में दूग्ध परिसंस्करण सयन्त्रों को ।

(2) यदि उपयुक्त समझा जाए, तो चार महानगरीय शहरों के दुग्ध संयन्त्रों से सम्बन्धित एवं उनको दुग्ध सप्लाई करने वाले फीडर बैलेंसिग संयन्त्र ।

(3) सरकार का एक दायित्व यह भी था कि वह परियोजना के एक भाग के रूप में परियोजना की अवधि के दौरान कम लागत प्रोटीन दूध के उत्पादन का कार्य करेगी ।

भारतीय डेरी निगम ने करार में उल्लिखित तीनों प्रावधानों के अनुसार जिन्स जारी किए थे ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जयपुर तथा चण्डीगढ़ स्थिति डेरियों आपरेशन फ्लड-1 परियोजना में शामिल महानगरीय शहरों की फीडर डेरियां नहीं हैं ।

(ङ.) प्रश्न नहीं होता ।

विवरण-I

विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा इसके प्रारम्भ से दानस्वरूप दिए गए जिन्सों का वर्ष वार तथा डेरीवार विवरण

1. महानगरीय डेरियां

(आंकड़े मीटर टनों में)

क्र०सं०	वर्ष	वृहत्तर बम्बई दुग्ध योजना		वृहत्तर कलकत्ता दूग्ध योजना		दिल्ली दुग्ध योजना		मदर डेरी दिल्ली		मद्रास दुग्ध योजना	
		स्किमड दुग्ध चूर्ण	बटर आयल	स्किमड दुग्ध चूर्ण	बटर आयल	स्किमड दुग्ध चूर्ण	बटर आयल	स्किमड दुग्ध चूर्ण	बटर आलल	स्किमड दुग्ध चूर्ण	बटर आयल
1.	1970-71	986	295	150	199	2260	461	...	...	425	102
2.	1971-72	2086	264	1444	893	2877	830	...	...	755	70
3.	1972-73	2015	295	2350	984	2455	1399	...	...	1155	239
4.	1973-74	3529	755	4991	1023	4391	2049	...	...	1486	299
5.	1974-75	1976	907	1090	1107	3506	1375	100	30	1914	246
6.	1975-76	973	53	4027	211	4324	667	380	89	26 0	269
7.	1976-77	2570	457	2497	367	3244	350	2099	1113	2964	790
8.	1977-78	2317	1788	4257	1 03	5419	1417	2021	1193	3032	730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	1978-79	1753	1180	2715	1799	3218	382	2986	1705	1531	752
10.	1979-80	2241	214	3016	100	3236	...	3102	131	1642	...
11.	1980-81	100	...	500	...	600	...	600	...	438	...
12.	1981-82*	400	...	...	...	...	...	...	...	37	...
	कुल	20946	6200	27107	7986	35530	8937	12389	4271	17999	3457

* दिसम्बर, 1981 तक अनन्तिम आधार पर

निवरण-2

विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा इसके प्रारम्भ से दान स्वरूप दिए गए जिन्सों का वर्षवार तथा डेरी वार विवरण ।

(आंकड़े मीटरी टन में)

1. महानगरीय डेरियां

क्र०सं०	वर्ष	डांकुनी मदर डेरी		कुल	
		स्किमड दुग्ध चूर्ण	वटर आयल	स्किमड दुग्ध चूर्ण	वाटर आयल
1.	1970-71	—	—	3821	1057
2.	1971-72	—	—	7132	2057
3.	1972-73	—	—	7975	2917
4.	1973-74	—	—	11397	4126
5.	1974-75	—	—	11586	2665
6.	1975-76	—	—	12424	1289
7.	1976-77	—	—	13374	3077
8.	1977-78	—	—	18146	6431
9.	1978-79	81	22	12264	5857
10.	1979-80	700	82	13938	527
11.	1980-81	711	—	2949	—
12.	1981-82	—	—	437	—
	कुल	1472	104	115443	31003

विवरण-3

फीडर बेलेंसिंग डेरियां

(आंकड़े मीटरी टनों में)

क्र०सं०	वर्ष	कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ		महताना जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ		बड़ौदा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ		हिमालय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ		मदुराई डेरी		कुल	
		स्किमड दुग्ध चूर्ण	बटर आयल	स्किमड दुग्ध चूर्ण	बटर आयल	स्किमड दुग्ध चूर्ण	बटर आयल	स्किमड दुग्ध चूर्ण	बटर आयल	स्किमड दुग्ध चूर्ण	बटर आयल	स्किमड दुग्ध चूर्ण	बटर आयल
1.	1970-71	698	235	—	—	—	—	—	—	—	—	658	235
2.	1971-72	936	236	50	17	—	—	—	—	—	—	980	353
3.	1972-73	600	200	108	—	—	—	—	—	—	—	708	200
4.	1973-74	557	170	40	46	3	2	—	—	—	—	600	218
5.	1974-75	—	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
6.	1975-76	750	250	9	6	—	—	—	—	—	—	759	256
7.	1976-77	891	549	88	—	13	1	40	—	113	39	1145	588
8.	1977-78	458	91	1	—	—	4	34	—	—	—	493	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	1978-79	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	8
10.	1979-80	—	—	—	—	398	—	—	—	—	—	398	—
11.	1980-81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	1981-82 (31-12-81 तक)	—	—	—	—	149	—	—	—	—	—	149	—
	कुल	4885	1829	296	69	563	15	74	—	112	38	5930	1951

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की ओर गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि

2503. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 31 जनवरी, 1982 को उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों की ओर गन्ना उत्पादकों की कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) क्या यह सच है कि गन्ना उत्पादकों को मिलों से समय पर अपने पैसे नहीं मिलते जिसके कारण उन्हें भारी परेशानी होती है ; और

(ग) क्या सरकार ने मिलों से गन्ना उत्पादकों को उनकी देय राशि समय पर दिलाने के लिए कोई कदम उठाये हैं ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 31 जनवरी, 1982 को उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की ओर गन्ना उत्पादकों की कुल 41.45 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

(ख) और (ग) : समय-समय पर इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गन्ना-उत्पादकों को चीनी मिलों से अपनी बकाया राशि समय से नहीं मिलती है। गन्ने की बकाया राशि को दिलवाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। तथापि, गन्ने की बकाया राशि की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और राज्य सरकारों को बकाया भुगतान करने के लिए परामर्श दिया जाता है। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 19 6 के अधीन, 14 दिन के बाद देर से गन्ने के मूल्य का भुगतान करने पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देना अनिवार्य होता है। विशेष तौर असाधारण मामलों में, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 में गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि का समय से भुगतान न करने पर चीनी फैक्ट्रियों के प्रबन्ध को अधिकार में लेने की व्यवस्था की गई है।

त्रीनगर दिल्ली के मूल सुविधाओं की कमी

2504. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि त्रिनगर, दिल्ली में मूल-सुविधाओं जैसे जल मल निकास व्यवस्था तथा सड़कों की कमी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस कालोनी को उक्त मूल नागरिक सुविधायें प्रदान करने का है ; यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए कोई निधि नियत की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम के सूचित किया है कि त्रिनगर कालोनी समूह अनधिकृत कालोनियां थीं। ये कालो- 1962 मे नियमित की गई थीं और इसके अधिकांश भाग में ईंटों के खडजे बिछाना नालियां और

नियां सड़कों इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधायें दी गई हैं । तथापि, कुछ स्थानों पर सुधार करने की आवश्यकता है ।

जहां तक मल निर्यास का सम्बन्ध है, दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि त्रिनगर कालोनी समूह के भाग में ये सुविधायें विद्यमान नही है । इन क्षेत्रों में मल निर्यास की व्यवस्था न करने का कारण यह है कि निवासियों ने कार्य आरम्भ करने के लिए अपेक्षित विकास प्रभारों का भुगतान नही किया है ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि यह निगम सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति के अनुसार सड़क इत्यादि जैसी सुविधाएं दे रहा है । इन कालोनियों में इन सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए 8. 4 लाख रुपये के आंकलनों की मन्जूरी दी गई है । यदि लाभ भोगी विकास प्रभारों का भुगतान कर दे तो मल निर्यास सुविधायें दी जा सकती हैं ।

चीनी के कारखाने

2505. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग, चीनी के कारखानों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उद्योग में प्रति वर्ष चीनी से वस्तुत: कितना उत्पादन हुआ है ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में नये चीनी उद्योगों की स्थापना के लिए जिन फर्मों/व्यक्तियो को लाइसेंस दिये गये उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) सरकारी और प्राइवेट सेक्टरों में स्थापित चीनी फैक्ट्रियों के नाम उनकी चीनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता और पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक उत्पादन बताने वाला विवरण-1 सलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया—देखिये संख्या एल. टी. 3504/82]

(घ) प्रत्येक राज्य में उन चीनी फैक्ट्रियों का ब्यौरा जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए लाइसेंस/आशय पत्र जारी किये गये थे, सलग्न विवरण-11 मे दिया गया है ।

सिर पर मैला ढोया जाना

2506. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिये है, कि नगरपालिका में सिर पर मैला ढोने अथवा हाथ से साफ करने की प्रक्रिया को बन्द करने हेतु कानून में संशोधन करे तथा सूखे शौचालयों में परिवर्तित करने का एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करें ;

(ख) यदि हा, तो ये निदेश कब तथा किन किन राज्यों को जारी किये गये तथा इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सफाई कर्मचारियों को सिर पर उटा कर या हाथ से मैला साफ करने के कार्य से मुक्त करने हेतु 30 अक्तूबर, 1969 को गांधी शताब्दी के अवसर पर एक योजना तैयार की गई थी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यह विषय राज्य क्षेत्र में है तथा इस प्रयोजन की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती है। मई, 1981 में सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे उपलब्ध संसाधनों के भीतर ही झाड़ू बरदारी के उन्मूलन की योजना को उच्चतम संभव प्राथमिकता देने तथा नए शौचालयों जिनमें से मल हाथ से उठाना पड़ता हो, के निर्माण को रोकने के लिए पालिका अधिनियमों को सशोधित करें। जहां तक विद्यमान शौचालयों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों से इन्हें जलवाही शौचालयों में बदलने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम अपनाने का अनुरोध किया गया था।

(ख) नई दिल्ली में 4 तथा 5 फरवरी 1982 को हुए राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि :—

नगरीय क्षेत्रों में शुष्क शौचालियों को बदलने तथा मानव अपशिष्ट को मानव द्वारा ढोने की अपमानजनक प्रथा के उन्मूलन हेतु प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा एक समय बद्ध कार्यक्रम अपनाया जाए। इस प्रयोजन के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए तथा इस कार्यक्रम को यथासंभव शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। जिन नये शौचालयों में मानव अपशिस्ट को सिर में ढोना पड़ता हो उन के निर्माण को रोकने के लिए जहां आवश्यक हो पालिका अधिनियमों को संशोधित करना चाहिए। इस क्षेत्र में जिन स्वयम सेवी अभिकरणों ने प्रशंसनीय कार्य किया है उन की इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में सहायता की जानी चाहिए।

(ग) इन निर्मित एक विशिष्ट अभियान के लिए जून, 1968 में सभी पालिका परिषदों। बादों को मार्ग निर्देशग जारी किए गए थे।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त

2507. **श्री मूल चन्द डागा :**
श्री राम लाल राही :
श्री हरीश रावत :
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री भीखू राम जैन :
श्री अर्जुन सेठी : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ; यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि दूर-दराज गांवों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर नहीं मिल रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें आवश्यक वस्तुए उचित मूल्य पर मिल जाते हैं, 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने क्या ठोस उपाय किये हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) 24-1-1981 को सभी मुख्य मंत्रियों को भेजे एक पत्र में कृषि, ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री ने उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए संहत कार्यवाही करने की जरूरत है ।

इस सम्बन्ध में उन्होने नागरिक पूर्ति मंत्रालय के सचिव द्वारा सभी मुख्य सचिवों को 15 अप्रैल, 1981 को भेजे गये पत्र में दिये गए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा सुझावों का हवाला देते हुए, निम्नांकित बातों पर और बल दिया है :—

(1) यह सुनिश्चित करने से लिए कि आवश्यक वस्तुओं की वसूली, ढुलाई, भण्डारण तथा वितरण के बीच अधिक समन्वय हो, यह आवश्यक है कि राज्य नागरिक पूर्ति निगम अथवा राज्य स्तरीय सहकारी संगठन अथवा दोनों जहां नहीं हैं, गठित किए जाएं और जहाँ वे पहले से ही कार्य कर रहे हैं वहाँ उन्हें उपयुक्त रूप से मजबूत किया जाए;

(2) दूरस्थ तथा दुर्गम इलाकों में खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की उचित यथा पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए स्थिति का पूर्ण मूल्यांकन किया जाए;

(3) छठी योजना में की गई परिकल्पना के अनुसार सहकारी समितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बहुत अधिक भूमिका अदा करनी चाहिए, ताकि कुछ समय के बाद सम्पूर्ण खुदरा बिक्री केन्द्र उन्हीं के द्वारा चलाये जा सकें;

(4) राज्य, जिला, ब्लाक तथा तालुका स्तरों पर उपभोक्ता सलाहकार समितियां, गठित की जायें, जिनमें विधायक, पचायतों के प्रतिनिधि तथा महिला मंडलों आदि के प्रतिनिधि हों;

(5) जिला प्रशासन तत्र को मजबूत किया जाये और इन तथा इनसे सम्बन्धित गतिविधियों का प्रभार केवल उन्हीं अधिकारियों को सौंपा जाए जिन्हें इस कार्य मे आवश्यक अभिरुचि तथा अनुभव है । आपूर्ति व्यवस्था को भी मजबूत किया जाये,

ताकि जिला स्तर पर खुदरा बिक्री केन्द्रों का पर्याप्त पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके; और

(6) इस प्रणाली के कार्यकरण की कारगर तथा समय से परिवीक्षा सुनिश्चित की जाये और केन्द्रीय सरकार को इससे समय-समय पर अवगत कराया जाता रहे।

(ख) व (ग) : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं। फिर भी नये बीस सूत्री कार्यक्रम, जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है, के एक अंग के रूप में दूर-दराज के क्षेत्रों में और अधिक उचित दर की दुकानें, जिनमें चलती-फिरती दुकानें भी शामिल हैं, खोलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जाना हैं। इस योजना के विस्तार का उद्देश्य यह है कि देश की सारी आबादी विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ला दिया जाए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो का ध्यान इन कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित करने की ओर पहले ही दिलाया जा चुका है।

आवास के लिए कार्यकारी दल

2508. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1981 में नियुक्त आवास और किराये के बारे में उच्च स्तरीय कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन और सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशें क्या हैं और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है;

(ग) तात्कालिक कार्यवाही के लिए कौन से सुझावो को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ;

(घ) क्या सरकार पुनर्निर्माण और सम्पत्तियों के बेहतर अनुरक्षण के लिए अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए किराया नियन्त्रण अधिनियम में संशोधनों को तैयार कर रही है; और

(ङ) क्या सरकार देश के सभी महानगरों में अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट लागू करने पर विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) प्राइवेट आवास के कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

(ख) कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ आवास वित्त व्यवस्था करने, आवास में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए वित्त सम्बन्धी प्रोत्साहन देने, रेहन बीमा निगम की स्थापना करने, किराया नियन्त्रण से सम्बन्धित अधिनियमों को उदार बनाने और भूमि विकास और स्थल एवं सेवा योजनाओं पर अधिक बल देने के लिए 3-टायर के ढांचे सहित विशिष्ठकृत वित्तीय संस्थान की स्थापना करने की सिफारिश की है।

(ग) कार्यकारी दल की केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित सिफारियों का सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए उनके विचार जानने के लिए परिचालित किया गया है। राज्य सरकारों से सम्बन्धित सिफारिशें उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उन्हें भेज दी गई है।

(घ) तथा (ङ) : किराया नियन्त्रण अधिनियम में संशोधन करने तथा महानगरों में अपार्टमेंट ओनरीशिप एक्ट लागू करने की कार्रवाई सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा की जानी है। दिल्ली के बारे में ये दोनों मामले विचाराधीन हैं।

मध्य प्रदेश में सिचाई के लिए भू-गत जल की उपलब्धता

2509. **डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए भूमि गत जल अनुमानत. कितनी मात्रा में उपलब्ध हो सकता है और वर्ष 1979 के अन्त तक उसका अनुमानत: कितना उपयोग हुआ था;

(ख) छठी योजना के प्रत्येक वर्ष में (एक) इसके उपयोग (दो) राज्य के परिव्यय तथा संस्थागत वित्त सहित योजना परिव्यय तथा (तीन) वर्ष 1980 तथा 1981 में हुई उपलब्धियों के संदर्भ में क्या भौतिक लक्ष्य रखे गये ;

(ग) मध्य प्रदेश के सूखोन्मुख अभावग्रस्त, कम विकसित तथा पिछड़े जिलों यथा राजगढ़ विदिशा, गुना तथा शाहजहाँपुर के लिए गत दो वर्षों के दौरान क्या अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है ; और

(घ) क्या सरकार मध्यप्रदेश में सिंचाई के लिए जल-क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए कार्य सर्वेक्षण, मूल्यांकन तथा उसे तेज करने के प्रयोजन से एक उच्च शक्ति प्राप्त तकनीकी अध्ययन दल मध्यप्रदेश भेजा जायगा ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउ रहमान अंसारी) : (क) सिंचाई क्षमता के रूप में, सिंचाई संबन्धी उद्देश्यों के लिए मध्यप्रदेश में भूगत जल की अनुमनित उपलब्ध क्षमता 20 लाख हेक्टेयर है। 1979-80 के अन्त तक उपयोग 9.82 लाख हेक्टेयर है।

(ख) छठी योजना (1980-85) के लिए अनुमानित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा भूगत जल विकास के लिए 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान उपलब्धियां नीचे दी गई है :

	वित्तीय (करोड़ रुपये में)			संस्थागत परिव्यय	*भौतिक (लाख हेक्टेयर)	
	सरकारी सैक्टर परिव्यय					
	स्वीकृत परिव्यय	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
छठी योजना (1980-85)	72.0	-	220	-	4.0	-
1980-81 के दौरान	14.40	12.0	35	32	0.50	0.47
1981-82 के दौरान (संभावित)	15.0	15.0	45	45	0.80	0.80

*छठी योजना के शेष वर्षों के लिए वास्तविक परिव्ययों एवं भौतिक लक्ष्यों को अभी अंतिम रुप नहीं दिया गया है।

(ग) मध्यप्रदेश के छः जिलों, नामशः झबुा, धार, बेतुल, शाहडोल, सिधी और खरगौन के 42 ब्लाकों में सूखा प्रवण क्षेत्रों के कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है । प्रति-ब्लाक के लिए 7.5 लाख रुपये की वार्षिक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है और राज्य सरकार द्वारा इतनी ही राशि की व्यवस्था की जाती है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य उपाबन्ध में दिए गए हैं।

(घ) संविधान के अन्तर्गत, जल एक राज्य-विषय है। तथापि, केन्द्रीय सरकार राज्य में सिंचाई के लिए जल क्षमता के पूर्ण उपयोग की समस्या के बारे में सचेत है। संसाधनों की उपलब्धता तथा समय-समय पर अन्य प्रतिबंधों के अध्यधी, इस दिशा में अधिकतम संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। अतः राज्य में किसी केन्द्रीय दल के भेजने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई है।

कपास के मूल्य

2510: डा बसन्त कुमार पंडित : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र तथा अन्य कपास उत्पादक अन्य राज्यों में कपास के लाभकारी मूल्य निर्धारित करने में असाधारण विलम्ब हुआ है ;।

(ख) वर्ष 1981-82 में कपास की कैसी फसल होने का अनुमान है वसूली के लक्ष्य क्या है और 31 जनवरी , 1982 तक राज्यवार वस्तुतः कितनी वसूली हो चुकी है ; और

विवरण

मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता के बारे में निर्दिष्ट विवरण

जिला	वित्तीय (लाख रुपयों में)				भौतिक (हेक्टेयर में)			
	1980-81		1981-82		1980-81		1981-82	
	स्वीकृत परिव्यय	व्यय	स्वीकृत परिव्यय	सितम्बर,81 तक व्यय	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1. झबुआ	60.65	58.05	59.00	27.61	2304	2203	1698	616 (सिम्बर,81)
2. धार	53.00	27.53	38.90	6.16	4270	812	3266	235 (जून,81)
3. बेतुल	49.64	44.76	52.70	22.64	4000	166566283		6000 (सितम्बर, 811)
4. सिधि	47.35	31.00	32-85	1.38	500	303	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5. खरगौन	12.70	2.83	21.00	1.22	41	41	शून्य-	शून्य-
6. शाहडोल	15.00	14-03	10.26	3.87	345	337	345	237 (जून, 81)
	238.34	178.20	213.91	62.88				

(ग) क्या कपास की दरें घोषित करने में विम्लब से महाराष्ट्र राज्य में एकाधिकार वपास वसूली योजना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा हैं ;

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारत सरकार ने 1981-82 के मौसम के लिए कपास की नीति पर कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि मोजूदा परिस्थितियों में वर्ष 1981-82 के मौसम के लिए कच्चे कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की कोई आवश्यकता नही है।

जहां तक महाराष्ट्र का सबंध है, एकाधिकार कपास अधिप्राप्ति योजना के तहत गारंटी मूल्यों का निर्धारण करना महाराष्ट्र राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार कच्चे कपास का गारटी मूल्य उनके द्वारा महाराष्ट्र कच्चा कपास (अधिप्राप्ति, परिसंस्करण तथा विपणन) अधिनियम, 1971 (यथा संशोधित) के तहत गठित की गई कपास समन्वय समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित करती है।

(ख) वर्ष 1981-82 में कपास के उत्पादन के अनुमान चालू कृषि वष के समाप्त होने के पश्चात ही उपलब्ध हो सकेंगे। तथापि प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार वर्ष 1981-82 में कपास का उत्पादन करीब 80 लाख गांठे (प्रत्येक 170 किलो ग्राम का) होने का अनुमान है।

जहां तक अधिप्राप्ति के लक्ष्य का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार कपास के सम्बन्ध अधिप्राप्ति केसंबंध में कोई राज्यबार लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। भारतीय कपास निगम द्वारा 3-1-1982 तक तथा महाराष्ट्र सरकारी विपणन संघ द्वारा 19 फरवरी, 1982 तक राज्यवार की गई खरीद का विवरण में दिया गया है।

(ग) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, महाराष्ट्र में राज्य सहकारी विपणन सघ द्वारा सितम्बर, 1981 से कपास की खरीद शुरू की गई थी और निगम ने 19 फरवरी, 1982 तक करीब 10,14 लाख गाठों की खरीद की।

विवरण

भारतीय कपास निगम द्वारा 1981-82 के कपास मौसम के दौरान 31-1-1982 तक की गई कपास की राज्यवार खरीद

(आंकड़े 170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ में)

राज्य	खरीद
पंजाब	1,32,076
हरियाणा	56,758
राजस्थान	97,105

1	2
गुजरात	18,729
मध्यप्रदेश	1,06,131
आंध्र प्रदेश	28,860
तमिलनाडू	4,763
कर्नाटक	4,813
उत्तर प्रदेश	247
योग	4,49482

महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन सघ द्वारा वर्ष 1981-82 के कपास मौसम (19.2.82 तक) के दौरान की गई कपास की खरीद।

10.14 लाख गांठें

बल्क उपभोक्ताओं को वनस्पति सप्लाई करने संबंधी अनुदेश

2511. **श्री हरीश कुमार गगवार :** क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के खाद्य तथा पूर्ति आयुक्त ने दिसम्बर, 1981 के मध्य में यह आदेश दिया था कि बल्क उपभोक्ताओं को गत इसी अवधि के दौरान की गई सप्लाई की मात्रा के अतिरिक्त 16.5 किलोग्राम वनस्पति घी के डिब्बों की बिक्री नही की जायगी और किसी एक बल्क उपभोक्ता ने कोई खाता न रखा हो उसे प्रति सप्ताह, डिब्बे का "टिन" खोलकर 16.5 किलोग्राम का एक टिन सप्लाई किया जायगा ;

(ख) यदि हां, तो उस आदेश का क्या प्रभाव पड़ा, तथा क्या बल्क उपभोक्ताओं की ओर से इसके प्रति बड़ी क्षीण प्रतिक्रिया हुई क्योंकि उन्हे बिक्री कर की अदायगी न करने के भेद खुल जाने का डर था ;

(ग) ये बल्क उपभोक्ता रेपसीड तथा पाम तेल कहां से प्राप्त कर रहे है जो कि घी के स्थान पर उपयोग में लाये जा रहे हैं- क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) क्या परचून उपभोक्ताओ के लिए सप्लाई ऐसे प्रतिबन्ध लगाकर खोली जानी चाहिए जो इस आवश्यक उपभोक्ता वस्तु को सुगम तथा निरन्तर उपलब्धता के लिए उचित तथा लाभकारी समझे जायें।

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) व (ख) : जी हां। थोक उपभोक्ताओं को वनस्पति घी की सप्लाई पिछले वर्ष के उसी महीने में रिकार्ड की गई खरीद के आधार पर नियत्रित की गई थी। इसका बिक्री कर की चोरी रोकने में लाभकर प्रभाव रहा है।

(ग) : दिल्ली प्रशासन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए रेपसीड तेल तथा आर. बी. डी ताड़ का तेल दिया जाता है। प्रत्येक कार्डधारी को एक मास के लिए 4 कि. ग्रा. तेल दिया जाता है ये तेल थोक उपभोक्ताओं को नहीं दिए जाते हैं दिल्ली प्रशासन ने थोक उपभोक्ताओं की समय-समय पर जांच की है, परन्तु उनके परिसरों में कोई रेपसीड तेल अथवा पाम आयल नहीं मिला है।

(घ) वनस्पति घी की बिक्री का नियमन किया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन द्वारा केवल लाईसेंसधारी खुदरा बिक्रेताओं द्वारा ही बिक्री की अनुमति दी जाती है।

दिल्ली में सम्पत्तियों का लेनदेन

2512. **डा० ए० यू० आजमी :**

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री बेची गई सम्पत्ति के पंजीकरण के बारे में 7 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न सख्या 2512 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कितनी सम्पत्तियों- भूमि का लेन-देन हुआ और सम्पदा शुल्क, न्यायालय फीस आदि के रूप में राज्य को कुल कितनी राशि की शुद्ध हानि हुई हैं ?

(ख) क्या व्यापार में लगाये गये काले धन की सहायता से मुद्रा-स्फीति की ऊँची दर और भूमि की लागत विभिन्न व्यक्तियों के पास सम्पत्ति के अन्तरण में बेईमान लोगों द्वारा सरकार को धोखा देने, जिससे समग्र रुप से देश की अर्थ-व्यवस्था चौपट हो रही है, का निष्कर्ष निकालने के लिए सरकार और दिल्ली नगर निगम के गृह कर विभाग के रिकार्ड के सहयोग सभी मकानों/फ्लैटों भूमि का कोई सर्वेक्षण किया जायगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

2513. **डा० ए० यू० आजमी**

श्री जगदीश टाइटलर : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री नगरों की जनसंख्या में वृद्धि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और बड़े नगरों में भीड़-भाड़ के बारे में 31 अगस्त. 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 213, 23 नबम्बर, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 47 और 153 तथा 7 दिसम्बर, 1981 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा सरकारों और दिल्ली के उपराज्यपाल के विचार प्राप्त हो गए है ;

(ख) दिल्ली और महानगरों के अन्दर अथवा निकट छोटे नगरों पर दबाव कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्बन्धी नियोजन और विकास में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) दिल्ली के थोक बाजारों में भीड़ भाड़ को ध्यान में रखकर इन थोक बाजारों को अलग-अलग जगह स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये है ; और

(घ) समेकित ग्रामीण विकास योजना और कुटीर उद्योगों में और अधिक चीजों के उत्पादन बड़े उद्योगों में उन चीजों के उत्पादन पर रोक लगाने आदि सहित बड़े नगरों के औद्योगिक क्षेत्रों के औद्योगिक, वाणज्यिक और प्रशासनिक गतिविधियों के विकेन्द्रीयकरण के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना जिसे 1970 में प्राधिकार प्राप्त बोर्डने अनुमोदित किया था, दिल्ली तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा राज्यों के दिल्ली के समीपस्थ क्षेत्रों में सुनियोजित विकास करने तथा इन राज्यों में पता लगाए गए इर्द-गिर्द के कस्बों के विकास पर विचार किया गया है। केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत चयनित इर्द-गिर्द के नगरों के स्वीकृत नगरीय विकास हेतु इस योजना के अधीन केन्द्रीय ऋण सहायता दी जाती है । ऋण सहायता अनुमोदित परियोजना की लागत के 50 प्र० श०तक सीमत है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा समतुल्य निधियों का प्रावधान हो । फिलहाल, 5 नगर नामत: मेरठ तथा हापुड़ (उत्तर प्रदेश में), गुड़गांव तथा पानीपत (हरियाणा में), तथा अलवर (राजस्थान में) क्षेत्र की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत विकसित किए जा रहे हैं । यह योजना छठी योजना अवधि के दौरान जारी है तथा योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता देन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत योजना बजट 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

(ग) यह दिल्ली की बहद् योजना में है ।

(घ) (1) जैसा कि औद्योगिक विकास विभाग ने सूचित किया है, उद्योगो के संस्थापन की वर्तमान नीति के अधीन 10 लाख से अधिक जनसख्या वाले महानगरों के मानक नगरीय क्षेत्र के भीतर और अधिक औद्योगिक गतिविधियों के लिए तथा 1971 की जनगणना के अनुसार 5 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगरों की नगर पालिका सीमाओं के भीतर नए लाइसेंस जारी नही किए जाने है ।

(2) छठी योजना प्रलेख में छोटे, मध्यम तथा बीच के नगरों में औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा व्यापारिक संस्थापनाओं के गठन को सक्रिय प्रेरणा देने की व्यवस्था है ।

(3) लघु उद्योग क्षेत्र में लगभग 1000 मदें मात्र उत्पादन के लिए रखी गई है । लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित इन मदों का उत्पादन मध्यम तथा बड़े एककों के लिए निषिद्ध होगा ।

(4) छठी योजना प्रलेख के अनुसार, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत सभी ब्लाकों में स्वीकृत ग्रामीण विकास परियोजना जारी रहेगी ।

हिन्दी अधिकारियों के पदों हेतु भर्ती नियमों में असंगति

2514. **श्री राम विलास पासवान** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) उनके मन्त्रालय और सम्बन्धित तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों के कितने पद हैं और इन पदों के वेतनमान तथा भर्ती नियम क्या है ;

(ख) यद्यपि इन पदों की जिम्मेदारियां समान है तदापि इनके भर्ती नियमों में असंगतियां और भेदभाव हैं ;

(ग) इन असंगतियों के निरन्तर बने रहने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन भर्ती नियमों में एकरूपता लाने के लिये कब तक कार्यवाही पूरी की जायेगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पदम नगर में डी० डी० ए० द्वारा मार्किट की स्थापना करना

2515. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकारियों ने पदम नगर में एक मार्किट बनाने की योजना तैयार की है और इसके लिये फ्लैटों की नीलामी की है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस योजना के अन्तर्गत एक मुख्य डाकघर के लिये स्थान निर्धारित किया गया है, यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन में से कौन सा संगठन प्रस्तावित मार्किट को दिल्ली प्रशासन की गुलाबी बाग कालोनी और अन्धा मुगल के साथ जोड़ती हुई ओवर ड्रेन न० 40 का निर्माण कार्य हाथ में लेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सुवर्ण रेखा परियोजना के लिए कृषि के बारे में विश्व बैंक दल की यात्रा

2516. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुउद्देश्यी सुवर्ण रेखा नदी परियोजना, जो तीन राज्यों से होकर बहती है

के निर्माण के लिये ऋण की अदायगी के बारे में केन्द्र सरकार के साथ चर्चा के लिये विश्व बैंक के एक दल ने हाल में भारत की यात्रा की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) यदि नहीं, तो विश्व बैंक से ऋण के भुगतान किस अवस्था पर है और ऋण की राशि तथा उसकी वापसी की शर्तें क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। विश्व बैंक मूल्य निर्धारण शिष्ट मंडल ने नवम्बर-दिसम्बर, 1981 में भारत का दौरा किया था और स्वर्ण रेखा (बिहार और उड़ीसा) परियोजना के बारे में बिहार और उड़ीसा की राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था।

(ख) और (ग) उनकी मूल्य निर्धारण रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। परियोजना के आकार, सहायता की मात्रा और शर्तों आदि के बारे में अभी तक बातचीत की जा रही है।

शहरी भूमि की कीमत

2517. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी भूमि की कीमतों में तेजी से हो रही वृद्धि पर नियन्त्रण करने के लिये कोई वित्तीय तथा नियन्त्रण के उपाय राज्य सरकारों को भेजे गये है ; यदि हां तो वे उपाय क्या है ; और

(ख) क्या शहरी भूमि उपलब्धता में वृद्धि के लिए कोई ठोस नीति और कार्यक्रम बनाया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रवृत हो जाने के अनुसरण में, राज्य सरकारों से निम्नलिखित उपाय करने का अनुरोध किया गया था :—

(1) रिक्त भूमि पर नगरीय भूमि कर लगाना ;

(2) भवन सहित भूमि जहां ऐसी भूमि विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक है, पर नगरीय भूमि कर लगाना।

(3) विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक निर्मित क्षेत्र पर कर लगाना।

(4) भूमि पर विकास प्रभार लगाना जब वे विकसित हो जाएं।

(5) उस भूमि पर परिवर्तन प्रभार लगाना जहां यह जिस उपयोग में लाई जा रही है उससे भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने के लिए प्रस्तावित हो।

(6) प्रतिबन्धि रहित नगरीय संघटीकरण वाली कृषि भूमि के अन्तरण पर प्रतिबन्ध लगाना, तथा

(6) बृहद् योजना क्षेत्रीय विनियमन पालिका उन विधियों द्वारा लगाए गए कुछ प्रकार के प्रतिबन्धों को हटाना जो नगरीय सीमा की धारणा के विरुद्ध है।

(ख) राज्य सरकारों ने नगरीय क्षेत्रों में आवास बोर्डों तथा नगरीय विकास प्राधिकरणों द्वारा पूंजीनिवेश के माध्यम से विकसित नगरीय भूमि की पूर्ति करने के उपाय किये हैं। अधिकांश नगरीय प्राधिकरणों आवास बोर्डों तथा राज्य सरकारों ने भूमि अर्जन तथा विकास को विस्तृत रूप में आरम्भ किया है। छठी योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 16.2 लाख स्थलों के विकासार्थ राज्य क्षेत्र में 485 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। सामुहिक आवास योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना है। छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों से छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों में रिहायशी योजनायें आरम्भ की गई हैं। बुडकों, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा वाणिज्यिक बैंकों जैसे वित्तीय अभिकरण भूमि के विकास तथा प्राईवेट एवम् सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा मकानों के निर्माण में सहायता कर रहें हैं।

पश्चिम बंगाल में तूफान पीड़ितों को केन्द्रीय सहायता

2518. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**
श्री जायनल अबेदिन :
श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूफान पीड़ित लोगों और 24 परगना तथा मिदनापुर जिलों के क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा 22 जनवरी, 1982 को दिये गए अनुरोध पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा किये गए अनुरोध का ब्यौरा क्या है तूफान पीड़ित लोगों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने ज्ञापन द्वारा 4688 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता मांगी है। केन्द्रीय दल के दौरे के दौरान राज्य सरकार ने राहत सम्बन्धी उपायों के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करने का अनुरोध किया था। इस प्रकार निम्नलिखित कार्यों के लिए राज्य सरकार की कुल मांग 5906.92 लाख रुपये की थी :—

		(लाख रुपये)
1.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1288.28
2.	निःशुल्क राहत तथा अनुग्रह सहायता	1599.84
3.	सिंचाई तथा जल मार्गों की मरम्मत तथा पुनरुद्धार	2176.00

4.	विभिन्न क्षेत्रों—कुटीर तथा लघु उद्योग, मात्स्यिकी पंचायत, लोक निर्माण (सड़कें), पशु पालन शिक्षा तथा वानिकी में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत और पुनरुद्धार।	842.80
	कुल	5906.92

केन्द्रीय दल जिसने 6 तथा 8 जनवरी, 1982 के बीच पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, की रिपोर्ट तथा राहत कार्यों से सम्बन्धित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों की राहत और पुनर्वास तथा तूफान से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत तथा पुनरुद्धार के लिए वर्ष 1981-82 के दौरान 1817.87 लाख रुपये तथा 1982-83 के दौरान 757.50 लाख रुपये के अधिकतम व्यय की सीमा की मंजूरी दी। राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :—

1991-82

		(लाख रुपये)
(क)	राहत कार्य :	
(1)	तूफानग्रस्त क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय	80.00
(2)	प्रभावित क्षेत्रों में 45 दिन के लिए बच्चों/गर्भवती स्त्रियों/दूध पिलाने वाली स्त्रियों के लिए आयात पोषाहार कार्यक्रम	50.00
(3)	मृत तथा गुमशुदा व्यक्तियों के परिवारों को 1000/- प्रति परिवार के हिसाब से अनुग्रह राशि का भुगतान	4.17
(4)	लघु/सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के मवेशियों के लिए चारे की सप्लाई तथा पशु चिकित्सा की व्यवस्था	28.17
(ख)	पुनर्वास :	
(1)	क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण के लिए सहायता	70.00
(2)	तूफान में मारे गए पशुओं के बदले दूसरे पशु खरीदने के लिए छोटे और सीमान्त/भूमिहीन किसानों को क्रमश: लागत के 25 प्रतिशत तथा 33/1/2 प्रतिशत की दर से राज सहायता	54.00

(3)	कुटीर उद्योग मालिकों के लिए राज सहायता (क) हथ-करघा बुनाई इकाइयों तथा लघु उद्योग इकाइयों को करघों/औजारों यथा उपकरणों को बदलने/मरम्मत करने, सूत तथा अन्य कच्चा माल खरीदने के लिए राजसहायता	63.20
(4)	नाव और जाल खरीदने, मत्स्य पालन के तालाबों की मरम्मत/नवीकरण करने तथा रियाती दर की आंगुलिक (फिंगरलांग) खरीदने के लिए मछुओ को सहायता	35.85
	कुल "ख"	

(ग) **तूफान से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत/पुनरुद्धार :**

(1)	24 परगना/मिदनापुर में क्षतिग्रस्त हुए तटबन्धों और जल निकासी सेवाओं की मरम्मत तथा पुनरुद्धार	799.00
(2)	स्वास्थ्य केन्द्रों/पंचायत भवनों/विद्यालय भवनों/वन विकास/पी० डब्ल्यू० बी० की सम्पत्ति की मरम्मत/पुनरुद्धार	58.55
(घ)	तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में हस्तचालित नलकूल खोदकर तथा अन्य उपायों द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति को पूर्ववत बनाना	222.00

(ङ) **कृषि सम्बन्धी कार्य :**

(1)	अतिरिक्त चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना फसलों को उगाने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को मिनीकट, लवण रोधी धान के बीचों, हरी घास बनाई जाने वाली वनस्पतियों के बीजों और जैविक खाद की आपूर्ति करना	18

(च) **रोजगार के अवसर पैदा करना :**

तूफान से प्रभावित क्षेत्रों के छोटे तथा सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को अतिरिक्त उपयोगी रोजगार प्रदान करने के लिए चालू प्लान योजनाओं तथा योजना के दायरे में आने वाली तथा उसमें शामिल करने के लिए पात्र नई योजनाओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाना	250.00
1981-82 के दौरान स्वीकृत किये गए व्यय की कुल अधिकतम सीमा	1817.87

1982-83

(1) तूफान से क्षतिग्रस्त हुए तटबन्धों की मरम्मत	250.00
(2) हस्तचालित नलकूप आदि खोदकर पीने के पानी की आपूर्ति को पूर्ववत बना ।	196 00
(3) तूफान से क्षतिग्रस्त हुए क्षेत्रों के छोटे तथा सीमान्त किसानों को सहायता	61.50
(4) रोजगार के अवसर पैदा करना :	
तूफान से प्रभावित क्षेत्रो में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए चालू परियोजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाना	250.00
1982-83 के दौरान स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा	757.50
1981-82 तथा 1982-83 का सकल योग :	2575.37

यूरिया की कीमत में वृद्धि

2519. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरिया (प्रति किलोग्राम) की 1 जनवरी, 1980 को क्या कीमत थी;

(ख) इस समय इसकी कीमत क्या है;

(ग) इसकी कीमतों में वृद्धि, जो कि हमारे देश के किसानों के लिए आवश्यक है, के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार किसानों को यूरिया खरीदने हेतु राजसहायता देने को तैयार हैं; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री : (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) 1.45 रु० प्रति किलोग्राम ।

(ख) 2.35 रु० प्रति किलोग्राम ।

(ग) कच्ची सामग्री (मुख्यत: पैट्रोलियम पर आधारित) की लागत में तेजी से वृद्धि होने तथा आयातित उर्वरकों और सरकार द्वारा उर्वरकों पर राज्य सहायता के भार को कम करने की वजह से मुख्यत: खुदरा मूल्यों में वृद्धि हुई है ।

(घ) तथा (ड.) यूरिया का मूल्य पहले से ही राज्य सहायता प्राप्त है।

उड़ीसा में समुद्री तूफान से सम्पत्ति जान-माल और पशुओं की क्षति

2520. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उड़ीसा और बंगाल तट पर आये समुद्री तूफान (दिसम्बर, 1981) के कारण हुई क्षति के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा कोई मूल्यांकन किया गया है अथवा राज्य सरकारों द्वारा मूल्यांकन किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो दोनों राज्यों में समुद्री तूफान से कुल कितनी सम्पत्ति, जान-माल और पशुओं की क्षति हुई है; और

ग) सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास के बारे में क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुए ज्ञापनों/रिपोर्टों के अनुसार हुई क्षति का राज्य-वार विवरण नीचे दिया गया है :—

पश्चिमी बंगाल

प्रभावित हुए व्यक्तियों की संख्या	37 लाख
मृत व्यक्तियों की संख्या	198
गुमशुदा व्यक्तियों की संख्या	219
मवेशियों/भैंसों की क्षति	37,400
सम्पत्ति को पहुंची क्षति जैसे :— बचाव पुश्तों, सार्वजनिक सड़कों, मात्स्यिकी भण्डार, पंचायत की सम्पत्ति/विद्यालाय भवनों को पहुंची क्षति	43.44 करोड़ रुपये (मरम्मत तथा पुनरुद्धार के रूप में)

उड़ीसा

प्रभावित हुए व्यक्तियों की संख्या	12.97 लाख
मृत व्यक्तियों की संख्या	2
गुमशुदा व्यक्तियों की संख्या	40
पशु धन हानि	417
सम्पत्ति को पहुंची क्षति	223 लाख रुपये

(ग) **पश्चिमी बंगाल**

केन्द्रीय दल के दौरे तथा राहत कार्यों से सम्बन्धित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों

पर, भारत सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास तथा क्षतिग्रस्त सम्पत्ति की मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए 1981-82 के दौरान 1817.87 लाख रुपये तथा 1982-83 के दौरान 757.50 लाख रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी। इस राशि में मृत तथा गुमशुदा व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह राशि के भुगतान, प्रभावित क्षेत्रों में आरम्भ किए जा रहे आपात पोषाहार कार्यक्रम, क्षतिग्रस्त मकानों/झोंपड़ियों की मरम्मत तथा पुनरुद्धार के लिए सहायता, छोटे और सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राजसहायता, तथा नावों, जालों, करघों, औजारों आदि को बदलने/मरम्मत करने के लिए मछुओं और कुटीर उद्योग के मालिकों आदि को राज-सहायता देने की भी व्यस्था है।

उड़ीसा

राज्य सरकार ने कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है। तथापि, राज्य सरकार के पास 871 लाख रुपये की वार्षिक सीमान्त राशि है, जिससे वे आपात राहत व्यय की व्यवस्था कर रहे हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि प्रभावित परिवारों में राहत सामग्री जैसे भोज तथा कपड़े वितरित किए गए थे। राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त मकानों की मरमत के लिए भी गृह निर्माण अनुदान स्वीकृत किए हैं। दिवंगत व्यक्तियो के परिवारों को अधिकतम 1500 रुपये तक की अनुग्रह अनुदान राशि भी मंजूर की गई है। राज्य सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों का बकाया पड़े सहकारी ऋणों को परिवर्तित करने तथा पुनः सूचीकरण करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

मुख्तयारनामा के माध्यम से अधिकार का स्थानान्तरण

2521. **श्री कमलनाथ** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्लाटों के आवंटनधारी ऊंचे मूल्यों पर खरीदारों के पक्ष में अपरिवर्तनीय मुख्तियार नामा बनाकर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करके अपने अधिकारों का स्थानांतरण कर रहे हैं; और

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन/डी०डी०ए० को इस गैर-कानूनी कार्य की जांच के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"डेवलेपमेंट आफ न्यू स्ट्रेन्स आफ कैटल" शीर्षक समाचार

2522. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अधिक दूध देने वाले ढोरों की और अधिक तथा उत्तम ऊन देने वाली भेड़ों की नई नसल विकसित की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; टाइम्स आफ इण्डिया 2 जनवरी, 982); और

(ख) नई नस्ल के कुल किने ढोर, भेड़ और पक्षी बाजार में भेजे गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान। राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में मवेशी की दो नस्लें यानी करण स्वीस तथा करण फ्राइज विकसित की गई हैं। स्थानीय साहीवाल गायों की अर्ध संकर नस्लों तथा अमेरिकन ब्राउन स्वीस सांडों तथा स्थानीय थरपारकर गायों के फ्रीजियन सांडों के साथ अन्तः प्रजनन के परिणाम करण स्वीस तथा करण फ्राइज नस्लें है। करण स्वीस 305 दिनों में औसतन 3077 लीटर दूध देती हैं। इसी तरह करण फ्राइज 305 दिनों में 3600 लीटर दूध देती है।

भेड़ की दो नस्लें यानी अविवस्त्र तथा अविकालिन केन्द्रीय भेड़ मथा ऊन अनुसंधान, अदिकानगर में विकसित की गई है। अविवस्त्र और अविकालिन नस्लें स्थानीय चोकला भेड़ो के अर्ध संकटित नस्लों और रैम्बोलेट मेढ़ों तथा स्थानीय मोलपुरा भेड़ों तथा रैम्बोलेट मेढ़ों के क्रमशः अन्तःप्रजनन के परिणाम हैं। अविवस्त्र और अविकालिन से वस्त्रों और बढ़िया गलीचों के लिए क्रमशः 2.3 तथा 1.9 किलोग्राम ऊन मिलती है।

मुर्गी पालन के सम्बन्ध में, इस वर्ष नस्ल रिलीज समिति ने दो नस्लों यानी केन्द्रीय पक्षी अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर से अण्डे देने वाली नस्ल, आई एल आई 80, और मांस हेतु मुर्गी पालन केन्द्र पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना से आई बी एल 80 को रिलीज करने की सिफारिश की है। नस्ल आई एल आई 80 दड़बे और मुर्गी दिवस के आधार पर औसतन क्रमशः 260 और 265 अण्डे 500 दिनों की आयु तक देती है। आई बी एल 80 नाम की नस्ल का भार 8 सप्ताह में 1 किलो से अधिक हो जाता है। मुर्गी पालन प्रजनन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत अनेक नस्लों के अन्तः समूहों के चयन के माध्यम से और उसके बाद उनके संकरण से ये नस्लें रिलीज की गई हैं।

(ख) सितम्बर, 1981 तक करण स्वीस गोपशुओं की बेचने के माध्यम से रिलीज की जाने वाली संख्या निम्नलिखित हैं :

सांड़/बछड़े	204
गाय	716
ओसर	31
बछड़ा	1229

सन 1977 से फरवरी, 1982 तक गर्भाधान के लिए विस्तार केन्द्रों, परिचालन अनुसंधान प्रयोजनाओं और प्रमुख गांवों को करण स्वीस और करण फ्राइज के सांडों के वीर्य की निम्नलिखित मात्राएं दी गई हैं :—

करण स्वीस	27,854 मात्राएं
करण फ्राईज	13,920 मात्राएं

संख्या परिचालन अनुसंधान प्रायोजना और राज्य के भेड़ और ऊन/पशु पालन विभागों को दी जाने वाली अविवस्त्र और अविकालिन भेड़ों की संख्या निम्न प्रकार हैं :

अविवस्त्र मेढे	574
अविकालनि मेढ़े	148

30 जनवरी, 1982 को मुर्गी की आई एल आई 80 तथा आई बी एल 80 नस्लों की रिलीज के लिए सिफारिश की गई, इसलिए सप्लाई की गई संख्या शून्य है।

उड़ीसा में चावल पैदावार क्षेत्रों में गेहूं की उत्साहजनक खेती

2523. **श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों में गेहूं लोकप्रिय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो चावल की पैदावार करने वाले राज्यों में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं;

(ग) उड़ीसा में गेहूं की खेती के विस्तार के लिए अब तक क्या नीति अपनाई गयी है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) धान उगाने वाले राज्यों, जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं (1) भूमिगत जल की व्यवहार्यता का उपयोग करना, (2) आदानों, विशेष रूप से अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के बीजों और उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में समय पर व्यवस्था करना और (3) सही समय पर धान और गेहूं, दोनों फसलों की बुवाई सुनिश्चित करने के लिए चावल की सामुदायिक नर्सरियां लगाने सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को क्रियान्वित करना।

अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के बहाव क्षेत्रों में भूमि का कटाव

2524. **श्री जयन्ती पटनायक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंतर्राज्यीय नदियों के बहाव क्षेत्रों में भूमि कटाव की गम्भीर समस्या है और राज्य सरकारें इसके लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर रही है क्योंकि इस योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि नहीं दी जाती है;

(ख) क्या सरकार का सम्बन्धित राज्यों में नदियों के बहाव क्षेत्रों के लिए धनराशि निर्धारित करने का विचार है ताकि कार्यक्रम की उपेक्षा न की जा सके; और

(ग) मध्य प्रदेश उड़ीसा सरकारों द्वारा महानदी के बहाव क्षेत्र को बचाने पर गत तीन वर्षों में कितना व्यय किया गया, क्या प्रत्येक राज्य द्वारा किया गया व्यय सम्बन्धित राज्यों में नदी के बहाव क्षेत्र के समरूप है ?

कृषि ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी हां। नदी घाटी परियोजनाओं के सवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण तथा सिन्धु गंगा बेसिन की बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित जल विभाजक प्रबन्ध की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत केवल 37 स्रवण क्षेत्र आते हैं। इन स्रवण क्षेत्रों की सूची को दर्शाने वाला विवरण एक में दिया गया गया है। इस समय ये योजनायें भारत सरकार और राज्य के बीच 50.50 की हिस्सेदारी के आधार पर क्रियान्वित की जा रही हैं और राज्य बराबर का अंशदान दे रहे हैं। चूंकि ये स्रवण क्षेत्र अधिकतर अन्त-राज्य स्वरूप के हैं, अतः भारत सरकार 100 प्रतिशत सहायता देने पर विचार कर रही है।

(ग) राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण 1

योजनावार और राज्यवार स्रवण क्षेत्रों के नामों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	स्रवण क्षेत्र	राज्य
1	2	3
		1. नदी घाटी परियोजना के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना
1.	ब्यास	(1) हिमाचल प्रदेश
2.	चम्बल	(1) मध्य प्रदेश
		(2) राजस्थान
3.	दमनगंगा	(1) गुजरात
		(2) राजस्थान
4.	धन्तीवाड़ा	(1) गुजरात
		(2) राजस्थान
5.	घोड	(1) महाराष्ट्र
6.	गिरीबाता	(1) हिमाचल प्रदेश
7.	गुनती	(1) त्रिपुरा
8.	हीराकुंड	(1) मध्यप्रदेश

1	2	3
		(2) उड़ीसा
9.	कंगसावती	(1) पश्चिम बंगाल
10.	कुंडा	(1) केरल
		(2) तमिलनाडु
11.	लोअर मवानी	(1) तमिलनाडु
12.	मच्छकुंड	(1) आन्ध्र प्रदेश
		(2) उड़ीसा
13.	माही	(1) गुजरात
		(2) राजस्थान
14.	मातातिला	(1) मध्य प्रदेश
		(2) उत्तर प्रदेश
15.	मयूराक्षी	(1) बिहार
16.	नागार्जुनसागर	(1) आन्ध्र प्रदेश
		(2) कर्नाटक
		(3) महाराष्ट्र
17.	निजाम सागर	(1) आंध्र प्रदेश
		(2) कर्नाटक
		(3) महाराष्ट्र
18.	पगलाडिया	(1) असम
19.	पच्छम पद	(1) आंध्र प्रदेश
		(2) महाराष्ट्र
20.	पोहरू	(1) जम्मू और कश्मीर
21.	रामगंगा	(1) उत्तर प्रदेश
22.	रेनगाली मांदिरा	(1) बिहार
		(2) मध्य प्रदेश
		(3) उड़ीसा
23.	सुखना लाख	(1) चण्डीगढ़
24.	सतलुज	(1) हिमाचल प्रदेश

क्रम संख्या	स्रवण क्षेत्र	राज्य
		(2) पंजाब
25.	तावा	(1) मध्य प्रदेश
26.	तीस्ता	(1) सिक्किम
		(2) पश्चिम बगाल
27.	तुंगभद्र	(1) कर्नाटक
28.	उकाई	(1) गुजरात
		(2) मध्य प्रदेश
		(3) महाराष्ट्र
29.	दामोदर वराकर	(1) दामोदर घाटी निगम
		2. सिन्ध—गंगा बेसिन के स्रवण क्षेत्रों की बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित जल विभाजक प्रबन्ध की केन्द्रीय प्रायोजित योजना।
1.	यमुना (ताजेवाला से ऊपर)	(1) हिमालय प्रदेश
		(2) उत्तर प्रदेश
2.	अपर गंगा	(1) उत्तर प्रदेश
3.	साहिबी	(1) हरियाणा
		(2) राजस्थान
		(3) दिल्ली
4.	गोमती	(1) उत्तर प्रदेश
5.	सोन	(1) उत्तर प्रदेश
		(2) मध्य प्रदेश
		(3) बिहार
6.	पुनपुन	(1) बिहार
7.	अजय	(1) बिहार
		(2) पश्चिम बंगाल
8.	रूपनारायण	(1) पश्चिम बंगाल

दिल्ली सीन ऐज ए सिटी आफ स्लम्स शीर्षक समाचार

2525. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में दिल्ली सीन ऐज सिटी आफ स्लम्स शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें निम्न प्रकार प्रकाश डाला गया है :

(ख) देगों जिला केन्द्रों का विकास करन, पर्याप्त मकान बनाने में दिल्ली विकास के असफल रहने, और बाहर से आकर यहां बसने वालों की संख्या में वृद्धि होने के कारण अनधिकृत निर्माण में वृद्धि हुई है और किराये तथा सम्पत्ति मूल्यबढ़े हैं :

(दो) सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण करने का संज्ञय अपराध बनाना ;

(तीन) दिल्ली में उपनगर अथवा रिग-नगरों की योजना ; औद्योगिक इकाइयों की की स्थापना को रोका जाना ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ; और

(ग) दिल्ली की सफाई करने निर्माण सम्बन्धी नियमो मे संशोधन करके उसे सज्ञेय अपराध बनाये जाने, अधिक मकानों का निर्माण करने और बहुत समय से लम्बित पड़े मामलों को निपटाने के लिए अन्य निकायों से सहयोग करने के बारे मे क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सुपर बाजार के भंडार की जाच

2526. श्री टी० एस० नेगी : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार नयी दिल्ली में उठाईगिरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो 30 मई 1981 की जांच के दौरान 31 दिसम्बर, 1980 की जांच की तुलना में कितने मूल्य का कितना स्टाक कम पाया गया ;

(ख) क्या 1 जनवरी,1981 से 30 जून,1981 तक सुपर बाजार ने कुछ लाभ कमाया और क्या यह लाभ 1 जुलाई, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 म कमाये गए लाभ से काफी कम है और यदि हां, तो तत्संबन्धी कारण क्या हैं ; और

(ग) 1मई, 1981 से आज तक सुपर बाजार, नयी दिल्ली की प्रबन्ध समिति की कितनी बैठकें हुई है और यदि कोई बैठक नहीं हुई तो इसके क्या कारण है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) :

दिसम्बर, 1980 और जून,1981 को समाप्त होने वाली छमाहियों में स्टाक में पायी गयी कमी का मूल्य और उसका प्रतिशत नीचे दिया गया है :-

	31.12-1980 को समाप्त छमाही	30.6.1981 को समाप्त छमाही
मूल्य	3.14 लाख रु.	4.09 लाख रुपये
कुल बिक्री का प्रतिशत	0.31 प्रतिशत	0.40 प्रतिशत

तथापि, कुल बिक्री के अनुपात में स्टाक में पाई जाने वाली कमी के प्रतिशत में, कुल मिलाकर, पिछले तीन वर्षों से कमी होती जा रही है।

(ख) : वर्ष 1980-81 के लेखाओं की अभी लेखा-परीक्षा की जानी हैं। इसलिए, लेखा-परीक्षा के पूरा होने के बाद ही स्पष्ट स्थिति उपलब्ध होगी।

(ग) : कुछ सदस्यों की पूर्व-व्यस्तता के कारण पहली मई, 1981 से प्रबंध समिति की कोई बैठक नहीं हो सकी है।

सरकारी आवास के लिए प्रतीक्षा सूची

2527. **श्री हरिहर सोरन :** क्या निर्माण और आवास यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों और अन्य सरकारी संगठनों में नाम कर रहे विभिन्न क्षेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, जो सरकारी आवास प्राप्त करने के लिए 31 दिसम्बर, 1981 को प्रतिक्षा सूची पर थे ;

(ख) उनकी क्षेणी-वार संख्या क्या है और वे किस टाईप के क्वार्टरों के पात्र हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि टाइप-4 के क्वीटरों के पात्र केन्द्रीय सरकार के बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पिछले कई वर्षों से प्रतीक्षा सूची में रखा गया है क्योंकि काफी समय से टाइप-4 के क्वार्टरों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां तो टाईप-4 के क्वार्टरों का निर्माण शीघ्र कराने तथा उन्हें जारी करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) वर्ष 1982-83 में जारी किए जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के क्वार्टरों की कुल संख्या के बारे में ब्यौरा क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 31-12-81 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के 43811 पात्र कर्मचारी सामान्य पूल वास के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ख) वास का टाईप	वासों की संख्या
ए०	5570
बी०	23776
सी	4360
डी (तदर्थ)	4400
डी० (नियमित)	2039
ई०	1680
ई० 1	956
ई० 11	126
ई० 111	104
योग	43811

(ग) तथा (घ) : मिन्टो रोड में पहले ही 56 टाईप-4 के क्वार्टर बनाये जा चुके हैं और उन्हें अक्तूबर 1981 में सामान्य पूल में शामिल किया गया है । टाइप-4 के 16 और क्वार्टर राम कृष्ण पुरम में निर्माणाधीन है । इन क्वार्टरों का निर्माण कोर्ट प्रेस के कारण रुका हुआ है ।

(ङ) टाइप 'ए'		160
टाईप 'बी'	1480	
योग	3985	

ये क्वार्टर त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाए गए हैं ।

वनस्पति घी के अभाव के कारण

2528. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह महसूस करती है कि वनस्पति घी के अस्थायी अभाव के कारण इसकी दिल्ली और अन्य नगरों में कालाबाजारी हो रही है

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समबन्ध में कुछ वनस्पति घी के व्यापारियों को पिछले छः महीनो में गिरफ्तार किया है ;

(ग) क्या वनस्पति घी का अभाव कुप्रबन्ध के कारण है या इस के अन्य कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने राशन कार्डधारियों को वनस्पति घी की वितरण सम्बन्धी अपनी वर्तमान नीति में संशोधन किया है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) व (ख) : वनस्पति घी की उपलब्धता, कुल मिलाकर, सन्तोषजनक रही है। तथापि : स्थानीय स्वरूप की अस्थायी कमियों से इंकार नहीं किया जा सकता है। पिछले तीन महीनों के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा वनस्पति की चोरबाजारी के पाँच मामले दर्ज किए गये है।

(ग) व (घ) : तेल वर्ष 1980-81 के दौरान वनस्पति का उत्पादन उसकी 7.17 लाख मीटरी टन की अनुमानित मांग की तुलना में 8.27 लाख मीटरीटन हुआ। वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष के उत्पादन से 20 प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ। सीधी खपत क लिए प्रयोग किए जाने वाले देशी तेलों की तुलना मे वनस्पति घी के मूल्य काफी कम होने के कारण, वनस्पति की मांग विशेषकर त्योहार के मौसमों के दौरान, बढ जाती है। लेकिन कुल मिलाकर वनस्पति घी की कोई कमी नहीं है सब मिलाकर इसकी उपलब्धता संतोषजनक रही है। उपभोक्ताओं के लिए वनस्पति का उपलब्धता व्यवस्थित करने की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन ने लाइससधारा सदस्य विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे उपभोक्ताओं को एक पखवाड़े के लिए प्रति कार्डधारी 5 कि० ग्रा० तक की दर से वनस्पति दें 1 कि० ग्रा० तक वनस्पति बेचने के लिए खाद्य कार्ड का आवश्यकता नहीं है।

डी० डी० ए० फ्लेटों के स्वामित्व अधिकार

2529. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों के आबंटितियों को स्वामित्व अधिकार देने का विचार कर रही है ; और-

(ख) इस निर्णय से आबंटितियो को क्या लाभ मिलेंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री(श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में सिंचाई परियोजना के पूरे होने में विलम्ब

2530. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान मे यह बात आई है कि कर्नाटक में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय-सूची से काफी पीछे है ;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उन्हें कब पूरा किया जाना था ; और

(ग) उन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां कर्नाटक की कुछ निर्माणाधीन वृहद परियोजनाओं को प्रारम्भिक समय सारणी के अनुसार पूरा नहीं किया गया है।

(ख) कर्नाटक में ऐसी 5 बृहद परियोजनाए हैं जो इस क्षेणी के अन्तर्गत आती है और वे निर्माण की अग्रिम अवस्था में है। परियोजनाओं के पूरा होने की प्रारम्भिक और संशोधित तारीखों से संबन्धित सूचना निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	पूरा होने की प्रारम्भिक तारीख	पूरा होने की संशोधित तारीख
1.	तुंगभद्रा उच्च-स्तरीय नहर	1979-80	1982-83
2.	भद्रा परियोजना	छटी योजना	1984-85
3.	घाटाप्रभा चरण-तीन	1984-85	सातवी योजना
4.	माला प्रभा	1983-84	छठी योजना
5.	अपर कृष्ण चरण-एक	1986-87	1990*

*चरण-एक के, खण्ड-एक के 1985 तक पूरा होन की संभावना है।

(ग) राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं को यथा सम्भव शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त परिव्यय और सीमेंट, इस्पात और कोयले जैसे अन्य निवेसों की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए हैं।

राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय

2531. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस प्रस्ताव को आज तक अन्तिम रूप न देने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) : 1980-85 के दौरान 2.70 करोड़ रुपये के प्रावधान से एक अलग कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव राजस्थान राज्य की छठी पचवर्षीय योजना के प्रारूप में शामिल है। परन्तु योजना आयोग में कार्यकारी दल की चर्चाओं के दौरान यह निर्णय किया गया कि एक अलग कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा दूसरे संगठनों के साथ परामर्श कर और अधिक जांच पड़ताल करने की आवश्यकता

है। राज्य के लिए छठी योजना के प्रारूप के लिए वित्तीय आबंटन को योजना आयोग ने कम कर दिया था और इसलिए एक अलग कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था।

इसके बाद राजस्थान के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय योजना मंत्री को राज्य की छठी योजना में एक अलग कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को शामिल करने की प्रार्थना की और यह सुझाया कि यदि योजना आयोग कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इस प्रावधान को शामिल करने के लिए योजना की राशि की सीमा बढ़ाने में कठिनता पाये तो राज्य कम प्राथमिकता वाले दूसरे मदों पर आबटन को घटाकर, स्वीकृत छठी योजना की सीमा के अन्दर ही एक अलग कृषि विश्वविद्यालय के लिए आबंटन की राशि को समायोजित कर लेगा।

केन्द्रीय योजना मंत्री ने सुझाया कि वर्तमान उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर कृषि विश्वविद्यालय कर दिया जाये और इसके गैर-कृषि महाविद्यालयों को वर्तमान उदयपुर विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाये और उनको राजस्थान में किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाये। इसके बाद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक की अध्यक्षता में दिल्ली में राजस्थान सरकार के और उदयपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों की एक बैठक हुई। उस बैठक में राजस्थान सरकार के कृषि उत्पादन आयुक्त ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने सिद्धान्त रूप से एक अलग कृषि विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। तथापि अलग कृषि विश्वविद्यालय के मुख्यालय के स्थान आदि और अलग होने के बाद वर्तमान, गैर-कृषि घटक महाविद्यालयों के भावी स्तर के बारे में कुछ विवरण तैयार किये जाने हैं। इसके बाद राजस्थान कृषि उत्पादन आयुक्त ने परिषद को यह सूचित किया कि उक्त निर्णय के कार्यान्वयन के लिए एक प्रारूप मन्त्रिमण्डल ज्ञापन तैयार कर लिया गया है। इसके बाद इस स्थिति के परिवर्तन के विषय में परिषद को राज्य सरकार द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई।

भारतीय खाद्य निगम का काम

2532 **श्री के० राममूर्ति : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के काम को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं, जिसके बारे में कृषि मंत्री ने 17 जनवरी 1981 को मद्रास में भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय भवन की आधार शिला का शिलान्यास करते समय कहा था; और

(ख) उन राज्यों और संगठनों के नाम क्या हैं, जिन्हें सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की ओर से चीनी और उर्वरक के रखरखाव (हैंडल) का काम सौंपा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) 17-1-1982 को भारतीय खाद्य निगम के जोनल कार्यालय भवन की आधार-शिला रखते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री ने भारतीय खाद्य निगम के पास अत्यधिक कार्यभार होने के बारे में उल्लेख किया था लेकिन अभी तक कार्यभार में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) निगम को विशेष रूप से निदेश किए गये थे कि वे आयातित गैर पोटाशिक उर्वरकों

को हैंडल करने और लेवी चीनी का वितरण करने विषयक कार्य करें। भारतीय खाद्य निगम की ओर से इस कार्य को हैंडल करने के लिए फिलहाल किन्हीं राज्यों अथवा अन्य संगठनों से अनुरोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा "कियोस्कों" का आवटन

2533. **श्री के० राममूर्ति :**

श्री आर० एम० राकेश : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली नगरपालिका ने तीन "कियोस्को" का आवंटन ऐसे लोगों को किया है, जो इसके पात्र नहीं है ;

(ख) क्या 104 लोगों के दावे की उपेक्षा करके एक क्योस्क एक अवयस्क को आबंटित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इन कियोस्कों के स्थान सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उनके आबंटितियों के नाम क्या हैं; और

(घ) ऐसे कुप्रबन्ध के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में गन्दी बस्तियों को हटाना

2534. **श्री के० राम मूर्ति :**

श्री वासुदेव आचार्य : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने स्थानीय सरकार तथा नगरीय विकास की केन्द्रीय परिषद द्वारा दिसम्बर, 1980 में हुई अपनी बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार, गन्दी बस्तियां हटाने के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान नहीं की है ;

(ख) क्या यह सच है कि गन्दी बस्तियों को हटाने की कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें नहीं होगी, क्योंकि योजना आयोग ने परिषद को 18 वीं बैठक में पारित संकल्प को अवरुद्ध कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1-4-74 से गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक

अंग के रूप में राज्य क्षेत्र में चलाई जा रही है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे गन्दी बस्ती निवासियो के लिए मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए अपनी योजना में आवश्यक निधियों की व्यवस्था करें। योजना आयोग के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित योजना प्रावधान बनाया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) पंचवर्षीय योजना (1980-85) को बनाते समय, राष्ट्रीय विकास परिषद ने केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कई योजनाओं को संसाधनों के साथ-साथ राज्यों को हस्तान्तरित किया था। केन्द्र द्वारा प्रवर्तितकोई नवीन योजना आरम्भ करन के लिए केन्द्र के लिए कोई गुन्जाइश नहीं थी और इसलिए,गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार करन के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना आरम्भ करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका।

"हिन्दुस्तान लीवर चीट कजूमर शीर्षक से समाचार

2535. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 मई, 1981 के "न्यू एज" में हिन्दुस्तान लीवर चीट "दि कंजूमर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बारे में डिब्बा कृषि उत्पादों के निर्जलीकरण के लाइसेंसों के दुरूपयोग करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच करवाई है ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप-मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) डिब्बा बन्द कृषि उत्पादों के निर्जलीकरण के लाइसेंसों के बारे में प्रकाशित समाचार में दुरुपयोग के सम्बन्ध म इस बात उल्लेख किया गया है कि कम्पनी न मूल्यांकन वर्ष 1980-81 तक आय कर अधिनियम की धारा 35-ग के अन्तर्गत कृषि विकास अलाउंस का दावा किया है, हालांकि वह इनका कई वर्षों से उत्पादन नहीं कर रहीं है। इसकी जांच की गई है और स्थिति यह है कि कम्पनी ने लाइसेन्स के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिए किसी अलाउन्स के बारे में कोई दावा नहीं किया है। उसने जिस अलाउन्स के बारे में दावा दायर किया हैं वह सन-फ्लावर दालों, धान, गेहूं मक्का, तुलसी, पचौली, मेन्था और गंजनी तथा डेरी विकास जैसी कुछेक कृषि फसलों के उत्पादकों को सुलभ की गई सेवाओं से सम्बन्धित हैं।

बेयर्ड लेन और राजा बाजार, नई दिल्ली के बीच सम्पर्क मार्ग

2536. **श्री के० लकप्पा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी जानकारी में यह बात आई है कि यूनियन एकेडमी स्कूल और बेयर्ड लेन तथा राजा बाजार, नई दिल्ली- 1 का सम्पर्क मार्ग इस क्षेत्र में क्वार्टरों के निर्माण के कारण जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है ;

(ख) क्या उनकी जानकारी में यह बात भी आई है कि ठेकेदार ईट तथा निर्माण सामग्री को सड़क पर रखकर सड़कों का दुरुपयोग कर रहे हैं ;

(ग) स्थिति में सुधार करने तथा सड़कों की मरम्मत करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) ठेकेदारों को किस कानून के अन्तर्गत भवन निर्माण सामग्री को सड़कों पर जमा करने दिया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) ठेकेदारों से जो क्वार्टरों का निर्माण कार्य कर रहे यह अपेक्षा की जाती है कि वे ईटों और अन्य निर्माण सामग्रियों के चट्टे सड़क पर ही न लगायें। तथापि, नाली बनाने के कार्य, पुलिया के निर्माण कार्य आदि से रोड में अस्थाई तौर पर रुकावट आ सकती है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सरकारी क्वार्टरों के निर्माण कार्य में व्यस्त उनके ठेकेदार इस क्षेत्र की सड़कों में ईटों और अन्य निर्माण सामग्री के चट्टे न लगाये।

पश्चिमी बंगाल को छोड़ कर अन्य राज्यों में हुडको द्वारा स्वीकृत योजनाएं

2537. **श्री सुबोध सेन :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि हुडकों ने पश्चिमी बंगाल राज्य के अतिरिक्त अन्य 12 राज्यों में 80 योजनाएं स्वीकृत की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी बंगाल को इसमें शामिल न करने के क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आवास तथा नगर विकास निगम ने अपनी बोर्ड की 67 वीं बैठक में 12 राज्यों नामतः आन्ध्र प्रदेश गुजरात, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और नागालैण्ड मे 80 योजनाएं स्वीकृत की है।

(ख) राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से जब कभी योजनाएं प्राप्त होती है, हुडकों अपने मार्ग निर्देशनों के अनुसार उनकी मंजूरी देता हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। उपर्युक्त (क) में दी गई सूचना 29-12-1981 को हुई बोर्ड की 57 वीं बैठक में मंजूर की गई योजनाओं से सम्बन्धित है। तथापि, 31-1-1980 को हुडकों ने पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न एजेन्सियों के लिए 39 सेयोजनाओं की स्वीकृति दी है। इन योजनाओं की परियोजना लागत 43.6 करोड़ रुपये है जिसमें हुडकों की ऋण वचनबद्धता 31.63 करोड़ रुपये की है।

दूध के स्टालों से घी की बिक्री

2538 **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना की केन्द्रीय डेरी नगर में दूध के स्टालों पर घी की बिक्री करती है, यदि हां तो किस मूल्य पर,

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना ने अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1982 तक, माहवार, कुल कितनी मात्रा में घी का उत्पादन किया और दिल्ली में अपने विभिन्न स्टालों और बूथों के माध्यम से कुल घी की कितनी मात्रा में बिक्री की,

(ग) उपर्युक्त महीनों में से प्रत्येक के दौरान संसद भवन परिसर स्थित दूध के स्टालों से घी की कितनी मात्रा में बिक्री की गई, और

(घ) क्या प्रत्येक स्टाल से समान वितरण हेतु कोई आधार निधारित किया गया है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क)

(क) जी हां। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले घी के वर्तमान मूल्य नीचे दिए गए है :-

पैकिंग	बिक्री मूल्य (सभी करों सहित) (रुपए में)
1 किलोग्राम टिन	40/-रुपए
2 किलोग्राम टिन	78/-रुपए

(ख) तथा (ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा जनवरी, 1981 से जनवरी, 1982 तक प्रत्येक माह में बनाए गए तथा दुध के विभिन्न स्टालो और बूथों (जिसमें संसद का परिसर भी शामिल है के जरिए बेचे गए घी की कुल मात्रा को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया-देखिए संख्या एक० टी० 3505/18]

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना के सारे दिन खुले रहने वाले उपलब्ध विभिन्न स्टालों से घी की बिक्री दिल्ली दुग्ध योजना के पास पर्याप्त घी उपलब्ध होने की अवधि के दौरान इन स्टालों की मांग पर निर्भर करती है। तथापि, जब कभी दिल्ली दुग्ध योजना के पास पर्याप्त घी की मात्रा उपलब्ध नहीं होती है तो आमतौर पर संसद भवन, दिल्ली दुग्ध योजना और कृषि भवन के सारे दिन खुले रहने वाले स्टालों से ही बिक्री की जाती है।

नियन्त्रक, लेखन सामग्री के कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या

2539. **डा ए० यू आजमी :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री लेखन सामग्री की सप्लाई तथा प्रयोग सम्बन्धी नियम के बारे में 21 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4726 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लेखन सामग्री के प्रयोग सम्बन्धी नियमों को अद्यतन बनाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) लेखन सामग्री के प्रयोग सम्बन्धी नियमों को अद्यतन बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। यह कार्य जटिल प्रकृति का है इसलिए इसे पूरा करने में कुछ समय लग सकता है।

एशियाई खेल गांव में दुकानों का आबंटन

2540. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेल गांव, सीरीफोर्ट, नई दिल्ली में काफी की दुकान और टावर रेस्टोरा का आबटन पांच वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस के आधार पर किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह आबंटन किन कारणों से सहकारी समिति प्रणाली के अन्तर्गत नहीं किया गया था ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नही उठता।

किसानों की आय में वृद्धि

2541. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में किसानों की कृषि सम्बन्धी आय में वृद्धि करने के लिए कृषि क्षेत्र मे कुछ नई नीतिया तैयार की है ;

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा अपनाई गई नई नीतियों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के किसानों को क्या नए प्रोत्साहन दिए गए हैं ; अथवा दिए जाने का विचार है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) से (ग) हाल ही में प्रधान मंत्री द्वारा 1982 को उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाएं जाने तथा नए बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा करने के पश्चात कृषि मन्त्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग ने एक ठोस कार्यकारी कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए अभिज्ञात किए गए कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उपायों मे निम्न कार्य शामिल है : सामुदायिक नर्सरियों तथा मिनिकिट प्रदर्शन कार्यक्रमों का विस्तार करना, अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायदिक उर्वरकों तथा कृमिनाशिय का अधिक प्रयोग करना, उन्नत फार्म उपकरणों को लोकप्रिय बनाना तथा उनका वितरण

करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण को अधिकतम आपूर्ति करना, कृषि उत्पाद आदि के भण्डारण, परिसंस्करण तथा विपणन के लिए अवस्थापनात्क सुविधाओं को सुदृढ़ करना।

इस कार्यक्रम से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। किसानों को गहन कृषि विकास प्रयासों, मिनिकिट वितरण के वृहत कार्यक्रम, चुनींदा क्षमता वाले जिलों में उर्वरकों की खपत को बढ़ाने, बायो गैस के विकास, बारानी खेतों के लिए आदानो की व्यवस्था, लवणीय तथा क्षारीय भूमि के सुधार और ऐसे अन्य कार्यक्रमों को ग्राम स्तर पर शुरू करने के लिए अधिक लाभ पहूंचाया जायगा।

राज्यों में बंजर भूमि का रकबा (एकड़ों में)

2542. **श्री एम० रामगोपाज रेड्डी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस समय प्रत्येक राज्य में पड़ी बंजर भूमि के क्षेत्रफल (एकड़ों में) के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) इस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है?

कृषि तथा ग्रामिण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) और (ख) परती भूमि संबधी आंकड़े भूमि उपयोग सांख्यिकी के एक भाग के रूप में प्रतिवर्ष एकत्रित किये जाते है। ये आंकड़े कुछ समय उपरान्त उपलब्ध होते है। परती भूमि का राज्यवार ब्यौरा नवीनतमद शनि वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) 26 और 27 फरवरी, 1982 को नई दिल्ली में कृषि विकास पर राष्ट्रीय गोष्ठी में राज्य सरकारों ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि उत्पादकता वर्ष 1982 के दौरान 3 से 5 लाख हैक्टार पुरानी परती भूमि को खेती के अंतर्गत लाया जायेगा। वे इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त कार्य क्रम तैयार करेगे।

विवरण

चालु परती भूमि के अलावा परती भुमि के अंतर्गत क्षेत्र-राज्यवार-1978-79

(अनतिम)

(हजार हैक्टार)

राज्य	चालु परती भूमि केअलावा परती भूमि
आंध्य प्रदेश	1053
असम	122*

राज्य	चालु परती भूमि के अलावा परती भूमि
बिहार	924
गुजरात	414*
हरियाणा	—
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू और कश्मीर	8
कर्नाटक	625
केरल	27
मध्य प्रदेश	933
महाराष्ट्र	843*
मणिपुर	उपलब्ध नहीं
मेघालय	261
नागालैण्ड	426
उड़ीसा	138
पंजाब	—
राजस्थान	2118
सिक्किम	1*
तमिलनाडु	448
त्रिपूरा	2*
उत्तर प्रदेश	607
पश्चिम बंगाल	212*
संघ शासित क्षेत्र	381
अखिल भारतीय :	9547

* वर्ष 1978-79 के आंकड़े न होने पर, उपलब्ध नवीनतम जानकारी का उपयोग किया गया है।

उर्वरकों की खपत

2543. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार रासायनिक खाद्य की खपत के बारे में कोई अध्ययन किया है :

(ख) क्या उर्वरकों के मुल्यों में प्रति वर्ष भारी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस वृद्धि के कारण कृषक. पर कितना अतिरिक्त भार पड़ने की संभावना है ;

(घ) वर्ष 1981-82 में अनुमानित खपत क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी०स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1979-80 से 1981-82 के दौरान राज्यवार उर्वरकों की खपत संग्लन विवरण में दी गई है । उर्वरकों की खपत और आपूर्ति का सरकार द्वारा नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है ।

(ख) जून, 1980 से पुर्व मूल्यों में 7 बार निरन्तर गिरावट आई । तथापि जून, 1980 तथा जुलाई, 1981 में मुख्यत : कच्चे माल तथा आयातित उर्वरकों की लागत में अत्यधिक वृद्धि आने के कारण और उर्वरकों पर सरकार द्वारा वहन की जा रही राज सहायता को बनाए रखने की आवश्यकता के कारण उर्वरकों के मूल्यों को बढ़ाना पड़ा था ।

(ग) उर्वरकों के मुल्य 8.6.1980 से पूर्व उर्वरकों के प्रचलित मूल्यों की तुलना में औसतन 62 प्रतिशत बढ़ाए गए हैं ।

(घ) 1981-82 के दौरान पोशक तत्वों के रूप में उर्वरकों की खपत का अनुमान 61।30 लाख मीटरी टन लगाया गया है ।

वर्ष 1979-80, 1970-81 तथा 1981-82 के दौरान उर्वरकी की खपत

(एन० पी० के हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1979-80	1980-81	1981-82 (अनुमानित)
1.	आंध्र प्रदेश	534.8	575.59	655.74
2.	कर्नाटक	366.41	343.87	384.06
3.	केरल	105.61	97.53	96.23
4.	तमिलनाडु	537.94	491.30	518.45
5.	पांडिचेरी	9.71	12.06	12.97
6.	गुजरात	377.54	356.87	388.68
7.	मध्य प्रदेश	159.64	196.85	263.19
8.	महाराष्ट्र	421.12	420.99	560.59

अतारांकित प्रश्न 2543 के अनुबंध का शेष

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1979-80	1980-81	1981.8[illegible] अनुमानित
9.	राजस्थान	147.25	135. 0	163.20
10.	गोआ, दमन व दीव	4.61	4.10	4.57
11.	दादरा और नगर हवेली	0.22	0.23	0.25
12.	हरियाणा	215.45	230.82	259 01
13.	पंजाब	682.15	753.60	802.25
14.	उत्तर प्रदेश	1009.11	1150.59	1219.06
15.	हिमाचल प्रबेश	13.95	16.19	18.81
16.	जम्मू व कश्मीर	20.93	20.70	25.02
17.	दिल्ली	5.68	4.78	8.46
18.	चण्डीगढ़	2.42	2.20	0.82
19.	बिहार	184.40	204.54	226.73
20.	असम	6.76	9.31	11.29
21.	उड़ीसा	67.38	76.36	87.38
22.	पश्चिम बंगाल	240.72	282.83	258.46
23.	मणिपुर	3.02	3.00	3.57
24,	मेघालय	1.85	2.56	2.[illegible]9
25.	नागालैंड	0.09	0.07	0.44
26.	त्रिपुरा	2.13	1.69	3.4[illegible]
27.	अरुणाचल प्रदेश	0.08	0.06	0.12
28.	मिजोरम	0.06	0.07	0.05
29.	सिक्किम	0.72	0.42	0.79
30.	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	0.02	0.14	0.05
31.	जिन्स बोर्ड	13[illegible].71	120.85	154.24
	अखिल भारत :	5255.51	5515.56	6130.32

नगरपालिकाओं का बर्खास्त किया जाना

2544. डा० ए० यू० आजमी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने कितनी नगरपालिकाओं को बर्खास्त किया है ; और

(ख) इस बात की स्पष्ट घोषणा करते हुए कि भविष्य में किसी कार्यकारी के प्राधिकार से किसी नगरपालिका को बर्खास्त नहीं किया जायेगा, उनके लिए चुनाव कराने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) स्थानीय शासन राज्य का विषय है और इसलिए इस मंत्रालय के पास विगत तीन बर्षों के दौरान नगरपालिकाओं की बर्खास्तगी के बारे में सूचना नहीं है । तथापि, इस मन्त्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार सितम्बर, 1981 से फरवरी, 1982 की अवधि के दौरान लगभग 2250 स्थानीय निकाय अनिर्वाचित प्रतिनिधियों के थे ।

(ख) नगर पालिकाओं का चुनाव कराना राज्य सरकारों के अधिकार श्रेत्र के अन्तर्गत हैं और इस मंत्रालय के पास इस विषय की सूचना नहीं है । स्थानीय शासन और नगर विकास की केन्द्रीय परिषद की 18 वीं बैठक में इस पर चर्चा हुई थी तथा स्थानीय शासन और नगर विकास की केन्द्रीय परिषद तथा अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारी समिति की दिसम्बर, 1980 में हुई सातवीं संयुक्त बैठक यह संकल्प किया कि उन स्थानीय निकायों जो बर्खास्त है, के मामले में यथाशीघ्र चुनाव कराये जाने चाहिए । यह संकल्प सभी राज्यो संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया था ।

सिचाई परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

2545. श्री नारायण चौबे
श्री हरिनाथ मिश्र
श्री मगन भाई बरोट
श्री विजय कुमार यादव
श्री एस० एम० कृष्णा
श्री वी० वी० देसाई
श्री कमल नाथ
श्री वी वी० आर० नहाटा : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि देश में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की लागत केवल दस वर्षों में लगभग 4,000 करोड़ तक बढ़ गई है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन में इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(ख) यदि हो तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : 1.4.1971 से 31.3.1981 तक के पिछले 10 वर्षों में स्वीकृत की गई बृहद तथा मध्यम परियोजनाओं की लागतों में 4157 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न है।

(ग) बृहद परियोजनाओं को पूर्ण करने में सामान्यत: 8 से 10 वर्ष तथा मध्यम परियोजनाओं को पूर्ण करने में 3 से 5 वर्ष लगते हैं।

परियोजनाओं के कार्यान्वियन में देरी होने के कुछ कारण ये हैं :-

(1) राज्य सरकारों द्वारा प्रचुर संख्या में परियोजनाओं का निर्माण किया जाना जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय, प्रबंध संबन्धी एवं तकनीकी साधनों की कमी होना है।

(2) भूमि के अधिग्रहण में कठिनाईयां ;

(3) कार्यावियन के दौरान परियोजनाओं के आकार में पविरर्तन ;

(4) पूर्ण अनवेषणों की कमी ;

(5) निर्माण आयोजन एवं मानिटरिंग संगठनों की कमी होना ;

(6) दुलर्भ सामग्रियों जैसे सीमेंट इस्पात आदि की अनुस्पलब्धता।

विवरण

बृहद एव मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं	राज्य	लागत में वृद्धि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	154.95
2.	असम	30.32
3.	बिहार	213.63
4.	गुजरात	378.75
5.	हरियाणा	75.00
6.	हिमाचल प्रदेश	2.16
7.	जम्मू कश्मीर	56.05

1	2	3
8.	कर्नाटक	133.67
9.	केरल	141.15
10.	मध्यप्रदेश	488.69
11.	महाराष्ट्र	528.58
12.	मनिपुर	39.30
13.	मेघालय	-
14.	नागालैंड	-
15.	उड़ीसा	427.15
16.	पंजाब	80.94
17.	राजस्थान	331.91
18.	सिक्किम	-
19.	तमिलनाडु	36.23
20.	त्रिपुरा	4.35
21.	उत्तरप्रदेश	848.12
22.	पश्चिम बंगाल	154.46
	उप जोड़ राज्य	4125.46
	संघ राज्य क्षेत्र	31.55
	कुल जोड़	4157.01

———

अनेक माननीय सदस्य खड़े हो गये ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया है। आपको भी इस बारे में चिन्ता होनी चाहिये । प्रेस परिषद गठित करन में जानबूझकर बिलम्ब किया जा रहा है क्योंकि सरकार को भय है कि कुछ सजग पत्रकारों को उसमें स्थान मिल जायेगा । अत: परिषद के गठन में जानबूझकर विलम्ब किया जा रहा है। आप किस प्रकार कार्यवाही करेंगे ? क्या आप इस विषय पर चर्चा की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली)। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली मैट्रोपोलिटन कौंसिल इस पार्लमेंट के एक कानून के अनुसार बनाई गई है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, इस सम्बन्ध में आपकी क्या टिप्पणियां हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इस कौंसिल के निर्माण में देरी नहीं होनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इस विषय में कुछ टिप्पणी कीजिए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही गम्भीर मसले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले सप्ताह भी मैने इस मामले को उठाया था लेकिन आपने एलाऊ नहीं किया था। पिछली 22 फरवरी से बिहार में जुडीशियरी से सम्बन्धित जितने भी लोग हैं—सेशन्स जज अथवा अन्य—सभी हड़ताल पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यह स्टेट सब्जेक्ट है।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन बिहार में न्यायालयों का काम पूरी तरह है।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में गढ़वाल की सीट भरी नहीं जा रही हैं। इसके लिए मेरा एडजर्नमेंट मोशन है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में यहां कई बार डिस्कशन हो चुका है। मैं दो बार यहां पर इसकी अनुमति दे चुका हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : गढ़वाल में गन्दी राजनीति चलाई जा रही है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : निर्वाचन आयोग के प्रति संवैधानिक दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया जा रहा है। इसीलिए चुनावों में बिलम्ब किया जा रहा है। सरकार नवम्बर से पूर्व चुनाव नहीं करायेगी। आप कृपया सरकार को निदेश दें कि वह निर्वाचन आयोग को पूरा-पूरा सहयोग दें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर बम फेंका गया है। फिश-प्लेटें हटा दी गई थीं···।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अन्य मदों को को भी लेना है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों की भी कोई सुरक्षा नहीं है। रेल मन्त्री को एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : अध्यक्ष जी, क्या गढ़वाल में चुनाव नहीं कराए जाएंगे ?

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल श्रीराम नगीना मिश्र को बोलने की अनुमति दी है।

श्री रामनगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, होली का पर्व एक राष्ट्रीय पर्व है जिसके लिए इस सदन में केवल एक दिन की छुट्टी है। मेरा सुझाव है कि 9, 10 और 11 मार्च को तीन दिन के लिए छुट्टी होनी चाहिये।

·· (व्यवधान)···

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) तीसरा संशोधन नियम, 1981

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन) तीसरा संशोधन नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 4 जनवरी, 1982 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 7 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए—देखिए संख्या एल० टी० 3490 (82)]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

कृषि तथा ग्रामीण और विकास नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रसभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यकता वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(एक) सा० का० नि० 38 (अ) जो दिनांक 30 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 1979 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 627 (अ) में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) गन्ना (नियन्त्रण) सशोधन आदेश, 1982, जो दिनांक 24 फरवरी, 1982

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० (श्रीमती शीला कौल)
प्रकाशित हुआ था। ग प्रवेश परीक्षा
चित करता
[ग्रन्थालय में रखे गये—देखिए संख्या एल० टी० 3491/82] गलित

(2) भारतीय खाद्य निगम का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया– देखिये संख्या एल० टी० 3492/82]

पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1978-79 के प्रमाणित लेखे, कर्नाटक डेरी विकास निगम लि०, बंगलौर के वर्ष 1977- 8 तथा राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लि०, जयपुर के वर्ष 1978-79 की समीक्षाएं तथा वार्षिक रिपोर्टें और विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं —

(1) पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास (प्रशासन) नियम 1962 के नियम 24 के उपनियम (4) के अन्तर्गत पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1978-79 के प्रमाणित लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

[ग्रन्थालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 3494/82]

(2) कम्पनी अधिधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(क) (एक) कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1977-78 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये - देखिए संख्या एल० टी०-3494/82]

(ख) (एक) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये —देखिये संख्या एल० टी० 3495/82]

(3) उपर्युक्त मद (2) के (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये—देखिये संख्या एल० टी० 3496/82]

सभा-पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

4. **डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी** (सीतापुर) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

सभा-पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति

दसवां प्रतिवेदन

5. **डा० राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी** : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1981-82

रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं वर्ष 1981-82 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

एम० बी० बी० एस० तथा एम० डी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षाओं में कदाचार का समाचार

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : मैं शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एकव क्तव्य दें।

दिल्ली मे मेडिकल संस्थानों में एम० बी० बी० एस० और एम० डी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षाओं में कथित कदाचार।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) दिल्ली विश्वविद्यालय, अपने एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा तथा स्नकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए संवीक्षा परीक्षाएं आयोजित करता है। दिल्ली विश्व-विद्यालय के एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम तीन कालिजों द्वारा संचालित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम इन तीनों कालेजों में तथा राजधानी की कुछ मान्यताप्राप्त संस्थाओं में भी संचालित किए जाते हैं। एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के लिए प्रवेशपरीक्षाएं प्रत्येक वर्ष सामान्यत: जून में और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए संवीक्षा परीक्षाएं फरवरी में आयोजित की जाती है। वर्तमान वर्ष के दौरान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए संवीक्षा परीक्षाएं 28 फरवरी, 1981 को आयोजित की गई।

नई दिल्ली से प्रकाशित एक समाचार-पत्र ने 26 फरवरी, 1982 को एक रिपोर्ट छापी जिसमें यह आरोप लगाया गया कि 28 फरवरी, 1982 को विकलांग विद्या के लिए होने वाली परीक्षा के कुछ प्रश्न-पत्र लीक हो गए हैं। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं में कदाचार को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया था और विश्वविद्या के कुछ प्राधिकारी प्रवेश परीक्षा के परिणामों में धांधली करने में लगे हैं।

समाचार-पत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित होने के तुरन्त बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक ने समाचार-पत्रों के सम्पादक को एक पत्र लिखा था और समाचार-पत्र में लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में कुछ और जानकारी चाही थी।

विश्वविद्यालय से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उन्हें संवीक्षा परीक्षा में बैठे कुछ उम्मीदवारों और दिल्ली की जूनियर डाक्टर एसोसिएशन से भी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन अभ्यावेदनों में यह कहा गया था कि पिछली परीक्षाओं में परीक्षा कमरों में गलत तरीके अपनाए गए थे, निरीक्षण की व्यवस्था अपर्याप्त थी और कि कुछ नकली उम्मीदवार परीक्षा हाल में घुस आए थे, आदि। इन बातों पर विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विचार किया गया था और उन्होंने आगामी परीक्षाओं में ऐसे कदाचारों के होने की सम्भावना को रोकने के लिए कदम उठाए थे।

28 फरवरी, 1982 को हुई संवीक्षा परीक्षा वस्तुत: समयानुसार हुई थी और मुझे प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, फरवरी, 1982 की परीक्षा के लिए किए गए प्रबन्धों में पिछली परीक्षाओं में देखने में आई कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए थे

दिल्ली विश्वविद्यालय इस बात के लिए सजग है कि इसके शैक्षणिक स्तरों और परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे। यद्यपि विश्वविद्यालय, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए किए जा सकने वाले किसी भी सुधार पर विचार करने के लिए उत्सुक है, तथापि मैं आदरणीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगी कि यदि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में तथाकथित कदाचार में लिप्त विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का मामला सरकार के नोटिस में लाया गया तो उसकी जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध समुचित कार्रवाही की जाएगी।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आपको थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : सदन में डिसक्शन हो सकता है । यदि कोई और प्वाइन्ट लगाना चाहें और लगा सकते हैं । लेकिन इस तरीके से आप रोज करते हैं, इससे सदन की गरिमा घटती है और सारा कुछ करते हैं ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : करते रहिए, ऐसा करने से कोई बात बनती हो । आप तो इसको अच्छा समझते हैं । ऊपर और सारी तरफ लोग देखते हैं ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : गढ़ वाल पर दो दफा बहस हो चुकी हैं ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : प्रजातन्त्र है । इट-इज-नाट-माई-डिक्टेटरशिप ।

...(व्यवधान)...

श्री एच. के. एल. भगत : महोदय, मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने काफी विस्तृत वक्तव्य दिया है । मैं विशेष रूप से उनके द्वारा दिए गये इस आश्वासन का स्वागत करता हूं कि यदि उनकी जानकारी में अनियमितताओं के विशिष्ट मामले लाये जायेंगे तो ऊपर कार्यवाही की जायेगी । यह समाचार हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था, जिनमें विशिष्ट आरोप लगाये गए थे । समाचार पत्र में यह भी कहा गया था कि उनके कार्यालय में इस सम्बन्ध में काफी साक्ष्य उपलब्ध हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने समाचार पत्र के कार्यालय में उपलब्ध साक्ष्य के बारे में पत्र व्यवहार किया है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास कोई सूचना अथवा साक्ष्य भेजा गया था, क्योंकि समाचार पत्र में यह कहा गया था कि उनके पास साक्ष्य मौजूद हैं ? मैं यह आश्वासन भी चाहता हूं कि विशिष्ट आरोपों की जांच की जाय । मैं इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से अवगत होना चाहूंगा । मै जानना चाहता हूं कि परीक्षाओं के सुचारू संचालन को सुनिनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? यपि परीक्षाओं के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कमियां हैं, तो उन्हें किस प्रकार दूर किया जायेगा । मैं माननीय मन्त्री महोदय से इन दो बातों के बारे में जानना चाहता हूं, क्या उन्होंने हिन्दुस्तान टाइम्स से पूछताछ की है अथवा नहीं ? क्या उन्होंने कोई साक्ष्य दिया है या नहीं ? मन्त्रीजी ने क्या कार्यवाही की है ? भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने की दिशा मे उन्होंने क्या कार्यवाही की है ? महोदय, मुझे इनके बारे मे ही पूछना है ।

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य ने किए गए विशेष उपायों के बारे में पूछा है मैं सदन को विश्वविद्यालय द्वारा किए गए विशेष उपायों के बारे में जानकारी देना चाहती हूं । वे इस प्रकार हैं :

(1) सं० लो० से० आ० के हाल में परीक्षा लेना ।

(2) केवल उम्मीदवारों को ही परीक्षा भवनों में प्रवेश दिया जाने ।

(3) प्रश्नों की संख्या 180 से बढ़ाकर 240 करना ।

(4) पर्यवेक्षकों की संख्या बढ़ाना ।

(5) अनुभवी और निष्पक्ष कार्मिकों की पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्ति करना ।

(6) परीक्षा भवनों में शेष उम्मीदवारों में से उन उम्मीदवारों को अलग करना किनको किसी एक या अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पहले से प्रवेश मिला हुआ है ।

(7) उत्तर पुस्तिकाओं पर क्रम संख्या लिखना ।

(8) मूल्यांकन के दौरान फर्जी रोल-नम्बर देना; और

(9) नकल करने और पूछताछ करने की सम्भावना को रोकने के लिए परीक्षा भवनों में वितरण के लिए चार प्रकार के भिन्न-भिन्न क्रमों में प्रश्नपत्र छापना ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा ।

प्रो. मधु दण्डवते : (राजापुर) : महोदय, यदि चुनाव आयोग ने भी यह पूछा है कि क्या चुनाव कराए जा सकते हैं तो आपको यह पूछना चाहिए कि क्या चुनाव कराए जा सकते हैं ?...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं यह नहीं कर सकता । मैं यहां केवल आप में से ही एक व्यक्ति हूं और कार्यवाही का संचालन करता हूं । मैं कार्यवाही का संचालन करता हूं । मैं चर्चा की अनुमति देता हूं । मैंने किसी विषय पर चर्चा को रोका नहीं है । मैं किसी विषय पर चर्चा को रोकना भी नहीं चाहता और न ही मैं किसी विषय पर चर्चा को रोकूंगा । यही मैं कर सकता हूं ।

...(व्यवधान)...

आपने कोई आदेश देने के लिए मुझे तानाशाह जैसी ताकतें नहीं दी हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : बिल्कुल नहीं, महोदय ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी जगह बैठ जाएं और निर्णय करें, मैं क्या कर सकता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं आपसे सहमत हूं जब हम प्रधान मन्त्री को 'तानाशाही' ताकतें नहीं, दे सकते महोदय, हम आपको ऐसी ताकतें कैसे दे देंगे ? (व्यवधान) मैं यह कहता हूं कि जो मामला चल रहा है हमें भी उस पर चिन्ता है और इसलिए, मेरा आपसे अनुरोध है...

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर कार्यवही चलाइये ओर तब आ जानेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा केवल यह अनुरोध है कि आप सदन में पार्टी के नेताओं को अपने कक्ष में बुलाइये ओर यह पता करने का प्रयत्न कीजिए कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम नहीं है । मैं आपको केवल कार्यवाही सम्बन्धी चर्चा के लिए बुलाऊंगा । मैंने आपको बुलाया भी है । आप सदन में जिस प्रकार की चर्चा करना चाहते हैं उसके लिए मैंने आपको स्वीकृति दी है, और मैं ऐसा दुबारा भी करने दूंगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : चुनाव कराने में विलम्ब के प्रश्न पर चर्चा की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा नियमों के अनुसार होनी चाहिए, उनसे बाहर नहीं, केवल नियमों के भीतर ही चर्चा होनी चाहिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : हां, हम इस बात से सहमत हैं, यह चर्चा नियमों के भीतर होगी ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी बात से एक इंच भी इधर या उधर डिगने वाला नहीं हूं ।

...(व्यवधान)...

प्रो० मधु दण्डवते : आपको इधर-उधर होने की जरूरत नहीं ।

...(व्यवधन)...

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हम सरकार को मजबूर करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मजबूर कर सकते है । यही लोकतन्त्र है ।

प्रो० मधु दण्डवते : हम इस सुझाव को मानते हैं । कार्य मन्त्रणा समिती में, नियमावली के दायरे के भीतर, हम यह देखें कि यह चर्चा कैसे की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कह सकता । मैं सुझावों पर विचार कर सकता हूं । मैं लोगों के बेहतर हितों को ध्यान में रखकर कार्यवाही को संचालित करने की कोशिश कर रहा हूं—हमारे पास सम्पूर्ण देश के प्रतिनिधि हैं यदि आप व्यवधान पैदा करते रहेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं ?

प्रो० मधु दण्डवते : इस बारे में कार्य मन्त्रणा समिति में विचार होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत जो कुछ भी चर्चा की जा सकती है, वह चर्चा हो सकती है ।

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक है। हम इस मामले को कार्य मन्त्रणा समिति में उठायेंगे। महोदय, हम उस मामले को उठायेंगे।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी सब्जेक्ट को दबाना नहीं है, किसी का मुंह बन्द नहीं किया है। मुंह बन्द आप करना चाहते हैं। मेरा मुंह बन्द करना चाहते हैं, यह काम न करें। यह रोज-रोज शोभा नहीं देता। यह हाउस आपका है और मेरी तरह से आप भी हाउस को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन इस तरह से व्यवधान करके कैसे हाउस चल सकता है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मेम्बरों के हितों की रक्षा करना आपका काम है।

अध्यक्ष महोदय : वह तो मैं कर रहा हूं।

...(व्यवधान)***...

अध्यक्ष महोदय : आप मुझ पर इस बारे में दोष नहीं लगा सकते। यह अत्यधिक असंगत बात है।

श्री हरिकेश बहादुर : नहीं, महोदय ऐसा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : चुनाव कराना मेरा काम नहीं है, यह चुनाव आयोग काम है।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, कुछ हद तक आप सरकार से चुनाव आयोग की सहायता करने को कह सकते हैं। परन्तु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कह सकता। आप मुझसे मत कहलवाओ।

...(व्यवधान)...

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं अपने सहयोगियों से निवेदन करता हूं कि वे इस मामले को कार्य मन्त्रणा समिति में उठाएं और इसे वहीं निपटाएं। वहां हमेशा चर्चा हो सकती है।

...(व्यवधान)...

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : हरियाणा में वही हो रहा है, पश्चिम बंगाल में वही होने जा रहा है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मि० पासवान, आप सही सारा काम करते हैं, और दूसरा कोई काम नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : हम तो बैठे हुए थे लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए।

...(व्यवधान)...

*** कार्यवाही वृत्तान्त मे सम्मिलित नही किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार और विपक्ष को यहां सिर्फ मैंबर मानकर चलता हूं ।

श्री हरिकेश बहादुर : सरकार चुनाव आयोग को सहयोग नहीं दे रही है !

अध्यक्ष महोदय : तो मैं क्या करूं । मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी आवाज यहां पैदा कर सकता हूं ।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, आप कम से कम यही बात सरकार से कह सकते हैं । यह सही बात है । यह जनता की मांग है ।

...(व्यवधान)...

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : लोक सभा अध्यक्ष के रूप में, क्या आपको गढ़वाल सीट खाली देखकर दुःख नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से स्थान खाली हैं । यहां पर कुछ माननीय सदस्य एक रेखा को पार कर जाते हैं ।

...(व्यवधान)...***

श्री मनीराम बागड़ी :.....

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ रिकार्ड न किया जाए ।

(व्यवधान)***

(श्री मनीराम बागड़ी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठ कर चले गये)

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

उपाध्यक्ष महोदय : भगत जी मैं समझता हूं कि आप पहले बोल चुके है ।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । मुझे इस बात की खुशी है कि मन्त्री महोदय ने इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया है । मैं उनके इन आश्वासनों का स्वागत करता हूं कि ली गई परीक्षाओं में बताई गई हेरा-फेरी में, विश्व-विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा हेरा-फेरी होने के विशेष मामले है, तो कार्रवाही की जाएगी । हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रथम पृष्ट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रश्न-पत्र का पहले चल जाने परीक्षा में हेरा फेरी और भ्रष्टाचार और अन्य बातों के बारे में उनके पास काफी सबूत है । ये बहुत गम्भीर आरोप है । मैं माननीय सदस्या से यह जानना चाहता हूं कि क्या संबंद्ध अधिकारियों ने हिन्दुस्तान टाइम्स से पूछ ताछ की है और क्या उन्होंने समाचारपत्र के प्राधिकारी से सबूतों का पता बताने का अनुरोध किया, या नहीं । यदि उन्होंने पुछताछ की है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या परिणाम हैं और प्राधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए

*** कार्यवाही वृत्तान्त में शमिल्लिलत नहीं किया गया है ।

कदम उठाए है कि भविष्य में ऐसी अनियमितताएं न हों। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने कोई उपाय नहीं किया है। परन्तु मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि एम. बी. बी. एस. प्रवेश परीक्षा लेने से सम्बन्धी स्थिति में सुधार लाने के लिए उनको कदम उठाने चाहिए थे। समाचारपत्र में यह लिखा है कि उसके पास इस सम्बन्ध में काफी सबूत हैं।

श्रीमती शीला कौल : महोदय, एम. बी. बी. एस पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा संबधी जांच परीक्षाओं में दाखिला लेने सम्बन्धी प्रवेश परीक्षा में अपनाए गए गलत तरीके और भ्रष्टाचार के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था।

(व्यवधान)

श्रीमती शीला कौल : जैसे ही यह समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ वैसे ही परीक्षा नियंत्रक ने समाचार पत्रों में लगाए गए आरोपों के बारे में विस्तृत ब्यौरे बनाने के लिए सम्पादक को लिखा, परन्तु उनके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया। अगले दिन संपादक ने समाचार पत्र में एक स्पष्टीकरण भी प्रकाशित किया था। परन्तु जैसा कि मैंने बताया हैं, मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में उत्तर नहीं मिला।

श्री उत्तम राठौर (हिंगली) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे मामलों में हमें प्रत्यक्ष सबूत इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि जिस व्यक्ति को इससे लाभ हुआ है वह उसे प्रकट नहीं करना चाहता। दूसरे जो व्यक्ति बिचोलिये का काम करता है वह इसलिए भेद नहीं खोलेगा क्योंकि अगली बार उसे पैसा नहीं मिलेगा। मैं माननीया मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे पारिस्थितिक प्रमाण जिसे 26 फरवरी, 1982 के समाचार पत्र में दिया गया हैं उसे मानने को तैयार है और इसके अलावा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को इन परीक्षाओं में गलत तरीकों के सम्बन्ध में विभिन्न संगठनों की शिकायतें कब मिली और उन्होंने इन खामियों को दूर करने का कब निश्चय किया। क्या ये बातें विद्वत परिषद के सामने लाई गई थी? जो इन परीक्षाओं को नियंत्रण करने वाली सर्वोच्च निकाय है?

दिनांक 26 फरवरी, के समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार में यह भी बताया गया है कि विकलांग विज्ञान का प्रश्न पत्र समय पूर्व प्रकट हो गया था। इस प्रश्न पत्र के समय पूर्व प्रकट हो जाने के बारे में एक विशेष आरोप लगाया गया था। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस परीक्षा पत्र को बदल दिया गया था। यदि नहीं तो क्या वे इस बात से संतुष्ट थे कि प्रश्न पत्र समय पूर्व प्रकट नहीं हुये : समय पूर्व प्रकट हुआ प्रश्न पत्र प्रेस (समाचार-पत्रों) को नहीं दिया जा सकता। केवल एक-दो या दस पन्द्रह व्यक्ति ही इसके बारे में जान पायेंगे। क्या माननीय मन्त्री ने इस सम्बन्ध में जाँच की थी कि क्या 26 फरवरी, को यह समाचार प्रकाशित हो जाने के पश्चात परीक्षा पत्र को बदला गया था अगर यदि नहीं तो क्यों ?

एक आरोप और भी लगाया गया था कि एम. बी. बी. एस. परीक्षा में पहले दस स्थानों पर आये विद्यार्थियों को स्नाकोत्तोर पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिये ली गई परीक्षा में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सका ?

अन्त में, फर्जी उम्मीदवारों के बारे में भी एक आरोप लगाया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय ने ऐसे फर्जी उम्मीदवारों को प्रवेश न देने के लिए क्या प्रबन्ध किए है।

श्रीमती शीला कौल : जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें तत्स्थानिक साक्ष्य दिये जाने चाहिए थे। ताकि हम आरोपों के बारे में जांच करा सकें परन्तु कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति साक्ष्य पेश करता तो वह भविष्य में धन अर्जित नहीं कर पाता। परन्तु जब आपके समक्ष कुछ भी नहीं है तो आप किसी मामले की जांच कैसे करा सकते है। कुछ न कुछ तो हमारे सामने होना ही चाहिये। उन्हें कुछ साक्ष्य तो हमारे पास भेजने चाहिये थें। विश्वविद्यालय के प्राधिकारियो ने समाचार पत्र के प्रबन्धकों से भी पूछा परन्तु किसी ने भी नहीं बताया कि क्या अनियमिततायें बरती जा रही है और कोई तटस्थानिक प्रमाण नहीं दिया। मुश्किल इस बात की थी। ...(व्यवधान) जैसा कि मैंने श्री भगत के प्रश्न के उत्तर में कहा कि विविश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने कमियों को दूर करने के लिए उपाय किये ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई अनियमितता न बरती जाए।

मुझे माननीय सदस्य से यह जानकार खुशी होगी कि क्या कोई ऐसा विद्यार्थी है। जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया हो और उसे प्रवेश न मिला हो यदि मुझे ऐसे विद्यार्थियों के नाम दिये जाये तो मैं इस सम्बन्ध में जांच कर सकती हूं। मुझे नाम मालूम नहीं हैं... (व्यवधान)

श्री उत्तम राठौर : महोदय, समाचार पत्रों में ये आरोप लगाये है कि उस परीक्षा में प्रथम दस विद्यार्थियों ने कभी एम. बी. बी. एस. परीक्षा में कभी भी प्रथम स्थान प्राप्त नहीं किया। इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई तद्देश्यी जांच करने का विचार रखती है। चाहे यह जांच अकादमी परिषद द्वारा ही क्यों न की जाये ?

श्रीमती शीला कौल : महोदय, विश्वविद्यालय की अकादमी परिषद की बैठक जल्दी ही होने वाली हैं सदन के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के विषय में यह परिषद जाँच करेगी।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : महोदय आपकी अनुमति से समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर एक गभीर मामला उठाया गया है। महोदय, क्षण भर के लिये हम समाचार पत्रों की खबरों पर पूर्णतया विश्वास न करें। परन्तु इस संदर्भ में मैं प्रधान मन्त्री के उस बयान का हवाला देना चाहता हूं जो उन्होंने 4 मार्च को दिल्ली में बी० सी० राय शताब्दि समारोह के अवसर पर भाषण के दौरान दिया था। वहां उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा था कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों एव विषयों की प्रतिष्ठा एवं स्तर को गिरने नहीं दिया जाना चाहिये अन्यथा देश के सामने एक गंभीर समस्या पैदा हो जायेगी। इसलिये उनके बयान को ध्यान में रखते हुये हम यह कहना चाहेंगे कि विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा मुख्य रुप से दिल्ली विश्वविद्यालय में एक संगठित प्रयास किया जा रहा है जहां न केवल इस प्रकार की हेरा फेरी चल रही है बल्कि प्रभावी व्यक्तियों के हस्तक्षेप तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सांठ-गांठ से यहां तक कि विश्व-

विद्यालत की पवित्रता को भी दूषित किया जा रहा है। यह सच है कि शिक्षण की पवित्रता को भी दूषित किया जा रहा हैं। बम्बई में भी ऐसा हुआ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कर्नाटक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ?

श्री के० लकप्पा : मैं आपको बताऊँगा कि उस अवधि में भी क्या हुआ था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कर्नाटक में।

श्री के० लकप्पा : कर्नाटक में एसी स्थिति नहीं है। परन्तु महोदय केरल में उनका गठ-जोड़ है मैं आपको बताता हूं कि केरल विश्वविद्यालय के इन्जीनियरी विभाग में भारी घोटाला होता है। अगर वह घोटाला हैं मध्यम स्तर के विद्यार्थियों को बहुत अधिक अंक देना ताकि वे हर संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर सकें। वे कर्नाटक की शिक्षण संस्थाओं में भी प्रवेश प्राप्त कर रहे है। ऐसी व्यवस्था दूसरे राज्यों जिसमें केरल भी हो सकता है, में सरकार चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा की जाती है ऐसी खबर छपी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सम्बन्धित विषय पर आइये।

श्री के० लकप्पा : महोदय, मैं किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। परन्तु यह एक अत्यन्त गम्भीर विषय है।

महोदय, विल्वविद्यालय एक स्वायत्त शासी निकाय है तथा इसके संचालन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है और भारत सरकार हर बार उनके प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। परन्तु शिक्षा का स्तर तथा एम० बी० बी० एस० और एम० डी० की जाली उपाधि लेन वाले व्यक्तियों की सख्या में वृद्धि होती जा रही है। हेरा-फेरी की प्रवृत्ति से देश वास्तव में क्षुब्ध है और यह बहुत ही बुरी बात हैं कि विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार का कदाचार चल रहा है। यदि ऐसा चलता रहा तो हमारे देश का भविष्य कैसा होगा ? जाली उपाधि प्राप्त ये विद्यार्थी जब बाहर जाकर अपना कार्य शुरू करेंगे तो आप उनसे क्या आशा कर सकते हैं ? यह धांधले-बाजी बड़े पैमाने पर चल रही है परन्तु इस प्रकार की हेरा-फेरी की एक घटना दिल्ली में या इस प्रकार की कुछ घटनाएं दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न भागों में घटित होने की खबर ही छपी है। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। भारत सरकार इस बारे में आँख नहीं बन्द कर सकती। परीक्षायें एवं पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों को अपनी शक्तियों का प्रयोग सही ढंग से करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाने चाहिए।

मेरे मित्रों ने परीक्षा भवन में चलने वाले कदाचार की सूचना दी है जैसे पैसा देने और यहाँ तक कि पेपरों में रद्दोबदल करना, शौचालयों में सारे प्रश्नों के उत्तरों को बता देना और ये सब कुछ विश्वविद्यालय के अधिकारियों की सांठ-गांठ से किया जाता है। वे बाहुबल का भी प्रयोग करते हैं। जाली व्यक्ति परीक्षाएं दे रहे है। वे परीक्षा भवन में हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं, धमकियां दे रहे है। वे निरीक्षकों को धमकी देकर सभी प्रकार के उत्तर लिख रहे हैं। एक योग्य विद्यार्थी द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिकाओं पर ऐसे विद्यार्थियों के नाम, रोल नं० लिख दिये जाते हैं जिन्हें लिखना भी नहीं आता। तब उसे सबसे अधिक अंक मिलते हैं। ऐसे

अंक प्राप्त करने के मामले भी प्रकाश मे आये हैं। अतः बड़े पैमाने पर और संगठित तरीके से यह सब हो रहा है। हमें ऐसे मामलों की भी जांच करनी चाहिये।

माननीय मंत्री ने स्पष्टतः कहा है कि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इस बारे में पहले ही रिपोर्ट की जा चुकी है तथा विभिन्न आयोजनों के बारे में भी खबरें छपी हैं। हमें यह भी सूचित किया गया है कि विश्वविद्यालयों में दो वर्ग बन गए हैं। जिन व्यक्तियों ने कुलपति बनने का प्रयास किया था परन्तु जिन्हें यह पद दिये जाने से मना कर दिया गया वे भी समाचार-पत्रों में इस प्रकार के लेख लिख रहे हैं और भ्रम पैदा कर रहे है। इसलिए, इन संगठनों में कुछ भी किया जा सकता है।

जाली उपाधियां प्रदान करने जैसी संगठित कदाचारों के लिए विश्वविद्यालयों को मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। ये तो शिक्षण स्थल हैं। अतः मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हमें यह बतायें कि क्या किसी विश्वविद्यालय ने इन सभी कदाचारों को समाप्त करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त मांगे है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या विश्वविद्यालयों में कोई ऐसा तन्त्र है जो इन बातों का पता लगाकर हर प्रकार के कदाचार को रोक सके ? यदि नहीं तो इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त देने का प्रस्ताव है ? क्या ये सिद्धान्त शिक्षा मंत्रालय की जानकारी में लाये गए है ? क्या वे कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर कड़े कानून और नियम बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना करने पर विचार करेंगे कि शिक्षा संस्थाओं की पवित्रता पूर्ण रूप से कायम रखी जाये तथा विश्वविद्यालय की जाली उपाधियां न बेची जाएं, परीक्षाएं फर्जी उम्मीदवारों द्वारा न दी जाएं तथा देश के शिक्षा स्तर में आ रही गिरावट को रोका जा सके ? क्या शिक्षा मंत्री ने इन बातों का पता लगाने और चिकित्सा शिक्षा के स्तर को उठाने तथा इससे सम्बन्धित उपाधियों की यथार्थता एवं शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ?

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य ने अभी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का जिक्र करते हुए यह पूछा है कि सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है। मैं यह कहना चाहूंगी कि विश्वविद्यालय का कार्य है वस्तुपरक ढंग से परीक्षाएं आयोजित करना तथा उनकी विश्वासनियता को सुनिश्चित करना ताकि लोगों का विश्वविद्यालयों पर विश्वास रहे। हमारे विचार में विश्वविद्यालयों पर विश्वास रहे। हमारे विचार में विश्वविद्यालयों से यही अपेक्षा की जाती है। परीक्षा ढंग से आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध मण्डल ही जिम्मेदार हैं। अध्यापक एवं विद्यार्थी दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं कहना चाहूंगी कि परीक्षाओं के आयोजन से समाज को सम्बद्ध करना होगा। मैं यह आशा करती हूं कि ये तीन मुख्य वर्ग इस कार्य को ईमानदारी से सम्पन्न कराने के लिए कुछ पद्धति तैयार करने के लिए मिलकर काम करेंगे। मैं इस देश की जनता से अपील करना चाहूंगी कि वे हमारी परीक्षा प्रणाली से इस प्रकार के कदाचार को पूर्णतया दूर करने के कार्य से स्वयं को सम्बद्ध करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि विद्यार्थियों, अध्यापकों, विश्वविद्यालयों के प्रबन्धकों तथा समाज को इस प्रकार की

अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए, जहां कहीं भी वे ऐसा कर सकते हैं, मिलकर कार्य करना होगा ।

मुझे आपको यह सूचित करके खुशी होगी कि हमें जूनियर डाक्टर्स एसोसियेशन, नई दिल्ली से एक पत्र प्राप्त हुआ है । इस पत्र में कहा गया है कि वे इस बात से बहुत चिन्तित हैं, परन्तु वे अब चालू वर्ष के लिए किए गए प्रबन्धों से खुश हैं । ऐसा उन्होंने कहा है । माननीय सदस्य ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबरों का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इन कार्यों के लिए रुपयों का लेन-देन करते हैं । इसका विश्वविद्यालय से कोई सम्बन्ध नहीं है । दो व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं—बिजली और जोनी । परन्तु उनका विश्वविद्यालय से कोई सम्बन्ध नहीं है । वे विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं; उनका विश्वविद्यालय से कोई सम्बन्ध नहीं है; वे किसी कोचिंग संस्था के कर्मचारी हो सकते हैं । जैसा कि आप जानते ही हैं ये कोचिंग संस्थाएं 'गैस पेपर" छापती हैं ; और हो सकता है कि इन "गैस पेपरों" में दिये गए प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ भी लिए जाते हैं परन्तु ऐसा नहीं होता कि "गैस पेपरों" के सारे प्रश्न ही परीक्षा में पूछ लिए जायें । मुझे ऐसी आशा है । मैं आशा करती हूं कि गैस पेपर के सारे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते क्योंकि यह तो एक कोचिंग अकादमी है । इसके लिए यही मार्ग-दर्शक सिद्धान्त है कि हमें मिलकर एक पद्धति या कोई प्रणाली तैयार करनी होगी जिसके द्वारा हम इन चीजों को रोक सकें । आपको भी इस कार्य में शामिल होना होगा ।

मुझे भी इसमें सन्निहित होना है । प्रत्येक व्यक्ति को इसमें सन्निहित होना है और यह देखना है कि हम इस प्रणाली से छुटकारा पा जाते हैं जो अब विद्यमान है अथवा हम सोचते हैं कि यह विद्यमान हैं ।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, जब तीन घंटे में पांच प्रश्न करने की प्रणाली के स्थान पर परीक्षा की वस्तुनिष्ठ प्रणाली आबजेक्टिव टैस्ट प्रणाली शुरू की गई थी तब हमने यह आशा की थी कि विद्यार्थियों को पूरा न्याय मिलेगा । लेकिन अब हमें अपने अनुभव से यह पता लगा है कि परीक्षा की किसी भी प्रणाली को दोषी नहीं ठहराया जा सकता अपितु उस संस्थान को दोषी ठहराया जाना है जिसे उस प्रणाली को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है । माननीय मंत्री जी ने कनिष्ठ डाक्टरों की सन्तुष्टि के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है और मुझे खुशी है कि कनिष्ठ डाक्टरों की यह एसोशिएशन तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल की एसोसिएशन भी उन अभ्युपायों की प्रकाशोत्पादकता से सहमत हैं जो शिकायतें प्राप्त होने के बाद किये गए हैं और वे उन अभ्युपायों के बारे में बहुत खुश हैं ।

मैं एक विशिष्ट बात पर आ रहा हूं । मंत्री महोदय के वक्तव्य में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में अपनाए गए कथित कदाचारों में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के सम्मिलित होने की कोई घटना सरकार की जानकारी में लाई जाती है तो सरकार उस सम्बन्ध में तत्काल तथा गम्भीर कार्रवाई करना चाहेगी । जो कुछ मेरे माननीय मित्र ने कहा है उसे दोहराए बिना मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा और मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरकार को कनिष्ठ डाक्टरों की उसी एसोसिएशन

से एक बैंक ड्राफ्ट के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो दिल्ली विश्वविद्यालय की चिकित्सा विज्ञान की संकाय के उप-रजिस्ट्रार द्वारा 1981 में एक चिकित्सा सीट के बारे में प्राप्त किया गया था क्योंकि उन्होंने सख्त आरोप लगाये हैं कि उन सीटों को बड़े ऊंचे दामों पर देचा गया था— यदि सरकार द्वारा ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है तो सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और दूसरे उत्तर-पुस्तिकाओं को नष्ट करने के बारे में है--परीक्षाओं के नियंत्रक ने दिनांक 27 फरवरी, 1982 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे एक पत्र के माध्यम से बताया है जो निम्न प्रकार है :—विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सभी परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाओं को परिणामों के छपने की तारीख से तीन महीने तक सुरक्षित रखा जाना होता है। प्रत्येक ऐसे मामले अथवा मामलों में जिनमें कोई प्रत्याशी जांच के लिए आवेदन करता है और जब पुनः जांच कर ली जाती है तो केवल सम्बन्धित उत्तर-पुस्तिकाओं को ही तीन महीने के बाद तक सुरक्षित रखा जाना होता है। लेकिन वास्तव में नियम यह कहता है - मैं केवल विश्वविद्यालय के कलैण्डर वर्ष 1967-68 से उद्धृत कर रहा हूं जहां से उन्होंने निम्न प्रकार उद्धृत किया है :—

> "उत्तर-पुस्तिकाओं को परिणामों के छपने के बाद से तीन मास समाप्त होने तक रजिस्ट्रार के नियत्रण में सुरक्षित रखा जाएगा।"

लेकिन वास्तव में विश्वविद्यालय के वर्ष 19[illegible] के अधुसातन कलैण्डर में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि— मैं उद्धृत करता हूं :—

> "प्रत्याशी द्वारा गैर-ईमानदारी और अनुचित साधनों के प्रयोग को चार मास के अन्दर परीक्षाओं के नियंत्रक की जानकारी में लाया जा सकता है।"

इसका मतलब यह हुआ कि यह अवधि परिणामों के छपने के बाद से तीन मास नहीं है। और पुराने रिकार्ड को नष्ट करने के बारे में रिकार्ड नष्ट करने संबन्धी नियमों में यह भी बताया गया है कि में उद्धृत करता हूं :

> 'उन प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को ही नहीं; जिनकी दोबारा जांच की गई है, परिणामों की जांच सम्बन्धी कागज, पत्रव्यवहार, आवेदन पत्र तथा परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं सभी को तीन वर्षों तक सुरक्षित रखना होता है,

मैं पुस्तक रिकार्ड नष्ट करने संबन्धी नियमों में से उद्धृत कर रहा हूं। विद्यमान नियमों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठायगी कि ये उत्तर पुस्तिकाएं तीन वर्षों तक सुरक्षित रखी जाती हैं मेरा यह स्वयं का अनुभव है जब मैंने अपनी स्नातक की परीक्षा दी उस समय एक उत्तर पुस्तिका में शून्य अंक प्राप्त हुए इस बीच जब मैंने पुनःजांच के लिए आवेदन किया तो मुझे शून्य की बजाय 48 प्रतिशत अंक मिले। ऐसा किसी इरादे से नहीं किया गया था लेकिन ऐसा उत्तर पुस्तिकाओं की पुनःगणना करते समय हो गया था। अतएव, आप इन उत्तर पुस्तिकाओं को जल्दी में नष्ट किए बिना सुरक्षित रखते हैं तो जब कभी कोई ऐसा आरोप लगाया जाता है तो विद्यार्थियों को संदेह देते है विद्यार्थियों की संतुष्टि के लिए इनकी जांच कराई जा सकती है।

इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए मैं मानवीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्यों यह सुनिश्चित करने के लिए उपाचारत्मक भम्प्रयाय किए जायेंगे ताकि इन कदाचारों को समाप्त कर विद्यार्थियों के दिमागों में बैठी शंकाओं को दूर किया जा सकें।

उपाध्यक्ष होदय : मन्त्री जी उत्तर दें।

श्री मती शीला कौल : माननीय सदस्य ने उस अभ्यावेदन के बारे में पूछा है जो भेजा गया था। उप रजिस्ट्रार को एक अभ्यावेदन भेजा गया था। मसौदा भेजा गया था। सरकार को रजिस्ट्रार द्वारा भेजा गया कोई भी मसौदा प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन यह सच है कि ऐसा एक मसौदा उप रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त किया गया था जो अनुसंधान अध्ययन बोर्ड (बोर्ड आफ रिसर्च स्टट्रीज) की जानकारी में लाया गया माननीय सदस्य ने प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्किाओं को नष्ट करने के बारे में भी पूछा है। इस सम्बन्ध में कुछ नियम हैं। ये नियम काफी लम्बे समय से लागू हैं। पिछले नियम गत 32 अथवा 31 वर्षों से विद्यमान थे ये नियम पहले ही विद्यमान थे। कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं। नियम यह है कि एक प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं की 3 महीने केलिए रखा जाता है लेकिन यदि किसी उत्तर पुस्तिका की कोई पुन जांच होती है तो उस उत्तर पुस्तिका को 3 वर्षों तक रखना पड़ता है और बाकी उत्तर पुस्तिकाओं को 3 मास समाप्त होनेपर नष्ट कर दिया जाता है। पुराने विनियमन के अन्तर्गत यही नियम है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एडुआर्डो फैलीरों।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : (मारमागाओं) उपाध्यक्ष महोदय, जेसा कि आप को ज्ञात है इस देश नें एकैडेमिक शिक्षण प्रणाली ऐसी जो ज्यादातर राज सहायता पर चलती है और यह इससे भी अधिक राज सहायता तकनीकी शिक्षण अथवा व्यावसायिक किस्म जैसे मेडिकल शिक्षा के उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को दी जाती है अतएव, विद्यार्थी इस देश के विशेष सुविधा प्राप्त वर्गों से हैजिनको यह धन मिल रहा है इस देश के सीमित संसाधन जिन्हें हमारे लोगों की अधिकांश सख्या से ले लिया जाता है जिन्हें भीषण यातनाओं में से गुजरना पडता है ताकि वे देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके और वे इस महान राष्ट्र की प्रगति और विकास में अपना योगदान दे सकें। इसके अन्तर्गत न केवल विद्यार्थी ही आते हैं बल्कि इसके अन्तर्गत समस्त शिक्षण वर्ग आती है जिसमें अध्यापक भी शामिल हैं, इनको विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग की संज्ञा दी जा सकती है इसलिए, मूल प्रश्न यह उठता है कि क्या विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए और सामान्य तौर पर शिक्षण वग के लिए राष्ट्र द्वारा किए गए समस्त बलिदानों के कोई परिणाम निकले हैं। यह दुर्भाग्य की बात है, इस विषय पर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। समाजवादी देशों लोगों की वचनबद्धता इतनी महान होती है। हम उनकी विचार धारा से सहमत नही हो सकते- मैं उनकी अधिकांश विचार धारा से सहमत नही हूं लेकिन वचनबद्धता इतनी महान है और विद्यार्थी राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और अध्यापक वर्ग इतना अधिक समर्पित तथा निष्ठवान है। यहां तक कि पूजीवादी समृद्ध देशों में जहाँ ससाधनों की भरमार है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा विद्यार्थी अध्ययन करते हैं हो सकता है वे राजनीति से परिचित हो जाये और राजनीति में भाग लेने लगें लेकिन वे कभी भी सस्था के भवन अथवा परिवहन अथवा देश की बहुमूल्य परिसम्पत्तियों को नष्ट करने की सीमा कभी भी जायेंगे नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अपने मूल प्रश्न पर आइए ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं अपने मूल प्रश्न पर आ रहा हूं । यह मूल प्रश्न है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जब एक व्यक्ति का नाम सूची में सबसे बाद में आता है तब वह मूल प्रश्नों के अलावा मुश्किल से ही कोई अन्य विषय उठा सकता है । मूल प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस सीमित संसाधनों का प्रयोग जिन उद्देश्यों के लिए उन्हें लगाया गया है । उन्हीं के लिए किया जाये, और यह एक शिक्षण संस्थाओं में वही काय हो जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है और विश्वविद्यालय की चौखट के भीतर केवल शैक्षिक उत्कर्ष ही पैदा किया जाये और जो लोग किसी अन्य कार्यों के लिए समर्पित है उन्हें दरवाजा दिखाया जाए ।

जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, यह बात स्वीकार करनी होगी कि यह तो निश्चित है कि यह सबसे खराब विश्वविद्यालय में से नहीं है । यह एक सर्वोत्तम विश्वविद्यालय है । केरल विश्वविद्यालय तथा बम्बई विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है । तुलनात्मक रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय बेहद खराब विश्वविद्यालयों में से नहीं है लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है कि हम इससे सन्तुष्ट हो इत्मीनान से बैठ गए ।

मन्त्री जी ने कनिष्ठ डाक्टरों की एसोसिएशन द्वारा दिए गए वक्तव्य का जिक्र किया है जिसमें उक्त परीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों की प्रशंसा की गई है । मैं एक और वक्तव्य का उल्लेख करना चाहूंगा जो उसी समाचार पत्र, दि हिन्दुस्तान टाइम्स में दिया गया था जिसके द्वारा ये बातें सामने आई हैं । दि हिन्दुस्तान टाइम्स में वक्तव्य निम्न प्रकार दिया गया है :—

> "आज-अर्थात शायद 27 फरवरी, 1982 को लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के डाक्टरों के एक वर्ग ने यह बताया है कि अब तक परीक्षा आयोजित करने का स्तर पिछले वर्ष के स्तर से बहुत ही अच्छा था । लेकिन अब देखना यह है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, उनके रख-रखाव तथा तालिका बनाने का कार्य कैसे किया जाता है ।"

इस तरह इस वर्ष परीक्षा के समय कुछ बहुत ही बढ़िया उपाय किए गए हैं और समस्त विद्यार्थियों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई है । प्रत्येक व्यक्ति यह चाहेगा कि इन उपायों चालू रखा जाना चाहिए, ये उपाय केवल इस वर्ष तक सीमित न रहकर आने वाले वर्षों में भी जारी रहें । इस वर्ष इस समय इस बात को देखने का प्रश्न है कि परीक्षाओं में कोई भी कदाचार उत्पन्न न हो और आने वाली स्थिति, जो कि उत्तर पुस्तिकाओं के जांच करने की स्थिति है, में कदाचार बरते जाने के विषय में सन्देह अथवा यहाँ तक कि शंका करने की भी कोइ गुंजाइश न हो । इसके लिए मैं मन्त्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या वे ये सभी उपाय करेंगे जिनका मैं यहाँ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्णन कर रहा हूं कि मूल्यांकन प्रणाली की विश्वसनीयता का आश्वासन दिया जाए और किसी भी व्यक्ति के दिमाग में इस बात का सन्देह करने की कोई सन्देह करने की कोई गुंजाइश न रहे कि मूल्यांकन न्यायपूर्ण ढंग से नही किया गया है ।

पहला प्रश्न जो उठेगा वह यह है कि क्या इस मानवीय गलती, मानव पक्षपात, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरों की जांच कम्प्यूटर द्वारा की जायेगी, जिससे मानव द्वारा हस्तक्षेप न किया जा सके। क्या कम्प्यूटर द्वारा जांच अभी की जायेगी या बाद में, क्या सरकार हमें इस सम्बन्ध में विश्वास दिलायेगी कि उसका विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर के प्रयोग करने और प्रश्न पत्रों की कम्प्यूटरों द्वारा मूल्यांकन करवाने का विचार है।

प्रो० मधु दण्डवते : एक बार हमने पाया कि कम्प्यूटर ने 100 में से 856 अंक दे दिये थे।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : एक बार प्रोफेसर हमेशा प्रोफेसर ! मैं समझता हूं कि किसी और अन्य ध्यानाकर्षण द्वारा मैं इस बात को उठाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रोफेसर की तरह, इस मामले को अपने नियन्त्रण में रखना चाहता है !

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं विश्वविद्यालय से काफी वर्षों तक दूर नहीं रहा, कि मैं प्रोफेसर की इज्जत करना ही भूल जाऊं।

श्री सत्य साधान चक्रवर्ती : इसमें भेद करें। आप मूल्यांकन के लिए या सारणीयन के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग करना चाहते हैं ? यह दो भिन्न-भिन्न बातें हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरा : दोनों ही अवस्थाओं में, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र हैं।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में मन्त्री महोदय जवाब देंगे, वह नहीं।

श्री एडुआर्डो फैलोरी : इस ज्ञापन के माध्यम से मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के छात्रों ने ने कम्प्यूटर द्वारा उत्तरों की जांच की मांग की है। इसलिए, क्या विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर से उत्तरों की जांच करायी जयेगी ? इस बात का उल्लेख न करते हुए कि छात्रों ने क्या कहा है। न्यायसंगता, वास्तविकता और यह देखते हुए कि सन्देह कि कोई गुंजाइश न रहे, क्या सरकार जांच अवस्था में कम्प्यूटर का प्रयोग करेगी ? क्या सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि मूल्यांकन सम्बन्धी यह कार्य विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा न करके किसी बाहरी विशेषज्ञ एजेंसियों जैसे संघ लोक सेवा आयोग या एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा कराया जाय ? मूल्यांकन के पश्चात, शक या सन्देह को दूर करने के लिए अब तक जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह यह कि केवल पास हुए हैं। उम्मीदवारों के नाम दर्शाये जाते हैं क्या उसके स्थान पर ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा जिसके अन्तर्गत घोषित परिणाम में फेल हुए उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक और प्रत्येक छात्र द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंकों को भी दर्शाया जायेगा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पता चल सके कि अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलने वाले 5 प्रतिशत अंकों का लाभ और किसी विशेष विषय में डिप्लोमा करने पर मिलने वाले 2 प्रतिशत अंको का लाभ वास्तव

में योग्य लोगों की मिले, न कि झूठे प्रमाण पत्र देने वालों को। क्या सरकार इन विशिष्ट मुद्दों पर ठोस कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती शीला कौल : मैं उस ड्राफ्ट, जिसके बारे में पहले माननीय सदस्य ने पूछा है, स्पस्टीकरण देना चाहती हूं। ड्राफ्ट 300 रु० का था। अधिक पूछताछ के बाद पता चला कि यह उसी उम्मीदवार ने भेजा था जिसका नाम पहले ही सूची में था। अत: शायद किसी ऐसे व्यक्ति ने जो उसे उत्तीर्ण उम्मीदवारों की सूची में नहीं देखना चाहता था, यह ड्राफ्ट भेजा हो, वह कठिनाई में फंस जाये।

माननीय सदस्य श्री फैलोरी ने जानना चाहा है कि क्या जो प्रणाली हमने अपनाई हुई है हम उसे ही जारी रखेंगे। चूंकि हमने पाया है कि यह प्रणाली सफलतापूर्ण चल रही है इसलिए इसे जारी रखा जायेगा लेकिन हम चाहेंगे कि इसमें और सुधार हो।

जहां तक मूल्यांकन और सारणीयन के लिए कम्प्यूटर के प्रयोग किये जाने की सम्भावना का सम्बन्ध है, हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, जिनमें हां या नहीं में उत्तर देना होता है, के सम्बन्ध में इसका प्रयोग कर सकते हैं। परन्तु अन्य प्रश्नों में इसका प्रयोग करना कठिन होता है। जैसा कि प्रोफेसर दण्डवते ने कहा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग सही है; अन्य मामले मे यह व्यावहारिक नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ये परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं। इनमें सिर्फ निशान लगाना था, हां या नहीं भी नहीं लिखा था।

श्रीमती शीला कौल : लेकिन कुछ लिखित प्रश्न भी होते हैं···जिनका उत्तर तीन या चार वाक्यों में देना होता है। इनको इनमें शामिल नहीं किया जा सकता। जहां तक मूल्यांकन का प्रश्न है, इस बारे में हम सजग हैं। मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय ने कुछ स्वतन्त्र बाह्य एजेंसियों के साथ व्यवस्था की है जो कि प्रश्नपत्रों और अंक देने के बारे में देखेगी। विश्वविद्यालय इनको नहीं प्रदान करता, बाह्य एजेंसी इसको देखेगी।

श्री एडुआर्डो फैलोरी : मैं इस बारे में स्पष्ट नहीं हूं। क्या वे मूल्यांकन के लिए कम्प्यूटर के प्रयोग के बारे में विचार करेंगे ? अगर बाह्य एजेंसियों को लेना है। तो वे बाह्य विशेषज्ञ एजेंसी जैसे संघ लोक सेवा आयोग या एन० सी० ई० आर० टी० ही होना चाहिए कोई अन्य बाह्य एजेंसी नहीं। मैं संघ लोक सेवा आयोग और कम्प्यूटरों के प्रयोग के बारे में जानना चाहता हूं।

श्रीमती शीला कौल : मुझे यह खेद है, मैं आपको नहीं बताना नहीं चाहती, क्योंकि वहां भी अनियमिततायें हैं। इसलिए इस मुद्दे पर मैं चुप रहना चाहती हूं। फिर भी, सभी सम्भावनाओं की जांच की जायेगी। जहां तक कम्प्यूरों के प्रयोग का प्रश्न है, जो कुछ आपने अभी कहा हम जहां तक इस बारे में जहां तक सम्भव हो सकेगा, इसका हल ढूंढ़ने की कोशिश करेंगे।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अंकों को दर्शाने के बारे में क्या राय है ?

श्रीमती शीला कौल : यह एक अच्छा सुझाव है। हम इसे अपनाने की कोशिश करेंगे।

इस दफा हम विश्वविद्यालय से अनुरोध करेंगे कि वह दोनों ही पास और फेल हुए छात्रों के अंक दर्शाये। इससे छात्रों, उनके माता-पिता और अन्यों की तसल्ली हो सकेगी।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कैलाश मान सरोवर की तीर्थयात्रा के लिए सुविधायें

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, भारत चीन सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया चल रही हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। चीन के तत्कालीन विदेश मन्त्री की भारत यात्रा के दौरान जहां चीन मे स्थित कैलाश-मानसरोवर नामक पवित्र तीर्थ-स्थान की यात्रा प्रारम्भ किए जाने के संदर्भ में समझौता हुआ, वहां व्यापार सम्बन्धों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में भी परम्परा सहमति प्रकट की गई। मैं इन दोनों बिन्दुओं पर निम्न बातें विदेश मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं :—

1. कैलाश मानसरोवर यात्रा को इस वर्ष अप्रैल के अन्तिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए।

2. इस यात्रा हेतु वीसा माग्रेशन कार्यालय पिथौरागढ़ में खोला जाना चाहिए।

3. कम से कम पांच हजार तीर्थ यात्रियों को इस वर्ष इन स्थानों में भेजे जाने की अनुमति हेतु चीन सरकार से वार्ता की जानी चाहिए।

4. इस परम्परागत यात्रा मार्ग को और अधिक सुविधाजनक तथा सुगम बनाने हेतु सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता करनी चाहिए तथा ओर अधिक आर्थिक मदद इस हेतु प्रदेश सरकार को दी जानी चाहिए। इस यात्रा मार्ग में टूरिस्ट हट्स, डिस्पेंसरीज, सस्ते गल्ले की दुकानें तथा टेलिफोन केन्द्र आदि शीघ्र खोले जानी चाहिए।

5. इस यात्रा मार्ग की यात्रा अवधि को घटाने के लिए आवश्यक है कि गुंजी-कालापानी तक मोटर मार्ग का निर्माण दूत गति से करवाया जाए। इस स्थिति में नेपाल व अन्य देशों में हिन्दू तीर्थ-यात्री भी इस स्थान की यात्रा करना चाहेंगे।

6. स्थान पिथौरागढ़, जो कि इस यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण केन्द्र स्थान है यहां एक हवाई अड्डे का निर्माण करने तथा इसे वायुदूत सेवाओं से शीघ्र सम्बद्ध किए जाने हेतु नागरिक उड्डयन विभाग से वार्ता की जानी चाहिए।

7. इस यात्रा मार्ग के धारूचल-सुन्सियारी क्षेत्रों के निवासियों को जिन्हें तिब्बत के क्षेत्र का व्यापक अनुभव है उन्हें ट्रिस्ट गाइड की ट्रेनिंग देकर इस यात्रा ट्रुप्स के मार्गदर्शन का दायित्व सौंपा जाना चाहिए।

8. इस यात्रा को सामान्य व्यक्ति के लिए सुलभ बनाने हेतु सामान्य यात्रा गाड़ियों तथा जनता भोजनालयों की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

9। तिब्बत क्षेत्र में यात्रा के संयोजन हेतु तकलाकोट में कसुलेट कार्यालय खोले जाने हेतु चीन सरकार से वार्ता की जानी चाहिए ।

10. चीन क्षेत्र में यात्रा को अधिक सुगम व उपयुक्त बनाने हेतु ताकि यात्रियों को सामान्य भारतीय भोजन आदि प्राप्त हो सके, इस सन्दर्भ मे चीन सरकार से वार्ता की जानी चाहिए ।

11. निषिद्ध क्षेत्र, जौलजीवी के बजाए गुन्जी से आगे के क्षेत्र को घोषित किया जाना चाहिए ।

12. अधिक उपयुक्त होगा इस यात्रा की व्यवस्था एवं सचालन आदि हेतु एक समिति जिनमें जनप्रतिनिधि, यात्रा लाईन क्षेत्र के प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि आदि सम्मिलित हों, बनाई जानी चाहिए ।

13. स्वामी परमानन्द जी जिन्हें इन पुष्य स्थानों की यात्रा का व्यापक अनुभव है तथा जिन्होंने इस सन्दर्भ में पुस्तक लिखी उस पुस्तक को सरकार को चाहिए कि अधिक मात्रा में छपवाने की व्यवस्था करे ताकि यात्री इस पुस्तक के माध्यम से यात्रा का पूर्वानुमान कर सकें ।

अतः विदेश मन्त्री से अनुरोध है कि उपरोक्त क्रम में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें ।

(दो) ओलावृष्टि और भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता

श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी (शिमला) : हाल ही में हिमाचल में भीषण ओलावृष्टि तथा हिमपात हुए हैं, जिनके कारण काफी नुकसान हुआ हैं । खड़ी फसलें नष्ट हुई हैं तथा मकानों, सड़कों आदि को भी भारी हानि पहुंची है । इसके अतिरिक्त समाचार पत्रो में प्रकाशित समाचारों के अनुसार अति शीत आदि के कारण कई व्यक्तियों की भी मृत्यु हुई है । हिमपात के कारण सारी यातायात एवं संचार की व्यवस्था ठप्प हो गई है, जिसके कारण वहां की जनता को अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है । अतः इस महत्वपूर्ण समस्या को लोकसभा में उठाकर सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जाना उचित है ।

इसके अलावा जिला सिरमौर में बता नदी गिरि जमुना, लालागढ़ में सरका नदी तथा छोटी छोटी नदियों में बहुत ज्यादा पानी आने के कारण बहुत से लोगों की जमीन खराब हो गई है । जिला शिमला में सेब के वृक्ष नष्ट हो चुके हैं । सरकारी जंगलों में जो वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण हुआ था । वह भी नष्ट हो गए हैं । जिन भूमिहीन लोगों को 20 सूत्री प्रोग्राम में भूमि दी गई थी उनकी भूमि भी उससे नष्ट हो गई हैं जिसकी पूर्ति करना राज्य सरकार के वशकी बात नहीं रही है । मैं भारत सरकार के संबन्धित मंत्रालय से जोरदार मांग करूंगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को आर्थिक रूप से ज्यादा से ज्यादा सहायता प्रदान की जाए ताकि राज्य सरकार जो यह नष्ट हुई फसलें, वृक्ष और गरीब लोगों की भूमि मकान सड़के इत्यादि जो भी खराब हुई हैं, उनकी पूर्ति कर सके ।

(तीन) पत्थर की खदानों और क्रशरों में कार्यरत मजदूरों का ठेकेदारों द्वारा कथित शोषण

श्री दौल राम सारण (चक्र) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन खान मजदूर भयंकर शोषण के शिकार के संबन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

मेवला महाराजपुर जिमे गधा-खोर भी कहते हैं, गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ लकड़पुर, अनंगपुर सरायकटन क्षेत्र की पत्थर की खानों और वहां लगे क्रेशरों पर दस हजार से भी अधिक खान मजदूर काम करते हैं। इन खान मजदूरों का ठेकेदार बुरी तरह से शोषण कर रहे हैं।

ये खान मजदूर मद्रास, महाराष्ट्र उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश बंगाल और ठेकेदारों द्वारा हरियाणा के हैं। इन हजारों मजदूरों का ठेकेदार द्वारा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। इनमें से अधिकांश स्थानीय भाषा हिन्दी नही समझते। इन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती। आवास चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा ; शुद्ध पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है बरसात का इकट्ठा हुआ गन्दा पानी पीते है, जिससे सैकड़ों मलेरिया आदि से बीमार हैं। इन्हें सस्ते भाव पर अनाज आदि जीवनो पयोगी वस्तुएं देने की भी कोई व्यवस्था नहीं है।

अन्तर्राज्यीय विस्थापित मजदूर अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि श्रमिकों के लाभ और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत इन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हैं और न ही कोई व्यवस्था है। इन हजारों मजदूरों का भयंकर शोषण और उत्पीड़न हो रहा है। ये मजदूर केवल ठेकेदारों के रहम पर जी रहे हैं।

इन हजारों मजदूरों की चिन्ताजनक स्थिति से इनकी रक्षा की जाए। इनका शोषण उत्पीड़न समाप्त किया जाए। ये खाने, मजदूरों को सहकारी समितियां बनाकर उन्हें पट्टे पर दी जायें उन्हें ही क्रेशर लगवा कर दिए जायें और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके इनका शोषण समाप्त किया जाए।

आशा है सरकार का श्रम विभाग इस ओर ध्यान देकर इन्हें राहत दिलाएगा।

(चार) राजस्थान में बिजली के संकट को हल करने के लिए दो और परमाणु बिजली केन्द्रों की स्थापना

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चितौड़गढ़) : भारत में बिजली का संकट और अधिक बढ़ता जा रहा है इससे कृषि तथा लघु उद्योग बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं राजस्थान की स्थिति और भी अधिक दयनीय है। राष्ट्र के गौरव का प्रतीक राजस्थान परमाणु बिजली घर 8 वर्ष से लगातार बीमार चल रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान परमाणु बिजली घर 8 वर्ष से लगातार बीमार चल रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के बीच चार बिजली परियोजनाओं में साझेदारी है गांधी सागर और सतमुड़ा से मध्य प्रदेश राजस्थान को बिजली नहीं दे रहा है। इधर रावतमाटा परमाणु बिजली घर का यह रिकार्ड है कि नियमित रूप से 8 दिन भी लगातार यह नही चला। बार-बार इसके बन्द होने से कृषि तथा उद्योगों को भारी क्षति हुई हैं।

हमें स्वदेशी ईधन तथा भारी पानी का उपयोग इस में हो सके ऐसी व्यवस्था करनी होगी। एक जांच कमेटी बनानी होगी तथा उन खराबियों को दूर करना होगा जिस से यह आठ दिन भी लगातार नहीं चल पाता।

थोरियम को यूरेनियम में बदलने के परीक्षण करने होंगे क्योंकि ऐसा अनुमान है कि दुनिया का 80 प्रतिशत थोरियम आक्साइड भारतीय खनिज सम्पदा है। अतः तारापुर परमाणु बिजली घर जो अमेरिकन ईधन पर आधारित है, अब उसकी निर्भरता कम हो जायेगी। हमें तारापुर परमाणु बिजली घर को आत्म निर्भर बनाना होगा।

अतः राजस्थान प्रान्त के पिछड़ेपन को देखते हुए विदयुत की भारी कमी और कटौती को कम करने के लिए रावत माटा में कार्यरत दो इकाइयों के स्थान पर दो और इकाइयां लगाई जा सकती है पर शर्त यह हो कि ये इकाइयां पूर्णतः स्वदेशी हों।

इसके अतिरिक्त प्रान्त के पांचों संभागों में 5 थर्मल पावर प्लांट लगाये जाने चाहिए जिस से पिछड़े हुए राजस्थान के व्यक्ति हरित क्रान्ति की ओर बढ़ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ लिखित में दिया है, सिर्फ वही रिकार्ड में जायेगा, जिसे अध्यक्ष महोदय ने पहले ही स्वीकृत कर दिया है।

(पांच) राजस्थान के डुंगरपुर जिले के भील क्षेत्रों में भयंकर सुखे की स्थिति

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : नियम 377 के अधीन मैं एक वक्तव्त दे रहा हूं।

इस सदन में पहले भी अनेक सत्रों में राजस्थान और देश के अन्य भागों में सूखे की स्थिति पर अनेक बार चर्चा की जा चुकी है। परन्तु डुंगरपुर जिले के भील क्षेत्रों में स्थिति इतनी चिन्ताजनक है कि केन्द्रीय सरकार के लिए तुरन्त कार्यवाही करना और कुछ विशेष योजनाओं द्वारा वहां भूख से पीड़ित लाखों लोगों को राहत पहुंचना बहुत अत्यावश्यक हो गया है। इन भीलों का रहने का अपना ही तरीका है ओर ये अपना जीवन परम्परागत तरीके से अलग से बिताते हैं और आधुनिक सभ्यता से परे रहते हैं। उनके जीविका-उपार्जन के तरीकों में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। संक्षेप में जो वे कुछ रोजाना जुटा पाते हैं उसी में गुजारा करते हैं। फसलों के पूरी तरह नष्ट होने से उनका जीवन दूभर हो गया है,

(छः) उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : गोरखपुर तथा उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में ओले पड़ने से जन-धन की भारी क्षति हुई है। अनेक लोगों की मृत्यु हुई है तथा करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो गई हैं। इस उपल-वृष्टि से लाखों कृषक परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं तथा प्रदेश की अर्थ व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। अतः मैं भारत सरकार से मांग करता कि जिन परिवारों के लोग मरे हैं उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाय तथा जिन किसानोंकी फसल नष्ट हुई है उन का लगान माफ कर दिया जाय और उन्हें मुआबजा प्रदान किया जाय ओले से प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों की फीस माफ की जाय तथा जिन लोगों के मकान

क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाय। लोगों को इन सुविधाओं का उपलब्ध कराया जाना मानवीय दृष्टि से अतिआवश्यक एव उचित है।

(सात) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों की समस्यायें

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : नियम 377 के अधीन मैं एक वक्तव्य देता हूं

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता अपने विभाग के कुल अभियन्ताओं का 75 प्रतिशत हैं। उन्हें अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इन्जीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा योग्यता होने पर भर्ती किया जाता है। पहले उनको 10 वर्षों के बाद पदोन्नति मिल जाती थी परन्तु अब भारी गतिरोध होने की कारण उन्हे 22-23 वर्षों के बाद भी एक भी पदोन्नति नहीं मिलती। वर्तमान भी उनको वित्तीय सहायता देने की भी कोई गुंजाइश नहीं है और न ही पदोन्नति की बजाय अगले ग्रेड में उन्हें सलेक्शन ग्रेड दिए जाने की व्यवस्था है। वास्तव में 16-17 वर्षों की सेवा के बाद भी वे सेवा निवृति तक उसी पद पर बने रहते हैं यद्यपि कनिष्ठ अभियन्ता का कार्य और जिम्मेवारियां काफी अत्यधिक होती है, लेकिन उन्हें भी डाफ्ट मैन के समान ही वेतनमान दिया जाता है। गत 12 वर्षों से वे अपनी शिकायतों को सबन्धित अधिकारियों के समक्ष रख रहे हैं परन्तु उनकी वे शिकायतें दूर नहीं की गयी है। आज स्थिति यह है कि अनेक पदोन्नत पद सलेक्शन ग्रेड पद और स्थायी पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन परिस्थितियों में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह लम्बे समय से विद्यमान कनिष्ठ अभियंताओं की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ कार्यवाही करें मैं यह भी मांग करता हूं कि संबन्धित मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए सदन में एक व्यक्तव्य दें।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याहन भोजन के लिए 2 बजकर 10 मिनट म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बजकर 10 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बजट (सामान्य) 1982-83 सामान्य चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय : 1982-83 के सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा नियत समय 16 घंटे श्री सुनील मैत्रा (सी. पी. एम)। आपके दल को 54 मिनट का समय दिया गया है बोलने वालों मैं दो सदस्यों के नाम हैं- सर्वश्री सुनील मैत्रा और सत्यसाधन चक्रवर्ती।

श्री सुनील मैत्रा : (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने के अन्तिम कार्यदिवस को संघ सरकार का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पिछले तीन चार वर्ष से हम एक नई बात यह देख रहे है कि

बजट एक मुरत तौर पर लोक सभा में प्रस्तुत नही किया जाता। बल्कि एक विशेष स्वरुप तैयार करने का प्रयत्न किया गया है विशेषकर जब से व र्तमान सरकार 1980 से सत्ता में आई है, बजट किश्तों में प्रस्तुत किया जा रहा है।

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट प्रस्तावों के संबन्ध में, हमें बजट पर चर्चा करने और जैसा कि उन्होंने अपने बजट भाषण मे बताया है, 537 करोड़ रुपये के अतिरिक्त करों लगाने के लिए अपनी सहमति देने को कहा है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, मैं यह सिद्ध करने का प्रयत्न करूगा कि ये कर वास्तव में 622.86 करोड़ रुपये के हैं।

उदाहरणार्थ यदि आप पेट्रोल और पैट्रोलियम उत्पादों के संबंध में अद्यतन मूल्य वृद्धि को ले, जिसे भारत सरकार ने 11 जुलाई 1981 को घोषित किया है, तो इस देश के लोग को 1070 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान के रूप में इसे वहन करना होगा। लेकिन पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादकों पर मूल्य वृद्धि के रूप में जो 1070 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा है वह बजट प्रस्तावों की चर्चा की परिसीमा के भीतर नहीं है। आपको एक ओर उदाहरण देता हूं। जून, 1980 में सरकार ने पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की जिसके फलस्वरुप लोगों पर 2080 करोड़ रुपये का भार पड़ा। फिर जनवरी, 1981 में पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में और वृद्धि की गई और लोगों को उस मूल्य वृद्धि के लिए 1195 करोड़ रुपये देने पड़े। और फिर जुलाई 1981 में पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में और वृद्धि की गई जिसके लिए लोगो को 1,070 करोड़ रुपये देने पड़े। इस तरह, 14 महीने की अवधि में मूल्य वृद्धि के रुप में लोगों पर 4,345 करोड़ रुपए का खर्च डाला गया लेकिन मूल्य वृद्धि के रूप में इस विशाल राशि पर इस संसद में, इस लोक सभा में कोई चर्चा नहीं की जा रही है। यह बजट चर्चा की परिसीमा से बाहर है।

अब यदि बजट किसी सरकार की आर्थिक नीतियों को दर्शाता है और वह सरकार जब तब इस प्रकार की भारी मूल्य वृद्धि के रुप में अपनी आर्थिक नीतियों को कार्यान्वित करती रहती है तो संसद में बजट प्रस्तुत करने और लोगों को बुलाकर उस पर चर्चा करने से क्या लाभ है जबकि लोगों पर थोपे जा रहे भारी मूल्य वृद्धि भारी आयात भारी शास्तियों हमेशा बजट चर्चा की परिसीमा से बाहर रहते हैं। अत: इस सरकार ने बजट तैयार करने का यह एक नया तरीका निकाला है यह अब एक परिपूर्ण बजट नहीं रह गया हैं। यह किश्तों में बजट है वास्तव में,मैं नहीं जानता कि आज जिस पर हम चर्चा कर रहे है वह बजट की कौन सी किश्त है क्योंकि 1 अप्रैल 1982 से 31मार्च, 1983 तक न जाने कितनी और मूल्य वृद्धियां की जाएगी जिन्हें सभा की चर्चा से बाहर रखा जायगा इसे यह सभा भी नहीं जानती।

अत: सर्वप्रथम मैं स्पष्ट शब्दों में इस बात का विरोध करता हूं कि बजट तैयार करने का यह तरीका न केवल संविधान में निहित भावना के प्रतिकूल है बल्कि जहां तक संसद का प्रश्न है यह लोकतान्त्रिक चर्चाओं पर भी एक कुठाराघात है अत: जिस तरीके से इस देश में बजट तैयार किया जा रहा है, में उसका विरोध करता हूं और मैं अपने दल की ओर से इसका कड़ा विरोध करता हूं।

बजट सरकार की कतिपय आधारभूत नीतियों को प्रतिबिम्बित करता है। बजट सरकार की आर्थिक नीतियां हैं जिन्हें यह बजट प्रतिबिम्बित करता है ?

वित्त मन्त्री ने बड़ी चतुरता से बड़ी बुद्धिमानी से इन नीतियों को छुपाने का भरसक प्रयत्न किया है लेकिन वित्त मन्त्री महोदय, आपको मालूम होना चाहिए कि टोकरी में पड़ी मछली की शाक सब्जियों से चाहे कितना भी ढक लो उसमें बदबू आती ही रहेगी। अतः चतुर प्रयत्न भी आपके बजट के वास्तविक प्रभाव, प्रकृति और लक्षण को नहीं छुपा सकते क्योंकि जो प्रभाव पड़ते हैं उनमें से भी बदबू आती है और उन्हें छुपाया नहीं जा सकता।

पिछले जनवरी के महीने में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दल ने श्री टिन थुन की अध्यक्षता में इस देश का दौरा किया। फरवरी, में श्री क्नॉसेन, विश्व बैंक अध्यक्ष, ने भी इस देश का दौरा किया।

उधर, इस वर्ष 27 फरवरी को बजट सभा (लोक सभा) को प्रस्तुत किया गया।

जब हमने विपक्ष की ओर से वित्त मन्त्री से यह सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक दल के दौरों का क्या प्रयोजन था तो वित्त मन्त्री ने राज्य सभा में बताया तथा इस सभा में भी दोहराया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष तथा विश्व बैंकों के अध्यक्ष शिष्चारता के नाते उनसे मिले थ। यह कुछ हास्यास्पद और अजीब सा लगता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दल तथा विश्व बैंक का अध्यक्ष वाशिंगटन से दिल्ली तक का लम्बा हवाई रास्ता तय करके वित्त मन्त्री के कमरे केवल हेलो कहने के लिए आए थे। वे क्यों आए थे ? क्या वे किसी बरात में सम्मिलित होने के लिए आए थे ? मुझे प्रयोजन तो मालूम नहीं लेकिन ये सज्जन यहां आए और उन्होंने कुछ समय भी यहां व्यतीत किया। इन सज्जनों ने विभिन्न मंत्रालयों से चर्चा की उन्होंने क्या चर्चा की इस बात को सभा को न बताना ही वित्त मन्त्री ने उचित समझा। और बुद्धिमानी भी यही है कि इसे सभा को न बताया जाये उन्होंने सभा को सूचित नहीं किया। लेकिन यद्यपि वित्त मन्त्री ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दल तथा विश्व बैंक के दल के दौरों के वास्तविक प्रयोजन तथा प्रभाव छुपाने का भरसक प्रयत्न किया, तथापि मेरे विचार से वित्त मन्त्री ने सभा के सम्मुख जो बजट प्रस्ताव रखे हैं उनसे यह स्पष्ट है कि वे दल इस देश में किसी उद्देश्य से ही आए थे।

अब हम रेलवे बजट तथा सामान्य बजट दोनों एक साथ लेते है तो एक तस्वीर उभरती है। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति यह जानता कि भारत सरकार भारतीय रेलों के लिए विश्व बैंक से 90 करोड़ डालर ऋण लेने के लिए बातचीत कर रही है और इस देश को यह भी मालूम है कि विश्व बैंक ने भारत सरकार पर 18 शर्तें लगाई हैं। यदि भारत सरकार इन्हें स्वीकार कर लेती है तो ऋण दे दिया जाएगा। कुछ ही दिन पीछे सरकार ने हमें बताया था कि विश्व बैंक ने जो शर्तें लगाई हैं भारत सरकार ने उन्हें अभी स्वीकार नहीं किया है यद्यपि वे शर्तें सरकार के विचाराधीन थी।

अब यदि हम 300 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च पर विचार करें, जिसे पिछले

दिसम्बर महीने में पूरक अनुदानों के रूप में पारित करने के लिए इस सभा को बाधित किया गया था, और यदि हम उस वर्ष रेलवे बजट के माध्यम से डाले गए 267 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भार पर भी विचार करें, तो दो महीने की अवधि के भीतर ही कुल भार 567 करोड़ रुपये बैठता है । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार किसके अन्वेषण किसके इशारों पर किसके हितेषी प्रभाव में बजट बना रही है । अतः जहां तक रेलवे बजट का सम्बन्ध है, यह केवल 267 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को ही लेकर प्रस्तुत नहीं किया गया है : वास्तव में यह राशि 567 करोड़ रुपये है । 300 करोड़ रुपये के बाद बजट की एक अन्य किस्त प्रस्तुत की गई और यह श्री स्टीफन जिनका दूर संचार यह कभी कार्य नहीं करता और सम्पक किये जाने पर और लोगों की सभी शिकायतों के बारे में बताये जाने पर वह कहते है कि यदि टेलीफोन कार्य नहीं करता तो उन्हें वापस किया जा सकता हैं । यह बात उन्होंने यहां भी कही है और कलकत्ता में भी कही है वह 100 करोड़ रुपये से भी अधिक दर वृद्धि प्रस्ताव लेकर आए है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह टेलीफोन शताब्दी है, इसलिए ।

श्री सुनील मैत्रा : इसके अतिरिक्त, वित्त मन्त्री ने 32 करोड़ रुपये की एक और वृद्धि का प्रस्ताव किया है । अतः जहां तक डाक और दूर संचार का प्रश्न है, यह मात्र 32 करोड़ का नहीं 132 करोड़ रुपये का प्रश्न है अत 300 करोड़ रुपये जमा 100 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपये बैठते हैं और रेलवे बजट के 267 करोड़ रुपयों को मिलाकर यह राशि 667 करोड़ रुपये बैठती है इसके अतिरिक्त वित्त मन्त्री 22 करोड़ रुपये के प्रस्ताव लेकर आए हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि तीन महीने की अवधि के भीतर ही हम पर 1300 करोड़ रुपये से भी अधिक अतिरिक्त भार पड़ा ।

अब देखना यह है कि क्या वित्त मन्त्री का जो बजट है उसका अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों से कोई सम्बन्ध हैं या नहीं । अन्तरष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक शर्त यह हैं कि खाद्यान्न सम्बन्धी राज सहायता तथा सभी प्रकार की अन्य राज सहायताओं को कम किया जाए अथवा समाप्त ही कर दिया जाए । उन साधारण लोगों को जिन्हें आप मौका बे-मौका समाज के कमजोर वर्ग की संज्ञा देते हैं, ये राज सहायताएं मदद के रूप में दी जाती हैं । पिछले वर्ष, आपकी खाद्यान्न राज सहायता 700 करोड़ रुपये की थी । पिछले वर्ष जब हम अन्तरर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण और तत्सम्बन्धी शर्तों पर चर्चा कर रहे थे तो हमने आपके "प्रतिष्ठित भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री आर० वेंकटरामन" से बार-बार आग्रह किया था । उन्होंने बताया था कि जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, राज सहायताओं और विशेषकर खाद्यान्न राजसहायताओं को कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता । संभवतया भूतपूर्व वित्त मन्त्री की बात रखने के लिए आपने बजट प्रस्तावों में 700 करोड़ रुपये की उसी राशि को खाद्यान्न राजसहायता के रूप में रखा है । अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं । बजट भाषणों में आपने कहा हैं कि भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यापक बनाने से आपका बताने से आपका अभिप्राय दूर दराज के देहाती क्षेत्रों तक भी इस प्रणाली को पहुंचाना और अन्ततः उद्देश्य यह

होगा कि देश के हर गांव में उचित दर की दुकान हो जहां से समाज के कमजोर वर्गों के लोग अपनी दैनिक जरुरतों की वस्तुएं उचित दर पर खरीद सकें। अतः यदि आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करें और दूर दराज के तथा दुर्गम देहाती क्षेत्रों में भी इस प्रणाली को लागू करें तो खाद्यान्नों की ढुलाई की लागत अधिक होगी। और यदि आप अनाज की अधिक से अधिक खरीद करते है तो उसे रखने की लागत बढ़ जाएंगी इसके अतिरिक्त 1981-82 के 70) करोड़ रुपये के वास्तविक और वित्तीय मूल्य के होने से 1982-83 के 700 करोड़ रुपयों के बराबर नहीं है। अतः खाद्यान्न सम्बन्धी राज सहायता के लिए पिछले वर्ष के 700 करोड रुपये और इस वर्ष के 700 करोड़ रुपये अपने वास्तविक मूल्य में बराबर नहीं हो सकते इसकी मांग घट गई हैं। और इसे और भी घटा दिया गया है। कितना घटा दिया गया है ? जहां तक रेलों का सम्बन्ध है आज दैनिक आवश्यकता की आवश्यक वस्तुओं पर भाड़ा की दरों पर रियायत मिल रही थी। किन्तु रेल मन्त्री महोदय ने इस सभा को यह सूचित किया कि अब चावल गेहूं, दालों, गन्ना, नमक, फलों, सब्जियों, उर्वरकों चीनी, खाद्य तेलों पर भाड़ा सम्बन्धी रियायते आगे से नहीं मिलेंगी जो उन्हें अभी तक मिल रही थीं। इसका अर्थ यह हुआ कि चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेलों आदि आदि का उपभोग वाले लोगों को 76.85 करोड रुपये अधिक तक का भुगतान करना होगा। अतः गत वर्ष की 700 करोड़ की खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता मे प्रभावी रूप से यदि अधिक नहीं तो 150 करोड़ रुपये की कमी कर दी गई है।

अब मैं किसानों के बारे में कहूंगा। उर्वरकों सम्बन्धी आर्थिक सहायता के प्रश्न को ही ले लीजिए। गत वर्ष के बजट में उर्वरकों हेतु आर्थिक सहायता 679 करोड़ रुपये की थी। चालू वर्ष में आप ने इस आर्थिक सहायता को कम करके 386 करोड़ रुपया कर दिया है इसका अभिप्राय यह हुआ कि 293 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है। यदि आर्थिक सहायता में यह कटौती वित्त मन्त्री द्वारा आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्त को लागू करने के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताती है, तो और क्या बताती है ? इसके अतिरिक्त आपने जुलाई, 1981 में उर्वरकों के मूल्यों को बढ़ा दिया। यूरिया के मूल्य को 2000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2350 प्रति टन कर दिया गया। यदि ऐसा करना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिये गये आदेशानुसार आर्थिक सहायता को समाप्त करना नहीं है तो और क्या है ? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की एक शर्त यह थी कि लोकोपकारी सेवाओं में भी उनके मूल्य ढांचे में सेवा की लागत अवश्य ही प्रतिबिम्बित होनी चाहिए। अतः आज भी आपने बजट प्रस्तावो में अन्तरदेशीय पोस्टकार्डों। लिफाफों के मूल्य में वृद्धि कर दी है।

वित्तमन्त्री महोदय ने सीमेंट के सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क पर 100 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। मामूली पोर्टलैण्ड सीमेन्ट के मूल्य को बढ़ाकर 400 प्रति टन कर दिया गया है। इससे प्रतिवर्ष 158.73 करोड़ रुपये की आय होगी। इसके अतिरिक्त आप दोहरी मूल्य पद्धति लागू करते जा रहे हैं। यह एक दूसरा मजाक है। कल तक जबकि आपने अपने बजट प्रस्ताव रखे थे और जब तक इन्हें स्वीकार नहीं कर लिया जाता है, तब तक देश में उत्पादित सारी सीमेन्ट नियन्त्रण पद्धति के अन्तर्गत आ गई है और आज किस प्रकार का शासन चल रहा

है उसमें राष्ट्रीयकरण नियन्त्रण और खून चूसने वालों पर कुछ नियन्त्रक प्रक्रियायें लागू किए जाने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही हैं। अभी सीमेन्ट के उत्पादन, सीमेन्ट के वितरण तथा सीमेन्ट के मूल्य निर्धारण पर नियन्त्रण था। दोहरी मूल्य निर्धारण पद्धति के नाम से आप सारे मामले पर नियन्त्रण हटा रहे हैं। आप अब नियन्त्रण हटाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा इसलिए** और दूसरे भ्रष्ट राजनीतिज्ञ आज पैसा बना रहे हैं···।

···(व्यवधान)···

···सामान्य जगता को हानि पहुंचा कर यह सिद्ध हो गया है कि आप** ऐसा कर रहे थे···।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नाम मत लीजिए। वे अपनी रक्षा करने के लिए यहां नहीं हैं।

श्री एम० एम० लारेंस (इदुक्की) : उन्हे** का बहुत गर्व है।

श्री सुनील मैत्रा : अतः ** के कारण आज सारा देश और करोड़ों लोगों·····

···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ नाम लिए हैं। वे इस सभा के सदस्य नहीं हैं। मैं कार्यवाही वृत्तान्त को रखूंगा···।

···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : आप भावुकतापूर्ण बातों को क्यों ला रहे हैं?···(व्यवधान)। दोनों इस सभा के सदस्य नहीं हैं। मैं यहां इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं उनके नामों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा··· (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकता दक्षिण) : क्या उनका नाम लेना पाप है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन लोगों का नाम लेने से बचने का प्रयास करिए जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं। हमें इस सभा का कार्य नियमों के अनुसार चलाना है।

श्री सुनील मैत्रा : अब, महोदय, दोहरी मूल्य निर्धारण पद्धति के अन्तर्गत क्या होगा। वर्तमान इकाइयों से समस्त उत्पादन का 33.4 प्रतिशत और नयी तथा रुग्ण इकाइयों का 50 प्रतिशत सीमेंट खुले बाजार में आयेगा अनिवार्य रूप से आगामी बारह मासों में बढ़कर दुगुना और तिगुना हो जायेंगे।

महोदय, इन नृशंस उपायों के बावजूद सरकार यह दावा करने का दुःसाहस कर रही है कि वह मध्यम वर्ग के लोगों को आवासीय इकाइयों के निर्माण करने हेतु प्रोत्साहन दे रही है। इससे बढ़कर दूसरा कोई निर्मम हास्य नहीं हो सकता है।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

इसके अतिरिक्त जहां तक केन्द्रीय योजना नियतन के लिए संसाधनों के सृजन करने का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहूंगा कि इस बजट में दिये गए आंकड़ों के अनुसार 1982-83 के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय 11000 करोड़ रुपए की होगी जो 1981-82 के लिए संशोधित अनुमानो से 1767 करोड़ रुपए अधिक है। इस परिव्यय की व्यवस्था आंशिक रूप से बजट के नियतन और आंशिक रूप से आन्तरिक ससाधनों के सृजन द्वारा करनी होगी। केन्द्रीय योजना के लिए कुल परिव्यय के प्रति बजट सम्बन्धी समर्थन का अनुपात जो 1981-82 में 73 प्रतिशत था उसके 1982-83 में कम होकर 66 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। दूसरे शब्दों में, आन्तरिक संसाधन जो 1981-82 में 2467 करोड़ रुपए के थे, 1982-83 में बढ़कर 3657 करोड़ रुपए हो जाने की सम्भावना है। परिव्यय मे 18 प्रतिशत की वृद्धि के लिए धन की व्यवस्था बजट में किये जाने वाले नियतनों में 8 प्रतिशत की वृद्धि करके और आन्तरिक संसाधनों में लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि करके की जायेगी। ऐसे भारी आन्तरिक संसाधनों का सृजन किस प्रकार किया जायेगा ?

अतः, वित्त मंत्री महोदय जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पहले ही सिफारिश की है, बजट सत्र के पश्चात् आप कोयले और बिजली के सम्बन्ध में मूल्य वृद्धि करते जा रहे हैं। वित्त मंत्री मूल्य वृद्धि के लिए प्रायः कृत संकल्प है। महोदय, यदि योजना नियतन तथा आन्तरिक स्रोतों से संसाधन सृजन यदि कुछ आभास देते हैं, तो लोगों को सरकार की ओर से और कड़े कदमों के लिए तैयार रहना चाहिए।

महोदय, यद्यपि मंत्री जी ने कई बार सभा में कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शिष्ट-मण्डल अथवा विश्व बैंक शिष्टमण्डल का उनके बजट निर्माण में कुछ भी हाथ नहीं है, मैं जोरदार शब्दों में यह कहता हूं कि उनके बजट की तैयारी के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पूरी तरह सम्बन्धित है और यह बजट यह दर्शाता है कि मंत्री जी ने न केवल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को स्वीकार किया था, बल्कि वह इस बजट के माध्यम से उन शर्तों को कार्यान्वित भी करने जा रहे हैं।

वित्त मंत्री यह कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के हेतु समझौता करने से पूर्व हमारी यही घोषित नीतियां थीं और हम उन्हीं घोषित नीतियों को कार्यान्वित कर रहे हैं। उनके इस तर्क का पूर्वानुमान करते हुए मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि लदन के "दि एकोनोमिस्ट" ने सितम्बर के महीने में उनके बारे में क्या लिखा था और उसे मैं उद्धृत करता हूं:—

> "कुछ सरकारें अन्तर्राष्ट्री मुद्रा कोष के कठपुतलियों के रूप में चित्रित किये जाने के लिए इस प्रकार अनिच्छुक हैं कि वे स्वयं अपनी औषधि लेना अधिक पसन्द करती हैं और उनके नुसखे की स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मौन प्रशसा की जा रही है। गत 18 महीनों में ब्राजील स्वयं किये गए उपचार का सर्वोत्तम उदाहरण है। अभी-अभी हाल में ही भारत ने भी ऋण के लिए प्रार्थना-पत्र देने से पूर्व

अनेक उपायों को शुरू कर दिया था जिन्हें वह जानता था कि कोष कटाता रहेगा और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाता है।"

अतः, महोदय अब उनके लिए यह कहने का कोई आधार नहीं रह जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के लिए समझौता करने से पूर्व भी वे इन नीतियों का अनुसरण कर रहे थे। इस बात को पूरी तरह जानते हुए तथा पूरी तरह इसका अनुमान करते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यही शर्तें होंगी, वह अपना आधार तैयार कर रहे थे और मूल्यों को बढ़ा रहे थे और ऐसा वह केवल इन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लोगों को सन्तुष्ट करने के लिए ही कर रहे थे और इस बजट में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें प्रतिबिम्बित हो रही हैं।

यहां मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मन्त्री जी इस सभा के समक्ष इस दावे के साथ आये हैं कि उन्होंने मुद्रा-स्फीति की दर को; जो 23.3 प्रतिशत थी, (जनवरी, 1980 में), कम करके 15.9 प्रतिशत (जनवरी, 1981 में) और अब 4.9 प्रतिशत (जनवरी, 1982 में) कर दिया है। हम मुद्रा-स्फीति की रूढ़िवादी परिभाषा में नही रखते हैं। इस देश के कुछ लोग तो मुद्रास्फीति के विरुद्ध किए गए उनके प्रयासों में हैं। जब आप मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण करने का दावा करते हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि बाजार में मूल्य क्या है। जब कभी भी हमें सभा पटल पर चर्चा करने का अवसर मिला, तो उन्होंने सदैव मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मापने का प्रयास किया हैं। गृहिणी बाजार में जाती है और वह वस्तुओं को खुदरा मूल्यों में खरीदती है न कि थोक मूल्यों में। गृहणियों को खुदरा मूल्य तथा उपभोक्ता मूल्य देना होता है। अतः मन्त्री जी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखना चाहिए न कि थोक मूल्य सूचकांक को। किन्तु वह कभी भी उपभोक्ता सूचकांक को ध्यान में रखने के लिए सहमत नहीं हुए। मैं उनको यह बताऊंगा कि उनका यह दावा कि उन्होंने मुद्रास्फीति की दर को अब कम करके 4.9 प्रतिशत कर दिया है, किस प्रकार सही नहीं है।

जनवरी, 1980 में आप कहते हैं कि मुद्रा स्फीति की दर 23.3 प्रतिशत थी; उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960) 371 बिन्दु पर था। आपका दावा है कि जनवरी,1981 में आपने मुद्रा-स्फीति की दर को 23 3 प्रतिशत में घटाकर 15.7 प्रतिशत कर दिया। उसी वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 371 बिन्दू से बराबर 411 पर पहुंच गया। जब आप यह दावा करते हैं कि मुद्रास्फीति दर को अपने बराबर 15.7 (जनवरी,1981 में) 4.9 प्रतिशत (जनवरी 1982 में) कर दिया तो शिमला शहर में किन श्रम ब्यूरो द्वारा बनाया गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 411 बिन्दू में बढ़कर, दिसम्बर, 1981 में 460 बिन्दू पर पहुंच गया। कृपया इसे स्पष्ट कीजिए। यदि आप मुद्रास्फीति से लड़ने में सफल रहे हैं तो आप उपरोक्त बात का स्पष्टीकरण कैसे करेंगे ? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उसी अवधि में 371 से बढ़कर 460 दर पहुंच गया है जबकि आपका दावा है कि आप मुदास्फीति की दर को घटाकर 4.9 प्रतिशत तक ले आये हैं क्या मूल्य सूचकांक 460 तक पहुंच गया है। इसीलिए वित्त

मन्त्री महोदय, हम आप के दावे को स्वीकृत नहीं करते हैं। आप मुद्रास्फीति ला पाने में में असफल रहे हैं जैसे कि आप हमारे राष्ट्रीय जीवन के अनेक अन्य क्षेत्रों में भी असफल रहे हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इतना बड़ा अन्तर क्यों हैं? आर्थिक सर्वेक्षण में आपने जो कुछ कहा है मैं उसी को यहां उद्धत करता हूं :-

"विचाराधीन अवधि में इन दोनों सूचकांकों में मूल्य अन्तर अधिक स्पष्ट होता गया है। दोनों सूचकांकों के बिना अन्तराल न केवल दोनों प्रकार के मूल्यों के बीच के समयान्तर के कारण है बल्कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की उन मदों पर भी भारी दबाव पड़ने के कारण हुआ है जिनके थोक तथा खुदरा मूल्य हाल ही के वर्षों के दौरान निरन्तर बढ़ते गये हैं। उदाहरणार्थ, अतः खाद्य तेल, फल सब्जियां, दूध से बनी वस्तुएं, अण्डे मछली तथा मांस, जिन मूल्य इन वर्षों में बढ़ते गए हैं, इनका दबाव थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर दुगना पड़ा है।"

मैं वस्तुतः यही बात करना चाहता हूं यदि आप अन्त, खाद्य तेलों, फल, सब्जियों दूध उत्पादकों, अण्डों, मछली तथा मांस की बात छोड़ दें तो फिर बाकी क्या बचता है, यही वस्तुएं तो सामान्य आदमी की दैनिक उपयोग में आती हैं इनके बिना साधारण व्यक्ति अपना जीवन ही नहीं जी सकता। आज इन्हीं वस्तुओं की कीमत निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। यदि आपका यह दावा कि आप मुद्रास्फीति से सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं तो इन सभी वस्तुओं के मूल्य गिरने चाहिए थे। वे तो धड़ाधड़ बढ़े हैं। आपके अपनी ही स्वीकारोक्ति में कि वे धड़ाधड़ बढ़े है, इस वर्ष दुगने हो गये हैं जैसा कि पिछले से पिछले वर्ष हुआ था।

फिर आपने अपने बजट में भी निर्यात व्यापार के बारे में कुछ कहा है। निर्यात व्यापार की वर्तमान किस्तें क्या है? आप क्या है कि जहाँ तक निर्यात व्यापार का संबन्ध है इसमें 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु यदि आप आर्थिक सर्वेक्षण पर नजर डालें तो आप पायेंगेकि वित्त वर्ष 1980-81के अप्रैल तथा अक्तुबर महीनों के बीच व्यापार अन्तराल 314441 का था वित्त वर्ष 1981-82 की इसी अवधि में मद अन्तराल 2923 करोड़ रुपए का था। इसका अर्थ है कि विगत वर्ष की तुलना में आपके अदायगी घाटे की बकाया राशि लगभग बराबर ही थी। और आप विगत वर्ष जितना भारी आयात ही करते रहे। यदि आप 200 करोड़ रुपये की नगय राशि को छोड़ दे तो दोनों वर्षों के आंकड़े समान है: परन्तु आप यह दावा कैसे कर सकते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है। आपने दावा किया है कि इस्पात का उत्पादन 18.7 प्रतिशत बढ़ रहा है, सीमेंट के उत्पादन में 15 प्रतिशत नत्रनीय उरर्वकों में 51.9 प्रतिशत की अशोधित तेल में 61.2 प्रतिशत की पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा खाद्यानों का 13.4 करोड़ टन रिकार्ड उत्पादन हुआ है अब उपरोक्त वस्तुओं का आयात कुल आयात वित्त का लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंच गया था। परन्तु इस वर्ष इस्पात, सीमेंट, पैट्रोलियम उत्पादों तथा अन्य मदों के उत्पादनों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई हैं। अतः यह भली प्रकार आशा की जा सकती है कि आयात बिल घटना चाहिए। यदि ऐसा है तो वित्त वर्ष 1981-82 के लिए भी इतना ही घाटा क्यों हो? पिछले

से पिछले वर्ष अदायगी खाते में बकाया राशि 5500 करोड़ रुपए की थी लगता है विगत वर्षों में भी यही रहा होगा इस बात का भी स्पष्टीकरण होना चाहिए।

अब आप द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुदाकोष से प्राप्त किए गये ऋण के बारे में आपने कहा है कि हम ऋण का भुगतान कर सकेंगे। हम 5000 करोड़ रुपए की राशि पर ब्याज की राशि लगभग 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष होगी। अपनी उक्त राशि 10 वर्षों में अदा करनी है। वर्तमान ऋण की राशि 900 करोड़ रुपए है ब्याज की राशि 10 प्रतिशत के हिसाब से 500 करोड़ रुपए होगी और मूलधन की 10 किश्तों में से प्रत्येक किश्त 500 करोड़ रुपए की होगी। अतः वर्ष 1984-85 से प्रतिवर्ष 2,000 करोड़ रुपये की अदायगी करनी पड़ेगी इस प्रकार हमारा विदेशी ऋण जारी रहेगा फिर आप उन्हें ऋणनो किस प्रकार लौटा पायेंगे। यहां मैं अपना ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय मूदा कोषतथा विश्व बैंक के अधिकारियों द्वारा किए गये सर्वेक्षण की ओर दिलाना चाहूंगा। 1980 के आरम्भ ये होने वाले दशक में उन विकसित देशों की क्या स्थिति होगी जिन्हें आप मजबूर होकर अपनी वस्तुएं निर्यात करना चाहेंगे ? फिर सर्वेक्षण में कहा गया है कि वर्ष 1980 के बाद मुद्रास्फीति मूल्यों में वृद्धि, बेरोजगारी तथा मन्दी की मांग जारी रहेगी। अतः यह आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विश्व के विकसित पूंजीवादी देशों द्वारा अपने खेतों की रक्षा की नीति का पालन जारी रहेगा और आपको कष्ट नीति के समक्ष अपनी चीजों का निर्यात इन देशो को करना ही पड़ेगा और यदि यही स्थिति जारी रही तो वर्ष 1984-85 तक जबकि आपको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की अदायगी स्वरुप प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना होगा, यदि आप युरोडालर तथा पेट्रोडालर बाजारों से और आगे ऋण की व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे और कहां से अदायगी घाटे की बकाया राशि को पूरा करने के लिए धन जुटा पायेंगे ? क्या आपका ख्याल है कि आप अदायगी घाटे की बकाया राशि को समाप्त कर देंगे तथा अतिरिक्त आय करना शुरु कर देंगे ताकि आप प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 2000 करोड़ रुपए का ऋण अदा करते जायें। आपको पहले ऋणों की अदागी करने हेतु नमे ऋण लेने होंगे। जितना आपसे आप ऋण लेंगे उतना ही आप देश को कर्ज में डुबाते जायेंगे। यही बात दक्षिण पूर्व एशिया के और तृतीय विश्व के देशों के साथ हुआ है।

आपकी दृष्टि निर्यात व्यापार पर है और इसीलिए आप उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप कर्मचारी वर्ग को बताते रहे हैं कि अपना अस्तित्व बनाये रखने हेतु उत्पादन बढ़ाना ही होगा। और गत 12 महीनों के दौरान इस देश के आर्थिक वर्ग ने 12 प्रतिशत 18 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा हिन्दी क्षेत्रों में तो उत्पादन के 60 प्रतिशत की भी बृद्धि की है। परन्तु उक्त उत्पादन वृद्धि का परिणाम क्या निकला ? आपकी नीति कहती है कि आपके उत्पादन योग्य तो बाजारों में आपकी सप्लाई आयेगी और फलतः मूल्य कम होंगे। यही बात आप स्कूलों व कालेजों के लड़के लड़कियों को पढ़ाते हैं। परन्तु जबकि आपका उत्पादन बढ़ गया हैं तो मूल्य कम क्यों नहीं हुए है ? (व्यवधान) इसके लिए केवल एक ही स्पष्टीकरण है और वह यह कि सरकारी तत्र पर एकाधिकारवादी पूजीपतियों का पूर्ण नियंत्रण है। एकाधिकार

वादी पूंजीपति का सरकारी व्यवस्था एक बीच पूरी सांठगांठ है अन्यथा उत्पादन बढ़ने पर भी मूल्यों को नीचे लाना क्यों संभव नहीं है आप कभी भी मूल्य नीचे नहीं लायेंगे। प्रधान मंत्री ने इस वर्ष को उत्पादकता वर्ष घोषित किया है और आपने श्रमिक वर्ग को उत्पादन बढ़ाने केलिए कठोर परिश्रम करने को कहा है उत्पादन बढ़ता है तो उत्पादकता बढ़ती है और इसके साथ ही मूल्य भी बढ़ते जाते हैं। और जब श्रमिक आपके पास मंहगाई भत्ता मांगने आते हैं जब केन्द्रीत सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते की चार किश्ते देय होने की बात करते है, उसकी अदायगी मांगते हैं तब वित्त मंत्री महोदय काफी कुछ कहकर बात टालते हैं। वह वास्तविक बात कोटाल देने तथा उचित जवाब देने से बचने में माहिर हैं। समाचार पत्रों में आ चुका है कि सरकार महंगाई भत्ते को रोक देने तथा उसे जब्त कर लेनें की बात सोच रही है। यदि ये बात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ हुई है शेष तोश्रमिक वर्ग को उत्पादन बढ़ाने को कहते हैं औरजब वे उत्पादन बढ़ाते हैं तो आप उनकी मजूरी और मंहगाई भत्ते को रोककर उन पर कठोर आघात करते हैं। यही आपकी आर्थिक नीति है····· (व्यवधान) जब श्रमिक वर्ग विरोध या आन्दोलन करता है तब आप अनिवार्य सेवा रख रखा अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे विधान बनाकर लाते है। ये विधान आप किसके विरुद्ध उपयोग में ला रहे हैं ? क्या काला बाजार तथा जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध जहां तक काला बाजार करने वालों का मामला है, आय तो उनके काले धन को वैध धन बनाते जा रहे हैं। आपने धारकबांड जारी किए है तथा 1000 करोड़ रुपए दे श्रमिक के ऋण प्राप्त किये हैं। यह बात अच्छी बात है क्या आपकी कार्यकुशलता की अद्योत है परन्तु आप किस तरह की आर्थिक नीति की बात करते हैं तथा क्या इसका हम करते हैं ? इससे एकाधिकारवादी पूंजीपतियों; जमीदारों तथा निहित स्थार्यों के दांत आपकी हिमायत का पता चलता है।

एक तरफ तो आप श्रमिकों को दबाते हैं उनकी मजदूरों पर रोक लगाते हैं और दूसरी तरफ आप बिड़ला टाटाओं की स्थति सुदृढ़ करते हैं। वर्ष 1960 में बिड़ला बंधुओं का मुनाफा बढ़कर 121.15 करोड़ रुपये हुआ क्या टाटा का 710.03 करोड़ रुपये यह लाभ पहुंचाया है आपने बिड़ला तथा टाटा बन्धुओं का आप मूल्य बढ़ा रहे हैं ताकि इन उद्योगपतियों के मुनाफे बढ़ें। परन्तु श्रमिकों की मंजूरियां दबा दी गई हैं तथा कम रखी गई हैं। यही आपका आर्थिक दर्शक है।

आज हर कोई मानता है कि यह देश एक घाटे आर्थिक संकट में है। परन्तु इस आर्थिक सकट की मुख्य उत्पत्ति स्रोत क्या है ? यह संकट किसने पैदा किया है ? आप एक भी ऐसे देश का उदाहरण नहीं दे सकते जहां इस प्रकार का व्यापारी लोकतत्र चलता है दुनिया भर में आप ऐसे किसी भी देश का नाम नहीं बता सकते जहां निरन्तर 30 वर्ष तक एक ही दल का शासन रहा हो। यहाँ तक अमेरिका में भी जार्जवाशिंटन रावत भी 12 वर्ष से अधिक शासन नहीं कर पाया था परन्तु यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सौभाग्य था कि वह 30 वर्ष तक देश पर शासन करता रहा है और तीस वर्ष के इस एक दलीय शासन में आपने कैसा भारत बनाया है।

आप कुछ ऐसी आर्थिक नीतियों का पालन करते आ रहे हैं जो किसी भी प्रकार एक विकासशील देश के लिए लाभप्रद सिद्ध नहीं होती हैं। आपकी एक नीति अधिकाधिक कर लगाने की है दूसरी नीति अधिक से अधिक घाटे का बजट दिखाने की है और तीसरी नीति एकाधिकारवादी गृहों को ज्यादा लाभ पहुंचाने की है ताकि आप ऊंचे ऊंचे आंकड़ें दिखा सकें।

अब जहां तक कराफान का सबन्ध है वर्ष 1950 में उत्पाद शुल्क के रुप में दय 52 करोड़ रुपये अदा किया करते थे परन्तु अब के बजट में हम 8340 करोड़ रुपए अदा कर रहे हैं परिणामत मूल्यों में अधिकाधिक वृद्धि हो रही है। और जितना आर्थिक आप घाटे का बजट दिखायेंगे उतना ही मूदय वृद्धि होगी। अत: आज भारत की स्वाधीनता का 34 वर्षीय इतिहास मूल्य वृद्धि का इतिहास है और मूल्य में वृद्धि का अन्त परिणाम क्या होता है। जब हमारे कारखानों और मिलों में बना माल बाजार में बिकने के लिए जाता है तो लोग उसे खरोदने की स्थिति में नहीं होते हैं क्योंकि काले बाजार में प्रति सौ ग्राहकों में से 70 ग्राहक किसान होते हैं आपके 34 वर्ष के शासन के परिणामस्वरूप उनकी क्या स्थिति है? कुल ग्रामीण जन संख्या के 6 प्रतिशत लोगों के पास कुल कृषि योग्य भूमि का 40 प्रतिशत भाग है। क्योंकि किसानों के पास जमान नहीं है इसलिए उसकी क्रय शक्ति भी नहीं है; क्योंकि उसके पास क्रय डालना नहीं है ओर क्योंकि 100 ग्राहकों में से 30 किसान होते हैं इसलिए जो माल हमारे मिलों और कारखानों में बनता है परन्तु रकय नही पाता है इसलिए आज हमारा औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और नई मिलें तथा कारखाने नहीं लग रहे हैं।

जब श्रीमती गांधी हमारे देश की प्रधान मन्त्री बनी तब देश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 60 लाख थी और आज इनकी संख्या 2 करोड़ से अधिक है क्योंकि अधिक सख्या में रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि संख्या में कारखानों का निर्माण नहीं हो रहा है। इसलिए देश एक दुश्चक्र की लपेट में है। यह आपकी आर्थिक नीतियों का परिणाम है।

प्रश्न यह है कि इस संकट से कैसे उबरा जाये? अगले दिन प्रधानमन्त्री ने विपक्षी दलों को कहा था कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। परन्तु हमारे हमारे पास विकल्प है। यदि आप समस्याओं और संकट का समाधान चाहते हैं तो आपको बड़े पैमान पर भूमि सुधार करने होंगे जो कि आप अपने उपवर्णों के शासन मे नहीं कर सके हैं क्योंकि देहातों में ग्रामीण जनता का 6 प्रतिशत भाग साहूकार, जमींदार, अचल सम्पत्ति के मालिक आपकी राजनीति का आधार रहे हैं। आप इस आधार पर चोट करना नहीं चाहते। आप इस आधार को तोड़ना नहीं चाहते हैं। आप कुल ग्रामीण जनसंख्या के 6 प्रतिशत भाग को तो साहूकार, जमींदार हैं तथा आपका आधार है नष्ट करना नहीं चाहते हैं। भूमि वितरण का कार्य हालांकि यह कागजों और कानूनों में भी है, किसी भी कांग्रेस पार्टी वाली राज्यसरकारों ने क्रियान्वित नहीं किया है। आज आप बात वैकल्पिक उपाय की कर रहे हैं कि विपक्षी दलों के पास कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है।

इसका वैकल्पिक उपाय है और यह कार्य कर रहा है। यदि आप पहाड़ के सामने आंख बन्द करके खड़े हो जायें और कहें कि मैं कोई पहाड़ नहीं देखता तो क्या यह कहना तर्कसंगत होगा कि पहाड़ नहीं है ? पश्चिम बंगाल में यह वैकल्पिक उपाय कार्य कर रहा है और आप वहां वैकल्पिक उपाय को नहीं देख रहे हैं।

मैं आपको एक-एक करके उदाहरण दूंगा। आप निर्धन वर्ग के लोगों की बात करते हैं; आप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के शासनकाल में (आपरेशन वर्ग) चलाया गया है। जो आज हंस रहे हैं मैं समझता हूं उन्होंने अपरेशन बर्गा के नाम तो सुना होगा। आपरेशन बर्गा योजना अन्तर्गत 30 जून, 1981 तक 11 लाख 3 हजार बटाईदारों का नाम पंजीकृत किया गया। उनके नाम दर्ज किए गए। पहले आपके पास इस तरह का कोई कानून नहीं था। जमींदार उन्हें किसी भी समय कभी भी बेदखल कर सकता था। अब हमने कानून का संशोधन किया है कि किसी भी बटाईदार को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। पहले आपके कानून के अनुसार बटाईदार को यह साबित करना पड़ता था कि वह बटाईदार है। अब भूस्वामी को यह साबित करना पड़ेगा कि वह मेरा बटाईदार नहीं है। यह अन्तर है। इन 11 लाख 3 हजार बटाईदारों में से, जिनके नाम पश्चिम बंगाल सरकार के पास पंजीकृत हैं, 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हैं। यह कैसे हो सकता है कि उन राज्यों में जहां आपकी पार्टी शासन कर रही है, आपके लिए इन बटाईदारों के लिए जो या तो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा मुस्लिम समुदाय के हैं, किसी तरह की की कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। आप कहते हैं कि आपके पास वैकल्पिक उपाय है। क्या यही वैकल्पिक उपाय है।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के सन्दर्भ में, जब सिद्धार्थ शंकर राय पश्चिम बंगाल के एक मन्त्री थे, उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया था जिसमें कृषि श्रमिकों के लिए 8 रुपये 10 पैसे न्यूनतम मजूरी देने की बात कही गई थी। परन्तु आपके सरकार ने इसको कभी भी क्रियान्वित करने की कोशिश नहीं की वामपंथी सरकार के सत्ता में आने के बाद आल इण्डिया किसान सभा ने किसानों को संगठित किया और 8 रुपये 10 पैसे की न्यूनतम मजूरी की मांग की और यह उन्हें मिली, आज न केवल उन्हें 8 रुपये 10 पैसे की न्यूनतम मजूरी मिली है अपितु उन्हें मंहगाई भत्ता देने की एक योजना भी बनाई गई है। जिसके तहत मूल्य सूचकांक के बढ़ने पर 8 रुपये 10 पैसे में भी वृद्धि होगी। अब यह 9 रुपये 25 पैसे हो गई है।

ऐसे कृषि श्रमिकों के लिए एक पैंशन योजना भी है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है और जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उन्हें वार्द्धक्य पैंशन मिल रही है यह वैकल्पिक उपाय है।

श्री के० लकप्पा : वह पश्चिम बंगाल के बारे में बोल रहे हैं, सामान्य बजट पर नहीं।

श्री सुनील मैत्रा : जी हां, प्रधान मन्त्री वैकल्पिक उपाय जानना चाहती हैं। इस वैकल्पिक उपाय को हम पश्चिम बंगाल में अमल में ला रहे हैं।

वहां 4 एकड़ पानी वाली भूमि और 6 एकड़ शुष्क भूमि पर कोई लगान नहीं है और ऐसी जमीन पर किराया समाप्त कर दिया गया है।

40 करोड़ रुपये तक का एकाकी ऋण बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

अब मैं भू-जोत अधिनियम 1979 की बात करता हूं। आज पश्चिम बंगाल में 52 लाख जोत है।

श्री के० लकप्पा : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप क्या पश्चिम बंगाल के बजट पर यहां बोलने की अनुमति दे रहे हैं ?

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, यह आम चर्चा हैं। इस पर कोई रोक नहीं है।

...(व्यवधान)...

श्री सुनील मैत्रा : महोदय, प्रधान मन्त्री यह आरोप लगा रही हैं कि विपक्षी दल के पास कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है। हम इस वैकल्पिक उपाय को पिछले चार वर्षों से पश्चिम बंगाल में अमल में ला रहे हैं। सीमित शक्तियों और केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार पर अनेक रुकावट डालने के बावजूद भी वहां इस वैकल्पिक पर कार्य हो रहा है और इस वैकल्पिक उपाय से इस बात का निर्णय हो सकता है कि बजट में आपका झुकाव किस तरफ हो। किसके पक्ष में पश्चिम बंगाल की सरकार कार्य कर रही है ? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वहां सीमेंट का धन्धा नहीं है।

...(व्यवधान)...

श्री सुनील मैत्रा : पिछले तीन वर्षों में आप पहले ही 5000 करोड़ रुपये का घाटा पार कर चुके हैं जो कि आपने समूची छठी योजना की अवधि के लिए निर्धारित किया था। आप इस धन को कहां से लेंगे ?

श्री एम० एम० लारेंस : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 5 000 करोड़ रुपये से अधिक का ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा किया जायेगा।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति कृपया बैठ जाइये। श्री चक्रवर्ती।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह नहीं मान रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। वह नहीं मान रहे हैं।

श्री सुनील मैत्रा : आप लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं। आप पश्चिम बंगाल सरकार की

आलोचना करते हैं। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने आपको बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और आवश्यक वस्तु अधिनियम के बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार आपका एक भी ऐसा कानून लागू नहीं करेगी जिससे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन होता है। पश्चिम बंगाल राज्य में आपने किसी भी अपराधी नेताओं को जो एक-दूसरे को मार रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अथवा किसी निवारक नजरबन्दी अधिनियम के तहत जेलों में बन्द नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मैत्रा, वित्त मंत्री ने बताया है कि राज्यों को कितना धन मिलेगा। आप पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार के लिए अधिक भाग की मांग कर सकते हो। उन्होंने इस बारे में घोषणा की है।

...(व्यवधान)...

श्री सुनील मैत्रा : यह देश के समक्ष वैकल्पिक उपाय है। लोग इसे रोज देख रहे हैं कि कि आपकी सरकार की नीतियां जिससे जनता का घोर शोषण हो रहा है के स्थान पर दूसरी नीति भी है जो कि पिछले पांच वर्षों से लागू है और जिसे वामपंथी सरकार समूचे देश की जनता के सामने रख रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : दिल्ली की बात करिए।

...(व्यवधान)...

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कृपया परेशान न होइये उन्हे बोलने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। आपका कोई मतलब नहीं है। कृपया बैठ जाइये। **(व्यवधान)** यह मेरी जिम्मेदारी है मेरा काम आपको मार्गनिर्देश देना है। मुझे कार्यवाही व्यवस्थित तरीके से चलाना है। कोई मेरा काम नहीं कर सकता है कृपया आप बैठ जाइये। **(व्यवधान)** श्री सुनील मैत्रा, आप अपना भाषण जारी रखिए। **(व्यवधान)** मैं जानता हूं।

श्री एम० एम० लारेंस : पीठासीन अधिकारी को निष्पक्ष रूप में काम करना होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है, मैं पूरी तरह से निष्पक्ष हूं। कृपया बैठ जाइये। उनका समय पूरा हो रहा है। मुझे उन्हें कहना पड़ेगा कि वह अपने विषय पर बोलें। मुझे केवल उन्हें मार्ग निर्देश देना है। किसी और को सभा की कार्यवाही चलानी नही होती है। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। आपको मुझे मार्ग निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुनील मैत्रा : यहां सरकार के इस रवैये से और क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार की तस्वीर सारे देश के समक्ष आ रही है, श्री इन्दिरा गांधी की सरकार पश्चिम बगाल की सरकार के समक्ष सरकार रुकावट पैदा कर रही है। हर प्रयास किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने आपको चुनावों में हराया उनको राजनीतिक रूप से पीड़ित किया जा रहा है। **(व्यवधान)** इसलिए आपने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल को दिए जाने वाले खाद्यान्न में न केवल कटौती की है अपितु उसे देना बन्द भी कर दिया है। आपके अपने मूल्यांकन के अनुसार पश्चिम बगाल

में काम के बदले अनाज कार्यक्रम काफी संतोषजनक रूप से चलाया गया है। पूरे देश में यह वहाँ अच्छे ढंग से चल रहा हैं। इसलिए आप वहां काम के बदले अनाज कार्यक्रम इसे आप जो नाम दे सकते हैं, के तहत दिये जाने वाले खाद्यान्न को सप्लाई न करके वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं ; आप नए नाम के तहत भी पश्चिमी बंगाल सरकार को खाद्यान्न की सप्लाई नहीं कर रहे हैं आपने इस प्रयोजन के लिए सप्लाई पूरी तरह से रोक दी है। हल्दिया में एक पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स की स्थापना करने का एक प्रस्ताव था। केन्द्रीय सरकार ने ही कहा था कि हल्दिया में जहाज की मरम्मत करने वाला एक शिपयार्ड स्थापित किया जायेगा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इलैक्ट्रानिक कामप्लैक्स की स्थापना करने के लिए कलकत्ता के साल्ट लेक क्षेत्र में 100 एकड़ जमीन अलाट की है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप भाषण समाप्त करें। आपका समय खत्म हो गया है।

श्री सुनील मैत्रा : क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार आजकल आपके लिए विकल्प प्रस्तुत कर रहा है अत: अब देश के राजनीतिक क्षितिज में धीरे-धीरे उत्पन्न हो रहे इस विकल्प को समाप्त करने और खत्म करने के लिये जान-बूझकर प्रयास किये जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य के प्रति विनम्र हूं।

श्री सुनील मैत्रा : आपके बजट प्रस्ताव वही प्रस्ताव हैं जो आप इस देश को गत 30 वर्षों में दे रहे हैं और इस देश में आपके शासन का यह तीसरा वर्ष है। यह एकाधिकारवादी समर्थक तथा जनता-विरोधी और श्रमिक वर्ग का विरोधी है और आजकल इससे ऐसा संकट उत्पन्न हो गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के ऋण को करार करते हुए आप इस देश की आर्थिक निरपेक्षता का समझौता कर रहे हैं। यदि इस पद्धति को अपना गया तो अन्तत: इस देश की राजनीतिक निरपेक्षता के साथ समझौता किया जाना आवश्यक है। अत: मैं आर्थिक नीति का विरोध करता हूं जो इस बजट में दिखाया गया है और जहां तक हमारी पार्टी का सम्बन्ध है हम इस बजट में रखे प्रत्येक प्रस्ताव का पूरी मजबूती के साथ विरोध करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बजट पर चर्चा में संक्षिप्त भाग लेता हूं। मैं देश में सभी कठिन आर्थिक कारणों को ध्यान में रखते हुए अत्यन्त मुश्किल समय में इस बजट को पेश करने के लिये वित्त मंत्री के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति का सही अनुमान लगाते हुए उन्होंने एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो मैं कहना चाहता हूं निश्चित रूप से ही हमारी अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था बनाने और इसे और मजबूत बनाने की पद्धति में सहायक होगा।

बहुत से संसद सदस्य और अनेक समाचार-पत्र कह रहे थे कि वे इस युवा वित्त मंत्री से बहुत-सी बातों की आशा कर रहे थे और यह बिलकुल ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि इस युवा वित्त मंत्री के युवा कंधों पर बहुत भारी बोझ है और वह अत्यन्त बुद्धिमान है।

एक माननीय सदस्य : वह बदल गए हैं। **(व्यवधान)**

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि जब कभी

मैंने पाया है कि बजट अच्छा था तो मैंने प्रतिपक्ष की ओर से भी यही कहा है कि यह अच्छा था। अतः मेरे बदलने का प्रश्न ही नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय बना लिया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, आप उनमें शामिल न होइये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कम से कम मैंने अपना दृढ़ निश्चित बना तो लिया है लेकिन उन्होंने अपना कोई इरादा नहीं बनाया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल एक अच्छा मजाक है। आपको इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए।

श्री यशवंतराव चव्हाण : क्योंकि अब मैं इस बजट पर एक विभिन्न दृष्टिकोण से चर्चा कर रहा हूं अतः मैं वित्त मंत्री की तुलना में अधिक राहत महसूस कर रहा हूं। उनके वामपक्षीय बैठे हुए सहयोगी भी अधिक राहत महसूस कर रहे हैं।

बजट प्रस्ताव हमारे देश की प्रशासनिक पद्धति में किसी विशेष प्रयोजन के लिए अभिप्रेत हैं। मेरे से पहले के वक्ता ने इस बजट की आलोचना की है और उसे एक प्रकार का ऐसा बजट कहा है जो किस्तों में है। स्वभवतया समय-समय पर आर्थिक मामले उठते हैं और उन्हें इसी प्रकार निपटाया जाना होता है। लेकिन वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रत्येक प्रशासन को—चाहे इस देश का हो अथवा बाहर का हो चाहे समाजवादी देश का हो अथवा गैर समाजवादी देश का है। लगाना पड़ता है, स्थिति का और अपनी उपलब्ध पूंजी तथा अपने संसाधनों का जायजा लेना आगामी वर्ष के बारे में अनुमान पड़ता है और इसके उपरान्त इन्हें ठीक तरीके से बांटने का प्रयास करना पड़ता है।

मान लीजिए कल को कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती है। क्या वे कह सकते हैं कि हमारी पद्धति की तुलना में कोई अन्य पद्धति इस मूल्य पद्धति, मूल्य ढांचे को नहीं बदलेगी ? मैं देखता हूं कि समस्त आलोचना आजकल विश्व में हो रही कुछ वास्तविकताओं को स्वीकार करने से मना करना मानसिकता पर आधारित है क्योंकि मैंने विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष और विश्व बैंक और उनके पदाधिकारियों की भारत यात्रा और हमारे लोगों के साथ हुई बैठकों के बारे में की गई आलोचना को सुना है। यदि वे हमको प्रभावित करना चाहते थे तो वाशिंगटन से दिल्ली तक सभी योजनायें करना और यहां पर मन्त्रियों के साथ रखि-भोज और इंटरव्यू करना आवश्यक नहीं था। आप कहीं से भी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि विश्व में कौन-सी पद्धति कार्य कर रही है ? आप इसे स्वीकार न करें अथवा इसे स्वीकार न करना चाहें लेकिन प्रश्न यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी आजकल विश्व में कुछ ऐसे संस्थागत प्रबन्ध किये हुए हैं और भारत उनमें गत 35 वर्षों से भाग ले रहा है। हमने उसमें हिस्सा लिया है और दूसरी सरकार, जो यहां पर थी, ने भी इस पद्धति में भाग लिया था। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सैद्धान्तिक कारणों से कुछ लोग आजकल कार्य कर रहे इन संस्थागत

प्रबन्धों को मानसिक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। हो सकता है इन संस्थागत प्रबन्धों को अपनी स्वयं की कमजोरियाँ हों, इनमें कुछ खामियाँ हों, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी कोई स्थिति है जिनमें वे तीसरे विश्व के खिलाफ कार्य करते हैं। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के मचों पर, जब कभी हमें अवसर मिले थे, हमने इस सरकार को खुले रूप से ये बातें कहीं थीं कि इस पद्धति में कुछ खामियां हैं और इन्हें दूर किया जाना चाहिए।

लेकिन क्या हम उत्पन्न हुई इन कुछ उपयोगी सुविधाओं का लाभ नहीं उठायेंगे ? गत दशाब्दी में 1982 में जब विश्व में तेल संकट उत्पन्न हुआ तो प्रत्येक देश हक्का-बक्का रह गया। इस सरकार, यह सरकार नहीं, अपितु मैं कहूंगा कि श्रीमती गांधी की पिछली सरकार की ओर से मैंने इन सम्मेलनों में भाग लिया था और समाजवादी देशों के प्रतिनिधियों से भी मिला था—क्योंकि इन मंचों में कुछ सामाजवादी देश भी हैं और वे भी चिंतित थे कि इस विश्व का भविष्य क्या होगा।

मान लीजिए हम इससे उधार नहीं लेते हैं। मैं इस संस्था से ऋण लेने के बारे में बहुत इच्छुक नहीं हूं। उदाहरणार्थ मान लीजिए हमने उधार न लेने का निर्णय किया है और यदि संसद इस ज्ञापन की सलाह पर निर्णय लेती है कि हमें इससे उधार नहीं लेना चाहिये तो हम कहाँ जायेंगे ? क्या हम अपनी विदेशी मुद्रा के अन्तर को पूरा करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं करेंगे ? क्या हम केवल यही कहेंगे कि खेद है कि हम कुछ प्राप्त नहीं कर सके हैं अतः बसों को बन्द कर दो, कृषि उत्पादन को रोक दो क्योंकि अधिक उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है अतः सभी कार्यों को रोक दो क्योंकि हमने सिद्धान्त के रूप में किसी संस्था से धनराशि उधार न लेने का निर्णय किया है। क्या कोई विकल्प है ? विकल्प क्या है ? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, केवल यह बताने का क्या लाभ है जबकि प्रधान मन्त्री ने किसी विकल्प के न होने के बारे में कहा था ? उन्होंने एक राष्ट्रीय विकल्प के बारे में कहा था जिसमें किसी एक विशेष राज्य के बारे में उल्लेख नहीं किया गया था। (व्यवधान) जब आपने अपनी उपलब्धियों के बारे में कहा था तो मुझे अपनी उपलब्धियों के बारे में शिकायत नहीं है। आपकी उपलब्धियाँ चाहे जो कुछ हों तो निश्चित रूप से यदि वे अच्छी हैं तो वे अच्छी हैं लेकिन यह न मान लें कि अन्य राज्यों ने ऐसा नहीं किया है। पश्चिम बंगाल राज्य ने भूमि की अधिकतम सीमा आदि के बारे में थोड़ा कार्य किया है। बहुत से अन्य राज्यों ने भी गत 20 वर्षों में इस बारे में कुछ किया है। आप इन बातों को नहीं जानते हैं (व्यवधान) 1961 में महाराष्ट्र ने इस बारे में कार्य किया था। उन्होंने भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून आदि के मामले को शुरू किया था। (व्यवधान) अतः जिस बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि यदि आप बजट का अनुमान लगाना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से कुछ वास्तविकताओं, आन्तरिक वास्तविकताओं और अन्तर्राष्ट्रीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिये। यदि आप ऐसा करते हैं तो संभवतया आप समझ सकेंगे कि वित्त मन्त्री ने हमारी अ-र्थव्यवस्था के लिए क्या किया है। मैंने कहा है और मैं इसे दोहराता हूं कि वित्त मंत्री ने निश्चत रूप से आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय कारणों के संदर्भ में हमारी अर्थ-व्यवस्था को सक्षम बनाने की पद्धति को मजबूत बनाने के लिये इस बजट में बहुत-सी बातों

का समावेश किया है। यह एक उपलब्धि है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिये। लेकिन दुर्भाग्यवश आलोचना करते हुए इन वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। मैं चाहता हूं···

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वास्तविकता इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं।

श्री यशवंतराव चव्हाण : स्वभावतया मैं इसे अपने दृष्टिकोण से देखूंगा। मैं आपको अधिकार देता हूं कि आप इसे अपने दृष्टिकोण से देखें···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वर्ग के दृष्टिकोण से।

श्री यशवंतराव चव्हाण : यह आपका झुकाव है। मैं इस बारे में कुछ सहायता नही कर सकता हूं।

विश्व में और भारत में आजकल एक महत्वपूर्ण वास्तविकता मुद्रा-स्फीति की है— एक प्रकार की "अत्यधिक मुद्रा-स्फीति" यदि आप इसे यह कहना चाहते हैं। लेकिन "अत्यधिक मुद्रास्फीति" का कुछ तकनीकी अथवा अन्य अर्थ हो सकता है। मैं इस बारे में नही जाना चाहता हूं। लेकिन साथ ही हमारी मूल समस्या कृषि, उद्योग सामाजिक सेवा, विदेशी मुद्रा रिजर्व आदि, विदेशी व्यापार, निर्यात और आयात आदि के संदर्भ में भारत की अर्थ-व्यवस्था को एक सक्षम अर्थ-व्यवस्था बना है और इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा। यह समाचार का मूल कार्य है और मैं न केवल इस वर्ष के लिये अथवा गत दो वर्षों के लेकिन गत तीस अथवा पैंतीस वर्षों के लिये दावा करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने औद्योगिक विकास और देश के लिये एक राष्ट्रीय सक्षम अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने सम्बन्धी एक नीति प्रदान की ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। पहली बार हमें पता चला कि हम एक महान् राष्ट्र बन सकते हैं और हम एक दिन एक महान राष्ट्र बनेंगे। मैं सैनिक शक्ति के संदर्भ में बातीचीत नहीं कर रहा हूं। मैं महान् शक्तियों के संदर्भ में बातचीत नहीं कर रहा हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम इस पर सहमत नहीं हैं।

श्री यशवंतराव चव्हाण : अतः जब मैंने कहा कि इस वर्ष के बजट को देखा जायेगा मैं इस बारे में बाद में चर्चा करुंगा कि किन बातों पर एक बजट को देखा जाना चाहिये तो स्वभावतया हमारा मस्तिष्क गत वर्ष के बजट में पहुंच जाता है। वित्त मंत्री जी के आर्थिक सर्वेक्षण और उनके भाषण के पहले भाग में बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल की गई है। मैं तो यह कहूंगा कि इस बात का बड़े संक्षेप में और अति उत्तम सर्वेक्षण किया गया है कि हम क्या प्राप्त कर रहे हैं और मैं वित्त मंत्री जी के भाषण के पैरा 4, 9 और 10 में विशेष रूप से, इस बात को देखता हूं कि उन्होंने कृषि क्षेत्र में उत्पादन की नई ऊंचाई औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की नई ऊंचाई, ऐसे अन्य कई क्षेत्रों की नई उपलब्धियों, जो आर्थिक विकास के लिए बहुत जरुरी और महत्वपूर्ण हैं, के बारे में सूचना दी है। इस पृष्ठ भूमि में हमें यह देखना है कि यह प्रक्रिया में

आगे जारी रखती है। इसमें हमें फिसलना नहीं है। यदि हम फिसल गए, तो यह भूल हमारे इतिहास को प्रभावित करेगी। मैं सोचता हूं कि आज तक भारत ने जो लगातार प्रगति की है उससे वर्ष 1982 का भारत 1952, 19 2 या 1972 के भारत से एकदम कार्य बदला हुआ नजर आता है। यह हमेशा आगे प्रगति करता रहा है और अब भी प्रगति कर रहा और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ वास्तविकताओं पर विचार करना पड़ता है। अन्यथा आप पूर्वी भारत की समस्या कैसे हल कर सकते हो ? पश्चिमी सीमा की समस्या का समाधान आप कैसे निकाल सकते हैं। हमें देश की अन्य कई समस्यायों का मुकाबला करना है। लेकिन कमी यह है — श्री चक्रवर्ती — आप कृपया हम पर क्रोधित न हों, जब आप हमें हमेशा यह स्मरण कराते हैं कि आप पश्चिमी बंगाल में क्या कर रहे हैं, आप सदैव भारत को भूल जाते हैं। सचाई तो यह है कि आप भारत को जानते ही नही हैं।

श्री एम० एम० लारेंस : आप सदैव भारत को याद रखते हैं **(व्यवधान)**

श्री यशवन्त राव चव्हाण : बंगाल में आपकी उपलब्धियों के बारे में हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई, उसकी मुझे शिकायत नही है। लेकिन यह इस प्रकार हुआ, जैसे कि एक ऐसा ड्रामा तैयार किया गया कि आपके पास राष्ट्रीय विकल्प है और आप इसे राष्ट्रीय विकल्प के रूप में संसद के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए आपकी आपके छोटे से राज्य में जो भी उपलब्धि रही हो, उसकी भारत से तुलना करके देखो।

उपाध्यक्ष महोदय : वे यह नहीं भूले होंगे कि पश्चिम बंगाल भारत में ही है। **(व्यवधान)**

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यहां विस्तार में नही जाऊंगा। मैं तो यह विश्वास करता हूं कि आप भी उतने ही भारतीय हैं, जितने कि हम। मेरा यह पक्का विश्वास है कि आप ऐसे ही है। **(व्यवधान)**

मैं गत वर्ष के निस्पादन के बारे में बात कर रहा था। वित्त मंत्री जी ने इसका विवरण दिया है। उनके अनुसार : 'पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, वनस्पति, चीनी, अखबारों कागज, कास्टिक सोडा, माल डिब्बे और वाणिज्यिक वाहनों जैसे अनेक उद्योगों में पहले से कहीं अधिक उत्पादन होने की आशा है। जब मैंने उनका भाषण पुनः पढ़ा, तो मुझे उन उपलब्धियों के सम्बन्ध में थोड़ा गर्व हुआ, जो हमारे देश ने प्राप्त की है, क्योंकि ये कोई मामूली चीजें नहीं हैं। यह कोई केवल कानून बना देने जैसी बात नहीं है। सभी शक्तियों को अधिक उत्पादन हेतु संगठित रूप में आधुनिक पद्धति से काम पर लगा देने का मसला है। आज का संसार किसी देश की शक्ति और विकास को उस देश दुवारा इन उपरोक्त क्षेत्रों में, जो मैंने वित्त मंत्री जी के भाषण में से पढ़कर सुनाए हैं, की गई प्रगति और उत्पादन के आधार पर आंकता है। मैं सोवियत रुस द्वारा किए गए कार्य-निष्पाद के बड़े-बड़े दावों को पढ़ रहा था। ये कार्य-निष्पादन पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों, इस्पात तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं से सम्बन्धित थे. वे संसार को यह जताने का प्रयास कर रहे थे कि आधुनिक पद्धति के मामले में भी वे प्रगति कर रहें हैं। यही स्थिति हमारी है। हम प्रगति कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी को अपने उपकरणों, औजारो और संसाधनों का ध्यान रखते हुए, उनका भरपूर

लाभ उठाते हुए, प्रगति की यही गति बरकरार रखनी है। मैं जब यह कहता हूं कि उन्होंने बढ़िया काम किया है, तो मैं यह केवल संसदीय भावना में नहीं कहता हूं; वास्तव में उन्होंने अति उत्तम काम किया है। उन्हें मुद्रा-स्थिति का मुकाबला करना है। उन्हें और अधिक संसाधन जुटाने हैं। उन्होंने कर बढ़ाने में कोई हिचक नहीं दिखाई है। उन्होंने 500 करोड़ रुपये से अधिक राशि के कर लगाए हैं। उन्होंने ऐसा किस प्रयोजन से किया ? उन्हें कुछ नए आर्थिक कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था करनी हैं। स्वभावत: यदि आप बजट का जरा सा भी मूल्यांकन या परीक्षण करना चाहते हैं, तो आप आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए किए गए प्रावधानों के आधार पर ही ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा मानदंड होगा कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय दिलाने हेतु क्या प्रबन्ध किए गए हैं। मेरे विचार में तीसरा मानदंड होगा कि अधिक मंहगाई बढाए बिना कर के क्या प्रयास किए गए हैं। यदि कर लगाने से मुद्रा-स्फीति होती है, तो निश्चित रुप से कोई भी इसकी उपयोगिता पर सन्देह कर सकता है। मैं देखता हूं कि कर लगाने का जो भी प्रयास उन्होंने किया है उसे उन्होंने इस प्रकार किया है कि उससे मंहगाई न बढ़ सामान्यत: प्रत्येक बजट के बाद इस प्रकार के भाषण दिए जाते हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं। मुझे किसी भी सदस्य से ऐसी कोई शिकायत सुनने में नहीं आई है। वित्त मंत्री जी को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार कर लगाने का प्रयास किया है कि उसका कीमतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और गरीब लोगों को इससे कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : इसका आपको तीन-चार महीनों बाद पता चलेगा।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह उनकी अनर्थ की भविस्यवाणी है। यह उनकी पक्की धार-है कि कीमतें अवश्य बढ़नी चाहिए, वे इस सम्बन्ध में किसी की बात नही मान सकते।

श्री चित्तबसु (बारसार) : आंसूओं के बिना कराधान ! लेकिन उन्होंने तो यह कहा है कि वहां आंसू भी है !

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कभी-कभी आंसू भी अच्छी किस्म के होते हैं और कभी-कभी ये दुखी कर देने वाले होते है। यदि वे आंसू भी थे, तो खुशी के आंसू थे।

मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि बजट का मूल्यांकन करने के लिए क्या-क्या मानदंड है। कुछ का मैंने जिक्र किया है। उस सूची में और भी बढोतरी की जा सकती है। यदि हम इस लाईन पर बजट का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं, तो मैं यह ही कहूंगा कि उन्होंने निश्चित रुप से महत्वपूर्ण कार्य किया है। महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में विचार कीजिए। मैं यहां और अधिक आंकड़े नहीं देना चाहता क्योंकि इससे भाषण बोझिल हो जाता है। उदाहरणार्थ, ऊर्जा का महत्वपूर्ण क्षेत्र लीजिए। आज पूरे विश्व में जब भी किसी देश की अर्थ-व्यवस्था के बारे में विचार किया जाता है, तो ऊर्जा के प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने ऊर्जा के लिए क्या किया है ? उन्होंने गत वर्ष लगाई गई पूंजी की तुलना में 90 प्रतिशत अधिक पूंजी निवेश का प्रावधान किया है। विशेषरूप से ऊर्जा के क्षेत्र में यह एक अभूतपूर्व प्रावधान है। भारत में ऊर्जा का अत्यधिक महत्व

है। तीसरी दुनिया के देशों में प्रत्येक देश ऊर्जा की इस समस्या से ग्रस्त है और इस विशेष मामले में वह खाड़ी देशों में अथवा अन्य ऐसे तेल विक्रेता देशों में बढ़ते हुए तेल के मूल्यों से तथा पेट्रो-डालर और यूरो-डालर के भार से बना हुआ है। अतः को भी वास्तविक राष्ट्रवादी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देश-भक्त है, सदैव आगे आएगा और यह कहेगा कि आने वाली दशाब्दि में मैं यहां फिर कुछ अधिक अवधि बता रहा हूं, आ गामी दो-तीन वर्षों में, हमें इतनी प्रगति अवश्य कर लेनी चाहिए कि हमें किसी अन्य प्रयोजन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से कोई ऋण लेने की आवश्यकता न पड़े।

श्री सुनील मैत्रा : तीन वर्षों का क्या हुआ ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : आपको इसका पता नहीं है। तीस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऋण देने का प्रावधान भी नहीं कर रखा था। आपको यह बात मालूम नहीं है। मैं उस संघर्ष के बारे में बताऊंगा, जो इसके लिए हमें करना है। सामान्यतः हम विश्व बैंक से ऋण लेते रहे हैं। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अत्यधिक अनुदार संस्था है कोई भी ऋण दाता हमेशा अनुदार होता हैं, चाहे उसका सम्बन्ध पश्चिम से हो, चाहे पूर्व से। इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। हमें तर्क देने होते हैं मैं बीस व्यक्तियों, जिसमें प्रो० दड़वते भी शामिल थे, की समिति के समक्ष बोलने के लिए अपन देश का प्रतिनिधि हुआ करता था। तब प्रो० दंडवते सदैव उन मामलों पर यहां चर्चा करना चाहते थे, जिन पर मुद्रा सबन्धी सुधारों के लिए हम वहां विचार करते थे। मैं सदैव यहां उन पर विचार करने का अवसर चाहता था। दुर्भाग्यवश, महोदय, इसमें मुझे आपका कोई समर्थन नहीं मिला। हम यहां उन पर चर्चा नहीं कर सके। देश को यह लग जाता किपता वास्तव में वे स्थितियां क्या हैं जो उस समय विद्यमान थी। यह उसमें से एक मामला था। मान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने ही नियमों के अनुसार ऋण देता है अथवा दिया करता था—इसे वे विभिन्न नामों से पुकारते हैं—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हमारे द्वारा किए जानेवाले अंशदान की प्रतिशतता के अनुरूप। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यह मूल फार्मूला है। हम उन्हें यह बता रहे थे कि "तीसरी दुनिया के देशों से कुछ अधिक सहयोग की आवश्यकता है।" हम उन्हें यह बता रहे थे कि हमें उनके साथ और अधिक व्याहार की आवश्यकता है, हमें उनके साथ संसाधनों का उचित अन्तरण करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से यह सब चल रहा था ऐसा ही किया जाना था अतः हमें अतिरिक्त सुविधाओं की मांग कर रहे थे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : बढ़ाए गए फन्ड की सुविधा।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : लेकिन यह एक अतिरिक्त सुविधा थी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : सशर्त।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कोई भी ऋण देने वाला अपनी शर्तें रखता है। उनका हम पालन करें अथवा नहीं, यह हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। किसी व्यक्ति पर कोई भार नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने सरकार और देश की ओर से यह घोषित किया है कि यदि हम

देखेंगे की देश की इज्जत और फायदे के हित में शर्तें उचित नहीं है, तो हम उन्हें नकार देंगे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह बात पूर्ण रुप से स्पष्ट कर दी गई है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : यह एक खुली घोषणा है·····लेकिन उसमें कुछ गुप्त समझौते भी हुए हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : संसद में की गई घोषणा एक महत्वपूर्ण घोषणा होती है। यह संसद को निष्ठापूर्ण दिया गया वचन है। मैं अपने भाषण के रास्ते से नहीं हटना चाहता। इस वर्ष का मूल्यांकन उन पूंजी-निवेश और प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा, जो कृषि और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए किया गया है उर्वरक औद्योगिक योजना का एक अंग है। जो मुख्य बात हमें याद रखनी है वह है कि हम न केवल अपनी अर्थव्यवस्था के एक विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्र का समर्थन कर रहे हैं अपितु हम छठी योजना को समग्र रुप में कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि राष्ट्र को वचन दिया है। यह सहज एक वार्षिक बजट भी नहीं है अपितु उन कुछ वचन बद्धताओं के छठे पंचवर्षीय कार्यान्वयन का एक अंग है जो हमने जनता से की हैं। यदि हम इस मापदण्ड को स्वीकार कर लेते हैं, तो मै समझता हूं कि वित्त मंत्री महोदय आपने शानदार रुप से किया है। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ।

दूसरे जिस मानदण्ड का मैंने उल्लेख किया है वह है सामाजिक न्याय अकेले विकास के सिद्धान्त से सहायता नहीं मिलती। हमने अपने इतिहास के 30 वर्ष के दौर में सबक सीखा है। अपने अनुभव से हमने यह सीखा है कि हम विकास में अपेक्षाकृत अधिक विश्वास रखते हैं। इसलिए, एक समय हमने यह पाया कि अमीर और अधिक अमीर हो गए हैं तथा गरीब और अधिक गरीब हो गए हैं। इसलिए, हमें अपनी नीतियों, रणनीतियों को व्यवस्थित करना है। संक्षेप में, औद्योगिक नीति विषयक अपने अन्तिम भाषण में प्रधान मंत्री ने यही कहा है वे हमारे उद्योगों और अर्थव्यवस्था के विकास की ओर निहार रहीं हैं। जिस तरीके से हम 1952 में कार्य कर रहे थे उसी तरीके से कार्य कर सकते हैं, 25 वर्ष की आयु में आप उसी तरीके से कार्य नहीं कर सकते। आपको अपने तरीके, आचरण और कार्य का तरीका बदलना होगा।

मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता इसीलिए और मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता उन्होंने अनेक कार्य किए हैं। कोई भी उनमें से अनेक मामलों का बता सकता है। निम्न आय वर्ग के लोगों का मामला लीजिए। इस समय 15,000 रुपए तक की आय पर बोर्ड आयकर नहीं है। इसके अतिरिक्त, वेतन भोगी कर्मचारियों को 5000 रुपए की सीमा रखते हुए 20 प्रतिशत एक मानक कटौती मिलती है। 1982-83 से कटौती की मानक दर, 5,000 रुपए की वर्तमान सीमा के अधीन 35 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। जो एक अन्य परिवर्तन उन्होंने इस बजट में लागू किया है वह हैं सामाजिक सुरक्षा योजना यह एक नया विचार हैं। कोई भी इन विचारों में आगे वृद्धि कर सकता है और अधिक से अधिक परियोजनाओं के बारे मे सोच सकता है यह कार्य उन्होने किया है।

जब कोई वित्त मन्त्री अपना बजट पेश करने की सोचता है तो उसे बचत तथा निवेश हेतु उन प्रोत्साहनों के बारे में विचार करना होता है जो उसे देने होते हैं। यह एक सूचित

विशेष है जिसे वह वजट पूर्ण दिनों में अपने जीवन के दोरान लगातार सुनते है। बचत और निवेश के लिए प्रोत्साहन यह इस संदर्भ में है कि हमें पूंजी निवेश बांड योजना पर विचार करना है।

मैंने सामाजिक न्याय और कर प्रयासों का उल्लेख किया है। उन्होंने कर सम्बन्धी प्रयास अत्यन्त सावधानी पूर्वक विचार और जांच के पश्चात किए हैं और यह कार्य अत्यन्त बुद्धिमता पूर्वक किया गया है। यह सिर्फ बजट कागजात में किसी प्रकार की सूची शामिल करना और उसके बाद कहना कि ऐसा कर दिया गया है, नहीं है। उन्होन सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष कराधान में सीधा प्रयास किया है। उन्होने इन दो क्षेत्रो से सभी निधियां एकत्र की है।

इसके साथ ही, उन्होंने यह देखने की भी कोशिश की है कि भार गरीबों पर न पड़े अथवा गरीब लोगो द्वारा खपत में लाई जाने वाली वस्तुओं पर न पड़े। उन्होंने अत्यन्त सजग विचार के पश्चात 38 वस्तुओं को छूट दी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने इस मामले में उत्पादन राजस्व सम्बन्धी का आयोग की रिपोर्ट का उपयोग किया. उन्होंने अत्यन्त सावधानीपूर्वक योजनाएं तैयार की हैं और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से 500 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि एकत्र की है। इसके साथ ही उन्होन यह देखने भी सावधानी बरती हैं कि निम्न आय वर्गो पर भार न पड़े। समाज के गरीब लोगों और कमजोर वर्गो के हितों का ध्यान रखने की यह कसौटी तथा यह सोचना कि उनके लिए क्या किया जाना हैं- इस बजट की एक अन्य प्रमुख विशेषता है।

एक माननीय सदस्य :कम से कम यह टिप्पणी हँसी पैदा करती है।

श्री यशवंत राव चव्हाण : यह बिना के हँसी है दूसरे, बजट के समय जिस प्रकार की आलोचना की हम आशा करते हैं वही प्रति वर्ष दोहराई जाती है। इस वर्ष, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण एवं आलोचना एक और विषय है।

प्रो० मधुदण्डवते : भगवान का धन्यवाद।

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैं यह नहीं कहता कि वादविवाद गलत है। यह एक न्याय संगत वादविवाद है। देश में इसके लिए सावधान होना चाहिए कि हम उन शर्तों पर धन उधार न लेते अतः हमारी प्रभुता के खतरे में डाल दें मैं नहीं समझता कि कोई इस पर विवाद करेगा। मैंने अत्यन्त सजगतापूर्वक श्री वेंकटरामन की बात सुनी है जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण पर चर्चा की उन्होंने स्थिति को बिलकुल स्पष्ट कर दिया था। इस प्रश्न पर दो राय नहीं हो सकती। किसी एक वटाने में अथवा दूसरे से केवल सरकार की आलोचना करते जाना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के खिलाफ दलीले भी कुछ उसी प्रकार की हैं। यह अत्यन्त अतिरंजित है जनता पार्टी के एक सदस्य ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि इस बजट पर अन्तर्राराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण का कोई प्रभाव नहीं है।

एक माननीय सदस्य : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी।

श्री यशवंत राव चव्हाण : वे उनका नाम जानते हैं तब में क्यों उल्लेख करूं। लेकिन एक अन्य मुद्दे के सबंध में मुझे डा० सुब्रह्मण्यमस्वामी के नाम की अवश्य उल्लेख करना चाहिए। उन्होंने एक ओर दूसरी मजेदार टिप्पणी की है कि वर्तमान बजट राष्ट्रीय मतैक्य को प्रतिबिम्बित करता है। इस बात को मैं अपने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दोस्तों को याद दिलाऊंगा-कृपयत इस राष्ट्रीय मतैक्य को ध्यान में रखें।

श्री सुनील मैत्रा : कांग्रेस पार्टी और डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी यह है राष्ट्रीय मतैक्य।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह वह है जो विपक्ष की ओर से किसी ने कहा है। मैं केवल इसे उद्धृत कर रहा हूं। मैं उससे अधिक कुछ नहीं कर रहा हूं।

इसलिए, महत्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधानों के आधार पर, सामाजिक न्याय के आधार पर कर प्रयासों के आधार पर, यह निम्न वर्ग के लोगों, कमजोर लोगों अथवा गरीब लोगों पर अधिक भार नहीं थोपता। यदि आप इन तीन मानदण्डों को स्वीकार करें तो मैं कहूंगा कि यह बजट समय की कसौटी पर खरा उतरा है। वित्त मंत्री ने निश्चित ही एक अच्छा बजट दिया है।

मैंने कहा, बजट की कुछ विशेषताए। वित्त मन्त्री ने प्रत्यक्ष करों में रियायतें दी हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से उन पर निश्चित ही कुछ अधिक भार डाला है जो इसे वहन कर सकते हैं। उन्होंने वह किया है और मैं उसे बार-बार दोहराना नहीं चाहता। मैंने विशेष बातों का भी उल्लेख किया ये दो परिवर्तन हैं सामाजिक सुरक्षा बन्द पत्र निवेश बंधपत्र। ये राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के नष्ट तरीके हैं। इसके साथ ही इसके साथ ही इससे उन लोगों को अवसर दिया गया है जो एक विशेष तरीके से निवेश को वहन कर सकते हैं। इसलिए, ये इस वर्ष दो नए प्रकार के बंधपत्र हैं। गत वर्ष एक स्फीति प्रकार का बांड था इस वर्ष···

श्री कमल नाथ : जेम्स बांड।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : ये नए प्रकार के बांड हैं महोदय, मुख्य स्थिति यह हैं कि इस बजट ने भारतीय अर्थ व्यवस्था, विश्व की स्थिति और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का एक यथार्थ परक मूल्यांकन किया है और निश्चित रूप से वित्त मंत्री महोदय ने कुछ घाटे की बजट पेश किया है। यह घाटे का मुझे विकसित देशों में भी मिलता है जिसकी वे संतुलित बजट के बारे में चर्चा करते है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ने संतुलित बजट के बारे में चुनाव जीता। परन्तु अब इतना असन्तुलित है कि उसे वहाँ रीगोनॉमिक्स कहा जा रहा है।

एक अन्य व्यक्ति जो सतुलित बजट के बारे में बात कर रहे थे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई हैं इन्होंने दो वर्ष तक जब जनता पार्टी की सरकार थी, घाटे का बजट दिखाया था इतना उससे पहले कभी नहीं हुआ था।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने अपना संतुलन खो दिया है। (व्यवधान)

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि उन्होंने इसकी कीमत अदा कर दी हैं यदि यही आपका आशय है। लेकिन यह संतुलित बजट मुख्य रूप से पूंजीवादी देशों के लिए बताया गया है। खास तौर पर विकासशील देशों में जहां समाज के निम्न वर्गों, समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं का ध्यान रखना होता है, यदि आवश्यक हुआ तो हमें घाटा वितपोषण की व्यवस्था करनी होती है, वहां हम घाटे को बजट की हठधर्मी पर नहीं चल सकते। नि.सन्देह आपको विवेकपूर्ण निर्णय लेने होंगे, आपको सावधानी बरतनी होगी (व्यवधान) वहां एक सीमा होनी चाहिए, व्यवस्थित किए जाने योग्य तथा वहन किए जाने योग्य सीमा यह केवल व्यस्थित किए जाने योग्य नहीं है अपितु इसे व्यस्थिय किए जाने योग्य और वहन किए जाने योग्य, दोनों प्रकार की सीमा होनी चाहिए और मुझे विश्वास हैं कि वित्त मन्त्री महोदय ने जो सीमा स्वीकार की है वह निश्चित ही व्यवस्थित किए जाने योग्य तथा बहन किए जाने योग्य है। इसलिए उनका यह निर्णय मूलभूत है। यदि आप बजट की व्यापार विशेषताएं देखें कराधान प्रणाली, घाटे का बजट व्यापार पूंजी निवेश कार्यक्रम, नए परिवर्तनकारी कदम जो उन्होंने उठाए हैं, तो मैं समझता हूं कि वह हर व्यक्ति जिसमें राष्ट्रीय हित के प्रति रुचि है, हृदय से इस बात को कहेगा कि वित्त मन्त्री अच्छा काम किया है।

डा० राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, में माननीय वित्त मन्त्री जी को बधाई देते हुए यह कहना चाहती हूं कि यह बजट

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

हमारी सफलता का सूचक है। गत दो वर्षों में हम ने विभिन्न काठनाइयों के बावजूद अर्थ-व्यवस्था को फिर से सही रास्ते पर लाने में सफलता प्राप्त की है। जब हमारी पंचवर्षीय योजना आरम्भ की गई थी, उस वक्त हमें बताया जाता था। कि 5 वीं पंच वर्षीय योजना समाप्त होने के बाद भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति ऐसी हालत में पहुचेगी कि हम बहुत से मामलों में अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे और आज जिन बातों के लिये जिन मुद्दों पर हम बाहर से मदद मांगते हैं, वे केवल उस सीमा तक सीमित रह गई हैं जिन की हमें देश की आर्थिक अवस्था को या औद्योगीकरण को ठीक करने के लिये जरुरत है, चाहे वे पूजी के रूप में हो या नो-हाऊ के रूप में हों। आज हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो नीति रही है, एक-एक पंच वर्षीय योजना के माध्यम से और छठी पंच वर्षीय योजना में पहुंच कर हम इस स्थिति में आये कि दुनिया के सामने हम कह सकते हैं कि हमारी जो आर्थिक योजनायें थीं, वे ठीक रास्ते पर चलीं और हम अपने देश की आर्थिक-व्यवस्था को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। किसी भी देश की जो आर्थिक योजनायें होती हैं, या आर्थिक अवस्था होती है उसका रिफलेक्शन उस के बजट में आता है, उसके सालाना-बजट में दिखाई देता है तथा आर्थिक व्यवस्था का जो लक्ष्य होता है, प्रत्येक वर्ष उस दिशा में जो कदम बढ़ाते हैं, बजट उसका द्योतक होता है।

मैं आप के सामने यह कहना चाहती हूं कि कुछ वर्षों पहले जब पं० जवाहर लाल जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा था कि किस तरह से हमारे देश में समाजवादी व्यवस्था लायेंगे, हमारे क्या आब्जेक्टिवज होंगे, आज भी हमारी सरकार जो आर्थिक व्यवस्था है, हमारे जो कदम हैं वे उन आब्जेक्टिवज को लेकर, उन लक्ष्यों को ले कर चल रहे हैं। उस समय पंडित जी ने कहा था—

> "किन्तु 'समाजवादी व्यवस्था' कहने से व्यापक रूप से हमारा क्या तात्पर्य है ? हमारा तात्पर्य ऐसे समाज से है जिसमें सभी को समान अवसर प्राप्त हो और प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा जीवन सुलभ हो। वस्तुतः अच्छे जीवन के लिये जो मानदण्ड निर्धारित है, वह उत्पादन के बिना संभव नहीं। इसीलिये हम समानता पर भेद भाव समाप्त करने पर बल देना पड़ता है और हमें इस बात को भी सदैव ध्यान में रखना चाहिये कि गरीबी से समाजवाद को विकास संभव नहीं है। समाजवाद के विकास के लिये धन और उत्पादन दोनों ही आवश्यक है।"

इस बार जो बजट रखा गया है इसमें विशेष जोर इस बात पर दिया गया है कि किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ा कर, उत्पादन को बढ़ाकर, उत्पादन के लिये वे सहूलियतें चाहे वे पब्लिक सैक्टर की हों, और विशेषकर पब्लिक सैक्टर पर जोर दिया और साथ ही साथ प्राइवेट सैक्टर पर भी, जिससे हम उत्पादकता को इतना ज्यादा बढ़ाएं कि हमारे यहां जो कुछ अभाव की स्थिति हैं या जिन क्षेत्रों में हमें कमी का अनुभव होता है, उसको हम दूर कर सकें। इस वजह से मैं इस बजट का स्वागत करती हूं।

इस बजट के अन्दर जिन बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, वे सब इस दिशा में मदद करने वाली हैं और इनमे अधिक उत्पादकता को बल मिलने वाला है। हम खास तौर पर यह देखते हैं कि हमारी योजना की जो बहुत बड़ी रकम है और जो करीब करीब 11 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था उसमें की गई है, उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम के जरिये जो गरीबों को ऊंचा उठाने की योजना है और इसके अलावा हमारे देश के बुनियादी ढांचे से संबंधित जो सेक्टर्स है, जिनको हम इन्फ्रा-स्ट्रक्चर कहते हैं, उसको तैयार करके आगे हम अपनी उत्पादन व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए भी विशेष रकम इस बजट के अन्दर रखी गई हैं। ये ऐसे कदम हैं, जिससे हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और जैसा कि प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि यह वर्ष हमारा उत्पादन का वर्ष है, प्रोडक्टिविटी इयर है, तो यह जो बजट पेश किया गया है, यह एक से प्रोडक्शन आरियेन्टेड बजट है और मुझे यह देखकर विशेष प्रसन्नता हुई कि जो 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम है, उसके हर प्रोग्राम के लिए एक विशेष रकम बढ़ाकर रखी गई है।

हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे जितनी भी अच्छी योजनाएं क्यों न बना लें लेकिन हमारी जो पापूलेशन है, हमारी जो जन-संख्या है, यह अगर बढ़ी चली जाती है, तो

चाहे बहुत ज्यादा औद्योगिक उत्पादन हम करें या चाहे जितनी भी हम तरक्की करें और आर्थिक विकास करें वह सब बढ़ती हुई आबादी के बीच में बंट जाता है और फिर प्रोग्रेस की परसेन्टेज कम लगने लगती है और ऐसा लगता है कि हम बहुत आगे नहीं बढ़े है। अभी जो लेटेस्ट सेसेरा हुआ है, उसके अनुसार हमारी आबादी करीब-करीब 68 करोड़ से कुछ ज्यादा हो गई है। इस बीच में अनेकों विकास के काम हुए है, खेती में भी तरक्की हुई है और इन सारी चीजों के बावजूद ऐसा लगता है कि अभी भी गाँवों के अन्दर 30 परसेन्ट से नीचे ऐसे लोग हैं, जिनको हम पावर्टी लाइन से नीचे के लोग मानते हैं। कहीं-कहीं पर 40 परसेंट लोग भी पावर्टी लाइन से नीचे आते हैं। बजट में जब उत्पादन बढ़ाने की बात कहते हैं, तो इसके माइने यह होता हैं कि लोगों को एम्पायमेंट देने की बात हम करते हैं और जब एम्पलायमेंट लोगों को हम देते हैं,, तो इसके माइने यह होते हैं कि हम उन लोगों को, जो आज पावर्टी लाइन के नीचे हैं, काम देने की बात करते हैं। इस तरह से उनको काम दे कर हम गरीबी से लड़ते हैं। इस वजह से भी मैं इस बजट का स्वागत करती हूं।

इस बजट में जो एक खास बात रखी गई है, वह फैमीली प्लानिंग या जो परिवार कल्याण के माम हैं, उनके हैल्थ गाइड्स की एक नई योजना है। मैं ऐसा मानती हूं कि अगर स्वैच्छिक तरीके से काम को हम कराते हैं, तो इसमें अच्छी सफलता हम को मिल सकती हैं और स्वैच्छिक तरीके से इस काम को कराने के लिए ये जो हैल्थ गाइड होंगें, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा। परिवार कल्याण के लिए हैल्थ गाइड गांव-गांव में घूम कर में शहर-शहर में घूम कर स्वैच्छिक तरीके से लोगों में परिवार कल्याण की को फैला सकते हैं, उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं।

दूसरी चीज यह है कि गांवों के अन्दर जो हमारी आबादी रहती है उसके लिए भी हमें वहां पर काम को बढ़ा कर हम वहां की अनएम्पलाएमेंट की की प्राब्लम को हल कर सकते हैं। यह अनएम्प्लाएमेंट का प्राब्लम हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ा चेलेंज है, एक सबसे बड़ी चुनौती है जिसको की हमारी सरकार को स्वीकार करना है। इस चुनौती और चेलन्ज को स्वीकार करते हुए ही हमारी सरकार ने, मैं समझती हूं, जो कम्पोनेंट प्लान की पिछले साल की हमारी स्कीम है, उसके लिए ज्यादा रकम रखी है। हरिजनों को एंप्लाएमेंट देने की जो व्यवस्था थी उसके लिए भी इस बजट में ज्यादा रकम रखी गयी है।

मैं इन सबके लिए आंकड़े नहीं देना चाहती क्योंकि उसमें समय लग जाएगा। लेकिन जो आंकड़े हैं वे बताते है कि सरकार ने इन चीजों को बहुत महत्व दिया है।

हमने यह भी देखा है कि बजट के अन्दर लघु उद्योगों के लिए धनराशि 315 करोड़ रुपये से बढ़ा कर करीब-करीब 340 करोड़ रुपये की गयी है। लघु उद्योगों से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को काफी लाभ पहुंच सकता हैं। आज हमारे देश के सामने गांवों में बेरोजगारी की समस्या है। गांवों में दो तरह के अनएम्प्लाएड युवक है। एक तो वे है जो कि पढ़े लिखे हैं और दूसरे वे है जो पढ़े-लिखे नही हैं। उनको हम ऐसे काम दे सकते हैं, जिनको कि लेबर ओरियन्टेड

स्कीम कहते हैं उनके द्वारा काफी काम दे सकते हैं। उससे हमारी काफी प्रगति हो सकती है, विकास हो सकता है। इस बजट में इस बात का ध्यान रखा गया है।

हमारा जो टुवन्टी प्वाएन्ट प्रोग्राम है, उसमें हमारा एक खास प्रोग्राम है ड्रिंकिंग वाटर का। हमारे देश में ऐसे विलेज है जहां पर कि ड्रिंकिंग वाटर की कठिनाई है वहां के लिए हम अच्छा ड्रिंकिंग वाटर देने की योजना बनाएं। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार का ध्यान इस बात पर गया है।

हमारे देश के जो समस्याग्रस्त गांव है उनके लिए भी इस बजट में काफी रुपया रखा गया है जिससे कि हमारे समस्याग्रस्त गांवों की समस्याएं हल हों ये ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा हमारे गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इस के साथ हमारी सरकार अपने देश के पिछड़े हुए हिस्सों के लिए, गरीब हिस्सों के लिए, हमारे देश के परेशान लोगों के लिए, उनकी तरक्की के लिए भी काम कर रही है। उनके के कार्यक्रम भी हमारे राष्ट्र के साकने हैं। ऐसे कार्यक्रम हैं उनके लिए विरोध तौर से आयोजन किया गया है। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए काफी बड़ी धनराशि रखी गयी है।

भारतवर्ष में जिस तरह से बड़ी जनसंख्या है, उतनी बड़ी जनसंख्या वाले चीन या एक दो और बड़े देश हैं। वहां पर भी हम जानते हैं वे देश, चीन और दूसरे देश, अपने अपने तरीके से, अपने अपने यहां प्राबलम को देखते हैं और इसकी बात करते हैं। सन् 1971 में चीन ने भी फैमली प्लानिंग को बड़े जोरों से प्रारम्भ किया और एक प्रतिशत ग्रोथ रेट कम कर पाए हैं, 1हूं-11 वर्ष में और उनकी ऐसी योजना है कि करीब 2000 में नगेटिव ग्रोथ नेनेगी और 2050 में जनसंख्या 35 करोड़ तक आ जायेगी।

इस तरह से हम देखते हैं कि हरएक देश अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना को बनाता है। भारतवर्ष में भी हमें बड़ी सच्चाई के साथ सब को मिलाकर यह कार्य करना पड़ेगा और लोगों के पास जाकर उनको समझाना होगा कि हम कितनी भी तरक्की कर लें, जब तक इस कार्यक्रम को सफल नहीं बनाते है' हम विकास नहीं कर सकेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक पीपुल्स मूवमेंट बनाकर चलेंगे, जिसमें हमारे माननीय सदन के सदस्य और जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं और सब लोग इसमें हाथ बटाएंगे और राजनीति से ऊपर उठकर जब तक इस कार्य को नहीं करेंगे, तब तक मूवमेंट नहीं बन पाएगा।

मैं समझती हूं कि समाज कल्याण या परिवार कल्याण है, इसके लिए सरकार ने'जो रकम रखी है, उसका सदउपयोग करना है और उसका सदउपयोग होगा। इसके द्वारा जो लाभ होने वाला है वह हमारे सामने अवश्य आएगा।

आज जरुरत इस बात की है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं उनके ही शब्दों में कहना चाहती हूं—"हमें जमीन के चप्पे-चप्पे से, कारखाने की हर मशीन से, हरएक मजदूर और शिल्पी से और एक-एक पैसे का पूरा लाभ उठाना है।" मैं इस बात के लिए वित्त मंत्रालय

और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं कि इस बजट में जहां एक ओर टैक्स की भरमार नहीं की गई है, वहीं इस बात की पहली बार कोशिश की गई है। हर वर्ष बजट पेश होता था और इस बात की आलोचना होती थी कि नए टैक्स लगाकर खर्चे को पूरा करने की कोशिश की गई है। इस बार बचत से और जो कैपेसिटी है, ज्यादा से ज्यादाउसी के द्वारा खर्चे को कोशिश की गई है। इन दो मुद्दो पर इस बजट पूरा करने की में विशेष जोर दिया गया हैं। एक तरफ तो मुद्रास्फीति से बचने की बात की गई है और दूसरीतरफ उत्पादन में रुकावट न आए, इन्वेस्टमेंट में कमी न आए, इन दोनों का इस बजट में ध्यानरखा गया है इस तरह से इसको बैलेंस किया गया है।

हमारे देश में कीमतें बढ़ती हैं, रुपए की क्रय शक्ति कम होता है तो उसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है, जिनकी आमदनी कम होती है। इसलिए मुद्रास्फीति को रोकने के लिए गतवर्ष भी शासन की तरफ से कदम उठाए गए और इस बार भी हमारे बजट में रखा गया है कि स्मगलर्स और अन्य जो आर्थिक अपराधी हैं, उनके विरुद्ध कड़े कदम उठाए जाएंगे। तो इसका हमारी इकानामी पर अच्छा असर पड़ने जा रहा है।

इस बजट में जहां तक हो सका है इस बात की कोशिश की गई है कि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके ऊपर इस बजट का बर्डन टैक्स के रुप में न पड़ने पाए या कीमतों के बढ़ने से उन पर वजन न पड़े। इस बात की कोशिश इस बजट में की गई है। यह एक अच्छा बजट है, एक सही एप्रोच है, एक सही दृष्टिकोण इस बजट के अन्दर रखा गया है। मैं समझती हूं कि यह समझाने की कोशिश की गई है कि यह बजट है किस के लिए ? जो बजट आप लाते हैं, जो अर्थनीति बनाते हैं, वह किस के लिए बनाते है ? किस की जरुरतों को पूरा करने के लिए बनाते हैं इन बातों को सामने रखकर और इनका समावेश करके वित्त मंत्री ने और हमारी सरकार ने इस बजट को बनाया है और हमारे सामने रखा है। मैं समझती हूं कि इससे वे आशाएं पूरी होंगी जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई थीं।

इण्टरनैशनल मानेटरी फंड से जो लोन लिया गया है उसका जो क्रिटिसिज्म उस तरफ से किया गया है उसका उत्तर माननीय चव्हाण साहब ने दे ही दिया है। मैं यही कहना चाहती हूं कि यह कोई नई चीज नहीं है। सभी देश लोन लेते हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी आई० एम० एफ० के सिलसिले मे। उसमें यह लिखा था कि समय-समय पर बहुत से शोसलिस्ट कंट्रीज ने भी बाई-लैट्रल तरीके से आपनी आवश्यकताओ के अनुसार लोन लिया है। आज अगर भारत ने लोन लिया और उसको जरूरत पड़ गई है तो इसमें नई बात कोई नहीं है। यह भी देखा गया है कि किसी देश ने तीन वर्ष लोन लेने बात की और तीसरे साल की उसको लोन जरूरत नही पड़ी तो उसने तीसरी साल लोन नहीं दिया। चार साल के लिए लेना तय किया लेकिन एक साल के बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो उसके बाद उसने लोन नहीं लिया। यह जरूरी नहीं होता है कि लिया ही जाए आखिर तक। हम जब किसी फंड मे, किसी इंस्टट्यूशन से लोन लेते हैं तो अपने हिसाब से जितना जरूरी होता है लेते है। यह हमारे सरकार की दूरदर्शिता का द्योतक है कि उसने समय रहते कदम उठा लिया है और इसको देखकर उठा लिया है कि आगे क्या आवश्यकता से हो सकती है अपने ट्रेड बैलेंस को ठीक रखने के लिए। कहीं न कहीं उसकी पूर्ति करनी थी और वह

की गई है। लेकिन उसके साथ-साथ देश के अन्दर हम पैट्रोलियम पदार्थों का, तेल का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। उसके आयात पर हमें बहुत अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही थी। इस वास्ते देश के अन्दर आयल का एक्सप्लोरेशन और अधिक कैसे किया जा सकता है, कैसे तेल के उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके, इस पर भी जोर दिया गया है। पिछले महीने पैट्रोलियम मंत्री ने यह कहा था कि हमारा अन्दाजा है कि एक हजार करोड़ रुपये की बचत शायद पैट्रोलियम पदार्थों का प्रोडक्शन बढ़ जाने के कारण और अपने यहां के रिसोर्सिस से हम कर सकते हैं। इस तरह से दोनों तरह का प्रबन्ध हमने किया है। ठीक से सारा प्रबन्ध करना एक अच्छी गृहणी का काम होता है। बजट भी क्या है ? देश की सरकार देश का बजट आय आय और व्यय के हिसाब से तैयार करती है,—आय कितनी है और व्यय कितना है इसको देखकर ही तैयार करती है। प्राइवेट बजट में और सरकारी पब्लिक बजट जो होता है उसमें थोड़ा-सा ही अन्तर होता है। जो जनहित में होता है उसको देखकर और उसको थोड़ा बढ़ाकर खर्च करने की गुंजाइश पब्लिक बजट में रहती हैं जबकि व्यक्तिगत तरीके से यह माना जाता है कि हमें कर्जा नहीं लेना चाहिए और जितनी आय हो उसी में गुजारा किया जाना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में हर देश कर्ज भी लेता है। दुनिया के किसी देश का नाम आप बता दें जिसने कर्जा न लिया हो। अगर भारत ने कर्जा लिया है और हम हमेशा कर्ज को रीपे करते आए हैं, ब्याज देते आए हैं तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया है कि कर्जा ले लिया है। यह कहना कि हमने अपनी सावरेनटी को ताक पर रख दिया है या अपनी आजादी को खतरे में डाल दिया है या डाल रहे हैं या वित्त मन्त्री से कोई मिलने आया है तो वह अपनी टर्म्ज डिक्टेट कर रहा है ठीक नहीं है और ऐसा कहने के माने यह होते हैं कि देश को बहुत छोटा करके देखा जाए या देश को बहुत छोटा करके दिखाया जाए। मैं समझती हूं कि हमारी प्रधानमन्त्री जी ने देश के गौरव को इंटरनैशनल कान्फ्रेंसिस में जा कर बढ़ाया है और भारत के सिर को ऊंचा किया है। आई० एम० एफ० लोन की बात को लेकर गलत बातें कही जाती हैं। भारत भी उसका एक मैंबर है और इस नाते हम भी उसके कंट्रीट्यूटर हैं और जो हमारे रिप्रजेन्टेटिव रहते हैं आई० एम० एफ० में उनका भी कास्टिंग वोट होता है समय समय पर। तो अगर हम उस संस्था से लोन लेते हैं तो कोई नई बात नहीं है। हमारी लौंग एसोसियेशन है, कोई नई ऐसी चीज नहीं है जिनको लेकर पार्लियामैंट मैंबर गलत बातें जनता को गुमराह करने के लिए कहें। मुझे ऐसे सदस्यों की जानकारी पर तरस आता है, उन्होंने आई० एम० एफ० के इतिहास और वर्किंग को नहीं समझा। उनको मालूम होना चाहिए कि अब तक भारत ने जो इंटरनेशनल लोन्स लिए हैं वह हमको अपनी इकोनामिक साख पर मिले है। उसी को ज्यादा कर्जा मिलता है, साधारण गांव की भाषा में समझ लीजिए, जिसकी साख होती है। जिसकी साख ही नहीं होगी उसको कौन लोन देगा ? हमने हमेशा इंटरेस्ट को पे बैक किया है। तो भारत की तरक्की के लिए, अपने ट्रेड बैलेंस को ठीक जगह पर लाने के लिए यह कदम उठाया है। पिछले शासन के समय में गलत पौलिसीज की वजह से जो सैंट बैंक देश की इकाई मापी को हुआ था उसकी जिम्मेदारी उधर बैठने वाले साथियों पर है जिनकी गलत पौलिसीज के कारण ट्रेड बैलेंस खराब हुआ। आज उसको फिर से ठीक किया जा रहा है। मैं समझती हूं यह बोल्ड काम सरकार ने किया है और इसमें पब्लिक सपोर्ट चारों तरफ से मिलने की आवश्यकता है और सदन भी इसके लिए सपोर्ट देगा।

आखिर में एक बात और कहना चाहती हूं, माननीय सुनील मैत्रा जब बोल रहे थे उन्होंने कुछ बंगाल की चर्चा की। करीब एक सप्ताह पहले मैंने उनके मुख्यमन्त्री का एक बयान अखबार में पढ़ा जिसमें उन्होंने यह लिखा कि 20 सूत्री प्रोग्राम उसको मैं कैसे समझूं कितना क्या है। हमारे बंगाल में 39 पौइंट प्रोग्राम है।

सभापति महोदय : उसमें वह 20 पोइंट है कि नहीं ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : वह मैं भी कहती हूं कि उसमें 20 पोइंट प्रोगाम है कि नहीं ? और कितना उसमें पूरा हुआ है। अभी उन्होंने वर्गा औपरेशन की बात कही, या हदबन्दी की बात कहीं, भूमि सुधार की बात कहीं। तो पहले तो बंगाल के मुख्यमन्त्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम को समझने की कोशिश ही नहीं की, और सूबे के इतने जिम्मेदार आदमी होकर वह अपने 36 मौइंट प्रोग्राम को राष्ट्रीय 20 सूत्री प्रोग्राम के बीच में इस तरह से ला करके रखते हैं यह साबित करते हैं कि वह कितने सीरियस है इस तरह के राष्ट्रीय प्रोग्राम के साथ में। कम से कम उनको अच्छे प्रोग्राम के साथ, जबकि वह प्रोग्रेसिव पार्टी के व्यक्ति हैं, उसके साथ अपने आपको एसोसिएट करना चाहिए। 20 सूत्री प्रोग्राम में कोई एक प्रोग्राम बता दिया जाय जो गरीबों के लिए नहीं है।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि आपकी अपील पर वह जरूर ध्यान देंगे। अब आप कृपया समाप्त करें।

वर्गा आपरेशन की बात जहां तक है, इसकी मुझे जानकारी है, इसके पीछे हम लोगों ने और दूसरे सूबों में जो भी सीमा की हदबन्दी और भूमि की हदबन्दी की और जमीन के लोगों को सब अधिकार दिये, सब स्टेट्स के लोगों ने यह किया, कई राज्यों में यह हुआ, लेकिन बंगाल में जो खास तौर से एक तरीका बनाया गया और इस वर्गा मूवमेंट के पीछे इतने लोगों की जानें गईं, इतने लोगों का मर्डर और किलिंग हुई है कि जिसका कोई अन्त नहीं है। वर्गा मूवमैंट क्या है, जब खेत में अनाज काटकर लाते हैं·····

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : अब आप समाप्त करें, आपने काफी कह दिया है।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : ठीक है। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि हमारे वैस्ट बंगाल के भाई, जो अपने को बहुत प्रोग्रेसिव कहते हैं, 20-प्वाइन्ट प्रोग्राम में साथ देंगे, उसमें उनको कोई गलतफहमी नहीं चाहिए।

श्री बी० आर० नहाटा (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से यथा जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है—बजट एक ऐसा प्रलेख है जिसमे सरकार की नीति, भविष्य के प्रस्तावित कार्यक्रम परिलक्षित होते हैं और जिसमें पिचली सरकार के पिछले कार्य-निष्पाद न की तुलना होती है। बजट के इस विस्तृत संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि जनवरी 1980 के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार के बजट को इस सरकार के वित्त मंत्री द्वारा सफलतापूर्बक प्रस्तुत

किया गया है। यह तीसरा बजट है और हमारे वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया यह पहला बजट है।

महोदय, जिस संदर्भ में यह बजट प्रस्तुत किया गया है, उस संदर्भ में तीन वर्ष पूर्व हमारी आर्थिक स्थिति और संरचना लड़खड़ाती हुई थी। मैं अधिक आंकड़े नहीं देना चाहता किन्तु तुलना के लिये ऐसा करना आवश्यक हो जाता है। देश का सकल राष्ट्रीय उत्पादन 4.5 प्रतिशत घट गया था; औद्योगिक उत्पादन 1.4 प्रतिशत कम हो गया था और वैगन की निकासी का 12.96 से बढ़कर 16.4 दिन हो गया था (व्यवधान)।

अब मै इसके बारे में बतलाऊंगा जो हमने इन दो वर्षों में किया है। असाधारण प्रगति हुई है। अपने बजट के माध्यम से हमने एक निश्चित दिशा निर्धारित की है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृव में हमारी सरकार ने और हमारे वित्त मन्त्री ने गतिविधि की एक निश्चित रेखा निर्धारित की जिसके द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम एक निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं है अपितु प्रशासन को भी सुधारना है। हम स्थिति और वितरण प्रणाली को सुधारने चाहते हैं ताकि पहले से चले आ रहे शोषण की समाप्त किया जा सके और हम समग्र राष्ट्र को खुशहाल बना सकें।

महोदय, एक अच्छे बजट के तीन मूल तत्व होते हैं। प्रथमतः अधिक उत्पादकता होनी चाहिये। हमारी प्रधान मन्त्री ने इस वर्ष को "उत्पादकता वर्ष" घोषित किया है। यदि उत्पादन अधिक होगा, तभी बेहतर वितरण करना, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम करना तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना हमारे लिए संभव हो सकेगा। इसके बिना यह संभव नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रयोजन के लिए हमारे वित्त मन्त्री ने बजट में व्यवस्था कर ली है। पूर्ववर्ती व्यवस्था की ओर ध्यान दें। गत वर्ष हमारी योजना का परिव्यय 8,900 करोड़ रुपये था। किन्तु इस वर्ष के लिए 11,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बेहतर उत्पादन, अधिक राष्ट्रीय आय सृजित करने तथा अपनी जनता के लिए अधिक रोजगार की व्ययस्था के लिए ही बजट में अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। महोदय, यह तभी सम्भव हो सकेगा जबकि पूंजीगत निवेश अधिक हो। पूंजोगत निवेश की वृद्धि को भी ध्यान में रखना होगा। तीन प्रमुख समस्याओं के बावजूद, जिनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, योजना परिव्यय में यह वृद्धि हुई है। पहली समस्या जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है वह है पेट्रोल और पेट्रोल से उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि। इससे हमारी विदेशी मुद्रा असन्तुलित हो गई है। हमारी विदेशी मुद्रा राशि उत्तरोत्तर घटती जा रही थी। दूसरी समस्या, जो आज हमारे समक्ष है, वह है रक्षा की समस्या। आज सभी जगह लोग रक्षा के महत्व की चर्चा करते हैं; हमारे विरोधी मित्रों ने देश की समुचित रक्षा की बात कही है। हम सभी इस बात से सहमत है कि अपने देश की सुरक्षा अत्यधिक आवश्यक है और इसको सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। सुरक्षा हर कीमत पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। रक्षा के लिए गत वर्ष 4,600 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष बजट में 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हमारी आन्तरिक समस्यायें भी है। असम की समस्या बनी हुई है। हमारे

तेल शोधक कारखाने बन्द थे तथा और भी अनेक समस्याएं थीं जिनका हम पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन सभी बाधाओं के बावजूद देश की प्रगति, समृद्धि और शान्ति के लिए बजट में वास्तव में एक निश्चित दिशा दी गई है। इसके लिए मैं वस्तुत. अपने माननीय वित्त मन्त्री तथा अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने देश की भविष्य की समृद्धि और बेहतर प्रगति की शक्तिशाली आधार-शिला रखी है।

महोदय, केवल योजना आवंटन ही नहीं बल्कि राशि का समुचित उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में ध्यान देना आवश्यक है। निवेश का उपयोग ऐसे क्षेत्र में किया जाना चाहिये जहाँ उसका उपयोग सस्ती दर पर और कुशलतापूर्वक वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाए तथा जहां अवसंरचना उपलब्ध हो। इस सम्बन्ध में मैं छठी पंचवर्षीय योजना के प्राक्कथन को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था—

> "आर्थिक उत्पादन निश्चित रूप से संतुलित होनी चाहिये। इसमें आत्म-विश्वास, स्थिरता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। सभी वर्गों को यह आश्वासन होना चाहिए कि उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जिस समाज में उसके गुणों को समुचित आदर नहीं दिया जाता वह समाज समृद्ध नहीं हो सकता।"

एक विकासशील राष्ट्र को अपने साधनों का उपयोग उत्पादन, क्षमता बढ़ाने तथा अधिक बचत बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में अपनी पूंजी के आधर पर समुचित निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए।

बढ़े हुए उत्पादन और बढ़ती हुई बचत के अन्तर्क्षेत्रीय संतुलित आवंटन से विकास को संबर्द्धन मिलता है और इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति होती रहती है। हमारी प्रधान मन्त्री ने जो मार्ग-दर्शन दिये हैं और उन्हें व्यवहारिक रूप दिया जाना चाहिए। स्थिरता बनाये रखना और उत्पादन को बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं : प्रथमत: कुशल प्रबन्ध होना चाहिए; उत्पादन की लागत कम होनी चाहिए। किन्तु इससे कार्य-कुशलता का ह्रास नहीं होना चाहिये। हर परिस्थिति में लागत पर नियन्त्रण रखा जाना चाहिये। मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिये यह आवश्यक है। मुद्रा-स्फीति एक बुरा रोग है। यदि इसे नियन्त्रित न किया गया तो यह समग्र आर्थिक लाभ हड़प कर जायेगी। इस सम्बन्ध में आपके विचारार्थ में तीन-चार तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं। विकास इस प्रकार किया जाये कि राज्यों में और क्षेत्रों में पारस्परिक असन्तलुन न हो। किन्तु महोदय, योजना राशि के आवंटन का क्या आधार होना चाहिये ? माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान मैं एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं वह है उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में है। बड़े उद्योग अपने उद्योग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा इत्यादि जैसे पिछड़े राज्यों में स्थापित करते हैं। किन्तु वे अपने मुख्यालय बम्बई, मद्रास, दिल्ली और कलकत्ता जैसे महानगरों में रखते हैं। सरकारी नीति के अनुसार जिन राज्यों में इन उद्योगों के मुख्यालय स्थित हैं उन राज्यों से प्राप्त आय के आधार पर आयकर

अंश का आवंटन किया जाता है न कि उन राज्यों के आधार पर किया जाता है जिन राज्यों में ये कारखाने स्थित है। ये राज्य उल्लिखित निर्धन अविकसित राज्यों की सस्ती बिजली, भूमि, पानी आदि का उपयोग करते है। उन्हें आयकर तथा अन्य नियमित करों का समुचित भाग प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार उन्हें दोहरा घाटा होता है इन राज्यों का योजना परिव्यय नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि उनके आन्तरिक संसाधन नहीं बढ़ाये जा रहे हैं। किन्तु इन पिछड़े राज्यों से ये सस्ता जल संसाधन, सस्ती बिजली, सस्ती भूमि और प्रत्येक वस्तु का उपयोग करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन पिछड़े राज्यों का योजना परिव्यय बढ़ाने तथा आन्तरिक संसाधन बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि आय-कर और अन्य नियमित करों की राशि का भाग उन राज्यों को दिया जाये जहां ये कारखाने स्थित हैं न कि उन स्थानों को जहां इन उद्योगों के मुख्यालय स्थित हैं।

दूसरी बात, जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह है कि उद्योग ऐसे स्थानों पर स्थापित किये जाने चाहिये जहां अवसंरचना उपलब्ध हो और अवसंरचना से मेरा तात्पर्य विद्युत, भूमि और कच्चे माल से है तथा क्षेत्र के पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। उदाहरण के तौर पर मैं अपने राज्य, मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहूंगा। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का राष्ट्रीय औसत 48 प्रतिशत है जबकि मेरे राज्य में 57.72 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है। रेल मार्ग के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के मामले में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर वर्ग मीटर के 1.9 कि० मी० राष्ट्रीय औसत मार्ग की तुलना में उस राज्य में 1.3 मी० रेल मार्ग है। मेरे राज्य की प्रति व्यक्ति आय 828 रुपये है जबकि राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 1379 रु० है। मैं अनेकों आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं जिससे कोई भी यह कह सकता है कि मध्य प्रदेश तथा अनेकों अन्य राज्य पिछड़े राज्य हैं। किन्तु इन राज्यों की शक्तियों की ओर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। महोदय, मानव शरीर के हृदय के समान मध्य प्रदेश देश के हृदय के समान है। यदि वही कमजोर और रुग्ण रहेगा तो सम्पूर्ण शरीर अस्वस्थ रहेगा। मध्य प्रदेश हृदय के समान हैं और इसकी देखभाल भली प्रकार की जानी चाहिये ताकि सम्पूर्ण देश पर बुरा असर न पड़े।

अब यदि मध्य प्रदेश की क्षमताएं देखें तो ये देश की कुल क्षमताओं का 26.5 प्रतिशत इसका खनिज उत्पादन 16.8 प्रतिशत है इसका चूने के पत्थर का उत्पादन सर्वाधिक राष्ट्रीय उत्पादन का 23 प्रतिशत है। डोलामाइट उत्पादन 23 प्रतिशत है और प्रत्येक क्षेत्र में हम सक्षम है, परन्तु इसके बावजूद यह राज्य सर्वाधिक पिछड़े राज्य के रूप में ही बना हुआ है, संचार क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई है कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ है, इन परिस्थितियों में ऐसी उम्मीद कैसे की जा सकती हैं कि उत्पादन लागत कम और राष्ट्रीय सम्पदा में वृद्धि हो, अतः यह अन्यावश्यक हैं कि इन पिछड़े राज्यों को विकास के लिए पर्याप्त अनुदान राशि आवंटित की जाए, इससे न केवल राज्य की अपितु सम्पूर्ण देश की भी प्रगति होगी। यहां पिछड़े राज्य के सम्बन्ध में मैं मध्य प्रदेश का ही उल्लेख किया है लेकिन कुछ अन्य राज्य भी है जहां बड़ी मात्रा में कच्चे पदार्थ और मूलभूत सामग्रियां उपलब्ध है पर ये राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं। ऊर्जा मन्त्री के उत्तरों की जानकारी है। उन्होंने कुछ समय पहले यह उल्लेख

किया था कि मार्च 19[illegible]1 के अन्त तक प्रदेश में एक यूनिट विद्युत की उत्पादन लागत 12.90 पैसे हो जाएगी, जबकि बदरपुर में प्रतियूनिट उत्पादन लागत 30.58 पैसे है। क्या आप विद्युत उत्पादन लागत के इस 2/1/2 गुने अन्तर की कल्पना कर सकते है। देश को इतनी उच्च विद्युत उत्पादन लागत क्यों वहन करनी चाहिए ?

महोदय यह कहा गया है कि लगभग 1900 कोयले की वैगन विद्युत परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों को भेजे जाते हैं यह नीति अपनाई गई है कि हमारी विद्युत परियोजनाएँ विद्युत पारा केन्द्रों में हो जहां अधिक ऊर्जा की खपत है। आर्थिक वृद्धि और मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए हमें कोयला खानों के मुहानों से दूर विद्युत भार केन्द्रों में विद्युत परियोजनाएँ स्थापित करने की नीति बदलनी होंगी। हम इसे बदल क्यों नहीं सकते ट्रांसमिशन लाइन 200 से 500 कि० वा० करने और डी० सी० प्रणाली अपनाने से विद्युत ट्रांसमिशन कोयला-परिवहन से अधिक सस्ता पड़ेगा।

बिजली की उत्पादन लागत तीन कारणों से अधिक है- पहला कोयले के परिवहन की लागत अपेक्षाकृत अधिक है : इससे भारतीय रेलवे और परिवहन प्रणाली पर बड़ा बोझ पड़ता है। दूसरा कारण विद्युत भार का पहलू है और तीसरा तथा मुख्य कारण अक्षयता है इन तीन कारणों से हमें सस्ती ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती, यदि ऊर्जा लागत परिवहन लागत कम करके उत्तम दक्षता और उच्च विद्युत भार के द्वारा कम की जाए तो हमारी उत्पादकता बढ़ेगी सम्पूर्ण राष्ट्रीय सम्पदा बढ़ेगी और सर्वव्यापत आर्थिक कमियां दूर की जा सकेंगी, तथा अर्थ-व्यवस्था मजबूत होगी। अत: मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास हो तो हमें राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों के अनुसार कोयला खानों के मुहानों पर विद्युत परियोजनाएँ स्थापित करने की बात सोचनी चाहिए।

अब जल विद्युत प्रणाली की क्या स्थिति है ? मध्य प्रदेश की क्षमता कुल राष्ट्रीय क्षमता का 11.5 प्रतिशत हैं लेकिन हमने इसमें से मात्र 1 प्रतिशत ही हासिल की है। मुझे इसकी जानकारी नहीं कि उच्च जल-विद्युत क्षमता में राष्ट्रीय आधार पर वृद्धि क्यों नहीं की गई।

सभापति महोदय (श्री हरीशनाथ मिश्र) : इसका एक कारण यह है कि आप यहां पर जोर से चिल्ला कर अपनी बात कहने में असमर्थ रहे।

श्री बी० आर० नाहाटा : समस्या यह है कि लोगों द्वारा अपनी इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है।...

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : मेरा अभिप्राय यह है कि इस शक्ति का प्रयोग अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय किया जाये। आपको इसे निश्चात्मक और विश्वस्त तरीके से करना चाहिए।

श्री बी० आर० नाहाटा : महोदय, भारत को अधिक सीमेंट इस्पात और विद्युत की

की आवश्यकता है जैसा कि अन्य सम्मानीय सदस्यों ने बताया है। सम्पूर्ण विश्व में ऊर्जा संकट है।

डा० सारदिश राय : सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : आप कृपया अपनी सीट पर बैठे रहे। घन्टी बजाई जा रही है।

...अब गणपूर्ति पूरी है। सम्माननीय सदस्य अपना कथन जारी रखें।

श्री बी० आर० नाहाटा : तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक उद्योगों का विकास ऐसे स्थानों पर किया जाए जहां उत्पादन लागत कम आए और लोग निर्धन हों। दूसरा तथ्य जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह सिंचाई लागत है पांचवी योजना में सिंचाई में प्रति हैक्टर विकास लागत 6400 रु० या इसके लगभग थी।

लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में यह 14,800 रु० प्रति हैक्टेयर तक पहुंच गई। यदि इसे पहली पंचवर्षीय योजना से इस अवधि तक लें तो आप देखेंगे कि यह वृद्धि इतनी अधिक है कि इस पर गंभीर रूप से विचार करने की जरुरत है।

अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए, वित्त मन्त्री ने अधिक राशि आवंटित कर, अधिक संसाधन उत्पन्न कर और विकास के लिए अधिक सुअवसर प्रदान कर बहुत अच्छा कार्य किया है लेकिन इसे व्यावहारिक रूप देना होगा, और ऐसा दो तरीकों से किया जा सकता है। एक यह है कि परियोजनाओं की लागत कम की जानी चाहिए, परियोजनाओं के पूरा होने की अवधि भी घटाई जानी चाहिए। और यह इस प्रकार किया जाए कि सम्बद्ध व्यक्तियों पूर्ण उत्तर-दायित्व निश्चित किया हो। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि परियोजना रिपोर्ट में कोई कमी हो सकी है या इसके क्रियान्वयन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। अतएवं इसके लिए सकारात्मक उत्तरदायित्व निश्चित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में जो भी लक्ष्य उल्लिखित हों और परि-योजना रिपोर्ट में अनुमान किए गए हो पूंजी परिव्यय और लक्ष्यों की दृष्टि से परियोजना रिपोर्ट और प्राप्त लक्ष्यों के अन्तर इन सबकी जांच करनी चाहिए और ऐसा हम परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और क्रियान्वयन में पर्याप्त निगरानी को वैज्ञानिक तरीके अपनाकर ही कर सकते है।

महोदय सिंचाई पर प्रथम (सभी पांच योजना) पंचवर्षीय योजनाओं में कुल राशि मुश्किल से 4,900 करोड़ रुपये की जिसके बजाए हमने 6740 करोड़ रुपये खर्च किये और हमें अपेक्षित लक्ष्य-प्राप्ति नहीं हुई। परन्तु लघु सिंचाई क्षेत्र में मात्र 2200 करोड़ रुपये उपलब्ध किए गए। एक-तिहाई लागत में प्राप्त क्षमता-मुख्य और मझौली परियोजनाओं द्वारा प्राप्त क्षमता के बराबर थी। ऐसा क्यों हुआ। इससे स्पष्ट है कि छोटी सिंचाई कार्य देश के लिए अधिक लाभप्रद हैं। महोदय, यदि आप औद्योगिक क्षेत्र में इसके लाभ-पक्ष को देखें तो हमें इसके दो लक्ष्य प्राप्त होते हैं। निजि क्षेत्र की कुछ फैक्टरियां इससे कमा रही हैं जबकि अन्य नुकसान उठा रही हैं जहां कोयले की दो यूनिटें लाभ कमा रही हैं अन्य दो को हानि हो रही है। यही स्थिति उर्वरक यूनिटों की है। इसकी एक या दो कम्पनियां लाभ कमा रही है, अन्य एक

या दो अपनी महत्ता खो रही हैं। यह सब नियंत्रण के न होने से हो रहा है। अलग-अलग मुद्दों के आधार पर कोई उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया गया है। अतः अधिक राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि के लिए यह अनिवार्य है कि हम येन-केन-रुपेण उत्तरदायित्व निश्चित करें और अपनी आन्तरिक संसाधनों और लाभप्रदता वृद्धि के लिए उपाय और साधन ढूढ़ें।

मैं अन्तिम मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं। यद्यपि यह स्वीकार्य है कि लाभप्रदता में वृद्धि की हो; उत्पादन में वृद्धि हो पर एक बात और है जो इतनी ही महत्वपूर्ण है। वह यह है कि वितरण प्रणाली में पूर्णतः सुधार होना चाहिए जब तक वितरण प्रणाली की जाँच न का जाये और उसे सुचारु न बनाया जाये, तब तक हमारी समस्याएँ हल नहीं हो सकती या 20 सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्यों जिसका प्रयोजन विकास करना और गरीब लोगों की मदद करना है कि प्राप्ति नहीं होगी।

इसी तरह न्याय करने की प्रणाली की भी जाँच होनी चाहिए। और हमारे पास चाय करने की एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें शीघ्र न्यायिक निर्णय मिल सके और काला बाजारियों, जमाखोरों, तस्करों और असामजिक तत्वों को लोहे की सलाखों के अन्दर दिया जा सके और उन पर शीघ्र न्यायिक निर्णय लिए जाएँ। यदि ऐसे उपाय किये जाए तो हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट में उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकेगी और हम यथा शीघ्र लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : जनाबेवाल, मैं आपका मशकूर हूं कि आप ने मुझे बोलने के लिए वक्त दिया।

जहां तक इस बजट का ताल्लुक है, यह बहुत वजूहात से काबिले तारीफ बजट है। एक वजह तो यह है कि पहली बार यह हुआ है कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने बजट बनाने से पहले बहुत से ऐसे अनासिर जो हमारी सोसाइटी में अहम हैं, जिनका रोल सोसाइटी में बहुत अहम हैं, उन सब लोगों से मुलाकातें की। उसमें दानिशकर भी थे, उसमें ईन्डस्ट्रियालिस्ट्स भी थे और उसमें लेबर के लोग भी थे। इस तरह से जितने भी जरूरी एलिमेंट्स थे, उन सब मिनिस्टर साहब ने डिस्कशन किया और सब की राय लेकर यह बजट बनाया है। यह काम पहली दफा इन्होंने किया है और इसलिए भी यह बजट काबिले तारीफ है। एक बात को छोड़ कर इन्होंने जो पुरानी पालिसी जो दो साल से चल रही है जबसे हमारी सरकार फिर से वजूद में आई है, उसको कन्टीन्यू रखा है। एक प्वाइन्ट पर इन्होंने डिवियेशन किया है और वह अपोजीशन की नुक्ताचीनी का ख्याल करते हुए किया है। उन्होंने यह इतजाम लगाया था कि किसी के दबाव में आकर हम अपनी पालिसी बना रहे हैं और इसकी वजह से इन्होंने थोड़ा सा डिवियेशन किया है वह डिवियेशन इन्कमटैक्स के रेटों में हैं बाकी जो हमारी पुरानी पालिसी थी, उसको कन्टीन्यू किया है। इस वजह से भी यह बजट काबिले-तारीफ है कि इसमें दो बातों को मद्देनजर रखा गया है।

एक तो यह है कि पैदावार का इजाफा कैसे हो सकता है चाहे वह दस्तकारी की पैदावार हो, चाहे सनअती पैदावार हो और चाहे जरई पैदावार हो। इसको ध्यान में रखा गया है और

दूसरा यह भी है। कि सरमायाकारी कैसे हो सकती है और उस में लोगों को कैसे इनवोल्व किया जा सकता है। इस तरह से इस बात पर तवज्जह दी गई है कि मुल्क के अन्दर ज्यादा से ज्यादा सरमाया जमा हो और मुल्क आगे बढ़ सके। यह जो एफर्ट कैपिटल फार्मेशन के लिए किया गया है, उसमें इस बात कों भी कोशिश की गई है कि मिडिल क्लासेज को इसमें इनवोल्व किया जाए और उसके लिए खासकर सोशल से यूरिटी सर्टीफिकेट वगैरह जारी करक ही कदम उठाया है बहुत से कंसेशन्स देकर इन्होंन जो बचत की विचारधारा को मजबूर करने के लिए कदम उठाये है, वे काबिले-तारीफ हैं।

इस बजट में मिनिस्टर साहब ने यह भी रखा है कि जो रिवाइज्ड 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम है, उसको कैसे इम्पलीमेंट किया जाए और उनके लिए इन्होंने काफी रकूमात मुहैयया की हैं। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए इन्होंने दो बातों का ख्याल रखा है। टैक्सों में कन्सेशन्स भी दिये और टैक्स लगाते समय भी उन्होंने यह देखा है कि हम इस प्रोग्राम को कैसे इम्पलीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने जो कोशिश की है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, उतनी कम है।

इन्होंने यह भी कोशिश की है कि जो अवाम के इस्तेमाल की चीजें, उन पर कोई टैक्स न रहे जो चीजें आम लोग इस्तेमाल करते हैं ऊपर की क्लासेज को और और मिडिल क्लास और सरमायादार लोगों को छोड़कर, उनके बारे में दो बातें उन्होंने की हैं। एक तो उनकी पैदावार ज्यादा बढ़े और दूसरे यह कि ठीक दामों पर वे आम लोगों को मिलें और उनकी तकसीम भी ठीक ढंग से हो, इसकी कोशिश इन्होंने की है। जहां तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक है, उसके लिए जो रकम रखी गई है, उसके बारे में यह एतराज किया गया है कि इसको बढ़ाया जाए। अगर उस रकम का बढ़ाना जरूरी हुआ, तो वह बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि इतना विशाल हमारा देश है इतना अजीम हिन्दुस्तान का मुल्क है और लम्बाई चौड़ाई में यह बहुत वसी है, इसमें पहाड़ी इलाकों में या दूर-दराज इलाकों में लोग रहते हैं, उन सब को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ही चीजें दी जाएं, तो यह नामुमकिन है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से सब लोगों को चीजें वही दी जा सकती हैं, जहां पर एजुकेशन प्यूलेशन इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जिन लोगों ने हमारा विधान बनाया था और प्लानिंग सिस्टम कायम किया था, उन्होंने तीन सेक्टर रखे थे।

उन्होंने तीनों सेक्टर्स को रखा है। उन्होंने पब्लिक सैक्टर पखा है भी और प्राइवेट-सैक्टर को आप्रेटिव सेक्टर से भी पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम लेकिन हम सभी जानते हैं और जैसा कि हमारा तजुर्बा है कि पब्लिक डिस्ट्रब्यूशन और कोआप्रेटिव सेक्टर भी सभी जगह नहीं पहुच सकते हैं।

तीसरे यह है कि हमें प्राइवेट ट्रेड को कंट्रोल करना है, उससे हमें कम्पीट करना है। उसमें स्टेट की जिम्मेदारी भी है, बदकिस्मती की बात है कि जो दूरदराज के रहने वाले लोग हैं, जिनकी आमदनी कम है, जिन पर की डवलपमेंट का और इन्फलेशन का बोझ पड़ रहा है उनको हम सस्ती कीमतों पर चीजें मूहैया नहीं कर सकते यह एक भारी प्राब्लम है। प्राइसिज

तो कम करना मुश्किल है क्योंकि सारी दुनिया में ये बढ़ रही हैं मगर उनमें ठैहराव लाने के के उपाय जरूर करना चाहिए ।

हमारे फ इनेन्स मिनिस्टर साहब ने, गवर्नमेंट आफ इंडिया जो एक्सपर्टस कमेटी मुकर्रर की थी उनकी रिपोर्टों की जो फाइंडिंग्स है वे इस बजट में रिफ्लेक्टिड है । उनका हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फायदा उठाया है । कुछ और भी ऐसी बातें है जिन पर के हमारे एक्सट्रपंस को और स्टडी करनी पड़ेगी । मैं यह जरूरी समझता हूं ।

यहां पर कहा गया कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को हम इस बजट से आगे नहीं बढ़ा पायेंगे बल्कि कमी हो सकती है हमारे ही क्या किसी भी मुल्क के बजट को आप देख लीजिए सारे साल का पूरा खर्च उसमें आना या लाना मुमकिन नहीं । महदूद रखा जाता है । साल के दौरान ज्यों-ज्यों और जरूरत पड़ती है, उसके लिए रकम मुहैया हो जाती है जो लोग आज इस बात की नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उसको जानना चाहिए कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को स्टेट्स को चलाना है और स्टेट्स के बजट में भी यह रिफ्लेक्ट होगा, इसके लिए प्रोविजन होना जरूरी है ।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : जो नुकताचीनी करने वाले हैं वे तो करीब करीब यहां पर नहीं हैं ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : वे लोग तो नुक्ता चीनी करने के लिए यहां आते हैं । मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे डवलप होगा, इसके लिए वे नही आते। इसीलिए हमारी प्राइम मिनिस्टर ने ठीक ही कहा है कि वे कोई आल्टनेटिव प्रोग्राम जनता के सामने नहीं रखते है । जब उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है और हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसलिए भी वे यहां से चले जाते हैं ।

किसी कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेट स्टेट्स की जो प्राबलम हो तो यह बहुत शोर मचाते हैं जब उनकी स्टेट की प्राबलम आती है तो उस पर बात नहीं करने देते बाकी स्टेट्स की जो प्राब्लम हैं उनकी वे नुक्ताचीनी करते हैं । उनकी स्टेट की जब बात आती है तो कहते हैं कि वह रिजर्व्ड सब्जेक्ट है, उनमें सेन्टर गवर्नमेंट उसकी तरफ देख नहीं सकती जब तक केरल उनके कब्जे में था, तब तक हम उसकी बात नहीं कर सकते थे । जैसे ही ये वहां से हटे, तो वहाँ के मुतल्लिक भ यहां हर दिन बात करने की कोशिश की जाती है । मैं किसी स्टेट की नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता हूं लेकिन जब वे बाकी स्टेट की नुक्ताचीनी करते हैं तो उनकी स्टेट की कोई नुक्ताचीनी करता है, या उनको स्टेट को डिस्कश करता है तो उस पर उनका शोर मचाना उचित नही है"

मैं जनाब अर्ज कर रहा था कि हमारे बजट में बहुत सारी अच्छी बातें हैं जिससे कि यह बजट काबिले तारीफ है ।

इस में आप देखेंगे कि हमारा जी•एन•पी बढ़ा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है। हमारे प्रायोरिटी सेक्टर में भी कितनी वृद्धि हुई है । उसके लिए हम आगे क्या करना चाहते हैं वह सारा का सारा बजट के अन्दर नजर आ रहा है और बजट में सब कुछ दिया हुआ है ।

इसमें 20 सूत्री प्रोग्राम के बारे में भी पूरा जोर दिया हुआ है। यह भी एक काबिले तारीफ बात है। इससे भी ज्यादा काबिले तारीफ बात यह है कि इसमें डिफेंस नीड्स के लिए एडीक्वेट प्रोविजन किया गया है। उसके बावजूद हमारा अनकवर्ड डेफिसिभी या खसारा बहुत कम है। हमारे भाइयों को जहाँ उन्होंने इसकी नुक्ताचीनी की वहाँ कमसे कम इस बात की तो सराहना करनी चाहिए थी कि यह बहुत अच्छी कोशिश है और इस कोशिश की हम कद्र करते हैं।

बहुत-सी बातों की नुक्ताचीनी की जा सकती है और नुक्ताचीनी करनी चाहिए मगर वह कंस्ट्रकटिव होनी चाहिए। हमारे प्रो० दण्डवते जी ने भी रेलवे बजट की नुक्ताचीनी की थी लेकिन उसमें उनकी कंस्ट्रक्टिव और क्रियेटिव अप्रोच थी उसमें उन्होंने कोशिश की थी कि अपने तजुर्बे का फायदा वे हमारे रेल मंत्री जी को दें और हमारे रेल मंत्री जी के कामों में मदद करें। और इस बैकग्राउंड को प्रोजेक्ट करते हुए सजेशंस दिए, वो तो समझ में आते हैं और मैं समझता हूं कि उनको अमल में भी लाया जाना चाहिए। नेशन की प्राब्लम्स में नेशन कांसेसस होनी चाहिए।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि आपकी तकरीर को प्रोफेसर साहब एप्रीसिएट कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : आज सुरक्षा की दृष्टि से देश को बहुत खतरा है। मैं जिस स्टेट से आता हूं उसके बारे में खासकर मैं कहना चाहता हूं। जितनी भी लड़ाइयां हुई, पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से कोई हमला नहीं किया। उनको लड़ने के लिए मजबूर किया गया और मजबूर किसने किया यह आप सब जानते ही हैं। आज भी पाकिस्तान में खतरनाक हथियार जमा किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जंग न हो, लेकिन फिर भी यदि जंग हो जाता है तो मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार रहना जरूरी है। हमने जीता हुआ इलाका वापिस कर दिया, शिमला समझौते पर हम आज भी कायम हैं, इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है हमने यह भी यकीन दिलाया है कि हमारी तरफ से हमला नहीं होगा। हमारी प्रधान मन्त्री ने उन्होंने कहा कि आपसी समस्याओं को हल करने के लिए कमीशन बनाना चाहिए, यह पेशकश उस वक्त की जब उनके विदेश मन्त्री आए हुए थे, इस सबके बावजूद उन्होंने फिर किए किराये पर पानी फेर दिया "जंग वेदी की बातों को छोड़ विदेशी अदारों में कश्मीर और की बातें शुरु कर दी ठीक नहीं कहा जा सकता। मैंने पहले भी कहा था कि यह "नो वार फैक्ट" का आफर कश्मीर के इशू को रीवर्डब करने के लिए तो नहीं है। उनकी यहां कोशिश है कि कोई न कोई और कहीं न कही शुरुआत की जाए। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमें तैयार रहना होगा। मुल्क की हिफाजत की पूरी तैयारी करनी होगी इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं कि जितनी जरुरियात हैं, उसके मुताबिक प्राविजन करते हुए भी खसारे को काबू में रखा गया है।

कैपिटल फारमेशन का जहां तक ताल्लुक है, इसके लिए दो तरह से कोशिश की गई है, एक तो सोशल सिक्यूरिटी सर्टिफिकेट्स और दूसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाण्ड तीसरे टैक्सेस में रियायतें दी गई हैं...।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री गिरधारी लाल डोगरा : क्या बात है, आपने तो आते ही घड़ी को देखना शुरू कर दिया ?

आपने आते ही घड़ी को देखना शुरु कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह देख रहा था कि मेरी घड़ी का समय उस घड़ी से मिल रहा है या नहीं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : यह सदा मेरी किस्मत रही है कि आप आते ही घड़ी को देखना शुरु कर देते हैं और घंटी बजाना शुरु कर देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको कितना समय लेना है ?

श्री गिरधारी लाल डोगरा : पन्द्रह मिनट और

उपाध्यक्ष महोदय : पन्द्रह मिनट और ? ठीक है।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : उपाध्यक्ष महोदय, मै निवेदन कर रहा था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो प्रोविजन रखा गया है। वह बहुत अच्छा प्रोविजन है और हमारे नए बीस सूत्रीय कार्यक्रम के मुताबिक है, लेकिन हिलो एरियाज के लिए जो 95 करोड़ का प्रोविजन किया गया है वह बहुत कम है। आप हिन्दुस्तान के नक्शे को देखें तो पता लगेगा कि हिली एरियाज बहुत ज्यादा है। सारे का सारा बार्डर चाहे लद्दाख में हो, जम्मू कश्मीर में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे यू. पी. में हो, चाहे बिहार में हो, आसाम में हो, ईस्टर्न स्टेट्स में हो, इतना बड़ा हिली एरिया है और उसके लिए 95 करोड़ रुपये की रकम बहुत मामूली है। बार्डर फेरिया के लिए कोई रकम ही नहीं रखी है। गुजरात, पंजाब जम्मू, कश्मीर के बार्डर आमतौर पर एक्टिव रहते हैं चाहे हिली एरियाज की बार्डर पापुलेशन हो या दूसरे एरियाज की जब तक उनको पूरी सहूलतें देकर उनको मजबूर न किया जाय, देश की हिफाजत नही हो सकती। दूसरे एरियाज के लिए तो कुछ रखा ही नहीं गया है, इनका विशेष ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है।

जब तक लोग कंटैंटिड न हों, अपने घर के साथ उनकी मुहब्बत न हो, उनके रहन सहन को आप सुखी न बनायें और जब तक वे यह न सोचें कि उनको अपने घरों को नहीं छोड़ना है तब तक डिफैंस के लिहाज से उस इलाके को डिफैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1947 से लेकर मुझे अनुभव है। तब तबाहकारी हुई थी। उजड़े हुए इलाकों को आबाद कराने का सवाल आया और तब मैं वहां मिनिस्टर था। डिफैंस वालों ने कहा कि जब तक आप आगे चलकर लोगों को यह नहीं बतायेंगे कि वे अपने घरों को जायें तब तक हमारा जाना बेकार है। लोगों के आबाद हुए बिना कोई दुश्मन से खाली नही हो सकता हमें वहां रहने वाले लोगों की मदद करनी चाहिये, बोर्डर एरियाज के लोगों के जीवन को सुखी बनाना चाहिये और देखना चाहिये कि वे अपने घर छोड़ने के लिए तैयार न हों, मरने के लिए तो तैयार हो जाये लेकिन घर छोड़ने के लिए तैयार न हों। इस तरफ तवज्जह नहीं दी जा रही है। हिल एरियाज के लिए बहुत कम रकम रखी गई है और बोर्डर एरियाज की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।

यह बहुत अच्छी बात है और इसके लिए आपकी तारीफ की जानी चाहिये कि आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया है, इसको बहुत नीचे ले आये हैं और अब आगे यह नहीं बढ़ेगी। इनफ्लेशन को जज करने का हमारा जो तरीका है वह होलसेल प्राइस इन्डैक्स है वह नीचे आ गया तो हम कहते है कि इनफ्लेशन रेट भी नीचे आ गया है। कंज्यूमर प्राइस इन्डैक्स में भी इसको रिफलैक्ट होना चाहिये। अब कुछ हो रहा है कंज्युमर प्राइस इन्डैक्स जो रोजाना जरूरी आते का है उसमें यह रिफलैक्ट हो रहा है। कंज्युमर प्राइसिस को नीचे लाना है तो उसके लिये यह निहायत जरूरी है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ-साथ हम और चीजों की तरफ भी ध्यान दें। अगर हम यह समझते हैं कि टैस्ट बुक एप्रोच से हम ऐसा कर सकते हैं तो यह हमारी भूल होगी। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अगर यह कहते हैं कि जो इकोनोमिक्स हम पढ़ाते हैं उसी के जरिये इस प्रोब्लम को टैक्ला नहीं किया जा सकता है। पोलिटिक्ल इकोनौमी इजडिफ्रेंट फ्राम दी इकोनोमिक्स टाट इन दी यूनिवर्सिटीज। इसी तरह पोलिटिक्ल फडमिनस्ट्रेशन नौकरशाही से मुखतिलफ है। क्या यह जो प्राइसराइज है यह इनफ्लेशन का नतीजा है या इनफ्लेशन प्राइसराइज़का नतीजा है? जो मैं कह रहा हूं फाइनलवर्ड नहीं है। मैं समझता हूं कि भारत में फुड स्टफ्स की प्राइसिस जो है जनरल प्राइसिस ललेवल में बड़ा रोल प्ले करता है। अगर इनको हम कंट्रोल कर पायेंगे तो हमारा काम नहीं चल सकेगा। कैसा हम इसको करें? मेरा यह सुझाव है कि एग्रिकलचरल इनपुट्स को आप एक पर्टिकुलर लेवेल पर फिक्स करें। जहां तक एग्रिकलचरल प्रोड्यूस का ताल्लुक है, उसकी आप रिम्युनरेटिव प्राइसिस दें। उसको भी आप फिक्स करें। उसके बाद इनपुटस का भाव बढ़े तो उसको सब्सीडाईज करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हर फसल की कीमतें बढ़ानी पड़ेगी,। उसका नतीजा यह होगा कि आपको गवर्नमैंट सर्वेंट्स को डी० ए० देने पड़ेंगे, लेवर को देना पड़ेंगे। फिर स्टेट गवर्नमेंटस के एम्प्लायीज को भी देने पड़ेंगे। डी० ए० इत्यादि देने से ज्यादा इन्फैक्ट पड़ता है इनफ्लेशन बढ़ता है या इनपुटस और प्रोडक्शन की सब्सीडाइज करके कीमतों को फिक्स करने से इसको आप देखें। किस तरीके से इनफ्लेशन कम होती है यह आपको देखना पड़ेगा। एग्रिकल्चरल इनपुट्स को आप सबसिडाइज करेंगे, एक्सपैंडीचर आप प्रोडक्शन के लिए करेंगे, उससे इनफ्लेशन मैं समझता हूं नहीं बढ़ेगा, भाव नहीं बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरह से आप करेंगे तो भाव जरुर बढ़ेंगे क्योंकि पैसा डी० ए० की सूरत में जाता है और उसका कीमतों पर असर पड़ता है और हर फसल पर आपको कीमतें बढ़ानी पड़ती है मैं समझता हूं कि इस चीज को आपको एग्जैमिन कराना चाहिये।

मैं यह भी समझता हूं कि फाइनेंस, प्लानिंग रेलवे और डिफैंस इनकी ज्वायंट स्टडी होनी चाहिये। आप देखें कि रेलवे को आप अगर डिफैंस के लिये एक्सपैंड करते हैं तो उसका डिफैंस का खर्च कम होता है। विदेशी मुद्रा बचती है। आपने पठानकोट से जम्मू तक लाइन बनाई है। इस नई लाइन पर जितना आपने खर्च किया है उससे कहीं ज्यादा इस वक्त तक आपका जो आर्मी पर खर्च होता था, उसको बचा चुके हैं। 14 करोड़ रु० रोजाना आप डिफैंस पर खर्च करने वाले हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्चा होता है यह आपको देखना पड़ेगा। इसलिये प्लानिंग कमीशन पर फाइनेंस मिनिस्ट्री में को आर्डिनेशन होना चाहिये।

यदि सदन की कमेटियां बनाई वहां खुल कर बिना पार्टी के साफ-साफ विचार होता है लेकिन जब यहां हाउस में किसी बात को डिस्कस करते हैं तो पोलिटिकल तकरीरें होती है। इसलिये ऐसे मामलात अगर हाउस के बाहर कमेटियों में डिस्कस कर सकें तो उसका फायदा उठाया जा सकता है कोआर्डिनेशन हो सकती है। मैं समझता हूं यह भी स्टडी कर लेना चाहिये इनफार्मल कमेटीज बन सकती हैं या नहीं।

ऐक्स सर्विसमैन की तरफ आपको खास तवज्जह देनी चाहिये। जो पुराने रिटायर हुए हैं और जो आज हुए हैं उनकी पेंशन में बड़ा फर्क हैं जिसको ले कर हार्ट बरनिंग है। इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। रुरल एरियाज में जितने लोग हैं जब तक स्टेटस को आपरेट नहीं करेगें उनका कोई मामला हल नहीं होगा। ऐग्रीकलचर में लोगों को इन्शयोर करे जिससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और बढ़ती हुई आबादी भी बोझ नहीं बनगी। अपनी बढ़ती हुई आबादी को किस तरीके से हम मनपावर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इसका तरीका खोज करना पड़ेगा।

आपने बैंकिंग क्रैडिट का काफी अच्छा कंट्रोल किया है अगर जो प्रोडक्टिव बैंचर्स हैं उनको क्रैडिट आसानी से मिलना चाहिये और होरडिंग करने वालों को बैंकों को क्रैडिट नहीं देना चाहिये। अगर दूर दराज इलाकों में सामान को ले जाने वाले हैं या इस फैसिलिटी को ले जाने वाले हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा मदद होनी चाहिये।

हमारी रियासत में बड़े मसले हैं। जैसे रिफ्यूजीज का मसला है जो कि 1947, 1965 और 1971 के रिफ्यूजीज है हैं। उनके मसले अभी तक हल नहीं हुआ हैं। न स्टेट गवर्नमेंट कुछ करती है और न हम करते है जिससे रिफ्यूजीज परेशान हैं। इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये।

इसी तरह से मेरे राज्य में दो इलाके किश्तवार और लद्दाख हैं। जब तक वहां अमन नहीं होगा तब तक उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। किश्तवार के लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि कांग्रेस (आई०) ने उनको उकसाया है, जब कि हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। इसमें आपको इंटरवीन करना चाहिए और जो बातें खुद स्टेट गवर्नमेंट ने कही है उनको पूरा करना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट की आपको कहना चाहिए कि उनकी बात सुनें। यह सेंसिटिव एरियाज है, अगर हालात बिगड़ते गए तो उसके नतायज खराब हो सकते हैं। हमारे स्टेट होम मिनिस्टर किश्तवार गये थे। लद्दाख भी उनको जाना चाहिए। डेमोक्रेसी में दो बातें होती हैं— एक डायलाग और दूसरे फ्री वोट। मगर स्टेट गवर्नमेंट डायलाग से दूर भागती है जो लीड करने वाले हैं किश्तवार में भी वह उन्हीं के लोग थे। वह अपने किए हुए वायदों को पूरा करें। इसी तरह लद्दाख में किए गए वायदे पूरे नहीं किया जा रहे हैं जिससे लोग परेशान हैं। लद्दाख भी एक सेंसिटव एरिया है, बोर्डर है। किश्तवार मे बिजली का प्रोजेक्ट चलने वाला है, वहां लोगों को परेशान करते हैं। इसलिए मरकजी सरकार को कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे यह मामला हल हो जाय।

हर स्टेट के मुताल्लिक मैं यह कहूंगा कि यह देखना चाहिए कि उसकी डेवलपमैंट स्कीम

के मुताबिक हो रही है यान हीं । चाहे अपनी स्टेट हो, मेरी स्टेट हो या किसी की भी स्टेट हो, जिस काम के लिए पैसा लिया जाता है, उसी काम के लिए लगाना चाहिए। यह आपका काम है कि देखें. चाहे प्लानिंग कमीशन देखें, फाइनेन्स मिनिस्ट्री देखे या सैंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी विभाग देखे । यह काम बहुत जरूरी है, वरना हमारी डैवलपमैंट नहीं हो सकेगी । ओइनफलेशन वहीं रुकेगी ।

जहां तक बैकवर्ड का सवाल है, मध्यप्रदेश वाले भी कह रहे थे कि हम बैकवर्ड हैं, लेकिन हमारी स्टेट सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। इस तरह से न आपकी स्टैट डैवलप होगी। जिस काम के लिए प्लानिंग कमीशन पैसा देता है, उसी काम पर पैसा लगे, उसी ढंग से खर्च होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत मश्कूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्र नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने पिछले एक वर्ष से जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को चलाया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। हमने जिस तरह मुद्रास्फीति पर काबू पाया हैं, वह हमारे जैसे विकासशील देश के लिए महत्वपूर्ण बात है। चालू वर्ष देश में केवल 4.9 प्रतिशत मुद्रास्फीति हुई है, जबकि पिछले वर्ष मुद्रास्फीति की दर 15.9 प्रतिशत थी, तथा उससे पहले के वर्ष में, जब इस सरकार ने प्रशासन की बागडोर सम्भाली, मुद्रास्फीति की दर 23.3 प्रतिशत थी। यदि यह सरकार की उपलब्धि है तो मैं समझता हूं यह सराहनीय है।

जहां तक औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का सम्बन्ध, है 1979-80 में पिछले वर्ष की तुलना में 1.4 प्रतिशत कमी हुई जबकि 1980-81 में 4 प्रतिशत वृद्धि हुई, और चालू वर्ष, 1981-82 में यह दुगुनी अर्थात् 8 प्रतिशत हो गई है, जो बहुत प्रशसनीय है।

परम्परागत रूप से, मेरी अपनी टिप्पणियों के अनुसार मेरे मन में पर्यावरण और समुद्री विकास सम्बन्धी दो बातें हैं, लेकिन मैं उन विषयों की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा करने के लिए अन्य कई अवसर मिलेंगे। मैं समझता हूं कि पर्यावरण के लिए 11 करोड़ रुपये तथा समुद्री विकास के लिए 17 करोड़ रुपये का आवंटन, इन दो अनुभवहीन विभागों की विशिष्ट उन्नति है, जो कि पिछले डेढ़ वर्ष से ही बनाये गये हैं।

न केवल इस देश के विकास अपितु इस देश के अस्तित्व तथा इसकी अर्थ व्यवस्था के लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि हम परिवार नियोजन कार्यक्रम कैसे चलाते हैं और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि पर कैसे काबू पाते हैं 1971 से 1981 तक एक दशक में, इस देश की जनसंख्या में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है इसका उल्लेख 1981 के जनगणना प्रतिवेदन में स्पष्ट रुप से किया गया है। छठी योजना के दौरान जन्म दर को योजना के अनुसार घटाकर 32 ही नहीं बल्कि 30 प्रति हजार नहीं किया गया क्योंकि मृत्यु दर बहुत तेजी से कम हो रही है तो इस देश को आज के मुकाबले और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। केवल तब ही इस शताब्दी के अंत तक हम जनसंख्या में वृद्धि दर को शून्य तक पहुंचाने का पूर्वानुमान कर सकते हैं

मैं यह कहना चाहूंगा कि इस वर्ष परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए पिछले वर्ष की तुलना में अधिक राशि रखी गई है इसके लिए 245 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया है। जो में समझता हूं कि बहुत ही अच्छा है।

मैं कहना चाहूंगा कि यह जानकर मुझे अप्रत्याशित आश्चर्य हुआ और मुझे विश्वास है कि अन्य लोग भी मेरे साथ सहमत होंगे कि प्रोत्साहन देने अथवा तथा निरूत्साहित करने की योजना का न तो उल्लेख किया गया है और न ही इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय आबंटन किया गया है मैं तथा अन्य "संसद सदस्य, जो कि मेरे सहयोगी हैं, और जो चीन हो आए है वे वहां के प्रोत्साहन तथा अप्रोत्साहन संबंधी कार्यक्रमों से कुछ आकर्षित हुए होंगे। लेकिन मे नहीं समझता कि चीन के सभी प्रोत्साहन तथा अप्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यक्रम, इस देश में अपनाए जा सकते हैं क्योकि न तो हमारी व्यवस्था उनकी तरह है न संस्कार, न ढ़ाचा और न ही एक दलीय शासन। लेकिन निश्चय ही कुछ तो हो सकता है मुझे यह समझाया गया कि वहां प्रोत्साहन देने और निरूत्साहित करने सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत करने के 20 से 25 विभिन्न तरीके हैं। निश्चय ही प्रोत्साहन देना बहुत विवादस्पद है लेकिन करीब 20-25 प्रकार से प्रोत्साहन दिया गया है तथा वह अभी तक विचाराधीनहै तथा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब मैं नहीं समझता कि इस तरह के निर्णयात्मक मामले पर हमें एक सेकेंड भी बर्बाद करना चाहिए।

महोदय, मैं यह नहीं कहना चाहता कि कौन से प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि इनमें से बहुत से प्रोत्साहन दिए जा सकते है तथा यदि हम उन के प्रभाव पर विचार करें तथा यदि उनका इस आशय ध्यान पूर्वक अध्ययन किया जाए कि वे किस सीमा तक प्रभावशाली है तथा हम अपने ससाधनों में उनकी व्यवस्था कर सकत है तो क्या इस चालू बजट वर्ष में कई प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं।

मेरा अनुभव यह है कि परिवार कल्याण विभाग ने विभिन्न स्रोतो कई राज्य सरकारों से प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी एकत्र की है किन्तु पिछले दो वर्षों तीन वर्षों 5 वर्षों में अभी तक सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है कि इनमें से कौन से प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं और ऐसा अध्ययन बहुत पहले किया जाना चाहिए था और अब तक प्रोत्साहन दे दिए जाने चाहिए थे।

मेरा विश्वास है कि प्रोत्साहन अधिक स्वीकार्य है और ये निरूत्साहनों की भांति नही होते। मैं समझता हुं कि जहां तक बढ़ती हुई जन्म-दर का सम्बन्ध है भारतीय जनसंख्या अथवा भारतीय लोग, यहा तक कि गरीब से गरीब गांव के लोगों को भी उन समस्याओं की जानकारी है, जिसका सामना न केवल उनके परिवार को बल्कि उनके गाँवों और यहां तक कि उनके पूरे देश को करना पड़ता है। यह आज उन्हें कुछ और अधिक जानकारी, सहायता तथा प्रोत्साहन देने का प्रश्न है और इसे वे अच्छी तरह समझ सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर उन्हें यह बताना होगा कि ये ऐसे प्रोत्साहन है जिनसे आप कुछ अधिक प्राप्त कर पायेंगे, ऐसा कुछ मत करिए जिससे आपको दिए गए विशेषाधिकार अथवा सुविधाएं समाप्त कर

दी जाए । उदाहरण के लिए हम प्रत्येक महिला नसबदी आप्रेशन के लिए प्रोत्साहन के रुप में 170 रुपए तथा पुरूष नसबदी आप्रेशन के लिए 1:0 रुपये देते है जो मैं समझता हूं, अपर्याप्त हैं । इससे अधिक राशि दी जानी चाहिए । लूप लगवाने पर 8 रुपए दिए जाते हैं । लेकिन चालू मुद्रा-स्फीतिक प्रणाली में इन 8 रुपयों की कीमत क्या है ? उन्नतिपरक प्रोत्साहन देना एक ऐसी बात है जो कि विभाग अपने कार्यक्रम के अनुसार दे सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी इसे आरम्भ किया जायेगा उतना ही अच्छा होगा ।

अन्य जिस विषय पर मैं बोलना चाहता हूं, वह पर्यटन अन्तर्राष्ट्रीय और तिरिक दोनों तरह के पर्यटन-के विषय में है । पिछले दो वर्षों से इस पर चर्चा हो रही है तथा अभी तक यह निर्णय नहीं लिया गया है कि क्या इस देश तथा मंत्रालय में राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड तथा राष्ट्रीय पर्यटन नीति होनी चाहिए । जितनी जल्दी यह निर्णय लिया जायेगा, यह पर्यटन विकास के पूरे विस्तार के लिए अच्छा होगा । दो वर्ष का समय लम्बा समय है । मैं फिर कहता हूं कि हाल ही में पर्यटन उद्योग को लाइसेंस देने के उद्देश्य से घोषित किया गया है । लेकिन एक उद्योग का प्राथमिक उद्योग के रुप में जो प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं, वे अभी भी कम हैं । मैं समझता हूं शीघ्र क्षेत्र में कुछ किया जाना चाहिए तथा कोई योजना बनायी जानी चाहिए । हम में से बहुत से लोग महसूस करते हैं कि यह उद्योग मुख्यतः बाह्य उद्योग तथा जटिल उद्योग है, यह ऐसा उद्योग नहीं है जो कि देश की अर्थ-व्यवस्था पर पूर्ण रुपसे प्रभाव डालना है मैं ऐसा नहीं समझता । हमारे पास 600 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा कमाने की क्षमता है लेकिन 1980-81 में इतनी क्षमता वाले इस उद्योग मे 8 से 85 करोड़ रुपए तक की पूंजी लगाई गई है । चालूवर्स में इस उद्यागको लगभग 250 करोड़ रुपए की आय हुई । प्रत्यक्ष रुप से 15 लाख लोगों को रोजगार मिला और अप्रत्यक्ष रुप से 25 लाख लोगों को रोजगार मिला कुल 40 लाखलोगों को इस-उद्योग में रुप से रोजगार मिला में जो कहना चाहता हूं वह यह है कियह कोई छोटा उद्योग नहीं है और फिर भी छठी योजना मे 10,000 करोड़ रुपए के कल परिव्ययमें से इस उद्योग के लिए 170 करोड़ रुपये की राशि का आबटन किया गया है ।

में जो सुझाव देना चाहता हूं उनमें से एक सुझाव यह है कि जहाज खरीदें जायें ताकि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले यह काम शीघ्र किया जाना चाहिए क्योंकि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू विमान सेवाओं के लिए इनकी तुरन्त आवश्यकता है और पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है हमेशा ही विमानों की कमी तथा उचित संरचना की कमी की बात कही जाती है मैं समझता हूं अगले वर्ष तक हमारे सामने इस तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी ।

मैं दो अन्य विषयों का भी संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं । एक कृषि के संबन्ध में है क्योंकि मैं एक महाद्वीप प्रदेश सौराष्ट्र का हूं जहां पूरे भारत के कुल उत्पादन की 20 प्रतिशत मूंगफली का उत्पादन पैदा होती है तथा यह चिन्ता का विषय हैं कि सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन प्रति एकड़ कम हो रहा है । बार-बार मूंगफली की बुआई अथवा मिट्टी के उपजाऊ पन पर प्रभाव अथवा क्षेत्र की सिंचाई के लिए जमीन में पर्याप्त पानी की कमी आदि इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन वहां पर इस समस्या पर विचार करने के लिए अनुसन्धान केन्द्र

बनाने की योजना है। लेकिन जब देश में खाना बनाने के तेल की कमी है तो भारत सरकार को, न केवल सौराष्ट्र में बल्कि जहां कहीं भी यह समस्या होती हैं अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि प्रति एकड़ इस अति आवश्यक वस्तु के उत्पादन में कमी न आये।

जहां तक कृषि मन्त्रालय का सम्बन्ध है, मैंने बार-बार सदन में भारत में भू-संरक्षण तथा वनस्पति की महत्ता के बारे में कहा है। यह जानकर प्रसन्नता का विषय है कि कृषि मन्त्रालय ने अन्तत: राष्ट्रीय भूमि प्रयोग कमीशन बनाने का निर्णय लिया है। यह स्वागत योग्य योजना है क्योंकि 1975-76 से पहले प्रत्येक राज्य ने राज्य भूमि प्रयोग बोर्ड बनाए थे। अब यह भूमि प्रयोग कमीशन इन राज्य बोर्ड के साथ तालमेल करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हम अपने भूमि-संसाधनों का उचित रूप से प्रयोग करते हैं। हम में से बहुत से लोगों को यह जानकारी होगी कि राज्य भूमि प्रयोग बोर्ड जो कि 1975 बनाए गए थे, उनकी अभी तक अर्थात् 1982 कोई बैठक नहीं हुई है। 1975 से 1982 तक उनकी कोई बैठक नहीं हुई यद्यपि विषय महत्वपूर्ण था। मुझे आशा है कि केन्द्रीय भूमि प्रयोग कमीशन बनाने से, राज्य भूमि प्रयोग बोर्डों में चुस्ती आयेगी और राज्य स्तर पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भू-संसाधनो के संरक्षण के लिए उचित योजना बनाई जा रही है।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध हैं, मैं आपका केवल आधा मिनट समय और लूंगा। वित्त मन्त्री को मेरा छोटा-सा सुझाव यह है कि हम उद्योगों के विकास केलिए पूंजी का निर्माण करना चाहते हैं। हम उसके लिए छोटे पूंजी निवेशकों तथा जमाकर्त्ताओं में विश्वास पैदा करना चाहते हैं। जब वह पूंजी लगाता है, तो उसे किसी तरह का आश्वासन और गारंटी दिया जाना चाहिए कि यदि वह कम्पनी विशेष समाप्त हो जाती है, तो उसका जो धन किया गया है भले ही वह थोड़ा सा, यहां तक 500 रुपये भी हो, तो उनकी स्थिति उस कम्पनी में किसी अन्य सिक्योरिटी जमा राशि के बराबर होगी। केवल तब ही छोटे पूंजी निवेशकों में ऐसे उद्योगों में धन लगाने का अधिक आत्मविश्वास पैदा होगा।

दूसरे, भारत सरकार की यह योजना है कि औद्योगिक विकास के लिए पिछड़े जिलों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाये। मेरा सुझाव यह है कि तहसील अथवा ताल्लुक स्तर पर ऐसा किया जाना चाहिए विशेष रूप से सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र को ताल्लुक वार अथवा तहसीलवार पिछड़ा हुआ घोषित किया जाना चाहिए न कि जिलावार, क्योंकि जिले में एक ही ताल्लुक ऐसी होगी जो कि अधिक विकसित हैं तथा अन्य कम विकसित होगी।

अन्त में, मैं मन्त्री महोदय को नई सीमेंट प्रणाली के लिए बधाई देता हूं जिसमें कुल सीमेंट उत्पादन का 33 प्रतिशत सीमेंट मूल्य तथा वितरण की दृष्टि से खुले बाजार के लिए रखा गया है। हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए सीमेंट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह एक सराहनीय बात है। लघु सीमेंट सेक्टर को कई लाइसेंस दिए गए हैं लेकिन उनका विकास नहीं हो रहा है। मुश्किल से केवल दो या तीन लघु सीमेंट संयन्त्र ही काम कर रहे हैं। उन्हें लघु सीमेंटों सयंत्रों को प्रोत्साहन देना चाहिए और देखना चाहिए कि ये लाइसेंस जारी कर दिये गए हैं तथा उनमें काम शुरू हो गया है। मैं समझता हूं कि इन लघु सीमेंट परियोजनाओं को और अधिक

प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए ताकि वे स्थापित हो सकें। अन्यथा, लघु सीमेंट संयन्त्रों के लाइसेंस बेकार पड़े रहेंगे और उनका उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

इन दो सुझावों के साथ ही, मैं हृदय से बजट का स्वागत करता हूं।

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष जी, आज जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां है उन सारे सन्दर्भों को ध्यान में रखते हुए हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है उससे अच्छा बजट आज के हालात में दूसरा हो नहीं सकता था।

बजट में 1982-83 के वर्ष का आय-व्यय का ब्यौरा पेश किया गया है, लेकिन उस बजट के साथ जो दूसरी सूचनायें दी गई हैं, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण विश्व बैंक की रिपोर्ट, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समितियों की रिपोर्ट इन सबसे यह बात पूरी तरह से साबित होती है कि हमारे देश की आर्थिक अवस्था बहुत तेजी से सुधार की तरफ जा रही है।

बजट के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए मैं अपनी प्रधानमन्त्री जी, वित्त मन्त्री जी तथा उनकी सरकार को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इस देश की जनता के मन से निराशा की भावना को समाप्त किया है। इस बजट में अगले वर्ष के लेखे-जोखे के साथ पिछले दो वर्ष की उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया है। पिछले दो वर्षों की पृष्ठभूमि में हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 1979-80 में जिस निराशा, जिस मायूसी, जिस अविश्वास के वातावरण में हम लोग पहुंच गए थे, वह निराशा, वह मायूसी, वह अविश्वास अब समाप्त हो रहा है। पिछले ढाई वर्षों में इस बात पर जोर दिया गया कि हमारी जो अर्थ-व्यवस्था टूट रही थी, छिन्न-भिन्न हो रही थी, उस को एक दिशा मिले। हालांकि हमारी अर्थ-व्यवस्था का निर्माण 1952 से शुरू हुआ था। आज इस देश में छठी पचवर्षीययोजनाचल रही है, पिछली पांच पंचवर्षीय योजनाओं में इस देश ने अभूतपूर्व तरक्की कीकृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र मे, विज्ञान के और टैक्नोलाजी क्षेत्र में, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है, जिसमें इस देश ने अभूतपूर्व तरक्की न की हो। हमारे प० जवाहरलाल जी ने इन्हीं योजनाओं का सपना देखा था, इस देश को औद्योगिक रूप से, कृषि के क्षेत्र में, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक मजबूत देश बनाने का सपना देखा था, उसीके अनुसार उन्होंने कार्यक्रम चलाया, पांच साला योजनायें चलाईं और उसका परिणाम यह निकला कि देश का उत्पादन बढ़ा, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, लोहे और कोयले का उत्पादन बढ़ा, शिक्षा बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, किन्तु 1980 के वर्ष में उस प्रगति में एक तरह की बाधा उत्पन्न हो गई। कुछ तो इसलिए कि इस देश मे 1977 में जो नई सरकार आई उसके क्रियाकलापों के कारण, कुछ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण, कुछ तेल की कीमतों के बढ़ जाने के कारण तथा और भी अनेक कारण थे जिनसे अर्थ-व्यवस्था डगमगाने लगी। लेकिन 1980 में जब पुनः श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता में आईं, इस देश की जनता ने इसी मकसद से, इसी आशय से उनको सत्तारूढ़ किया कि यह देश दूसरों के चलाये चल नहीं सकता, इस देश को केवल वही चला सकती हैं, विभिन्न दलों के जो राजनेता संयोग से सत्ता में आ गये है, वे इस

देश को चला नहीं पायेंगे, उसी बीच में लोक सभा भंग हो गई और पुन: चुनाव हुए और फिर श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता में आई, तब से फिर इस देश की आर्थिक स्थिति को सुधार की तरफ ले जाने के प्रयास शुरू हुए। 1980-81 में इस देश के सामने तीन भीषण समस्यायें थी — मुद्रा-स्फीति, मूल्य वृद्धि और काला धन। हालांकि ये तीनों समस्यायें केवल इस देश के ही सामने नहीं थीं बल्कि दुनिया के सामने भी ये समस्यायें थीं। काले धन की समानान्तर अर्थ-व्यवस्था इन्फलेशन का सबसे बड़ा कारण थी और वह केवल हमारे यहां ही नहीं, अमरीका, जापान और पश्चिमी जर्मनी जैसे विकसित देशों में भी उसने वहां की अर्थ-व्यवस्था को डगमगा दिया था। लेकिन हमको आज सन्तोष है कि हमारे नेतृत्व में, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में, जो सरकार चल रही है उसने पिछले ढाई वर्षों में मुद्रास्फीति को, मूल्य-वृद्धि को बहुत हद तक नियन्त्रित किया है।

श्रीमन 1979-80 में मुद्रास्फीति की दर 22.2 थी और वह घट कर 7.7 प्रतिशत अब आ गई है। यह मामूली एचीवमेंट नहीं है, यह मामूली उपलब्धि नहीं है। हमारी राष्ट्रीय आय में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

साथ ही साथ हमारे कर्णधारों ने, हमारी सरकार ने जो मूल कारण हैं मुद्रास्फीति के, मूल्य वृद्धि के और आर्थिक संकट के, उनको पहचाना है। मंहगाई और मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए मोटे तौर पर कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बनने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य बुद्धि वाला आदमी भी यह अच्छी तरह से जानता है कि मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की होती है कि अधिकतम उत्पादन किया जाए, अधिक से अधिक उत्पादन कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और जो कोर सेक्टर हैं तेल का सेक्टर है, कोयले का सेक्टर है, लोहे का क्षेत्र है, फार्टीलाइजर का क्षेत्र है, उनमें अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए यह सबसे पहली दवाई है यह सामान्य सी बात है कि जितनी आवश्यकता है, उससे अधिक उत्पादन हो जाए, तो अपने आप मूल्य गिर जायेंगे और मुद्रास्फीति का दवाब कम हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका निदान किया गया है। सबसे पहला कदम जो इस सरकार ने उठाया है इस दिशा में, वह यह है कि अधिक से अधिक उत्पादन बढाने का एक अभियान चलाया है और उसी सिलसिले में इस वर्ष को प्रोडक्टिविटी इयर घोषित किया है। अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, यह पहली दवाई है।

दूसरी दवाई यह हैं कि उचित मूल्यों पर वितरण की व्यवस्था हो ताकि जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन और कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन को उचित दामों पर चीजें मिल सकें। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह कदम उठाया है कि मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि के जो मूल कारण होते हैं जखीरेबाजी, मुनाफाखोरी और तस्करी, उससे सख्ती से निपटा जाए। जखीरेबाज, मुनाफाखोर और तस्कर किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था को बहुत प्रभावित करते हैं और ये किसी भी देश के बहुत बड़े शत्रु हैं। उन से सख्ती से निपटने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं और इस बजट में भी इसकी चर्चा है। इसके अतिरिक्त जन-संख्या पर भी नियंत्रण करने की बात है। बड़े से बड़ा विकास किसी भी देश का, अगर उसी औसत से जनसंख्या बढ़ती चली गई,

तो उसमें वह समां आएगा। तो इस देश की अर्थ-व्यवस्था को संतुलित करने के लिए जो आवश्यक कदम हैं वह सरकार उठा रही है। उत्पादन में बढ़ोतरी हो और उचित वितरण हो और जमाखोरों, तस्करों और मुनाफाखोरों पर कठोर नियन्त्रण हो, और साथ ही साथ जनसख्या की वृद्धि पर नियंत्रण हो, ये मुख्य निदान हैं, जिससे किसी देश की अर्थ-व्यवस्था ठीक हो सकती है और सरकार को बधाई है कि जो सही कारण है अर्थ-व्यवस्था को डगमगाने से बचाने के लिए, उन को दूर करने का वह प्रयास कर रही हैं।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष के बजट में भी चर्चा थी और हम लोगों ने भी जानकारी प्राप्त की है कि पिछले वर्ष लोहे का उत्पादन बढ़ा है, खाद का उत्पादन बढ़ा हैं, कोयले का उत्पादन बढ़ा है और विद्युत का उत्पादन बढ़ा हैं। इस तरह से जो महत्वपूर्ण बुनियादी उद्योग हैं, उनका उत्पादन बढ़ा है। विकास की बुनियाद लोहा, कोयला बिजली, खाद हैं। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में इन सब चीजों की आवश्यकता होती है और इन चीजों का उत्पादन बढ़ा हैं। पिछले वर्ष जहां औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, वहां कृषि का उत्पादन भी बढ़ा है और कृषि का उत्पादन खरीफ में जो इस वर्ष हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं था और रबी के उत्पादन में भी, हमें ऐसी आशा थी कि बहुत अच्छा उत्पादन होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था लेकिन अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ता है कि इस वर्ष जबकि रबी की रबी की फसल बहुत अच्छी होने की आशा थी, हिन्दुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में और उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से में पिछले सप्ताह बहुत भयंकर ओलावृष्टि हुई है, जिसने सारी फसल को नष्ट कर दिया है। खाली मेरे जिले मिर्जापुर में और आस-पास बनारस जिले में, मैं देखकर आया हूं. पिछले सप्ताह की ओलावृष्टि ने अरबों रुपयों की फसल को नष्ट कर दिया है और वहां पर एक फैमिन की स्थिति पैदा हो गई हैं। इस सम्बन्ध में मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है और जहां पर फैमिन की स्थिति होने की संभावना है। वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर राहत कार्य किये जाएं। वहां पर गांवों में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जाएं और वहां के लोगों के रेवेन्यू को माफ किया जाए और जो भी दूसरी राहत दी जा सकती है, वह दी जाए। हो सकता हैं कि फसल कुछ कम हो, फिर भी हमको आशा है कि रबी की फसल अच्छी होगी। इससे देश की अर्थ व्यवस्था को लाभ पहुंचेगा, वह मजबूत होगी।

यह बजट जो पेश हुआ है, इसके टेक्नीकल पहलुओं पर बहुत से विद्वान सदस्यों ने प्रकाश डाला है। हमारी छठी पंचवर्षीय योजनाओं में जो लक्ष्य रखे गये है, जो योजना से हमारी उपलब्धियां होने वाली हैं उनको ध्यान में रखकर, उसके आकार को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। बजट में हमारी आय का जरिया बढ़ाने के साथ-साथ, खर्च का ब्यौरा देने के साथ साथ छठी पंचवर्षीय योजना के लिए भी व्यवस्था की गयी है।

श्रीमन् किसी देश की राष्ट्रीय सम्पदा बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, गल्ला बढ़ जाए, औद्योगिक उत्पादन बढ़ जाए, चीजें समय पर प्राप्त हो जाएं, खाली इससे काम चलने वाला नहीं होता है। हमारी मान्यता यह है कि हमारा यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि देश की जो सम्पदा बढ़

रही है, उसका लाभ गरीब से गरीब और निम्न से निम्न वर्ग के लोगों को मिले । अगर किसी अर्थ व्यवस्था की समृद्धि, मजबूती का लाभ उस देश के 50 परसेन्ट से ज्यादा लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं कही जा सकती । हमें खुशी है कि छठी योजना में इस बात को प्राथमिकता दी गयी है । हमारी अर्थ व्यवस्था में जो मजबूती आये, हमारे यहां जो उत्पादन बढ़े उसका लाभ देश के गरीब लोगों को और वीकर सैक्शस को मिले । इसके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं चलायी गयी हैं ।

प्रधान मन्त्री जी का नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम देश के लिए वरदान सिद्ध होगा । अगर इस बीस सूत्रीय कार्यक्रम को ठीक ठीक अमल में ला दिया जाए तो देश के चारों तरफ विकास होगा और साथ साथ देश का दुनिया में मस्तक ऊंचा होगा । देश की गणना दुनिया के गिने-चुने देशों में हो जाएगी और कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा । हमें आशा है कि प्रधान मन्त्री जी के बीस सूत्रीय कार्यक्रम को मुस्तैदी के साथ, सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाएगा ।

इसके साथ साथ कुछ और काम भी चलाये जा रहे हैं । ग्रामीण विकास योजना में स्पेशल कम्पोनेंट स्कीम हैं । यह ऐसी स्कीम है अगर इस पर ठीक से अमल किया जाए तो 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को गांवों में लाभ पहुंचेगा । उनका जीवन ऊंचा होगा । हमें खुशी है कि इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, वीकर सेक्शंस के लोगों, गरीब लोगों के जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं और उन कार्यक्रमों के लिए काफी धन की की व्यवस्था की गयी है ।

दूसरे हमारा एक अनुभव है कि आप आई० आर० डी० योजना चला रहे हैं, उनके बारे में बैंकों से लोगों को सहायता नहीं मिल पा रही हैं । बैंकों के कुछ ऐसे नियम हैं कि जिनके कारण लोगों को उनसे धन मिलने में कठिनाई होती है । बैंकों से लोगों को शीघ्रतापूर्वक धन मिल सके इसके लिए वित्त मन्त्री जी बैंकों के नियमों में शिथिलता लाएं, उनमे परिवर्तन करें । तभी हमारे गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने की सभावना है ।

श्रीमान् इधर सबसे बड़ी उपलब्धि यह हुई है कि 1979-80 वर्ष में एक बड़ी निराशा, मायूसी, कुंठा की भावना लोगों में थी, बड़ी अविश्वास की भावना थी । हमारी प्रधान मन्त्री जी ने, हमारे वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट के द्वारा उस भावना को दूर किया है । हमारे सामने जो आंकड़े हैं उनसे यह सब पता चलता है । मैं यह नहीं कहता कि हमारे सभी काम ठीक हो गये हैं लेकिन हमारी अर्थ व्यवस्था ठीक रास्ते पर चल रही है, मजबूती के रास्ते पर चल रही है और इससे जनता में आत्मविश्वास पैदा हो रहा है इससे देश आगे बढ़ेगा ।

यह ठीक है कि लोकतंत्र में काम थोड़ा धीरे- धीरे होता है, लेकिन होता है पूरे विचार विमर्श के बाद । काम को करने में कुछ समय लगता है लेकिन जो काम होता है वह ठोस होता है । हमारे लोकतन्त्र में जो विकास के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, भले ही उनमें कुछ देर हो जाए, लेकिन वे पूरी गति से चल रहे हैं और इसके कारण हमारी सरकार और प्रधान मन्त्री

श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हुआ हैं। हम सिर्फ यहां पर भाषण नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमने जनता में जाकर देखा है, वहां पर जनता के मन में आशा हैं, सरकार के कार्यक्रमों के प्रति आशा हैं-यह सबसे बड़ी उपलब्धि इस प्रकार की है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। इस बार जो बजट आया है' इसमें मंशा क्या है, इस बात की स्पष्ट चर्चा नहीं की गई है। इस देश के जो पिछड़े इलाके हैं, औद्योगिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, स्वास्थय की दृष्टि से, सड़क की दृष्टि से, उनके लिए क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था की जा रही हैं या नही, इस बात की स्पष्ट चर्चा बजट नहीं की गई है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश में 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं. लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तरप्रदेश में जहां आहार की 1600 कैलोरीज मिलती हैं, पूर्वी उ. प्र. में 1450 कैलोरीज मिलता हैं। सारे देश में 56 जिलों को पिछड़ा घोषित किया गया हैं ओर इनमें से 22 जिले उत्तरप्रदेश में है और इन 22 जिलों में से 15 जिले पूर्वी उत्तरप्रदेश में है।

आज उत्तरप्रदेश हर दृष्टि से पिछडा हुआ है और उसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बजट में प्रावधान अभी तक नहीं हुआ है। मुख्यमन्त्री जी ने कहा था कि इस वर्ष बजट में और छटी पंचवर्षीय योजना में हमें ज्यादा हिस्सा मिला हैं, मगर जो मिला है वह नगण्य है। मैं केन्द्र सरकार से, वित्त मन्त्री जी से और योजना आयोग से निवेदन करूंगी कि उत्तरप्रदेश के साथ ज्यादती न की जाए। क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से और उसके पिछडेपन को देखते हुए उसे बजट में हिस्सा मिलना चाहिए। कहीं ऐसा न हो जाए कि सब राज्यों का विकास हो जाए और हम पिछडे रह जाएं। आज यह देखने को मिलता हैं कि जो राज्य विकसित है, उन्हें ज्यादा हिस्सा मिलता हैं और बैकवर्ड प्रदेश चिल्लाते रह जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग उत्तरप्रदेश के पिछडेपन की ओर ध्यान दे। मैं तो यह भी कहूंगा कि पूर्वी उत्तरप्रदेश और बुन्देलखण्ड के विकास के लिए एक आयोग अलग से बना दीजिए। पंडित जवाहर लाल नेहरू जब एक बार उस क्षेत्र में गए थे तो वहां की गरीबी को देखकर द्रवित हो गए थे। उन्होने पटेल आयोग की स्थापना की थी ओर पटेल आयोग ने अपना काम भी शुरु कर दिया था, परन्तु उस आयोग का काम खटाई में पड़ गया। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि उत्तरप्रदेश के जो पिछड़े इलाके हैं, खासकर के पूर्वी उत्तरप्रदेश के इलाकों के लिए एक विशेष आयोग गठित किया जाए और इस क्षेत्र की गरीबी दूर करने के लिए चौतरफा विकास कार्यक्रम लागू किए जाएं। आपको आश्चर्य होगा कि उत्तरप्रदेश की साढ़े 10 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ पूर्वी उत्तरप्रदेश के 15 जिलों में रहती हैं।

चार करोड़ आबादी इस प्रदेश की है, पूर्वी उत्तरप्रदेश की है, की है। इस देश

के कई राज्य हैं जिन की चार करोड़ आबादी है । लेकिन अकेले पूर्वी उत्तरप्रदेश की आबादी चार करोड़ है । उसकी दुर्दशा जो हो रही है उसको आप देखें । खाली खेती पर ही उनका गुजर बसर होता है । किसी के पास पांच बीघे जमीन हुई और पचास प्राणी उसके परिवार हुए तो उसकी जीविका चलना मुश्किल हो जाता हैं । वहा से लोग भाग-भाग कर बाहर जा रहे हैं बर्मा, बम्बई, कलकत्ता, लेटिन अमरीका के देशों में वे जा रहे रोजी रोटी की तलाश में । वहां की आबादी वहां से भाग रही है । सारे देश की, सभी शहरों की आबादी बढ़ रही है जन संख्या तेजी से बढ़ रही हैं लेकिन मिर्जापुर की घट रही है । इस आबादी के घटने की वजह यह हैं कि वहां कोई उद्योग धंधा नहीं, कारखाना नहीं । इस वास्ते वहां का पान बेचने वाला, चाय बेचने वाला, परचून का काम करने वाला, वहां का मजदूर भाग भाग कर वहां से तीन तीन सौ किलोमीटर दूर, कोल फील्ड्स में, सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन के पास, बम्बई कलकत्ता आदि दूसरे शहरों में भाग-भाग कर जा रहा है और मिर्जापुर की आबादी घट रही है । मिर्जापुर को उजड़ने से बचाने के लिए वहां कोई बड़ा उद्योग धंधा आपको तुरन्त स्थापित करना चाहिए । यह अत्यन्त आवश्यक है ।

यही हालत दूसरे नगरों की भी वहां है । गाजीपुर, बलिया, सुलतानपुर बसती आदि जितने शहर पूर्वी अंचल के हैं, जो छोटे-छोटे जिले है सब उजड़ रहे हैं । गरीबी बेइंतहा बढ़ रही है । इस में सन्देह नहीं है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए वहां कुछ काम किया गया है, सिंचाई के कुछ साधन मुहैया किए गए हैं और कृषि उत्पादन का भी है । लेकिन कृषि पर जन सख्या का भार भी वहां बराबर बढ़ता चला जा रहा है, गरीबी भी साथ-साथ बढ़ती चली गई है मेरा निवेदन है कि उत्तरप्रदेश के वास्ते, विशेषकर पिछड़े इलाके जो वहां के हैं, गरीब इलाके जो वहां के हैं उनके विकास के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जाए । मैं तो यह चाहूंगा कि एक आयोग बनाया जाए और उस आयोग की मार्फत वहां की गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाए । चार करोड़ की आबादी निर्धनता से अभाव से त्रस्त है । आप कैपिटा इनकम को देखें । जहां बाकी उत्तरप्रदेश की पर केपिटा इनकम, फ्री कस इनकम 2 रुपया हैं, वहां पूर्वी उत्तरप्रदेश की केवल 75 पैसे हैं । 75 पैसे में कैसे कोई गुजर बसर कर सकता है, यह आप सोचे । यह स्थिति वहां की है । मेरा निवेदन है कि उत्तरप्रदेश के पिछड़े इलाकों के पिछड़ेपन को दूर किया जाए ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उससे लटे हुए जो बिहार के इलाके है, मध्य प्रदेश के इलाके हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए । विन्ध्य प्रदेश का इलाका है जो बहुत पिछड़ा हुआ है । राजस्थान में भी कुछ पिछड़े इलाके हो सकते है विन्ध्य प्रदेश की तो एक अलग से स्टेट थी जिसमें रीवा आदि तीन चार जिले थे । वहां सड़क नही हैं, रेल नहीं है । मिर्जापुर की भांति वहां की स्थिति भी यह है कि बीस पच्चीस हजार की आबादी तक पर एक डाक्टर नही है, बीस बीस किलोमीटर पर अस्पताल नहीं हैं, बस पकड़ने के लिए पचास पचास और साठ साठ किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है । 15-20 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल है । भारतीय आजादी की, विकास की नई रोशनी जो फैली है इसका लाभ उनको भी तो मिलना चाहिए । वहां पर लोगों के पास काम धंधा नहीं है । ओला पड़ जाए, सूखा पड़ जाए तो वहां के लोग रोजी रोटी

की तलाश में भाग खड़े होते हैं। निस्सन्देह प्रधान मन्त्री का जो कार्यक्रम हैं, जो छठी योजना है यह देश के लिए, के भविष्य के लिए उसको एक स्वाणिमि रूप देने वाली है। देश मजबूत हो रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, शक्तिशाली हो रहा है। इसके लिये देश की जनता श्रीमती इन्दिरा गाँधी की आभारी है और रहेगी। उनके नेतृत्व में पूरी निष्ठा है।

पिछली डिबेट में भी जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था और संसद के बाहर भी हमारी नेता ने प्रतिपक्ष का सहयोग माँगा है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिये। इसलिए एक देशभक्त और सच्चे नागरिक होने के नाते प्रतिपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए, इसकी मांग प्रधान मन्त्री की तरफ से की गई मुझे आश्चर्य हुआ एक बहुत की विद्वान और पुराने सदस्य हैं जो अच्छे वकील भी हैं, उन्होंने सहयोग देन के लिए 4,5 शर्त लगायीं पहली यह कि ससदीय लोकतन्त्र का जो संविधान है उसके सम्बन्ध में चर्चा हो रही है बदलने की, इस अध्यक्षनीय प्रणाली की चर्चा को बन्द कर दिया जाय। दूसरे यह कि : जुडिशियरी की सुप्रीमैसी को स्वीकार कर लिया जाय। प्रैस की आजादी कायम रखी जाय, और चौथी शर्त यह लगायी कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का जो पसनलिटी कल्ट है इसको समाप्त किया जाय। अपोजीशन के लोग जनता की भलाई की बात गला फाड़ कर कहत हैं, मगर जब शर्त लगायी तो यह नहीं कहा कि देश से गरीबी दूर करने के लिए जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनके अमल करने में ईमानदारी बरती जाय। उन्होंने यह शर्त नहीं लगायी कि देश की जो जनसख्या बढ़ रही है उसको कम करने के लिए कार्यक्रम चलाये जायें। उन्होंने यह शर्त नहीं लगायी कि देश में जो करोड़ों बेरोजगार हैं उनको काम देने के लिये कार्यक्रम चलाये जायें। उन्होंने यह शर्त नहीं लगायी कि जो पिछड़े और गरीब इलाके हैं उनको सम्पन्न बनाने के लिए कार्यक्रम चलाये जायें। देश की सीमाओं पर जो खतरा मंडरा रहा है उसका मुकाबला करने के लिये देश को मजबूत किया जाय। उन्होंने यह शर्त नहीं लगायी कि देश में सामप्रदायिक और प्रथकतावादी जो शक्तियां सक्रिय हैं और देश को कमजोर बनाना चाहती हैं उनको समाप्त किया जाय। देश में और विदेश में जो ऐसी शक्तियां हैं जो देश को कमजोर बनाना चाहती हैं और विदेशों में भी ऐसी शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि देश शक्तिशाली न बने उनके विरोध मे उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह चाहते हैं कि जो देश को मजबूत बनाने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं उनको सफल न होने दिया जाय। तो जनहित के कार्यों को पूरा करने के बारे में उन्होने शर्त नहीं लगायीं।

कोई भी राज्य प्रणाली, न्याय प्रणाली जनता के लिये सारा सिस्टमजनता के लिए है। लिए है,के जनता प्रैस भी हैं। अगर कोई राज्य, न्याय प्रणाली या कोई संस्था जनता के हितों कार्यक्रमोंके भलाई रहे चल में में बाधक होता है तो उसको बदलन में कोई हिचक नहीं होनी विचारनिजी मेरा यह चाहिए। है। हालांकि प्रधान मन्त्री ने कहा है कि हमारे यहां ससदीय मेरा लेकिन रहेगी, कायम प्रणाली निजी मत है कि दुनिया भर में सभी जगह संसदीय प्रणाली प्रणा-राज्य तरह की तरह है, नहीं लियां हैं। जो जनता की भलाई के लिए चल रही हैं। और प्राचीन में तो देश हमारे श्रीमान्, काल में राजतंत्र था और तब स्वर्ण युग था। उस समय कालि रघुवंश था लिखा काव्य ने एक दास उसमें उन्होंने सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन किया है। उसमें एक ऐसी क्या कहेंगे है, आप श्लोक कोई राज्य प्रणाली हो सकती है:

प्रजानां विनयाधानात् रक्षणत भरणादपि ।
सपिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतव: ।।

राजा प्रजा को शिक्षा देने के कारण, प्रजा का भरणपोषण करने के कारण, रक्षा करने के कारण प्रजा का पिता होता था। और प्रजा के माता पिता जन्म के कारण होते थे। सारा काम राज्य करता था। ऐसा समाजवाद और राज्य प्रणाली आपको श्रीमान, कहीं और देखने को मिलेगी ? कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रणाली जनता के लिए हितैषी हो वही राज्य प्रणाली अच्छी है।

ससदीय लोकतन्त्र के द्वारा देश का विकास हुआ है, देश मजबूत हुआ है। अगर किसी विन्दु या स्थान पर कोई व्यवस्था जनता के हित के विरोध में जाती हो तो उस व्यवस्था को बदलने में कोई हिचक नहीं करनी चाहिए। जनता की भलाई, हित, खुशहाली सर्वोपरि है।

उसी प्रकार से जो जुडीशियल सिस्टम है, वह बहुत अच्छा है। हमारी न्याय प्रणाली अच्छी है, लोकतन्त्र की प्रणाली है। लेकिन अगर हमारी न्याय प्रणाली में कोई व्यवस्था ऐसी हैं जिससे जनता के हित में बाधा आती है तो उस व्यवस्था को बदलने में भी कोई हर्ज नहीं है, ऐसा मेरा विचार है।

प्रैस तो इस देश में जितना स्वतन्त्र है, उतना शायद किसी भी देश में नहीं है। यहाँ प्रेस परम स्वतन्त्र हैं। जितनी स्वतन्त्रता से हम यहां पढ़ते लिखते हैं, उतनी स्वतन्त्रता कहीं नहीं है। अगर प्रेस भी जनता के हित के विरुद्ध जाता है तो उस पर भी संशोधन होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

एक बात उन्होंने कही कि श्रीमती इन्दिरागांधी का परसैनलटी कल्ट होता है। परसैनल्टी कल्ट के माने व्यक्ति पूजा के हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने नहीं कहा है कि व्यक्ति पूजा करो। देश की करोड़ों जनता उन पर विश्वास करती है, श्रद्धा रखती है, उनको अपना नेता मानती है। उनके कार्यक्रमों में सहयोग देती हैं। इसको परसैनल्टी कल्ट नहीं कहा जाता है। हम लोग कांग्रेस के सदस्य अनुशासन का पालन करते हैं, उनके नेतृत्व में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। यह कोई परसैल्टी कल्ट नहीं। यह उनका महान व्यक्तित्व है।

मेरा निवेदन यह है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश की कोटि-कोटि जनता की श्रद्धा और विश्वास की भाजन हैं। किसी में बूता नहीं है कि उनके प्रति जो लोगों में निष्ठा है, उसको कोई हटा दें।

संसार की मानव जाति आज एक ज्वालामुखी पर खड़ी है। श्रीमती इन्दिरा गांधीं मानव जाति की एकमात्र सहारा और आधार हैं। इसीलिए मानव जाति का इस देश की जनता पर पूर्ण विश्वास है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं।

6.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 9 मार्च, 1982, 18 फाल्गुन, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई)

प्रबन्धक : आर० आर० गुप्ता प्रेस, 472, पण्डित रामचन्द्र देहलवी मार्ग दिल्ली-110000 द्वारा मुद्रित।